लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK-SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

Conservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 31 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXI contains Nos. 11 to 20]

लोक–सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक-14, गुरुवार, 7 अगस्त, 1969/16 श्रावण, 1891 (शक)

No.-14, Thursday, August 7, 1969/Sravana 16, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
391	भारत के कुछ भागों में बार बार अकाल और सूखा पड़ना	Frequent occurrence of Famine and drought in certain parts of India	1--9
392	संसद सदस्यों द्वारा आकाशवाणी से वार्ता	Talks by M. Ps on All India Radio ...	9--18

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
393	ढोरी कोयला खान दुर्घटना	Dhori Coal Mine Accident	18--19
394	पोषण बोर्ड	Nutrition Board ...	19
395	देश में बेरोजगारी दूर करने की तुरन्त प्रभावी योजना	Crash plan to fight unemployment in the country	19--20
396	फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans Sanctioned by Film Finance Corporation	20
397	फिल्म सेंसर संबंधी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of enquiry committee on Film Censorship	20--21
398	राष्ट्रीय शोक के दौरान संगीत का प्रसारण	Playing of music during state Mourning ...	21
399	हिन्दुस्तान समाचार को ऋण	Loan to Hindustan Samachar ...	21
400	तमिलनाडु में सूखा	Drought in Tamil Nadu	22

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

ता. प्र संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
401	अधिक उपज देने वाले अनाज के बीजों की किस्मों के लिए क्षेत्रों का चयन	Selection of areas for High Yielding varieties of grains	22--23
402	कर्मचारी भविष्य निधि के लेखों का निपटारा	Settlement of Employees' Provident Fund Accounts	23--24
403	खाद्यान्नों की कमी	Deficit in Foodgrains ...	24
404	उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम	Programme to raise production	24--29
405	घेराव की घटनाएं	Incidents of Gheraos	29--30
406	सरकारी उपक्रमों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Employees' Provident Fund Act by Public Undertakings ...	30
407	खाद्यान्नों की वसूली	Procurement of Foodgrains	31
408	औद्योगिक शांति को बनाये रखना	Maintenance of Industrial peace	31--32
409	देश में बीज विकास केन्द्र	Seed Developing centres in the country ...	32
410	'नोवोस्ती' तथा पत्र सूचना विभाग के बीच प्रचार सामग्री के परिचालन के बारे में समझौता	Agreement between Novosti and PIB for circulation of Publicity Material ...	32--33
411	कोयला खान मालिकों द्वारा भविष्य निधि की राशि का उपयोग	Utilisation of provident fund money by colliery owners	33--34
412	संगीत एवं नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध आरोप	Charges against director, Song and Drama division	34
413	गैर-श्रमजीवी पत्रकारों संबंधी मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर मध्यस्थ का पंचाट	Award of Arbitrator on the Report of the Wage Board on Non-working Journalists	35

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
414	राज सहायता प्राप्त दरों पर सरकारी कर्मचारियों को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Government Employees at Subsidised Rate	35
415	उत्तरी प्रदेशों के सीमान्त क्षेत्रों में संचार सुविधाएं	Communications Facilities in Border areas of Northern Regions	35--36
416	श्रमिकों की हड़ताल समाप्त करने की योजना	Plan to end strikes by Labourers	36
417	भूमिगत जल का सिंचाई के लिए अंधाधुंध प्रयोग	Indiscriminate use of Underground water for Irrigations	36--37
418	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण	Reservations in Promotions of Scheduled Caste/Tribe Employees	37--38
419	चूहों से अनाज की बर्बादी	Destruction of food by Rats ...	38--39
420	बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Labourers in Bokaro Steel Plants	39
अता. प्र. संख्या/U. S Q. Nos.			
2524	खाद्यान्न जमा करने के लिए गोदामों का निर्माण	Construction of Godowns for storage of foodgrains ...	39--40
2525	दिल्ली के कनाट प्लेस टेलीफोन केन्द्र क्षेत्र में पारीमुक्त श्रेणी के टेलीफोन	Exempted Category phones in Connaught place Exchange area of Delhi	40--41
2526	भारत-अमरीकी करार के अन्तर्गत प्राप्त गेहूं का तमिलनाडु की चर्च वर्ल्ड सर्विस द्वारा वितरण	Distribution of wheat received under Indo US Agreement by Church World Service in Tamil Nadu ...	41--42
2527	मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों की उपलब्धता	Availability of Tractors in Madhya Pradesh	42--43

2528	मध्य प्रदेश में बसाए गए पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistani Refugees settled in Madhya Pradesh	43--44
2529	आकाशवाणी के पास महात्मा गांधी की फिल्में तथा टेप	Films and Tapes of Mahatma Gandhi with AIR	44--45
2530	सूचना तथा प्रसारण विभाग में सहायकों (असिस्टेंटों) की वरिष्ठता	Seniority of Assistants in the Department of Information and Broadcasting	45--46
2531	स्टाफ आर्टिस्ट ऐसोसिएशन	Staff Artistes Association	46
2532	आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में वार्ता कक्ष	Talks cell in New Divisions of AIR Delhi ...	46--47
2533	आकाशवाणी में प्रस्तुतीकरण सहायक (प्रोडक्शन एसिस्टेंट)	Production Assistants in AIR	47--48
2534	किसानों की प्रति व्यक्ति आय	per capita income of Agriculturists	48--49
2535	अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival	49
2536	पश्चिम बंगाल में घेराव की घटनाएं	Incidence of gheraos in West Bengal ...	49--50
2537	गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की संख्या का कम होना	Decrease of lions in Gir Forests of Gujarat	50--51
2538	गुजरात में भूमि संरक्षण	Soil conservation in Gujarat	51--52
2539	नलकूपों के निर्माण के लिए गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat for Construction of Tube wells	52
2540	गुजरात में पशुपालन आदि के लिए सहायता	Central Assistance for Animal Husbandry etc. to Gujarat	52--53

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2541	गुजरात में कृषि परियोजनाए	Agricultural projects in Gujarat ...	53--54
2542	आकाशवाणी में मैकेनिकों को स्थायी करना	Confirmation of machanics in AIR ...	53--54
2543	आकाशवाणी में तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of class III Technical Staff in AIR	54
2544	दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरें	Admission rates in Cinema Houses in Delhi	54--55
2545	राजस्थान में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए धन का नियतन	Allocation of funds for Minor Irrigation Scheme in Rajasthan	55
2546	पशु बीमा योजना	Animal Insurance Scheme	55--56
2547	हिमाचल प्रदेश में हुई पोधा विद्या तथा फसल उत्पादन संबंधी गोष्ठी	Seminar on Plant physiology and crop production held in Himachal Pradesh ...	56--57
2548	ऊन का उत्पादन	Wool Production	57
2549	विदेशी तेल कम्पनियों में नोकरी की सुरक्षा	Job securities in Foreign oil companies ...	57--58
2550	हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालय	P & T offices in Himachal Pradesh... ...	58--59
2551	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम	Public undertakings under food and Agriculture ministry	59
2552	आकाशवाणी के हिन्दी संवाददाता	Hindi correspondent of AIR	59--60
2553	आकाशवाणी में हिन्दी में पाठ्य कार्यक्रम	Lsssons in Hindi programme on AIR ...	60
2554	माडर्न बेकरीज लिमिटेड	Modern Bakeries limited	60
2555	सूरतगढ़ फार्म में उत्पादन	Production at Suratgarh Farm	61

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2556	डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय	Expenditure on Medical facilities and allowances to P & T employees...	61--62
2557	मंगलोर में डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का निर्माण	Construction of quarters for P & T Staff at Mangalore	62
2558	भूमि सुधारों की क्रियान्वितति	Implementation of land reforms	62--64
2559	जमुरिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाली कोयला खान में दुर्घटना	Accident in colliery under Jamuria police Station	64
2560	चावल और गेहूँ की उपज	Yield of rice and wheat ..	64--65
2561	पश्चिम जर्मनी द्वारा हिमाचल प्रदेश को उर्वरकों का उपहार	Gift of fertilizers to Himachal Pradesh by West Germany	65
2562	देश में टेलीफोन संबंधी विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending applications for Telephones in the country	65--66
2563	आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग	External Services Division of AIR ...	66--67
2564	गोरखपुर में डाक घर	Post Offices in Gorakhpur ...	67
2565	ग्रामीण श्रमिकों के हितों की रक्षा	Protection of the interests of Rural Labour	67
2566	आकाशवाणी दिल्ली से वार्ताएं	Talks on AIR Delhi ...	68
2567	बम्बई में आकाशवाणी की नई इमारत का निर्माण	Construct on of a new Akashwani	68
2568	सुपर बाजार	Super Bazars	69
2569	आकाशवाणी का ग्वालियर केन्द्र	AIR Station, Gwalior	69

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2570	पी० एल० 480 के अधीन आयात	Imports under PL 480 ...	69--70
2571	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to International Labour Conference	70--71
2572	बीजों की चोर बाजारी	Black marketing of seeds	71
2573	पश्चिम बंगाल में घेराव की घटनाएं	Incidence of Gheraos in West Bengal	71--72
2574	दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazar in Delhi ...	72--73
2575	सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण	Distribution of fertilizers through Co-operatives	73--74
2576	निर्यात किए जा सकने वाले संकर किस्म के फल	Hybrid varities of Export potential fruits ...	74
2577	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	74--75
2578	गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र	AIR Station at Gorakhpur ...	75
2579	समुद्री खाद्य उद्योग	Sea food industry	75--77
2580	काण्डला में भाण्डागार	Kandla Warehouse	77
2581	विभिन्न दुग्ध योजनाओं की सफलताएं	Achievements of various Milk Schemes ...	77--78
2582	नगर के कचरे से खाद बनाने के प्लांट	Plants for making manure from city refuse	78
2583	खाद्य उत्पादन और जनसंख्या में वृद्धि	Increase in food production and population	78--79
2584	चलचित्रों में अश्लीलता	Obscenity in Films ...	79
2585	केन्द्रीय मरूस्थल विकास बोर्ड द्वारा दिल्ली की समस्याओं पर विचार	Consideration of Delhi Problems by Central Desert Development Board	79--80

प्रता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

2586	दिल्ली में टेलीफोन सम्बन्धी विचाराधीन आवेदन पत्र	Pending applications for Telephones in Delhi	80--81
2587	चण्डीगढ़ में डाकघरों का खोला जाना	Opening of Post Offices in Chandigarh ...	81--82
2588	पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्नों का निर्यात	Export of Foodgrains from Punjab and Haryana	82
2589	चम्पारन जिले में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी	East Pakistan Refugees in Champaran District	82--83
2590	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक गैर-सरकारी प्रेस से पुस्तिकाओं का छपाना	Printing of Pamphlets by I.C.A.R. for a Private Press	83
2591	पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन	Study of underground water resources by East German Experts	83--84
2592	खाद्यान्नों आदि का आयात	Expenditure on the Import of Foodgrains etc.	84--87
2593	खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उनका विक्रय मूल्य	Production of foodgrains and their sale prices	87
2594	उर्वरक के व्यापारियों को बैंक ऋण	Bank credit for dealers of fertilizers ...	87--88
2595	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers ...	88--90
2596	भोजपुरी फिल्में	Bhojpuri Films ...	90
2597	बरहामपुर तहसील (मध्य प्रदेश) में तारघर तथा डाकघर खोलना	Opening of Telegraph Office and Post Offices in Burhanpur Tehsil (M.P.) ...	90--91
2598	पूर्वी निमाड़ (मध्य प्रदेश जिले में तारघर	Telegraph office in East Nimad District (M.P.)	91
2599	खाद्यान्नों के आयात का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना	Handling of Food Imports by FCI	91--92

2600	भारतीय भाषा लघु समाचार पत्र संघ	Indian Language Small Newspapers Association	92--93
2601	हिन्दी टेलीफोन निदेशिका	Hindi Telephone Directory ...	93
2602	पश्चिम बंगाल में मत्स्य विकास योजना	Fisheries Development scheme in West Bengal	93--94
2603	उचित मूल्य की राशन की दुकानें	Fair Price Ration shops	94
2604	खाद्यान्नों को रखने के लिए गोदाम	Storage Godowns for Foodgrains	95
2605	खाद्यान्नों के आयात के लिए जहाज	Ships for Import of Foodgrains	95
2607	डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड आदि की कमी	Shortage of postal stationery in post offices	95--96
2608	आकाशवाणी कलकत्ता की कार्यक्रम समिति	Programmes Committee of AIR Calcutta ...	96--97
2609	सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में नीति योजना तथा समन्वय विभाग	Policy, planning and co-ordination Unit in the Ministry of I&B and Communications	97
2610	नेपाल से आये लोगों को आसाम में बसाना	Settlement of people from Nepal in Assam	97
2611	कृषि तथा लघु सिंचाई के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to Kerala for Agriculture and Minor Irrigation	98
2612	चीनी की उपलब्धि की जांच के लिए रसायनज्ञ	Chemists to examine Sugar Recovery ...	99
2614	वन क्षेत्र बढ़ाने में प्रगति	Progress in increasing the Forest Area ...	99
2615	राष्ट्रीय वन नीति संकल्प के अनुसार भूमि का सर्वेक्षण	Survey of land under National Forest Policy Resolution	100

2616	खेती के कारण वन क्षेत्र में कमी	Decrease in Forest area due to cultivation	100
2617	केन्द्रीय वन सम्बन्धी बोर्ड की बैठक	Meetings of the Central Board of Forestry	101
2618	केन्द्रीय वन सम्बन्धी बोर्ड की बैठक	Meeting of the Central Board of Forestry	101
2619	पत्र-पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेखों की जांच करने के सम्बन्ध में संहिता	Code for checking communal writings in Press	101--102
2620	सरकारी उपक्रमों द्वारा छोटें और माध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को विज्ञापन देना	Advertisement to small and medium Newspapers by Public undertakings ...	102
2621	विभागातिरिक्त वितरण एजेन्ट	Extra Departmental Delivery Agents ...	102--103
2622	पश्चिम बंगाल में समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोप	Charges against Newspapers in West Bengal	103--104
2623	समाचार एजेंसियों को भुगतान	Payment to News Agencies	104--105
2624	सामुदायिक रेडियो श्रवण सेवा	Community Listening Service ...	105
2625	आल इंडिया रेडियो की 'आकाशवाणी' नामक पत्रिका	All India Radio Journal 'Akashvani'	105
2626	आकाशवाणी के कलाकारों, संगीतज्ञों की भुगतान की दरों का पुनरीक्षण	Revision of rates of payments to Artistes and Musicians in AIR	106
2627	अभ्रक की खानों के श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Mica Mine Workers ...	106

2628	उड़ीसा द्वारा चावल का भेजा जाना	Despatch of Orissa Rice	106--107
2629	पश्चिम बंगाल में राशन में चावल के कोटे में वृद्धि	Increase in Rice Rationing Quota in West Bengal	107
2630	सहकारी समितियों द्वारा छोटे किसानों को सहायता	Assistance to small farmers through Cooperative Societies	108--109
2631	कृषि विकास के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Orissa for Agricultural Development	109
2632	भारत में मुस्लिम सम्पत्ति	Muslim Property in India	109--110
2633	घेराव के बारे में त्रिपक्षीय संगठन	Tripartite Machinery on Gheraos ...	110--111
2634	पश्चिम बंगाल में घेराव के आंकड़े	Statistics on Gheraos in West Bengal ...	111
2635	टीकमगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद	Wheat purchased by Food Corporation of India in Tikamgarh District (Madhya Pradesh)	111
2636	मूंगफली की अधिक उपज वाली किस्में	High Yielding varieties of groundnuts ...	111--112
2637	जूनियर टैक्निकल स्कूल और औद्योगिक प्रशिक्षण	Scheme of Junior Technical School and Industrial Training Institutes ...	113
2638	किसानों से सोयाबीन की खरीद	Purchase of Soyabean from Farmers ...	113--114
2639	भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया गोदामों में पड़ा गेहूं	Wheat Procured by FCI Lying in Food Godowns	114--115
2640	व्यापक स्तर पर पशु प्रजनन प्रदर्शन केन्द्र	Intensive Animal Production Demonstration Centres	115

2641	कपास आदि के उत्पादन के लिए रूस की सहायता	Russian help for Production of Cotton Etc.	115--116
2642	उड़ीसा में ट्रैक्टरों की आवश्यकता	Requirement of Tractors in Orissa ...	116
2643	मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध के बारे में भूत पूर्व वित्त मंत्री के विचार	Former Finance Minister in favour of Ban on Man Driven Rickshaws	116--117
2644	फार्मों में अधिक उपज वाले बीजों का उत्पादन	Production of High yielding seeds in Farms	117--118
2645	आयातित गेहूं का जमा हो जाना	Accumulation of Imported Wheat	118
2646	हजारी बाग जिले में नेशनल पार्क	National Park in District Hazaribagh	118--119
2647	दिल्ली, जयपुर माइक्रोवेव सर्किट	Delhi Jaipur Microwave Circuit	119--120
2648	आलू के मूल्य का संरक्षण और आलू का निर्यात	Price protection and export of Potato ...	120
2649	अधिक उपज वाली किस्मों की सघन खेती का कुल क्षेत्र	Total acreage under intensive cultivation of high yielding varieties	120--121
2650	पटसन का उत्पादन	Production of Jute	121
2651	टिकटों का पूरा एल्बम	Complete Album of Stamps	122
2652	टाटा की फर्मों से कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of Employees in Tata concerns	122
2653	श्री लंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति	Repatriates from Ceylon ...	122--123
2654	सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रभाव	Impact of Community Development Programme ...	123--124

2655	संगीत एवं नाटक डिवीजन द्वारा खरीदा गया सामान	Articles purchased by Song and Drama Division	124--125
2656	रेडियो लाइसेंस फीस में कमी	Reduction in Radio licence fee ...	126
2657	सूखे का सामना करने के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता	Financial assistance for fighting drought in Orissa	126--127
2658	उड़ीशा में टेलीफोनों की व्यवस्था	Provision of Telephones in Orissa ...	127
2659	आकाशवाणी दिल्ली में अधिकारियों द्वारा लिखे गए लेखों का प्रकाशन	Articles Written by Officials of AIR Delhi for publication	127
2660	कलकत्ता और भागलपुर के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone linc between Calcutta and Bhagalpur	128
2661	बम्बई की गोदी के आगे के गोदामों में गेहूँ खराब हो जाना	Deterioration of Wheat in Bombay Dock Front Godowns	128--129
2662	आकाशवाणी के कलाकार	AIR Artistes	129
2663	श्रम तथा रोजगार विभाग का पुनर्गठन	Re-organisation of Department of Labour and Employment	129
2664	कोयला मजदूरी मण्डल का पंचाट लागू करना	Implementation of coal wage board award	130–132
2665	सितम्बर, 1968 के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल	Indian Delegation to international Labour Conference of September, 1968 ...	132–133
2666	श्री नगर के लिए टेलीविजन	Televisicn for Srinagar	133

2667	दिल्ली में हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Hindi Telephone Directory in Delhi	133–134
2668	आकाशवाणी के मुख्य परामर्श दाता के साथ किये गए करार में भेद भाव	Discrimination in the Contract with Chief Adviser, AIR	134–135
2669	ट्रैक्टर खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश को ऋण	Loan to UP for buying Tractors	135
2670	उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Lift Irrigation Scheme in U. P.	135–136
2671	उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्था	Agricultural Research Institute in U.P. ...	136–137
2672	कृषि यन्त्रों के लिए कृषि उद्योग निगम	Agro Industries Corporation for Agricultural implements	137
2673	समाचार भारती न्यूज एजेंसी के बारे में पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Journalists Wage Board on Samachar Bharti News Agency	137–138
2674	पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा सहकारी समितियों तथा उद्योगपतियों को ऋण दिया जाना	Loans given by Rehabilitation Industries Corporation to Co-operative and Industrialists	138
2675	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द होना	Closure of Industrial Units in West Bengal	139
2676	पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारी	Employees of the Rehabilitation Industries Corporation	139–140
2677	दिल्ली में परिवार नियोजन एकक के लिए स्क्रिप्ट लेखक	Script writer for Family Planning Unit at Delhi	140

2678	बिहार में अलाभकारी जोतों के लिए सुविधाएं	Facilities to uneconomic holdings in Bihar	141
26ˉ9	अकाल पर चलचित्र	Film on Famine	141
2680	खारी भूमि में खेती	Cultivation of Saline Land ...	142
2681	गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	142
2682	पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघ वाद	Trade Unionism in West Bengal	142–143
2683	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में व्यापारिक विज्ञापन से आय	Income from Commercial Broadcast from Delhi Station of AIR	143
2684	आकाशवाणी में तमिल में समाचारों का प्रसारण	Announcement of Regional News in Tamil on AIR	143–144
2685	मनीपुर में छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation works in Manipur ...	144
2686	इम्फाल के लिए आकाशवाणी का नया ट्रांसमीटर	New AIR Transmitter for Imphal ...	144–145
2687	श्रमिक संघो के नेताओं की मणिपुर के श्रम आयुक्त के साथ भेंट	Meeting of Trade Union Leaders with the Labour Commissioner, Manipur ...	145
2688	श्री नगर में टेलीविजन टावर स्थापित करने का विरोध	Protest against erection of TV Tower in Srinagar	145
2689	आसाम तेल कम्पनी के श्रमिक संघ की मान्यता	Recognition of Assam Oil Company Labour Union	145–146
2690	रहट द्वारा सिंचाई कार्य	Irrigation work by Persian wheels methods	146
2691	बिहार में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उपकर का भुगतान	Payment of cane cess by Sugar Mills in Bihar	146–147
2692	बिहार में कृषि ऋण सहकारी समितियां	Agricultural Credit Co-operatives in Bihar	147--148

2693	पटना में इस्लामिक परीक्षा बोर्ड के कार्यालय के लिए टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone arrangement for Islamic Examination Board Office at Patna	148
2694	आकाशवाणी, केन्द्र पटना	All India Radio Station, Patna	148--149
2695	खेतों में कीटनाशी दवाइयों का छिड़का जाना	Sprinkling of Pesticides in the Fields ...	149--150
2696	दक्षिण भारत के नगरों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था	Direct dialing in South Indian Cities ...	150
2697	बंगलौर में टेलीफोन लगवाने के अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending applications for Telephones in Bangalore	150--151
2698	ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आवास की सुविधा	Housing facility to P&T employees working in Rural Areas	151
2699	स्थानीय लोगों को परियोजना में रोजगार देना	Employment of Local People in Projects...	151--152
2700	तमिलनाडु में कुओं की खुदाई के लिए केन्द्रीय सहायता	Central loan for digging of wells in Tamil Nadu	152
2701	तमिलनाडु में चावल मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of rice Mills in Tamil Nadu	152--153
2702	सहकारी समितियों के पंजीयकों का सम्मेलन	Conference of Registrars of Co-operative Societies	153--154
2703	अनाज को खुले माल डिब्बों में ले जाने के कारण क्षति	Damages to Foodgrains due to transportation in open wagons	154--155
2704	मैसूर के मछेरों द्वारा इंजिनों की खरीद	Purchase of Engines by Fishermen of Mysore	155--156

2705	राज्य मत्स्य क्षेत्र सलाहकार बोर्ड में करनाटक मछुआ संस्था को प्रतिनिधित्व देना	Representation to Karnataka Fishermen's Association on Advisory Board of State Fisheries	156
2706	आर्वी बम्बई में उपग्रह केन्द्र	Satellite Station at Arvi (Bombay) ...	156--157
2707	बांदा जिले में टेलीफोन की व्यवस्था	Telephone Arrangements in Banda District	157
2708	ग्रामीण बिजली प्रशुल्क के पुनरीक्षण की सिफारिश	Recommendation for Revision of Rural Power Tariff ...	157–158
2709	मध्य प्रदेश के लिए शक्ति शाली ट्रांसमिटर	High Power Transmitter for Madhya Pradesh ...	158--159
2710	आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के काम के घण्टे	Working Hours for Technical Staff of AIR	159
2711	पहाड़ी धीरज सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली	Pahari Dhiraj Co-operative House Building Society, Delhi ...	160-161
2712	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों की सदस्यता	Membership of Cooperative House-Building Societies in Delhi	161
2713	आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए सुविधाएं	Amenities for Staff of AIR	161–162
2715	कीटनाशी दवाइयां छिड़कने के लिए राज्यों को सहायता देना बन्द करना	Stoppage of Assistance to States for Spraying Insecticides ...	162–163
2716	कोटा बांध से उठाऊ सिंचाई के लिए जल की सप्लाई	Supply of water from Kota Dam for Lift Irrigation purposes	163
2717	दूर-संचार के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan for Telicommunications	163–164

2718 चम्पारन जिले के मोतीहारी मुख्य डाक घर के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Employees of Motihari Head Post Office of Champaran District ...	164
2720 अमरीका से चावल का आयात	Import of Rice from USA	164
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	165--172
कांग्रेस के प्रधान द्वारा बिहार विधान-सभा के सदस्यों पर अनुचित प्रभाव डालने के कथित प्रयास	Reported efforts of Congress President to influence Bihar MLAs	165
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	168
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	169
इंडियन ऐक्सप्रेस के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the Indian Express	172--173
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	173--175
राज्य–सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha ...	175
दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	176
संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन] विधेयक	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill... ...	176--185
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में (वाद-विवाद पुनः आ म्भ) नया खण्ड 2 (क) और खंड 4	Motion to pass, as amended (Debate resumed) New Clause 2A and clause 4 ...	176
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 969 के बारे में सांविधिक संकल्प–अस्वीकृत और केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution re. Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 negatived and Central Sales Tax (Amendment) Bill	185--203

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma ...	185
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	186
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	187
श्री हिम्मत सिंहका	Shri Himatsingka	188
श्री रा. कृ. बिड़ला	Shri R. K. Birla ...	188
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar ...	190
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	190
श्री एम. मेघचन्द्र	Shri M. Meghachandra ...	191
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai...	191
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	191
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte ...	191
खंड 2 से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	202
श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	202
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	202
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	202
श्री प्र. चं. सेठी	Shri P. C. Sethi	203
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	204
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-eighth Report — ...	204

लोक--सभा
LOK–SABHA

गुरुवार, 7 अगस्त, 1969/16 श्रावण, 1891 (शक)
Thursday, August 7, 1969/Sravana 16, 1891 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Frequent occurrence of Famine and Drought in certain parts of India

*391. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Food & Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that famine and drought occur mostly in certain parts of India and other parts remain unaffected by them;

(b) if so, whether it is attributable to the fact that the Central Government provide facilities regarding irrigation, power, tubewells, pumping-sets etc. more to some areas as against others;

(c) if so, whether Government propose to give more grants to the Government of the economically poor States of Uttar Pradesh and Bihar so that tubewells and pumping sets could be provided in these two States; and

(d) if not the reasons therefor ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ). पूछी गई जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) देश में यद्यपि कुछ चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जो अधिकतर शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, और जो अधिकतर सूखाग्रस्त रहते हैं. किन्तु नमी वाले प्रदेशों में भी कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अनिश्चित वर्षा के कारण कभी 2 सूखाग्रस्त हो जाते हैं ।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण से पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए तकनीकी–आर्थिक सम्भाव्यता के अनुसार सभी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयत्न किए गए हैं और संस्थानात्मक तथा वित्तीय साधन उपलब्ध किए गए हैं । पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1561/69] [पचवर्षीय योजनाओं के लिए और वर्ष प्रति वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य में इन तथा अन्य प्लान स्कीमों के लिए वित्तीय आवंटन केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निश्चित भाग और क्षेत्र वार सम्बन्धित प्राथमिकताओं सहित राज्यों के समस्त वित्तीय संसाधनों के आधार पर राज्यों और केन्द्र के पारस्परिक परामर्श पर निश्चित किया जाता है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं होते ।

Shri Molahu Prasad : Mr. Deputy Speaker, may I know from the hon. Minister with reference to the statement laid by him on the Table, whether the distribution of means of irrigation facilities according to the State-wise area and population is justified ? What is its percentage ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सभी राज्यों में छोटे बड़े तथा मध्यम सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में मेरी पूरी सहानुभूति है । दुर्भाग्यवश अनेक राज्य ऐसे हैं जहां सिंचाई की प्रतिशतता बहुत कम है । मैं कुछ आंकड़े दूंगा : आन्ध प्रदेश 29.2; बिहार 20.9; गुजरात 8.6; जम्मू और काश्मीर 36.5; मध्यप्रदेश 5.6 (न्यूनतम), मद्रास 44.9; महाराष्ट्र 7.5; मैसूर 10; पंजाब 49.7 इत्यादि । राजस्थान में भी सिंचाई प्रतिशतता बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की 30 है । अतः अगर एक साथ लिया जाय तो दोनों, उत्तर तथा दक्षिण भारत में ऐसे राज्य हैं जहां सिंचाई की प्रतिशतता बहुत कम है ।

Shri Molahu Prasad : Mr. Deputy Speaker, may I know the alternative measures adopted during the Fourth Five Year Plan to remove the disparty-shown in the statement laid on the Table.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक लघु सिंचाई का सम्बन्ध है इसको चौथी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जैसा कि तुलनात्मक आंकड़ों से, जिनको मैं दे रहा हूँ, स्पष्ट हो जायेगा । तीसरी योजना में लघु सिंचाई के लिए संस्थानिक वित्त समेत लगभग कुल 300 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये थे, इसकी तुलना में चौथी योजना में लघु सिंचाई के लिए 1125 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं और बिहार उन राज्यों में से एक है जिनको बहुत बड़ी राशि प्राप्त हुई है । जहां तक लघु सिंचाई व्यय का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश के बाद इसका नम्बर आता है ।

Shri Molahu Prasad : Mr. Deputy Speaker, whether sympathy is being shown towards the demand of the Governor of U. P. that there is a problem of drinking water in U. P. besides the problem of irrigation for which the State Government has prepared a scheme of Rs. 30 crores under the National Water Supply Programme.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक पीने के पानी की सुविधा का प्रश्न है, कई स्थानों में यह एक बहुत प्रमुख समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा नहीं है, सम्पूर्ण देश में बहुत से स्थानों को अभी भी पीने के पानी की सुविधा प्राप्त नहीं है।

Shri P. L. Barupal : Mr. Deputy Speaker, the hon. Minister just stated that Rajasthan is a drought affected area and it has very few irrigation facilities. In Rajasthan there are such places which are draught affected for the last seven years. In Jaiselmer, Barmer, Bikaner people are dying of hunger. They did not get foodgrains to eat and water for drinking. May I know whether any scheme has been formulated to solve this famine condition permanently ? If so, when it will be implemented.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान की इस समस्या का हल केवल नलकूपों से ही हो सकता है, पश्चिम राजस्थान में अधिकांश रेगिस्तानी क्षेत्रों में उस भूप्रदेश की कठिन किस्म के बारे में विचार कर, हरेक कह सकता है कि वहां नलकूप प्रभावी रूप से पीने का पानी उपलब्ध करा सकते हैं तथा सिंचाई की सुविधा भी दे सकते हैं। राजस्थान नहर को पूरा करना भी उस दिशा में एक कदम है जिसके बारे में यहां कई बार चर्चा की जा चुकी है।

एक माननीय सदस्य : इस कार्य में शीघ्रता क्यों नहीं करते ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : दुर्भाग्यवश यह कार्य मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। इस सम्बन्ध में सभा की भावनाओं के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरे माननीय मित्र ने अभी मत्री महोयद से राजस्थान के पश्चिम भाग विशेषकर बाड़मेर तथा जोधपुर की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में पूछा जो कि सीमा क्षेत्रों में हैं। इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक वक्तव्य की ओर दिलाऊंगा जिसको श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने जारी किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से 3.60 करोड़ रुपये की लागत पर 100 नलकूप खोदने पहले ही आरम्भ कर दिये थे। अब केन्द्रीय सरकार ने योगदान देना बन्द कर दिया है और केवल एक करोड़ रुपये दिये हैं। इसलिये राज्य सरकार इस परेशानी में है कि उन 100 नलकूपों की खुदाई के बारे में क्या किया जाय।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक 60 नलकूपों का सम्बन्ध है उनको गत वर्ष सूखे की अवधि में खोदा जाना था और हमने राजस्थान सरकार को वचन दिया था कि आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, अब माननीय सदस्य एक नई बात का निर्देश कर रहे हैं, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री बेदव्रत बरूआ : जबकि उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी वांछनीय है ऐसा लगता है, मंत्री महोदय भारत के एक दूसरे भाग को भूल गये हैं

अर्थात् पूर्वी भाग को, जो कृषि की सिंचाई की सुविधाओं के लिए मानसून की अनिश्चितता पर निर्भर है। उन क्षेत्रों में लगातार बाढ़ों के कारण वर्ष में कई महीने कृषि करना सम्भव नहीं है। सर्दियों में जल के अभाव के कारण खेती करना सम्भव नहीं है, कुल परिणाम इसका यह निकलता है कि अधिकांश समय में खेती करना सम्भव नहीं है. हाल में जब सिंचाई आयोग स्थापित किया गया था, यह कहा गया था कि स्वतंत्रता के 22 वर्ष पश्चात, अब आयोग वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के बारे में जांच करेगा। क्या यह सत्र है कि वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में अब तक जांच नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या इस कार्य में शीघ्रता की जायेगी ? क्या वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों की समस्याओं पर शीघ्र विचार किया जायेगा ताकि वे क्षेत्र भी देश के दूसरे भागों में हो रहे विकास के साथ कदम मिला सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं सोचता हूं यह अच्छा सुझाव है।

Shri Maharaj Singh Bharati : I want to know whether it is a fact that the reason for the success of 4 lakhs tubewells running in Tamilnadu. Out of 8 lakhs tubewells in the country is that they were the first to suit the tubewells. The department of irrigation in Uttar Pradesh is running a loss of Rs. 16 crores. Whereas the irrigation department of Tamilnadu runs in a profit. The rate of electric charge in Uttar Pradesh is 15 naya paisa whereas it is 9 naya paisa in Tamilnadu. The minimum guarantee in Uttar Pradesh is Rs. 100 per horse power but there is no guarantee in Tamilnadu. Only one tube well is sunk in Uttar Pradesh out of the Centre's assistance whereas it is 4 in Tamilnadu. May I know whether it is correct ? If it is a fact then what action you are taking to mend the bad Government of Uttar Pradesh ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को काफी ज्ञान है, जहां तक नलकूपों का सम्बन्ध है, वे जानते हैं, कि उत्तर प्रदेश का स्थान देश में नलकूपों के मामले में सबसे ऊंचा है।

Shri Maharaj Singh Bharati : The number is only 77 thousands out of 8 lakhs tubewells and electric pumping sets.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : बिजली के पम्पिंग सेट्स एक अलग श्रेणी में आते हैं, मैं उसका भी हवाला दे सकता हूं।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister is confusing by quoting Government tubewells. I have stated the number of private tubewells and pumping sets.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देश में लगभग 3 लाख नलकूप हैं जिसमें से 1,19,000 उत्तर प्रदेश में है और तमिलनाडु में 24,000 हैं, जहां तक पम्पिंग सेट्स का सम्बन्ध है, देश में तमिलनाडु का स्थान अग्रणी है, क्योंकि तमिलनाडु में ग्रामीण विद्युतिकरण स्वतंत्रता से पूर्व आरम्भ हुआ था, वर्ष 1947–51 के समय में भी, जब कि प्रथम योजना आरम्भ हुई थी, तमिलनाडु का स्थान सबसे आगे था।

बहुत सी बिजली की लाइनें बिछायीं गई और वहां कनेक्शन देना आसान था। यही कारण है कि जहां तक विद्युतिकरण का सम्बन्ध है, तमिलनाडु का स्थान अग्रणी है, परन्तु कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रामीण विद्युतिकरण और बिजली के पम्पिग सेट्स लगाने का कार्य संतोषजनक है।

Shri Tulsidas Jadhav : I want to know whether the Government have drawn any specific plan for famine area in every provinces of the country. The Maharashtra Government have prepared a special Paghe Scheme for farmers in famine and other areas which showed considerable advantage. May I know whether the Government is prepared to implement such scheme or to intimate the State Governments about it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक योजना का प्रश्न है इसका अकाल व सूखा राहत से कोई सम्पक नहीं है। चौथी योजना में कुल व्यय का 10 प्रतिशत विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए रखा गया था।

Shri Hukam Chand Kachwai : Baster, Chattisgarh, Bundel Khand, Ratlam district, Nimar. Jhabua etc. of Madhya Pradesh, the Centre Province of India, have acute shortage of water. Keeping this situation in mind whether the Government are going to make special arrangement for Madhya Pradesh so that the tribal people and farmers may cultivate land property ? I also want to know the number of tubewells which the Government are going to instal there.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की भावना का आदर करता हूं। परन्तु मैं माननीय सभा की जानकारी के लिए यह सूचना देना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, यह विकास खंडों को कृषि के विकास तथा छोटी सिंचाई के लिए अनुदान देता है। यह राज्य सरकारों का काम है कि वे प्राथमिकताओं की सूची तैयार करें और मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि राज्य सरकारें माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गए माप दण्ड को ध्यान में रखेंगे :

Shri Hukam Chand Kachwani : If the State Government does not spend the money on it then it is the function of the Government to see that the money is spent properly or not. If the members of the ruling Party raise questions in this regard then they are told that they would not be granted tickets. Therefore they do not raise questions.

Shri Randhir Singh : So long the farmer of the country is at the mercy of monsoon, the famine in this country cannot be eliminated. There is large land in Haryana and Rajasthan where generally famines take place and nothing grows there. How long such situation will continue ? May I know whether the Government are preparing any scheme on war footing or on emergency basis to give water through pumping sets so that a major portion or 80 percent of lakhs of crores of rupees of banks and L. I. C. may be invested here ? Will the Food and Agriculture Ministry submit any such scheme to Planning Commission and Prime Minister so that famine in this country may be eliminated and the farmer may not depend on the mercy of God.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि तीसरी योजना के व्यय की तुलना में सरकार ने चौथी योजना में छोटी सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है, इसलिए तीसरी योजना में छोटी सिंचाई में लगी 300 करोड़ की तुलना में हम चौथी योजना में छोटी सिंचाई के लिए 1100–1200 करोड़ रुपये व्यय करेंगे, (व्यवधान) जिसमें संस्थाओं से भी धन लिया जायेगा।

श्री क० लकप्पा : इस मामले पर सभा में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, बहुत से आश्वासन दिए गए थे परन्तु कुछ नहीं किया गया। मैं दक्षिण राज्य मैसूर से आ रहा हूं और मैंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें मैसूर राज्य और देश के अन्य राज्यों में व्याप्त दीर्घ सूखे की स्थिति के बारे में दिया हुआ है। भारत सरकार ने स्थायी रूप से सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ? मंत्री मोहदय कहते हैं कि हम खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर हैं और उन्होंने हरी क्रांति के बारे में बहुत कुछ कहा है। सरकार ने क्या स्थायी उपाय सोचे हैं ? मैं जान सकता हूं कि इस भूमिका तथा केन्द्रीय सरकार को दिए गए ज्ञापन को देखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जिस ज्ञापन का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। जब यह हमारे ध्यान में लाया जायेगा तो हम इसमें उल्लिखित सुझावों को देखेगें तथा हम उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और राज्य सरकार को आगे भेज देगें।

श्री अहमद आगा : क्या यह सच नहीं है कि जम्मू और काश्मीर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ? क्या यह भी सच नहीं है कि 1947 से कोई बड़ी सिंचाई योजना आरम्भ नहीं की गई ? राबी-तावी परियोजना को भी स्थगित किया हुआ है। क्या यह भी सच नहीं है कि जहां तक नलकूप और अन्य कूओं का सम्बन्ध है, हमें सिंचाई के लिए अनुदान नहीं मिल रहा है ? क्या मैं मंत्री महोदय से अनुरोध कर सकता हूं कि वे सभा को यह बतलायें कि क्या नल कूओं और अन्य कूओं के लिए, विशेषकर जम्मू क्षेत्र और विशेषकर मेरे क्षेत्र बारामूला में अनुदान सुरक्षित रखा हुआ है क्योंकि जम्मू और काश्मीर में कोई बड़ी सिंचाई की योजना आरम्भ नहीं की गई है।

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए सिंचाई तथा विद्युत मंत्री से प्रश्न पूछें। जहां तक नलकूपों और छोटी सिंचाई का सम्बन्ध है उसके लिए जम्मू और काश्मीर के विकास के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत 9.5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है।

Shri Meetha Lal Meena : The farmer Finance Minister gave an assurance to the House that the Government would take up the work of Rajasthan Canal but nothing has been done so far. May I know whether the Government will take up the work of Rajasthan Canal and if not, then whether they would expedite work of investing more money.

The second question is about tube wells. When there was drought in Bihar, 10 thousand tubwells were installed there in a year but even 500 tubewells were not installed in Rajasthan. No drinking arrangement is available for the agriculture and the farmers. The farmers have to fetch water to a distance of 5 miles. May I know whether the Government are doing something for it or not.

My third question is whether arrangement will be made to take the Rajasthan Canal through pipes instead of in open form.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह प्रश्न सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को करना होगा।

जहां तक राजस्थान के लिए पम्पों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री सोमचन्द सोलंकी : खाद्य तथा कृषि मंत्री की मांगों के अनुदान के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अकाल तथा सूखा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय लिए जायेंगे। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्रियान्वयन का कार्य हाथ में लिया गया है या नहीं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत होंगे कि गुजरात का कुछ भाग भी प्रतिवर्ष अकाल और सूखा तथा बाढ़ से पीड़ित रहता है। बनसकांता क्षेत्र में नलकूप लगाने के लिये क्या विशेष उपाय लिये गए हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने हाल ही में गुजरात सरकार को, विशेषकर (बन सकां) था और सबरकांथा से, नलकूप लगाने के लिए कुछ रिण दिए हैं।

श्री सेझियान : दक्षिण क्षेत्र के एक सम्मेलन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर के मुख्य मन्त्रियों ने यह राय व्यक्त की थी कि वे दक्षिण क्षेत्र में ऐसे सूखे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सक्षम कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं जान सकता हूं कि मुख्य मन्त्रियों के दक्षिण क्षेत्र के सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित हुए प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है? सूखे की पुनरावृत्ति, मानसून का न होना तथा भूमिगत जल का उपयोग करने की दृष्टि में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या देश में भूमिगत जल संसाधन का उपयोग करने तथा उसका अनुमान लगाने के लिए कोई गम्भीर तथा संगठित प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : कुछ वर्ष हुए दक्षिण राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विशेषकर दक्षिण राज्यों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्यों पर चर्चा हुई थी और उसके आधार पर मेरे मंत्रालय और योजना आयोग ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया था। परन्तु उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के परिणामस्वरूप सब योजनाएं राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गईं। योजना के कुल व्यय का 10 प्रतिशत राज्य सरकार को दिया जायेगा जिससे वे दक्षिण राज्यों और अन्य स्थानों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के कार्यों को हाथ में लें।

जहां तक भूमिगत जल का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों को भूमिगत जल की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सहायता दे रहे हैं। तमिलनाडु उन राज्यों में से एक है जिन्होंने ऐसे कारखानों की स्थापना की है, और केन्द्र उनको अपेक्षित सहायता दे रहा है।

Shri B. N. Bhargava : May I know whether the Government would formulate such plan for the Western and Central part of Rajasthan, where generally famine situation prevails, as to solve these perobleins pemanently.

My second question is this whether the Government would give priority to financial help, power and irrigation schemes so that further regional imbalance may not increase in the already backward areas ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने इन प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है ।

Shri Ramji Ram : Will the Hon. Minister state whether twenty times more rent is deposited as advance by the farmers of Uttar Pradesh for tubewells ? If so, then whether the Government are prepared to give irrigation facilities and end this restriction ?

Shri Sheo Narain : It is said that the rich is becoming richer and the poor is becoming poorer. It is a reality. Madras was developed at the time of British regime and has developed in this State also. Whereas the eastern area of Uttar Pradesh and western area of Bihar remained the most backward areas. We have been drawing your attention for the last 6 or 7 years. When Shri K. D. Malviya was the minister a report to this effect was received by the Government that it is the most neglected area. The Planning Commission has also given an assurance that assistance will be given to the poorest section of society. I want to know whether Government will fulfil this promise and help the poor people of U. P. ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के सुझाव को हम उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेज देंगे ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has stated in his statement that a specified quota or an specified amount of money will be given to various States for this purpose. I want to know the amount of money that will be given to U. P. durring the current financial year and the basis on which that amount is fixed.

Secondly I want to know the acrage of agricultural land in U. P. which is irrigated and the acrage of that land which is not irrigated and whether any scheme has been prepared by State Government in consultation which Central Government for providing irrigation facilities for that land for which irrigation facilities are not available and if so the time by which irrigation facilities will be provided for that land.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक छोटी सिंचाई का सम्बन्ध है, मेरे लिये यह बताना कठिन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के उक्त वक्तव्य में वस्तुत: कितनी राशि नियत की गई है। परन्तु मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे यह मालूम होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में छोटी सिंचाई के विकास के लिये 93 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है और वर्ष 1969-70 में लगभग 18 करोड़ रुपये का उप बन्ध किया गया है तथा यह राशि संस्था गत वित्त से बाहर है ।

Shri Yashpal Singh : I want to know the difficulty in the way of Government in entrusting this work to the agriculturists ? There are village Panchayats in every

village. The agriculturists are being explioted by the Banks. I want to know why an opportunity is not being given to Village Panchayats and the Village Societies to have own tubewells. Why a body on the pattern of Mobile post offices to examine the needs of Kisans on the spot is not being constituted so that they are saved from the hands of dureaucrats. I am sure unless they are not saved from the hands of bureaucrats, there will be no improvement.

Shri Sarjoo Pandey : The Government of U. P. has imposed a condition that tubewells would be sunk in those areas where the farmers are prepared to pay an extra irrigation duty at the rate of Rs. 20.00 per acre. Secondly thousands of wells lying unutilised but power connection is not being given for them. The Government demands full charge for every connection. So keeping these things in view the fact that Eastern U. P. is most backward so far as irrigation is concerned, I want to know whether the Central Government will issue any instructions for removing these restrictions and providing power connections to the largest possible number of wells and sinking largest possible number of tubewells.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : हम इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान दिलायेंगे। अन्ततः क्रियान्वयन तो राज्य सरकारों का काम है और यह उनकी जिम्मेदारी हैं। फिर भी हम यह सुझाव उनके पास भेज देंगे।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Deputy Speaker, Sir, my question has not been answered. I had asked the basis on which Central quota is fixed.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दिये गये मुख्य निदेशों के आधार पर योजना परिव्यय निर्धारित किया जाता है। जहां तक छोटी सिंचाई तथा कृषि का सम्बन्ध है 70 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में होगी और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में। हमारी मुख्य नीति यही है।

संसद सदस्यों द्वारा आकाशवाणी से वार्ता

+

* 392. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में आकाशवाणी की विभिन्न गोष्ठियों और कार्यक्रमों में बोलने के लिए संसद् के कितने सदस्यों को आमंत्रित किया गया और उन सदस्यों तथा उनके दलों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त संसद् सदस्यों को रेडियो से वार्ता प्रसारित करने के लिये किस आधार पर आमंत्रित किया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय जन संघ के सदस्यों को, जिनके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भिन्न विचार है, सामान्यतः आकाशवाणी से वार्ता प्रसारित करने के लिये नहीं बुलाया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल (क) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है जिसमें जनवरी से जून, 1969 तक छः महीनों के दौरान आकाशवाणी से प्रसारण करने वाले संसद सदस्यों तथा उनके दलों के नाम दिए हुए हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 156?/69**]

(ख) आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के लिए संसद सदस्यों सहित अन्य व्यक्तियों का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखती है :—

(1) विषय का स्वरूप तथा वार्ताकार की प्रसारण विषय की जानकारी।

(2) व्यक्ति विशेष का अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में स्थान।

(3) प्रसारण माध्यम की विशेष आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से की व्यक्ति उपयुक्तता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

श्री बलराज मधोक : लोकतन्त्र की परिभाषा यह है कि सरकार विचार-विनिमय के आधार पर काम करती है। इसीलिए इस सदन में तथा समाचार पत्रों में विभिन्न विषय पर विचार-विनिमय किया जाता है। आकाशवाणी भी एक ऐसा मंच है, जहां विचार विनिमय किया जाता है। तानाशाही राज्यों में ऐसे विचार विनिमय की अनुमति नहीं दी जाती है तथा वहां रेडियो और समाचार पत्र केवल सत्ताधारी दल की विचार धारा के प्रचार साधन होते हैं। हमारा देश लोकतन्त्रात्मक देश है, परन्तु आकाशवाणी इस प्रकार व्यवहार कर रही है जैसा कि भारत एक प्रजातन्त्र देश न हो, बल्कि एक सर्वसत्तावादी देश हो।

यदि आप विवरण को देखें तो पता चलेगा कि 119 प्रसारणों में, जनसंघ को 6, कांग्रेस को 65, भारतीय साम्यवादी दल को 8 अवसर दिये गये हैं।

राजनीतिक मामलों पर इस देश में दो विचारधारायें हैं। एक विचारधारा सत्ताधारी दल के सत्ताधारी गुट तथा साम्यवादियों की है तथा दूसरी विचारधारा के प्रतिनिधि मेरा दल, स्वतन्त्र दल तथा अन्य दल हैं। यदि इस देश में विचार विनिमय होना है तो आकाशवाणी को कांग्रेस और साम्यवादी विचारधारा के लिए समय देना चाहिए और इस प्रकार विपक्षी दलों की विचारधारा के लिए समय देना चाहिये। परन्तु हो यह रहा है कि विपक्षी दलों से जिन्हें बोलने का अवसर भी दिया जाता है, उन्हें ऐसे विषय दिए जाते हैं जैसा कि गुरु नानक देव, जो कि गैर विवादग्रस्त प्रश्न है। विवादग्रस्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का विपक्षी दलों को अवसर नहीं दिया जाता है।

हाल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, जिस पर समस्त देश रुष्ट है, हमारे सामने आया है। आकाशवाणी ने बार बार ऐसे वार्ताकारों को बुलाया है, जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी विचारधारा रखने वाले विपक्षी दल के किसी संसद सदस्य को भी कोई प्रसारण करने की अनुमति दी

गई है। देश में ऐसे लोग हैं जिनके विचार इस बारे में भिन्न हैं और जो यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं है। क्या उन्हें भी प्रसारण का कोई अवसर दिया गया है ?

हाल में मैंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में आकाशवाणी से डा० के० एन० राज का भाषण सुना है। उन्होंने राष्ट्रीयकरण का अन्धाधुन्ध समर्थन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किन किन विषय पर विपक्षी सदस्यों को बोलने के लिए आमन्त्रित किया गया है और क्या किसी विपक्षी सदस्य को विशेषतया मेरे दल के किसी सदस्य को किसी विवादग्रस्त राजनीतिक प्रश्न पर बोलने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मेरे दल की विचार-धारा सत्ताधारी दल तथा साम्यवादियों की विचारधारा से भिन्न है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य ने एक लम्बा वक्तव्य दिया है। मैं कड़े शब्दों में उसका खण्डन करता हूं। आज उनका कहना है कि कांग्रेसी तथा साम्यवादी मिल कर काम कर रहे हैं। कल तक उनका दल कई राज्यों में साम्यवादियों की सहायता से सरकारें बनाये बैठा था। उन्होंने उस समय अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई ?

मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जब कि आकाशवाणी से अधिक कांग्रेसी बोले हैं, माननीय सदस्य यह क्यों भूल जाते हैं कि दोनों सदनों में उनका बड़ी मात्रा में बहुमत है।

श्री रंगा : क्या प्रत्येक दल के सदस्यों की संख्या के अनुपात में उन्हें आमन्त्रित किया जाता है ?

श्री इ० कु० गुजराल : लोक सभा तथा राज्य सभा में कांग्रेसी सदस्यों की प्रतिशतता 58 प्रतिशत है। यदि मन्त्रियों को छोड़ दिया जाय तो आकाशवाणी से प्रसारण करने वाले कांग्रेसी ससद सदस्यों की प्रतिशता 52 प्रतिशत है। जनसंघ के सदस्यों की प्रतिशता 5 प्रतिशत है और प्रसारण में भी उसके सदस्यों की प्रतिशता 5 प्रतिशत है। इसी प्रकार साम्यवादी (मार्क्सवादी) सदस्यों की प्रतिशतता 3 3 प्रतिशत है तथा इस दल के जिन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया है उनकी प्रतिशतता 2.5 प्रतिशत होती है।

यह कहना कि आकाशवाणी किसी विशेष विचारधारा का प्रचार करने का प्रयत्न करती है बिल्कुल गलत और यदि मैं कहूं तो शरारतपूर्ण है। आकाशवाणी विचार विनिमय का एक मंच है तथा वह एक ऐसा मच है जहां विवादग्रस्त प्रश्नों पर विभिन्न विचारधाराओं को व्यक्त करने के अवसर दिये गये हैं। मैं विषयवार इस बात का उल्लेख करके इसे सिद्ध कर सकता हूं।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसद द्वारा इसे पास किये जाने की बाद यह एक राष्ट्रीय नीति बन गई है और अब यह किसी दल विशेष की नीति नहीं है।

इसके अतिरिक्त हमने उन लोगों को भी प्रोत्साहन दिया था, जो इसके विरुद्ध हैं। श्री मधोक ने प्रोफेसर के० एन० सिंह का उल्लेख किया है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि

विख्यात प्रोफेसरों का विवाद का विषय न बनाया जाये। प्रोफेसर राज अर्थ शास्त्र के माने जाने विद्वानों में से एक हैं।

श्री बलराज मधोक : मैं अपने प्रश्न का एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं। यदि किसी को गुरु नानक देव के बारे में बोलने को आमन्त्रित किया है, तो यह एक भिन्न बात है। यह विचार विनिमय का एक मंच है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विवादग्रस्त प्रश्नों पर, जिनके बारे में हमारी विचारधारा भिन्न है, क्या हमारे पक्ष के किसी सदस्य को बोलने के लिए आमन्त्रित किया गया है अथवा यह कहिये कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करने अथवा किसी अन्य प्रश्न पर, जिसके बारे में हम देश में एक भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, विचार व्यक्त करने के लिए क्या हमारी ओर के किसी सदस्य को बुलाया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायणसिंह) । क्या आपके दल द्वारा आकाशवाणी पर भाषण देने के लिए कोई आवेदन किया गया था।

श्री बलराज मधोक : यह आकाशवाणी है, कांग्रेसवाणी नहीं। यदि वे शरारतपूर्ण वक्तव्य देंगे तो मैं ईंट का बदला पत्थर से दूंगा। मुझे उसी प्रकार उनको उत्तर देना होगा। **[अन्तर्बाधायें]**

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति। यह प्रश्न काल है।

श्री बलराज मधोक : मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा है। उन्हें सीधा उत्तर देना चाहिये। यदि वह शरारतपूर्ण बात कहते हैं तो मुझे भी वैसा ही जवाब देना होगा।

श्री रंगा : मन्त्री महोदय को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है.... ...(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति, मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को सचेत करना चाहता हूं कि आकाशवाणी एक शैक्षिक मंच भी है और यदि किन्हीं शिक्षाविदों को भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है, तो उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री बलराज मधोक : आप एक न्यायाधीश की भांति हैं। मैं जानता हूं कि आकाश-वाणी क्या है। चन्दा समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री बलराज मधोक : बैंको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रश्न है। हमारे देश के एक बहुत बड़े समुदाय की इस सम्बन्ध में भिन्न राय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य को अथवा किसी शिक्षाविद को जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हो, आकाशवाणी पर अपने विचार व्यक्त करने तथा यह बताने के लिए कि इससे देश को क्या क्या कठिनाई तथा हानि होगी, आमन्त्रित किया गया है ? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है ? यह एक विशिष्ट प्रश्न है।

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा : ऐसी विचारधारा के आकाशवाणी से प्रसारण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : उन्हें तथ्यपूर्ण वक्तव्य नहीं देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि प्रश्नोत्तर काल का उपयोग उचित रूप से होना चाहिये । इस अवधि में केवल आवश्यक सूचनाएं ही प्राप्त करने का यत्न किया जाना चाहिए । कृपया बीच बीच में विघ्न नहीं डालिए ।

श्री बलराज मधोक : यदि वह 'कुचेष्टाकारी' शब्द का प्रयोग करेंगे तो मैं भी उन्हें वैसे ही शब्द कहूँगा । उन्हें उचित भाषा का उपयोग करना चाहिये । मैं संसदीय भाषा अच्छी तरह जानता हूं । किन्तु यदि वे अनुचित भाषा का उपयोग करते हैं तो उन्हें भी वही भाषा सुननी पड़ेगी ।

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य जानते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती यदि वह सुसभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनके साथ भी उसी रूप में व्यवहार किया जायेगा किन्तु यदि वे स्वयं दूसरे प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं तो निस्संदेह उन्हें भी उसी भाषा में उत्तर मिलेंगे । (व्यवधान)

श्री बलराज मधोक : मैंने असंस्कृत भाषा का उपयोग नहीं किया ।

Shri Sheo Narain : All India Radio is not meant for the political issues.

श्री रंगा : वह पूछने वाले कौन हैं ? क्या प्रधान मन्त्री यही हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai : All India Radio is meant for the public. How can it be the property of the Congress party ?

श्री रंगा : मैं श्री सत्यनारायण सिंह से ही जो कि इस विभाग के मन्त्री हैं एक बात पूछना चाहता हूं, वैसे यह परमात्मा ही जाने कि वे मन्त्री हैं कितने दिन के लिए । मेरा प्रश्न है कि क्या किसी मन्त्री महोदय को ऐसे शब्द कहने की अनुमति दी जा सकती है कि 'मैं मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं ।' मैं जानना चाहता हूँ कि यह सज्जन हैं कौन ! (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह भी मन्त्री महोदय हैं ।

श्री रंगा : क्या एक मन्त्री महोदय को ऐसा उत्तर देना शोभा देता है ?

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नेता एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं। किन्तु सभी को खड़े होकर शोर मचाने की क्या आवश्यकता है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether during the last six months any member from the Jan Sangh party has been called to speak on any political issue ? Shri Satya Narain Sinha may kindly reply to this question.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछा गया है अतः मैं मन्त्री मन्डलीय स्तर के मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि यदि आवश्यक हो तो वह उत्तर दें। किन्तु आपको भी सभा की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिये।

The Minister of Information and Broadcasting, and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : I could not understand the lacuna in the reply given to your question.

Shri Bal Raj Madhok : My question is whether the Government have also invited the Members of the parties such as Jan Sangh and the Swatantra, to express their viewpoints on the disputed political issues, like the issue of nationalisation of Banks, over the All India Radio or only the members from the party in power and those who have got communistic view point have been invited to broadcast their talks. All India Radio is a forum of disscusion and therefore, may I know whether the different viewpoints have also been invited to be broadcasted through the All India Radio ?

Shri Satya Narayan Sinha : It is well known that not only congress party but the people throughout the country are in favour of the nationalisations of banks. Now what we can do in this matter.

Shri Balraj Madhok : Factual reply should be given.

Shri Satya Narayan Sinha : Did we invite any member of the congress party on the C. P. I. to speak on this matter ? No. Neither we invited any member of these parties nor did any other hon. Member expressed his desire to speak on the All India Radio in this matter (**Interruptions**).

उपाध्यक्ष महोदय : यदि अन्य दल वालों को बुलाया गया है और आपके साथ भेद भाव रखा गया है तो मैं मान सकता हूँ। यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी घटना बता सकें जिसमें कि कांग्रेस तथा साम्यवादी दलों के सदस्यों को तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बोलने के लिये तो बुलाया गया था किन्तु उनके दल के साथ इस बारे में भेदभाव बरता गया तो मैं उनकी बात मान सकता हूँ।

श्री बलराज मधोक : महोदय ! आप यहाँ न्यायाधीश के समान हैं। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस मामले को इन्हीं के ऊपर छोडदें। वह एक वरिष्ठ मंत्री हैं तथा उनमें प्रश्न को समझने की पूरी क्षमता है। मैं समझता हूँ आपकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मैंने सीधा साधा प्रश्न किया है। मेरा प्रश्न है कि क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे मामले पर जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट रुप से दो भिन्न मत हैं सरकार ने सत्ता सम्पन्न दल की विचार धारा

को प्रसारित करने के लिये ही अपने व्यक्तियों को आकाशवाणी पर आमंत्रित किया है अथवा दूसरे दलों के व्यक्तियों को भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने के लिये बुलाया है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : जहाँ तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला है, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की ओर से किसी भी व्यक्ति को इस मामले पर अपने विचार प्रकट करने के लिये नहीं बुलाया गया ।

श्री बलराज मधोक : यह तथ्यहीन वक्तव्य है । आकाशवाणी से बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अनेक प्रसारण हो चुके हैं किन्तु एक भी प्रसारण ऐसा नहीं सुना गया जिसमें इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया गया हो ।

श्री सत्य नारायण सिंह । मुझे जितना ज्ञात है उसी के अनुसार मैंने वक्तव्य दिया है । हाँ, यदि माननीय सदस्य किसी एक भी व्यक्ति का नाम बतायें जिसे किसी राजनीतिक दल से राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलने के लिये आकाशवाणी ने बुलाया गया हो तो मैं अवश्य ही इस मामले की जाँच करुँगा ।

Shri Bal Raj Madhok : Mr. Deputy Speaker, Sir, my second question relates to the 'Today in Parliamentary commentary which is broadcasted in English from the All India Radio. May I know the extent to which the viewpoints of the opposition parties are expressed by the A. I. R. as compared to that of the ruling party ?

Is it a fact that in this broadcast only the representatives and the correspondants of the leftist papers, such as Patriot etc. are being called to broadcast the commentary and the correspondants belonging to the nationalistic newspapers which have different thinking are being ignored rather opposed by this department ?

श्री इ० कु० गुजराल : महोदय ! आपको याद होगा कि 'टु डे इन पार्लियामेंट' शीर्षक के अन्तर्गत संसद की कार्यवाही के वृतांत के सम्बन्ध में सदन में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था । इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के कर्मचारियों का अपना कोई विचार नहीं हैं । प्रसारित कमेंट्री पत्रकारों द्वारा दी जाती है । उस समय सभा में ब्यौरे वार सूचना दी गई थी । अब यह सम्भव नहीं है कि मैं उस जानकारी को पुनः प्रस्तुत कर सकूँ और उस का कारण यह है कि इस समय मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है । लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यदि माननीय सदस्य यह सोचे कि एक विशेष विचारधारा को ही बल दिया जा रहा है तो यह उनकी भूल है । इस विषय में पत्रकारों का चुनाव उनकी वैयक्तिक योग्यता के आधार पर किया जाता है न कि इस आधार पर कि कोई पत्रकार किस समाचार पत्र से सम्बन्धित है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is highly regretable that the hon. Minister has always been trying to mislead the House and yet he has never been awarded denunciation by the Chair. A statement has been laid on the Table of the House under the heading 'The List of Members of Parliament who broadcast from the All India Radio during January, 1969 to June, 1969.' And this statement against serial number 63 the name of Prof. Ram Singh-Hindu Maha Sabha has been written. May I know from the hon. Minister the name of the House to

which Prof. Ram Singh belongs ? Is it not a mistake committed by the hon. Minister and has he not misguided the House ? May I know whether the hon. Minister will tender his resignation from his office as a represance or he will be denouced here by the hon deputy Speaker for this lapse ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं इस गलती को स्वीकार करता हूँ। प्रो० रामसिंह संसद सदस्य नहीं हैं। मेरा विचार है यह गलती कहीं टाइप करने में हो गई है। मैं इसकी जाँच करूँगा।

श्री अमृत नाहाटा : आकाशवाणी से कभी कभी विभिन्न समस्याओं पर शैक्षणिक विचारविमर्श भी प्रसारित किये जाते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला भी बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और उन थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर जो देश की अर्थ व्यवस्था पर एकाधिकार बनाये रखना चाहते हैं शेष सम्पूर्ण राष्ट्र ने इस कार्य का स्वागत किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि जिन प्रोफेसरों, अर्थशास्त्रियों तथा शिक्षाविदों ने इस प्रकार के विचार विमर्श में भाग लिया था उनकी विचारधारा में तथा सरकारी दृष्टिकोण में सदा एक रुपता ही नहीं देखी गई। उन्होंने ऐसे विचार भी व्यक्ति किये जो सरकार की विचारधारा से भिन्न थे। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में आकाशवाणी द्वारा शैक्षणिक विचारधारा की स्वतंत्रता बनाई रखी जायगी ?

श्री इ० कु० गुजराल : विभिन्न विषयों पर बोलने को बुलाये जाने वाले सभी व्यक्तियों को तथा उन्हें जिन का राष्ट्रीय जीवन में अच्छा स्थान है अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु यह आकाशवाणी संहिता के अन्तर्गत ही होने चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं तो यह समझ पाया हूँ कि सम्भवतः विभिन्न दलों के संसद सदस्यों को यह देखकर कि संसद में उनकी प्रतिशत क्या है आकाशवाणी से बोलने को आमंत्रित किया गया है। अतः मैं पूछना चाहता हूँ कि सी० पी० आई०, एस० एस० पी० तथा पी० एस० पी० के कितने सदस्यों को आकाशवाणी प्रसारण के लिये बुलाया गया तथा क्या यह संख्या यहाँ निर्धारित की गई कसौटी के अनुरूप थी।

दूसरे, वरिष्ठ मंत्री महोदय ने जनसंघ के सदस्य से पूछा कि क्या किसी संसद सदस्य ने आकाशवाणी से अपना प्रसारण देने का अनुरोध किया था। आकाशवाणी से जनवरी, 1969 से जून 1969 तक हुए संसद सदस्यों के प्रसारणों की सूची में श्री कृष्णा मेनन का नाम भी दिया हुआ है। श्री मेनन विगत सत्र के लगभग अंत में निर्वाचित हुए हैं। इस सूची में जून के अन्त तक की सूचना सम्मिलित है। आप को स्मरण होना चाहिए कि सभा 16 मई, 1969 को स्थगित हुई थी। क्या इस अवधि के अन्तर्गत श्री कृष्णा मेनन ने आकाशवाणी पर अपनी वर्ता प्रसारित करने का निवेदन किया तथा नया सदस्य होने पर भी उन्हें तुरन्त अपनी वार्ता देने को भी बुला लिया गया और उनका नाम सूची में सम्मिलित कर दिया गया।

एक माननीय सदस्य : श्री पाटिल को क्यों नहीं बुलाया गया ?

श्री इ० कु० गुजराल : प्रश्न यह था कि 6 मास के अन्तर्गत जिन सदस्यों की वार्ता प्रसारित हुई है उनके नाम क्या हैं। उनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की गई है और मैं मानता हूँ कि उसमें प्रो० रामसिंह का नाम गलती से आ गया है। जहाँ तक श्री कृष्णा मेनन के प्रसारण का सम्बन्ध है मैं नहीं कह सकता कि वह किस विषय पर बोले। हाँ मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस अवधि में श्री मेनन की वार्ता प्रसारित अवश्य हुई है। मैं समझता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य समान हैं। अवश्य ही मेरे मित्र का आशय यह नहीं था कि.... (व्यवधान)

श्री स० कुण्डू : क्या प्रश्न था और क्या उत्तर है ? आप पहले तैयार होकर आइये.... (व्यवधान)

श्री इ० कु० गुजराल : कभी कभी माननीय सदस्य ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे न्यायालय में मेरे झूँठ सच की किसी वकील द्वारा परीक्षा की जा रही हो। मैं तो प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ तथा आपको जानकारी दे रहा हूँ।....(व्यवधान)

श्री स० कुण्डू : आप अदालती कटघरे में है तथा आपको उचित व्यवहार करना चाहिए।

लोगों को अधिकार है कि वे आपकी परीक्षा करें।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सन्तुष्ट नहीं है तो अधिक स्पष्टीकरण मांगने का आपका हक है। किन्तु इस प्रकार के व्यवधान अनुचित हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है कि क्या सदस्य ने निवेदन किया था अथवा नहीं इस बारे में हमारी कार्य प्रक्रिया यह है हम पहले कार्यक्रम निर्धारित करते हैं तथा उसके अनुसार विषय विशेष के लिये जिन व्यक्तियों को उत्तम तथा सुयोग्य समझा जाता है उनको उस विषय पर बोलने के लिये बुलाया जाता है। मूल उत्तर में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि इसके लिये कसौटियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। अत: इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई व्यक्ति हम से मिलकर बोलने का अवसर प्राप्त करता है। यदि मेरे मित्र का यह आशय है कि किसी व्यक्ति ने इसके लिये हमसे पूछा था तो अवश्य ही इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं जानना चाहता था कि क्या कोई कसौटी बनाई गई है। सी० पी० आई०, एस० एस० पी० तथा पी० एस० पी० की प्रतिनिधित्व की क्या प्रतिशत है तथा आकाशवाणी पर बोलने के लिये बुलाये गये सदस्यों की प्रतिशतता क्या है ? मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई आँकडें प्रस्तुत नहीं किये हैं। साथ ही इस मामले में वह स्वयं स्पष्ट नही हैं।

श्री इ० कु० गुजराल : मेरे हिसाब से दोनों सदनों से बुलाये गये सदस्यों को मिलाकर पी० एस० पी० के प्रतिनिधियों की संख्या 3 प्रतिशत है। सूची में प्रो० रामसिंह का नाम आ जाने से यह आँकडें कुछ गलत अवश्य हो गये हैं। यह प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रतिशत से कम है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता है। आमंत्रण प्रतिनिधत्व प्रतिशत के हिसाब से नहीं

दिये गये। मैंने प्रतिनिधित्व-प्रतिशत केवल इसलिये प्रस्तुत किया है क्योंकि श्री बलराज मधोक ने यह प्रश्न उठाया था कि काँग्रेस दल का प्रतिनिधित्व अधिक किया जा रहा है। केवल इस बात को स्पष्ट करने के लिये ही मैंने इस का उपयोग किया है कि वास्तव में काँग्रेस के जितने प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था उतनों को नहीं बुलाया गया। किन्तु हमारी नीति यह नहीं है कि संसद में जिस दल का जितना प्रतिनिधित्व है उसी के अनुपात में उनके सदस्यों को आकाशवाणी पर बुलाया जाय।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सी० पी० आई० तथा एस० एस० पी० की क्या प्रतिशत है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : कांग्रेस, एस० एस० पी० तथा पी० एस० पी० सभी के साथ समान व्यवहार हुआ है। इन तीनों को ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका।

श्री कंवर लाल गुप्त : और सी० पी० आई० के बारे में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नोतर काल समाप्त हुआ। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ढोरी कोयला खान दुर्घटना

*393. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायाधीश श्री एस० के० दास ने ढोरी कोयला खान (बिहार) में हुई दुर्घटना की जांच की थी और यह सिफारिश की थी कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाये; और

(ख) क्या यह भी सच है कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवारों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एस० के० दास को उन परिस्थितियों और कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था जिनकी वजह से ढोरी कोयला खान में दुर्घटना हुई। उनकी जांच से यह पता चला कि यह दुर्घटना प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण हुई। उन्होंने मुआवजा देने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की।

(ख) इस मामले में कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 के अधीन, जिसका प्रशासन राज्य सरकारें करती हैं, अदायगियां अभी की जानी हैं। इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही शुरू होने के बाद, कोयला खान प्रबन्धकों ने पटना उच्च न्यायालय के सामने याचिका प्रस्तुत की और कार्यवाही स्थगित करने का आदेश प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने हक-सफा का

दावा भी दायर किया जो कि अधीनस्थ न्यायाधीश, हजारी बाग के पास अभी भी विचाराधीन पड़ा है। इस दावे में अन्य बातों के साथ तर्क दिया गया कि न्यायमूर्ति जे० के० दास के निष्कर्ष प्रबधंकों के लिये बन्धनकारी नहीं हैं और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम मौजूदा मामले के रूप में लागू नहीं होता और यह कि किसी भी वर्तमान कानून के अन्तर्गत मुआवजा देना प्रबंधकों का दायित्व नहीं है।

इसी बीच दुर्घटना-ग्रस्त परिवारों को प्रधान मंत्री की सहायता निधी, श्रम मंत्री की निधी, कोयला खान कल्याण निधि तथा राज्य सरकारों से प्राप्त धन में से आर्थिक अनुदान की अदायगी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त नियोजक ने स्वयम् भी आर्थिक सहायता दी है और कोयला खान भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत जमा धन राशि की भी अदायगी की गई है।

पोषण बोर्ड

394. श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय छः केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा किये जा रहे कार्य के समन्वय के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पोषण बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उस का व्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) :– एक उच्च-स्तरीय पोषण परिषद स्थापित करने के संबंध में एक सुझाव प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।

देश में बेरोजगारी दूर करने की तुरन्त प्रभावी योजना

*395. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री लताफत अली खां :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री डा० रानेन सेन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री स० कुन्दु :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग के एक कार्यकारी दल ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक तुरंत प्रभावी योजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यकारी दल द्वारा रखी गयी योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग) : रोजगार तथा प्रशिक्षण सम्बंधी अध्ययन दल ने राष्ट्रीय श्रम आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशे प्राप्त होने पर विचार करेंगी।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

***396. श्री जनार्दनन** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री 13 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 523 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस एजेंसी से सम्बन्ध में आगे और जांच की जा रही है जो फिल्म वित्त निगम द्वारा मन्जूर किये गये ऋणों के सही उपयोग की जांच करता है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) और (ख) :–जी, हां। ऋण का सही उपयोग हो इसे सुनिश्चित करने के लिए निगम फिल्म के बजट की अच्छी तरह छानबीन, तुरंत प्रतियों की जांच तथा जब शूटिंग, प्रोसेसिंग या रिकार्डिंग का काम चल रहा हो तब स्टूडियों और प्रशिक्षणालय में निरीक्षण करता है। ऋण की प्रत्येक उत्तरवर्ती किश्त प्रत्येक पूर्ववर्त्ती किश्त का चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा विधिवत् प्रमाणित सही लेखा प्रस्तुत करने पर ही दी जाती है।

Report of Enquiry Committee on Film Censorship

***397. Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri D. C. Sharma :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri P. M. Sayeed :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 878 on the 3rd April, 1969 and state :

(a) whether the Report of the Enquiry Committee Film Censorship has since been received;

(b) if so, the main recommendations made and Government's decisions thereon; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for the delay and when it is likely to be submitted ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes Sir, on 31-7-69.

(b) A copy of the Summary of Conclusions of the Enquiry Committee on Film Censorship has been laid on the Table of the House. The full Report is under print and will be laid on the Table of the House when it is ready. The decisions of the Government on the recommendations will be taken after examination.

(c) Does not arise.

Playing of Music During State Mourning

***398. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Naval Kishore Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the programme of Film songs and light music continued on the All India Radio after the death of Dr. Zakir Hussain, President of India, when 13-day mourning was being observed throughout the country;

(b) if so, at whose level the decision was taken; and

(c) whether some orders have been issued to check such an unhealthy practice in future ?

The Minister of State in the Minis:ry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Normal programmes of AIR were suspended immediately after the announcement of the death of the late President, Dr. Zakir Hussain, and upto the day of funeral only solemn programmes to suit the prevailing mood and special programmes for the occasion were substituted. Normal programmes were gradually restored thereafter. However, the instructions were that very light and flippant items should not be broadcast during the period of State mourning.

(b) At Government level.

(c) This was in accordance with the general policy.

Loan to Hindustan Samachar

***399 Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1182 on the 26th February, 1969 and state ;

(a) whether the question of giving loan to the Hindustan Samachar for purchasing the equipment has since been considered;

(b) if so, the decision taken in this regard; and

(c) if not, the reasons for the delay and the time by which the decision in this regard is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) : The matter is still under consideration.

तामिल नाडु में सूखा

400. डा० सुशीला नैयर : श्री के० रमानी :
श्री राममूर्ति । श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ : श्री किरुतिनन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में तमिल नाडु राज्य में सूखे के कारण खाद्य उत्पादन लगभग 12 लाख टन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने हेतु तथा खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये राज्य ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तामिल नाडु में 1968-69 में खाद्यन्नों के पैदावार के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने एक अवस्था पर खाद्यान्नों की पैदावार में हानि का अनुमान लगभग 12 लाख मीटरी टन अवश्य लगाया था।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धि और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य अधिक से अधिक खाद्यान्नों की सम्भव मात्राएं आवंटित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने सूखा सहायता के लिए राज्य सरकार को 8.25 करोड़ रुपये की राशि दी है और मुफ्त सहायता के रूप में वितरण करने के लिए 100 मीटरी टन उपहार गेहूं दी है।

अधिक उपज देने वाले अनाज के बीजों की किस्मों के लिये क्षेत्रों का चयन

401. **श्री सीताराम केसरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अधिक उपज देने वाले अनाजों के बीजों की किस्में बोने के लिए क्षेत्रों का चयन करने के मापदण्डों पर पुनः विचार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग के सुझाव पर विचार किया गया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। यह सुझाव कार्यक्रम योजना आयोग के मूल्यांकन संगठन

ने खरीफ, 1967 की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन की अपनी रिपोर्ट में दिया है।

(ख) और (ग). जी हां। योजना आयोग के सुझाव पर तमिल नाडु, बिहार, उत्तर-प्रदेश, मैसूर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल आदि कई राज्यों में खरीफ, 1968 के दौरान अधिक उपज देने वाले अनाजों और विशेषकर धान की खेती के लिए क्षेत्र चुनने में उचित ध्यान दिया गया था।

कर्मचारी भविष्य निधि के लेखों का निपटारा

***402. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के लेखों का अन्तिम रूप से निपटारा करने में असाधारण विलम्ब की बहुत सी शिकायत सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य निधि लेखाधारियों की अपनी भविष्य निधि के भुगतान की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासन का ताल्लुक न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड से है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत स्थापित किया गया एक स्वायत्त निकाय है। भारत सरकार से उसका ताल्लुक नहीं है। मांगी गई सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह सूचित किया है कि 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक दावों का निपटारा एक महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया गया, लेकिन कुछ मामलों में दावों के निपटाने में विलम्ब के बारे शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों की रिपोर्टों के अनुसार दावों के निपटाने में बिलम्ब होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

(1) प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणों का भेजा जाना।

(2) प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी न किया जाना।

(3) दावों के फार्मों का अपूर्ण। गलत भेजा जाना।

(4) दावेदार के हक के सम्बन्ध में विवाद।

(5) सम्पत्ति पर भुगतान प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।

(ग) विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले और भविष्य निधि की देय राशि जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं तथा वसूली कार्यवाही की जाती है। कुछ मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्यवाही की जाती है।

खाद्यानों की कमी।

403. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय खाद्यानों की कितनी कमी है तथा इसे किस प्रकार पूरा किया जा रहा है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि यदि केन्द्र पंजाब को 200 मैगावाट बिजली दे तो वे देश की इस सारी कमी को पूरा करने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्र सरकार ने पंजाब के इस दावे की जांच की है, तथा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य की सहायता करने के बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों की आवश्यकता जनसंख्या, जनता की आर्थिक स्मृद्धि उनकी खान-पान की आदतें, शहरीकरण की सीमा और गौण और प्रतिस्थापक खाद्यों की उपलब्धी आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। भारत जैसे विकासोन्मुख देश में ये बातें निरन्तर रूप से बदलती रहती हैं। उपर्युक्त कारणों एवं खाद्यान्नों की खपत के किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में खाद्यानों की आवश्यकताओं और किसी समय में उनके अभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सार्वजनिक वितरण और समीकरण भण्डार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा देश के अन्दर की गई अधिप्राप्ति को दृष्टि में रखते हुये आजकल खाद्यानों का आयात किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम

404. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में विद्यमान मुख्य दोषों को निकालने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों की सहायता करने के लिये समूचे देश में कोई कार्यक्रम बनाए गये हैं;

(ख) क्या सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिसे "पैकेज प्रोग्राम" कहा जाता है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है;

(ग) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था । इसके उद्देश्य क्या हैं और इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(घ) किन-किन राज्यों तथा जिलों में यह कार्यक्रम चालू है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, कृषि विकास के लिए समूचे देश में 1966-67 से अपनाई जाने वाली नई नीति का लक्ष्य विज्ञान और टैकनोलौजी के प्रयोग से किसानों को प्रति हैक्टर उपज बढ़ाने में सहायता करना है जिससे कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था सुधार सकें । नई नीति की मुख्य बातें हैं: –

(1) परम्परागत किस्मों के स्थान पर ज्वार, बाजरे और मक्का की संकर और धान और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बड़े पैमाने पर अपनाना ये नई किस्में उचित फार्म प्रबन्ध प्रणालियों और टैकनालौजी के अधीन प्रति एकड़ भूमि में परम्परागत किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज देने योग्य हैं ।

(2) अल्पावधि में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपलब्धि से उस भूमि में जहां अभी तक केवल एक ही फसल उगाई जाती थी अब एक से अधिक फसलें उगाने के लिए अधिक अवसर प्रदान किये हैं । इसा आधार पर वर्ष 1967–68 में बहुद्देशीय फसल-कार्यक्रम की शुरूआत हुई । इस कार्यक्रम का क्षेत्र तीव्रता से वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है ।

(3) विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में शस्यक्रम प्रतिमानों के अनुरूप दालों और अन्य फसलों की अल्पावधि-किस्मों की बुवाई का श्री गणेश किया गया है ।

(4) अधिक उपज देने वाली किस्में उर्वरकों के प्रयोग से अधिक उपज देती हैं और अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए परम्परागत किस्मों की तुलना में इन्हें अधिक खाद की आवश्यकता होती है । इस आदान की समुचित और सामयिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सप्लाई किये जाने वाले उर्वरकों की व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाये जा रहें हैं । इनमें अधिक ऋण और भण्डारण सुविधायें भी सम्मिलित हैं ।

(5) फसलों को कीट और बीमारी से होने वाली हानि से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर समेकित रूप से कीट नियन्त्रण उपाय बरते गये हैं ।

(6) अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के लिए की गई सिफारिशों तथा पैकेज प्रणाली को लागू करने से होने वाले लाभों से कृषकों को अवगत कराने के लिए प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं । पैकेज प्रणाली अनुसन्धान परिणामों और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर निर्धारित की जाती है ।

(7) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को सहायता देने के लिए बहुत से किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इन केन्द्रों में, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर किसानों को सुधरी हुई टैकनालौजी के लागू करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

(8) कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले किसानों को सहकारी संस्थाओं, सरकारी एजन्सियों, कृषि उद्योग निगमों आदि के माध्यम से सुधरे हुए बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियां, ऋण, फार्म मशीनरी और अन्य उपकरण इत्यादि आदानों की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है।

(9) अनुसन्धान के आधुनिकतम परिणामों को किसानों तक पहुंचाने और किसानों की समस्याओं का सामाधान के लिये अनुसन्धान संस्थाओं तक पहुंचाने के लिये कृषि विश्वविद्यालयों अनुसन्धान संस्थाओं और कृषि विभाग के मध्य निकट सम्पर्क स्थापित करना।

(10) जिला, ब्लाक और ग्राम्य स्तर पर विस्तार व्यवस्था को सशक्त बनाकर विस्तार प्रयत्नों को और अधिक गतिमान किया जा रहा है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन बढ़ाने के ऐसे प्रयत्नों को और अधिक सघन करने का प्रस्ताव है जिनमें कृषि विकास, फार्म-मशीनरी सेवाओं और क्षेत्र विकास, विशेषकर जल उपयोग और प्रबन्ध पर आधारित, सांस्थानिक वित्त व्यवस्था पर अधिक बल दिया जायेगा।

(ख) हां। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, जो चुने हुए क्षेत्रों में "गतिदायक" और 'मार्गदर्शक" परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा है, का उद्देश्य नई प्रक्रियाओं, नये विचारों और प्रणालियों को विकसित करना है ताकि उन्हें विस्तृत रूप से कृषि विकास में इस्तेमाल किया जा सके। पिछले 7-8 वर्षों से चल रहे उक्त कार्यक्रम ने नई नीति के विन्यास में मूल्यवान दिशा निर्देश किया है।

(ग) उत्पत्ति

सघन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरूआत अमरीका के विशेषज्ञ दल की "भारतीय खाद्य संकट और उसको दूर करने के उपाय" नामक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर हुई है। उक्त दल जनवरी, 1959 में देश की खाद्य समस्याओं का अध्ययन करने और तात्कालिक आधार पर उत्पादन बढ़ाने के लिये समन्वित प्रयास करने हेतु सिफारिशें करने के लिए आमन्त्रित किया गया था। यह कार्यक्रम 1960-61 के खरीफ में शुरू किया गया था।

उद्देश्य

कार्यक्रम का लक्ष्य अधिकतम सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्रों और कम से कम प्राकृतिक संकट वाले ऐसे क्षेत्रों में, जो उत्पादन प्रयत्नों में अधिक सहायक हों, कृषि उत्पादन

की समस्या का समेकित और विस्तृत हल खोजना है। इस कार्यक्रम का तात्कालिक लक्ष्य वित्तीय, तकनीकी, विस्तार और प्रशासन सम्बन्धी संसाधनों द्वारा कृषि उत्पादन के स्तर में तेजी से वृद्धि करना है। अन्ततः इसका लक्ष्य उत्पादन समाव्यतायें परिवर्तन की मानवी और भौतिक प्रक्रिया को उत्तेजित करके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में स्वतःजनित सफलता पाना है।

उपलब्धियां

अपने 7–8 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, सघन कृषि जिला कार्यक्रम ने क्षेत्र-विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि दोनों ही दिशाओं में सफलता प्राप्त की है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम के विषय में हाल में किये गये मूल्यांकन से पता चला है कि इस कार्यक्रम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसने यह प्रदर्शित कर दिया है कि जहां इसे प्रभावशाली ढंग से संगठित किया गया था और जहां उन्नत टैकनालौजी उपलब्ध थी, वहां यह पूर्व प्रयत्नों की अपेक्षा कृषि उत्पादन को अधिक तीव्रता से बढ़ाने में अधिक सफल हुआ है और इसका लाभ बड़े, मध्यम और छोटे सभी प्रकार के किसानों को प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की कृषि के आधुनिकरण में इस कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण नया दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है।

1968–69 के अन्त तक चुने हुये जिलों में लगभग 25,921 गांवों के अनुमानतः 9.82 लाख खेती करने वाले परिवारों को सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया था। इन जिलों की कुल 76.38 लाख हैक्टर जोत भूमि में से 27.75 लाख हैक्टर जोत भूमि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई।

देश के अन्य भागों की तुलना में इन जिलों में मुख्य कृषि आदानों की खपत में बहुत सुधार हुआ है। वितरित हुये नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों (अमोनियम सलफेट के रूप में) की मात्रा जो 1960-61 में 56,197 मीटरी टन थी, 1968-69 में बढ़कर 5,18,515 तक जा पहुंची। वितरित हुये फास्फेटपूरक उर्वरकों (सुपरफास्फेट के रूप में) की मात्रा 20,261 मीटरी टन से बढ़कर 2,56,647 मीटरी टन तक जा पहुंची। निरोधी तथा उपचारात्मक दोनों प्रकार के पौध संरक्षण उपाय किसानों में काफी लोकप्रिय हो गये हैं 1961-62 में 3.24 लाख हैक्टेयर भूमि के क्षेत्र में वनस्पति रक्षा सम्बन्धी उपाय अपनाये गये थे। 1968-69 की अवधि में यह क्षेत्र बढ़कर 31.85 लाख हैक्टर हो गया। इसी अवधि के दौरान वितरित हुये सुधरे बीजों की मात्रा 8,617 मीटरी टन से बढ़कर 34,083 मीटरी टन हो गई।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम के उद्देश्यानुसार सघन शस्योत्पादन से कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें भी बढ़ी हैं। इन जिलों में सहकारी संस्थायें, समय पर ऋण वितरण करने की जिम्मेदारी उठाकर तथा रसायनिक उर्वरक सुधरे हुये बीज, कीटनाशी औषधियों आदि अन्य कृषि आदान भी किसानों को देकर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इस दृष्टि से सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत किया गया है और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये ऋण नीति का

पुनर्निरीक्षण किया गया है। 1968-69 के अन्त तक इन जिलों में कार्य कर रही प्रारम्भिक सहकारी समितियों की संख्या 7855 थी जिनकी सदस्यता 21.41 लाख थी। 1961-62 में उनकी शेयर पूंजी 453.38 लाख रुपये थी जो 1968 69 में बढ़कर 841.55 लाख रुपये हो गई। इसी प्रकार इस अवधि में जमा रकम 250.98 लाख रुपये से बढ़कर 555.43 लाख रुपये हो गई। इन समितियों द्वारा किसानों को दिये गये, ऋणों (और विशेषकर अल्पकालीन ऋणों) की रकम 1961-62 में 1527.00 लाख रुपये थी जो 1968-69 में बढ़कर 2946.20 लाख रुपये तक जा पहुंची।

देश के अन्य भागों की तरह "सघन कृषि जिला कार्यक्रम" के जिलों में अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती 1966-67 में शुरू की गई थी और तब से इन किस्मों की खेती के क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रही है। प्रत्येक राज्य के अन्य जिलों की तुलना में इन जिलों में इस कार्यक्रम पर अधिक बल दिया जाता रहा है। 1966-67 में 2.11 लाख हैक्टर भूमि अधिक उत्पादनशील किस्मों की खेती के अन्तर्गत लाई गई थी और 1967-68 तक उसका क्षेत्र बढ़कर 7.69 लाख हैक्टर तक पहुंच गया। "सघन कृषि जिला कार्यक्रम" के सब जिलों में, और खासकर लुधियाना, अलीगढ़ और शाहाबाद में, गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

बहु शस्योत्पादन कार्यक्रम ने भी बहुत अच्छी प्रगति की है। वर्ष 1967-68 के दौरान, तंजौर जिले में बहु शस्योत्पादन कार्यक्रम के अंग के रूप में साम्बा की एक फसली क्षेत्र को धान की ए० डी० टी०-27 किस्म का प्रयोग करके दो फसली क्षेत्र में बदल कर, एक महत्वशाली विकास किया गया। साम्बा भूमि के 3.64 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जिसमें कि किसानों द्वारा सामान्यतः धान की एक फसल उगाई जाती थी, उसमें ए० डी० टी०-27 की दो फसलों के साथ धान की एक अन्य छोटी अवधि की फसल भी बोई गई। यह कार्यक्रम और भी सघन किया जा रहा है।

"सघन कृषि जिला कार्यक्रम" के जिलों में कार्यक्रम के शुरू होने से मुख्य फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। 1968-69 की अवधि में पैकेज से पूर्व की अवधि की तुलना में धान की फसल के विषय में होने वाली औसत प्रति हैक्टेयर वृद्धि का प्रतिमान 2.2 प्रतिशत व 56.4 प्रतिशत के मध्य था। 1968-69 की अवधि में माण्डया जिले में धान का उत्पादन 23.3 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर के रिकार्ड स्तर को छू गया। जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 17.7 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर तथा पैकेज की अवधि से पूर्व 14.9 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर था। तुलनात्मक रूप से देखा जाये तो प्रति हैक्टेयर भूमि में हुई गेहूं की औसत वृद्धि काफी अधिक थी और 1968-69 की अवधि में इसका प्रतिमान 57.3 प्रतिशत से 184.5 प्रतिशत के मध्य था।

1966-67 की अवधि में लुधियाना ने 83.0 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर गेहूं का उत्पादन करके एक नया रिकार्ड स्थापित किया, जबकि 1966-67 में तथा पैकेज अवधि से पूर्व यह प्रतिमान 25 क्विन्टल तथा 11.6 क्विन्टल प्रति हैक्टेयर था। पैकेज के समय से पूर्व की

अवधि की तुलना में 1968-69 के दौरान में मक्का के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । यह स्थिति विशेषकर अलीगढ़ (104.7) और लुधियाना (11 /.4) में देखने में आई है ।

(घ) इस समय यह कार्यक्रम निम्नलिखित जिलों में चालू है: —

	राज्य	जिला
1.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी
2.	असम	कचार
3.	बिहार	शहाबाद
4.	गुजरात	सूरत-बुलसार
5.	हरियाणा	करनाल
6.	जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू तथा अनन्तनाग
7.	केरल	अल्लप्पी तथा पालघाट
8.	मध्य प्रदेश	रायपुर
9.	मद्रास	थानजावूर
10.	मैसूर	मान्डया
11.	उड़ीसा	सम्बलपुर
12.	पंजाब	लुधियाना
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
14.	पश्चिय बंगाल	बरद्वान

टिप्पणी:—

सम्बन्धित राज्य सरकारों ने जिला पाली (राजस्थान) व भण्डारा (महाराष्ट्र) के "सघन कृषि जिला कार्यक्रम" को कम गहनता के "सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम" में परिणित कर दिया है ।

घेराव की घटनाएं

*405. श्री हिम्मतसिंह का : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में घेराव की घटनाओं में वृद्धि होने का सरकार को पता है,

(ख) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा वर्ष 1969-70 को प्रथम तिमाही में विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न उद्यमों में घेराव की कितनी घटनाएं हुई हैं ।

(ग) प्रत्येक अवधि में घेराव के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई है: और

(घ) क्या देश में घेराव की घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये कोई सख्त कानूनी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार का कानून बनाने का विचार है और इस स्थिति के साथ निपटने के लिये कौन सी अन्य कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(घ) घेरावों के मामले में सरकार कोई विशेष कानूनी अथवा वैधानिक कार्यवाही करने के बारे में विचार नहीं कर रही है। चूंकि स्पष्टतः घेरावों के बारे में कानून और व्यवस्था का प्रश्न सम्बन्ध है और उसमें विभिन्न तरह से दण्डनीय अपराध निहित हैं। अतः वे मुख्य रूप से राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखते हैं। राज्य सरकारों को पहले ही परामर्श दिया गया है कि जैसा कि स्थायी श्रम समिति की मई, 1967 को बैठक में बताया गया है, औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिये बल-प्रयोग तथा डराने धमकाने की कार्यवाइयों का, जिनमें घेराव (गलत तौर से घेरना) भी सम्मिलित है, अनुमोदन नहीं किया जायेगा।

Implementation of Employees' Provident Fund Act by Public Undertakings

***406. Shri Ranjeet Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpaee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Employees' Provident Fund Act and the Scheme thereunder are not being implemented in 170 out of the 498 Public Undertakings in the Northern Zone;

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto; and

(c) the total number of Public Undertakings in the country in which the provisions of this Act are not being implemented and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees, and autonomous Organisation under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and is not the concern of the Government of India. The provident Fund Authorities have reported as under:—

Out of the 489 Public Sector undertakings covered under the Employees' Provident Funds Act, 1952 in the Northern Zone, 170 establishments were not implementing the provisions of the said Act and the Scheme framed thereunder as on 31.12.1968. The total number of non-implementing Public Sector Undertakings in the country as on 31.12.1968 was 592.

The majority of Public Sector enterprises and departmental undertakings of the Central and the State Governments are implementing the provisions of the Employees' Provident Funds Act. Of the remaining establishments, a large number have retirement benefits which are not less favourable than those provided for under the scheme and would, therefore, qualify for exemption under Section 17. Efforts continue to be made to ask the concerned enterprises either to seek exemption or to implement the employees' Provident Funds Scheme and during the last two months; 21 departmental undertakings of the Central Government have complied with the law by obtaining exemption under section 17 of the Act.

खाद्यान्नों की वसूली

4107. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र ने केन्द्रीय पूल के लिये खाद्यान्न वसूल करने वाली एजेंसियों को केन्द्र द्वारा दिये जाने वाले सेवा-प्रभार की दर को 1.50 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर केवल 20 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस कटौती के विरुद्ध कोई जोरदार विरोध प्रकट किया है;

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) गत मौसम में पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिये खरीदी गई गेहूँ की कुछ मात्राओं पर सेवा प्रभार के रूप में 1.50 रुपये प्रति क्विटल की दर से एक धन राशि दी गई थी। इस सीजन में यह प्रभार घटाकर 20 पैसे कर दिया गया है। गेहूं की वास्तविक अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों के प्रचलितस्थापन खर्चे इसके अतिरिक्त दिये जा रहे हैं।

(ख) पंजाब सरकार ने अनुरोध किया था कि उन्हें गत वर्ष की 1.50 रुपये प्रति क्विटल की दर पर सेवा-प्रभार देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

(ग) राज्य सरकारों को यह प्रभार उनके प्रवर्त्तन स्टाफ पर किये जा रहे खर्चे को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष 20 पैसे प्रति क्विंटल की अनुमेय राशि तथा केन्द्रीय पूल को सप्लाई किये गये चावल के लिये अनुमेय सेवा प्रभार, वे राज्यों द्वारा प्रवर्तन स्टाफ पर किये गये वार्षिक खर्चे से अधिक बैठेंगे।

Maintenance of Industrial Peace

*408. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that INTUC had given a suggestion in its 18th annual meeting that industrial peace should be maintained in the country for five years and all the disputes should be referred to arbitration;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the steps being taken by Government to maintain industrial peace in the country so that production efforts in the country do not dwindle; and

(d) whether Government propose to ask such States where Police remained a silent spectator to Bandh and other violent activities of the workers, that trade unions be allowed to function only within their statutory limit ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A suggestion to this effect was made by Shri Abid Ali in his Presidential Speech.

(b) It is a suggestion in line with the Industrial Truce Resolution, which is still operative.

(c) Government have always urged both the employers and the employees to settle their disputes through constitutional means and to avoid stoppages of work. Action is taken when necessary to give effect to the provisions of the labour laws; breaches of the Code of Discipline and the Industrial Truce Resolution are also brought to the notice of the parties concerned for necessary corrective action.

(d) Action by the police is essentially a matter which falls in the State sphere. However, the Standing Labour Committee, which considered the subject at its meeting in May 1967, did not approve of coercive and intimidatory tactics for resolving industrial disputes. The State Governments have been advised accordingly.

देश में बीज विकास केन्द्र

409. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी अभिकरणों के अधीन कितने बीज विकास केन्द्र हैं; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में किन किन किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाता है और क्या उन्नत बीजों की देश की समूची मांग को पूरा करने के लिये यह उत्पादन पर्याप्त है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

'नोवोस्ती' तथा पत्र सूचना विभाग के बीच प्रचार सामग्री के परिचालन के बारे में समझौता

*410. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नोवोस्ती' (Novosti) तथा प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो के बीच वर्ष 1967 में हुआ समझौता अभी तक लागू है;

(ख) यदि हां, तो प्रथम जनवरी, 1968 से आज तक प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो द्वारा 'नोवोस्ती' की ओर से तथा इसी प्रकार से 'नोवोस्ती' द्वारा प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो की ओर से प्रकाशनार्थ जारी की गई प्रचार सामग्री तथा लेखों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह समझौता करने से भारत सरकार को क्या लाभ हुए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इस समझौते के बावजूद भी, रूस में प्रकाशन हेतु, भारतीय प्रचार सामग्री सोवियत गुप्त सूचना विभाग द्वारा पारित करने के बाद ही प्रकाशन हेतु दी जाती है, भले ही ऐसी सामग्री नोवोस्ती को प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो द्वारा सप्लाई की जाती हो; और

(ङ) क्या इसी प्रकार का प्रतिबन्ध 'नोवोस्ती' द्वारा प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो को भेजी गई सामग्री के बारे में भी लागू होता है अथवा प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्राप्त सारी सामग्री को बिना जांच लिये ही सार्वजनिक पठन के लिये उपलब्ध कर दिया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ०कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नोवोस्ती की ओर से पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कोई प्रचार सामग्री या लेख नहीं भेजे जाते। नोवोस्ती से जो भी सामग्री प्राप्त की जाती है वह अन्य देशों से प्राप्त होने वाली इसी प्रकार की सामग्री के साथ पुस्तकालय में सन्दर्भ सामग्री के रूप में रख दी जाती है।

जहां तक नोवोस्ती का सम्बन्ध है, पत्र सूचना कार्यालय ने जनवरी, 1968 से एजेंसी को 125 से ऊपर फीचर तथा लेख भेजे हैं उनमें से कई सचित्र हैं। नोवोस्ती के अनुसार यह सामग्री नियमित रूप से 'इन्टरनेशनल इन्फारमेशन बुलेटिन', जो नोवोस्ती द्वारा 900 सोवियत समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को भेजा जाता है, में शामिल की जाती है। क्योंकि नोवोस्ती एजेंसी पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री का अनुवाद करती है, प्रतियां बनाती है तथा वितरण करती है, अतः इस प्रबन्ध के द्वारा हमारे दूतावास द्वारा भारत से सम्बन्धित प्रचार सामग्री को बड़े पैमाने पर सर्कुलेट करने के प्रयत्नों में वृद्धि होती है।

कोयला खान मालिकों द्वारा भविष्य निधि की राशि का उपयोग

*4111. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कोयला खानों के मालिक भविष्य निधि की राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराते हैं और श्रमिकों से इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि अपने प्रयोजनों के लिये प्रयोग करते हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उनके द्वारा इस प्रकार प्रयोग की गई राशि का ब्याज उस राशि से बहुत अधिक होता है, जो राशि जमा न कराने के कारण अभियोग चलाये जाने पर उन्हें जुर्माने के रूप में देनी पडती है; और

(ग) उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). कोयला खान भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक न्यासियों के बोर्ड से है, जो कि कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है और भारत सरकार से इसका ताल्लुक नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने यह सूचित किया है कि कुछ नियोजक श्रमिकों की भविष्य निधि की देय राशि की अदायगी नहीं करते तथा कुछ मामलों में देय राशियों का ब्याज अभियोजन चलाने पर संबंधित नियो-

जक पर हुए जुर्माने का राशि से अधिक हो जाता है। भविष्य निधि की देय राशि भूराजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल की जाती है। जहां तक अभियोजन का सम्बन्ध है 1965 में संशोधन करने से पहले, इस अधिनियम में देय राशि जमा न कराने पर 6 महीने का कारावास अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना या कारावास तथा जुर्माना दोनों की व्यवस्था थी। सन् 1965 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दो वर्ष की अवधि के अन्दर ऐसा अपराध करने का फिर से दोषी पाया जाय तो उसे एक वर्ष के कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माना अथवा कैद व् जुर्माना दोनों ही दंड दिये जा सकें। भविष्य निधि की बिलम्बित अदायगी की सूरत में बकाया राशि के 25 प्रतिशत तक हरजाना उपकर लगाने की भी व्यवस्था की गई। दण्डनीय व्यवस्था को और कड़ा करने का प्रश्न विचाराधीन है।

न्यासियों के बोर्ड ने इस दिशा में निम्न कदम भी उठाये हैं:—

(1) यह निर्णय किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत जब कभी आवश्यक हो तो बकायादार नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जाय।

(2) निधि के प्रमाण-पत्र मामलों को निपटाने के लिए विशेष प्रमाण-पत्र अधिकारी नियुक्त किए हैं।

(3) देय राशि की शीघ्र वसूली के लिये ऐसे मामलों को बकायादार नियोजकों से उठाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

संगीत एवं नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध आरोप

412. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत एवं नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की इस बीच जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (घ)। जांच की गई है। प्रथम पग के रूप में एक आदेश जारी कर दिया गया है कि पूर्वाभ्यास सामान्यत: केवल कार्यालय समय में ही किये जाने चाहिए और किसी भी अवस्था में सांयकाल 6 बजे के बाद नहीं। पूर्वाभ्यासों या कार्यक्रमों में इस मन्त्रालय की अनुमति के बिना अतिथि कलाकारों को किसी भी रूप में भाग लेने से मना कर दिया गया है। कुछ स्टाफ के स्थानान्तरण के आदेश भी दिये गये हैं।

गैर-श्रम जीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन पर मध्यस्थ का पंचाट

413. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यस्थ ने गैर-श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन के बारे में पंचाट दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कुछ समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में गैर-पत्रकार संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने सम्बन्धी विवाद राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता को न्याय-निर्णय के लिये भेज दिया गया है । कोई पंच नियुक्त नहीं किया गया ।

(ख) न्यायाधिकरण अपने कार्य को शीघ्रता से कर रहा है । विवाद की प्रकृति और क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

राज सहायता प्राप्त दरों पर सरकारी कर्मचारियों को खाद्यान्न की सप्लाई

414. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज-सहायता प्राप्त दरों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खाद्यान्न सप्लाई करने की शक्ति भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों के विरुद्ध सरक्षण दिये जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सहायता नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्यों पर अनाज सप्लाई करना पड़ता है ।

(ख) यद्यपि मूल्यों में आम बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन केवल खाद्यान्नों के मूल्यों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कोई विशिष्ट अभ्यावेदन नहीं मिले हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तरी प्रदेशों के सीमान्त क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

*415. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) उत्तरी प्रदेशों के सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) आदिम जातीय क्षेत्रों में इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिये क्या ऐसी ही कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1563/69]

Plan to end Strikes by Labourers

***416. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) whether Government propose to chalk out a plan with the help of the leaders of various Trade Unions and capitalists in order to stop strikes by labourers and to increase the production so that the country may progress; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). A part from the Industrial Disputes Act, 1947, which is the principal Central legislation providing for the settlement of industrial disputes, and the voluntary arrangements connected with the Code of Discipline, which form the basis of Government's industrial relations policy, no separate plan is under consideration at present. Changes in existing arrangements, if any, in this regard, will be considered in the light of the recommendations of the National Labour Commission when received.

भूमिगतजल का सिंचाई के लिए अन्धाधुन्ध प्रयोग

417. श्री समर गुह :
श्री बेणी शंकर शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें उन्हें गहरे और उथले नलकूप लगाकर निकाले जाने वाले भूमिगत जल का सिंचाई के लिए अन्धाधुन्ध प्रयोग किये जाने के बारे में सचेत किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा परिपत्र जारी करने के कारण और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा परिपत्र जारी करने से पूर्व सिंचाई मंत्रालय के जल-विज्ञान विशेषज्ञों के साथ इस मामले में विचार किया गया था और उनकी राय प्राप्त की गई थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय और राज्य स्तर पर जल-विज्ञान विभाग खोलने का है जो भूमिगत जल के आवश्यकता से अधिक और अन्धाधुन्ध प्रयोग तथा उसके परिणाम-

स्वरूप होने वाली भूमिगत जल की कमी और जल भंडार को पुनः पूर्ण करने की समस्याओं के समाधान आदि का काम करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) इस मंत्रालय ने इस विषय में राज्य सरकारों को कोई परिपत्र नहीं भेजा है। तथापि, इस मंत्रालय के सुझाव पर मई 1969 में हुए राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में भूमिगत जल के अन्धाधुन्ध प्रयोग को रोकने के लिए भूमिगत जल सम्बन्धी कानून बनाने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) देश के विभिन्न भागों में भूमिगत जल के विकास की वर्तमान तीव्र गति को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि देश के कुछ क्षेत्रों में निकट भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि भूमिगत जल का और अधिक अनियंत्रित उपयोग करने से मौजूदा नलकूपों की सप्लाई में बाधा पड़ जाये और उन्हें अनुपयोगी बना दें। कुछ भागों में, अनियंत्रित जल विकास से अच्छा पानी खारे पानी से दूषित हो सकता है या भूमिगत खारे जल से भूमि क्षारीय हो सकती है।

(ग) इस मंत्रालय के समन्वेषी नलकूप संगठन के भूमिगत जल विज्ञान संबन्धी विशेषज्ञों का विचार है कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब कि भूमिगत जल विकास को विनियमित और नियंत्रत करने के लिए वैज्ञानिक उपाय किये जाने चाहिए। राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में भी यही मत व्यक्त किया गया था। तथापि यह स्वीकार किया गया कि वैज्ञानिक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले यह आवश्यक है कि भूमिगत संसाधानों का सही और वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाये।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर, इस मंत्रालय के अधीन भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और समन्वेषी नलकूलप संस्था भूमिगत जल की क्रमबद्ध खोज में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं ताकि ठोस तकनीकी आधार पर भूमिगत जल के अत्यधिक और अन्धाधुन्ध उपयोग, से उत्पन्न समस्याओं और अभावग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल की कमी को दूर करने के लिए उपाय सुझाने के बारे में भूमिगत जल विकास योजनाओं के कार्यान्वियन को विनियमित किया जा सके। इन संगठनों का उचित रूप से विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और समन्वेषी नलकूप संस्था के कार्यकलापों की पूर्ति के लिए अपने जल-विज्ञान सबन्धी एकक स्थापित करें। राजस्थान, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों ने ये सेल स्थापित कर लिये है और अन्य राज्य ऐसा करने जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आरक्षण

418. श्री द० रा० परमार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने श्रेणी तीन से श्रेणी दो और उच्चतर संवर्ग में पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के लिए पद आरक्षण करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों का संचार विभाग में पालन किया गया है;

(ग) गत वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में पदों के आरक्षण सम्बन्धी उक्त अनुदेश से लाभ हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना, प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) गृह मंत्रालय ने प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के विषय में अनुसूचित जातियों/उन जातियों के वास्ते आरक्षण के लिये अनुदेश जारी नहीं किये हैं सिवा उन मामलों के जिनमें विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, जिसमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि हो तो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता पदोन्नति की जाती है। जब पदोन्नति वरण (सिलेक्शन) आधार पर की जाती है तो तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी की द्वितीय श्रेणी में द्वितीय श्रेणी के भीतर ही और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति करते समय विभागीय पदोन्नति समिति के लिये आवश्यक होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को एक उच्चतर श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) प्रदान करे।

(ख) जी हां।

(ग) एक।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Destruction of Food by Rats

***419. Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of rats in the country is three hundred crores;

(b) the quantity of foodgrains destroyed by them every year and the details of the schemes under operation to arrest this destruction, with progress made so far;

(c) whether it is also a fact that the Insects Control Association of India has sent a scheme for killing the rats; and

(d) if so, Government's reaction thereon; and the amount likely to be spent on its implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No precise figures are available but according to one estimate, the population of rats may be 2,400 million.

(b) No precise data are available. It is, however, estimated that the rats cause an annual loss of 2.4 million tons of foodgrains valued at over Rs. 100 crores. This overall loss forms 2-4% of the agricultural produce. With intensive rat control measures, losses are gradually being reduced.

Government of India sanctioned Rs. 12.9 lakhs for providing free distribution of raticides to various States in the year 1966-67. This amount was increased to Rs. 40 lakhs during 1967-68 and 1968-69. This Centrally sponsored scheme has now been transferred to the State Sector from the current financial year. In the year 1966-67, 8.3 million acres and in the year 1967-68, 8.7 million acres were treated with anti-rat measures.

(c) No such scheme appears to have been submitted to the Ministry of Agriculture.

(d) Does not arise. The scheme as and when submitted will be examined by the Government.

बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों द्वारा हड़ताल

***420. श्री भोगेन्द्र झा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिकों ने कोई हड़ताल कर रखी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) . इस्पात बनाने तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों सम्बन्धी ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक गत मई में हड़ताल पर गये थे । उनकी मांगें मुख्यत: मजूरी व सेवा की शर्तों से सम्बन्धित थीं । इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री की मध्यस्थता से हडताल समाप्त हो गई । श्रमिकों की मांगें बिहार सरकार के श्रमायुक्त को पंच-निर्णय के लिये भेज दी गई हैं । श्रमायुक्त ने संबधित पक्षों को विवादास्पद मामलों के बारे में लिखित बयान दायर करने के लिये कहा है ।

खाद्य जमा करने के लिये गोदामों का निर्माण

2524. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय भण्डागार निगम द्वारा खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये गोदामों के निर्माण पर, अब तक कितनी धन-राशि लगाई गई है;

(ख) ये गोदाम किन-किन स्थानों पर बनाये गये हैं;

(ग) मंत्रालय / भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यानों का संग्रह करने के लिये विभिन्न स्थानों पर लिये गये गोदामों को किराये पर प्रतिमास कितना किराया अदा किया जाता है; और

(घ) इन गोदामों में से प्रत्येक का मासिक किराया कितना है तथा वे कहां-कहां स्थित है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार के सभी खाद्यान्न गोदाम भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने हस्तान्तरण के समय तक इन गोदामों के निर्माण, खरीद, आदि पर व्यय करने के लिए 29.55 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। भारतीय खाद्य निगम ने स्वयं नये गोदाम बनवाने पर अन्य 6.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 31 मार्च, 1969 तक अपने भाण्डागारों के निर्माण पर 10.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तथापि, ये भाण्डागार केवल मात्र खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं।

(ख) दो विवरण जिनमें भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदामों और भाण्डागारों के स्थान दिए हैं, सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1564/69]

(ग) क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सभी गोदाम भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिए गए हैं, इसलिए मन्त्रालय को किसी प्रकार का किराया देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 1967-68 में भारतीय खाद्य निगम ने किराये और भण्डारण प्रभार के रूप में औसतन 14.20 लाख रुपये प्रतिमास दिए थे।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने देश भर से 800 में अधिक केन्द्रों पर विभिन्न एजेंसियों से गोदाम किराये पर लिए हैं। इन गोदामों के अलग अलग मासिक किराये के आंकड़े एकत्रित करने में जितना प्रयास तथा समय लगाना पड़ेगा उसके निष्कर्ष से उतना लाभ नहीं होगा।

दिल्ली के कनाट प्लेस टेलीफोन केन्द्र क्षेत्र में पारीमुक्त श्रेणी के टेलीफोन

2525. **श्री जुगल मंडल :** क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कनाट प्लेस टेलीफोन केन्द्र क्षेत्र में, पारीमुक्त श्रेणी के अन्तर्गत समाचारपत्रों तथा समाचार संवाददाताओं से प्राप्त कितने आवेदन अभी भी निलम्बित हैं;

(ख) कनाट प्लेस टेलीफोन केन्द्र से पारीमुक्त श्रेणी के टेलीफोन देने के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति की पिछली बार कब बैठक हुई थी; और

(ग) क्या सरकार एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखेगी जिसमें अप्रैल-जुलाई 1969 की अवधि में इस टेलीफोन केन्द्र क्षेत्र में पारीमुक्त श्रेणी के अन्तर्गत दिये गए नये स्थायी तथा अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों की सूची दी गई हो ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 25।

(ख) 30 जनवरी, 1969।

(ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है जिसमें कनाट प्लेस एक्सचेंज से छूट-प्राप्त (अब विशेष) वर्ग के अन्तर्गत अप्रैल से जुलाई 1969 तक दिये गए नए स्थायी कनेक्शनों का ब्यौरा दिया गया है। अस्थायी कनेक्शनों की मंजूरी किसी वर्ग के आधार पर नहीं दी जाती। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1565/69]

भारत अमरीकी करार के अन्तर्गत प्राप्त गेहूँ का तामिलनाडु के चर्च वर्ल्ड सर्विस द्वारा वितरण

2526. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चर्च वर्ल्ड सर्विसिज द्वारा भारत-अमरीका समझौते के अधीन प्राप्त किये गये गेहूँ के 9641 बोरे, क्षेत्रीय अधिकारी (खाद्य) द्वारा एक श्री पी० सुन्दरम् का तामिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के कोयल पट्टी तथा कादम्बूर नगरों में निर्धन तथा भूखे लोगों के मध्य मुफ्त वितरित करने के लिये किस तारीख को दिये गये थे; और

(ख) खाद्य निगम द्वारा श्री सुन्दरम् को जो कि क्षेत्रीय खाद्य निदेशक के गहरे सम्बन्धी बताये जाते हैं; गेहूँ देने के बजाय उन्हें सीधे ही मुफ्त वितरित न करने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विचाराधीन 9641 गेहूं के बोरे अप्रैल, 1968 और अक्तूबर, 1968 के बीच मद्रास बंदरगाह पर पहुँचे थे और निम्नलिखित तारीखों को श्री पी० सुन्दरम् के नाम रेल द्वारा भेजे गये थे:—

550	बोरे	——	4-5-1968
997	,,	——	7-5-1968
29	,,	——	9-5-1968
1000	,,	——	10-6-1968
1285	,,	——	18-6-1968
3140	,,	——	22-6-1968
570	,,	——	23-6-1968
190	,,	——	24-6-1968
900	,,	——	27-6-1968
980	,,	——	18-10-1968
योग : 9641	बोरे		

(ख) इन्डो-यू० एस० करार की शर्तों के अनुसार उपहार के अधीन प्राप्त उपहार माल संम्बधित स्वीकृत राहत एजेंसियों द्वारा नामित परेषिती को वितरण हेतु भेजा जाता है।

करार में ऐसे उपहारों का प्रादेशिक निदेशक (खाद्य) अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा वितरण किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

मध्य प्रदेश में ट्रैक्टरों की उपलब्धता

2527. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में प्रति वर्ष कितना-कितना अनाज पैदा होता है तथा प्रत्येक राज्य में कितने ट्रैक्टरों का प्रयोग होता है;

(ख) मध्य प्रदेश में कम ट्रैक्टर होने के क्या कारण हैं जबकि यह राज्य देश में अनाज की अधिकतम मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने वाले राज्यों में दूसरे दर्जे पर है; और

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये गत तीन वर्षों में ऋण की सुविधायें प्रदान नहीं की गई थीं यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

		1967-68 में अनाज का उत्पादन (अंतिम अनुमानों पर आधारित) (हजार मीटरी टनों में)	पशुधन गणना 1966 के अनुसार ट्रैक्टरों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश ...	16,810.5	10,139
2:	पंजाब	5,445.3	10,646
3.	महाराष्ट्र	6,951.3	3,260
4.	गुजरात	3,367.6	3,248
5.	हरियाणा ...	3,993.3	4,850
6.	मध्य प्रदेश	10,162.1	2,513

(ख) मध्य प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों के कारण वहां ट्रैक्टरों की संख्या कम है। सुनिश्चित सिचाई की व्यवस्था सिंचित भूमि की प्रतिशतता, ज़ोत की किस्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति व बहु फसलें आदि ऐसी बातें हैं जिनके कारण इस राज्य में तथा अन्य राज्यों में ट्रैक्टरों की संख्या में फर्क है।

देश में बने हुये ट्रैक्टरों का वितरण विनिर्माताओं द्वारा नियुक्त विक्रेताओं तथा उप-विक्रेताओं के माध्यम से होता है और वे "जो पहले आये वह पहले ले जाये" के आधार पर ट्रैक्टरों का वितरण करते हैं। अब तक मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विदेशी ट्रैक्टरों का वितरण, विदेशी संभरण कर्त्ताओं के एजेन्टों के द्वारा "जो पहले आये, पहले ले जायें" के आधार पर किया जाता था। मध्य प्रदेश में किसानों के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किये गये। जा रहे हैं, वे कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं। इसलिये इस राज्य को कम ट्रैक्टर दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं। ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राज्य सरकार द्वारा ऋण दिये गये हैं। इसी प्रकार के ऋण कार्मसियल तथा भूमि बंधक बैंकों द्वारा भी दिये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी

2528. **श्री बाबुराव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के कितने शरणार्थियों को अब तक मध्य प्रदेश में बसाया गया है तथा किस-किस जिले में कितने-कितने शरणार्थी बसाये गये हैं;

(ख) उन्हें अब तक कितनी धनराशि नगद सहायता के रूप में दी गई है तथा कितने मूल्य का राजसहायता प्राप्त अनाज का राशन दिया गया है;

(ग) उन शरणार्थियों को बसाने के लिये कौन-कौन से व्यावहारिक उपाय किये गये हैं तथा अब तक कितने शरणार्थियों को बसाया जा चुका है;

(घ) इन शरणार्थियों की कौन-कौन सी उचित शिकायतें हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि शरणार्थियों तथा स्थानीय लोगों के बीच कई बार मुठभेड हुई है और यदि हां, तो कैसी मुठभेड़ हुई है तथा इसके क्या कारण थे; और

(च) शरणार्थियों तथा अन्य लोगों के बीच शान्ति स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग) : 1947 में वास्तविक विभाजन से पूर्व ही पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना आरम्भ हो गया था और 31 दिसम्बर, 1963 तक पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 41.78 लाख व्यक्ति भारत आ चुके थे। उनके मामले में, पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट कार्य की मदों को छोड़कर, जिनका समीक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जा रहा है, प्रायः सभी पुनर्वास कार्य पूर्ण हो चुका है। लग-भग 17,500 ऐसे प्रवासियों को मध्य प्रदेश में बसाया गया था; इनमें दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में बसाये गये 9,300 प्रवासी भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बसाये गये पुराने प्रवासियों को नगद बेकारी अनुदान के भुगतान पर किये गये खर्च तथा उन्हें सस्ती दरों पर दिये गये खाद्य राशन के मूल्य के बारे में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभाजन के समय से लेकर इस जानकारी को एकत्रित करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेंगे जो कि प्राप्त होने वाले सम्भावी परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

जनवरी, 1964 में पूर्वी पाकिस्तान से प्रवासियों के नये प्रवाह का आना प्रारंभ हुआ और तब से पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 8.49 लाख व्यक्ति भारत आ चुके हैं। उनके मामले में पुनर्वास सहायता केवल उन प्रवासियों को स्वीकार्य थी जिन्हें राहत शिविरों में प्रवेश दिया गया था। ऐसे परिवारों की अधिकांश संख्या को विभिन्न राज्यों के पुनर्वास स्थलों में कृषि तथा

गैर-कृषि व्यवसायों में पुनर्व्यवस्थापन के लिये पहिले ही भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश में पन्ना, सरगुजा तथा बेतूल जिलों में पुनर्व्यवस्थापन परियोजनाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं। 30-6-1969 तक इन परियोजनाओं में भूमि पर बसाये गये परिवारों की संख्या निम्न है :—

	परिवारों की संख्या
बेतूल परियोजना	1642
सरगुजा परियोजना	516
पन्ना परियोजना	356
	2514

इसके अतिरिक्त, 268 परिवार गैर-कृषि व्यवसायों में बसाये गये हैं। इसके अलावा, दण्डकारण्य के मध्य प्रदेश क्षेत्र में 3029 परिवार बसाये जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में उनको भुगतान किये गये नगद बेकारी अनुदान तथा सस्ती दरों पर उनको दिये गये राशन के मूल्य के बारे में पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं है। पिछले पांच वर्षों के लिये ऐसी जानकारी एकत्रित करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेंगे जो कि प्राप्त सम्भावी परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे।

तथापि, यह उल्लेखनीय होगा कि शिविरों में रहने वाले प्रवासियों को, उनके परिवार के आकार के आधार पर 30 रु० से 75 रु० तक प्रति मास नकद बेकारी अनुदान दिया जाता है। नगद बेकारी अनुदान के अतिरिक्त, उनको चावल, गेहूँ। आटा 0.57 पैसे प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर बेचा जाता है। कुछ अन्य सुविधाएं जैसे कि मुफ्त वस्त्र, कम्बल, बर्तन, औषधियां, शिक्षा सुविधाएं इत्यादि भी प्रदान की जाती हैं।

(घ) कुछ परियोजनाओं में बसाये गये प्रवासियों ने भूमि की निम्न उपज शक्ति, और सिंचाई तथा पीने के पानी के अभाव इत्यादि के बारे में शिकायतें की हैं। उनकी शिकायतों पर बड़ी सावधानी से विचार किया गया है और उनकी वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) और (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

आकाशवाणी के पास महात्मा गांधी की फिल्में तथा टेप

2529. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के 93 देश इस वर्ष गांधी शताब्दी मना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों को फिल्म फोटो तथा महात्मा गांधी के भाषणों के टेप रिकार्ड दिये गये थे तथा प्रत्येक से कितना कितना मूल्य लिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कुछ कर्मचारियों ने गांधी जी के कुछ दुर्लभ टेपों को चोरी छिपे बेच दिया था अथवा कुछ बाहरी देशों से लाभ प्राप्ति की आशा में उनकी प्रतियां करने की अनुमति दे दी थी ;

(घ) यदि नहीं, तो आकाशवाणी के अभिलेखागार में फिल्मों तथा टेपों की वस्तुगत पड़ताल किस तारीख को की गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) अभिलेखागार के कार्यालय-अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं तथा उन्हें कितना मासिक वेतन मिलता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों को गांधी जी के फिल्मस्ट्रिप, फोटो तथा टेप रिकार्ड भेजे गये थे, उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1565/69**] इनका वितरण निःशुल्क किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अभिलेखागार में टेपों की वस्तुगत पड़ताल 4 जुलाई, 1969 को की गई थी, स्टाक ठीक पाया गया।

(ङ) जो अधिकारी अभिलेखगार के प्रति उत्तरदायी हैं उनके नाम हैं :–

नाम तथा पदनाम	मासिक परिलब्धियां
1. श्री एस० के० घोस, निदेशक, ट्रांसिक्रटशन और प्रोग्राम एक्सचेंज सेवा।	1417.00 रुपये
2. श्री रजनी कान्त राव, सहायक केन्द्र निदेशक	1202.00 रुपये
3. श्री आर० सी० सिंधी, प्रोग्राम एक्जीक्युटिव	984.00 रुपये

इसके अतिरिक्त अभिलेखार में निम्नलिखित स्टाफ पूरे समय के लिये काम करता है :–

1. श्री कुलतार सिंह, जूनियर पुस्तकाध्यक्ष	352.00
2. श्री बी० एस० गुसाई, स्टाफ आर्टिस्ट	412.00 रुपये

सूचना तथा प्रसारण विभाग में सहायकों (असिस्टेंटों) की वरिष्ठता

2530. **श्री यशपाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1965 अथवा उनके आस पास स्थायी किये गये सहायकों को वरिष्ठता में उन सहायकों से कनिष्ठ गिना जाता है जिसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी अथवा जिन को इस मन्त्रालय में उपरोक्त तारीख के बाद स्थायी किया गया था ;

(ख) उन सहायकों की संख्या कितनी है जिनकी बजाय पदोन्नत वरिष्ठता पीछे कर दी गई है तथा कितने सहायकों को वरिष्ठ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सहायकों की वरिष्ठता पीछे करने के क्या कारण हैं तथा वरिष्ठता सम्बन्धी गलत नियमों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग)। सहायकों को स्थायी करने के मामले में कोई अधिक्रमण नहीं हुआ है। सीधी भर्ती वाले सहायकों एवं पदोन्नत हुए सहायकों की प्रवरता सम्बन्धित नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है।

स्टाफ आर्टिस्ट एसोसियेशन

2531. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में अब भी कितनी संस्थाएं तथा संघ मौजूद हैं ;

(ख) क्या इसके कार्यक्रमों के स्तर पर प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्टों की एक एसोसियेशन और दो यूनियनें मौजूद हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

आकाशवाणी दिल्ली के समाचार विभाग में वार्ता कक्ष

2532. **श्री शिव नारायण :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के समाचार डिवीज़न में एक वार्ता कक्ष कार्य कर रहा है और यदि हां, तो यह कक्ष कब से कार्य कर रहा है तथा उसमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उसके संचालन पर स्थापना से लेकर अब तक प्रतिवर्ष कितना खर्च हुआ है, उसमें काम करने वाले लोगों ने कुल कितनी वार्तायें/रूपक आदि लिखे अथवा तैयार किये हैं, तथा उनमें से कितने वर्षवार प्रसारित किये गये ;

(ग) क्या यह सच है कि समाचर डिवीजन के द्वारा वार्ता के लिये बाहर के लोगों को भी अवसर दिया जाता है और यदि हां, तो कक्ष में स्थापना से लेकर अब तक वर्षवार कितने व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया गया है तथा उन्हें कितनी धनराशि दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार इस एकक को चलाना उपयोगी तथा लाभ प्रद समझती है तथा क्या इसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। नवम्बर, 1962 से।

यूनिट के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इस प्रकार है :–

समाचार संपादक	2
अनुसंधान सहायक	2
स्क्रिप्ट लेखक	3
स्टेनोग्राफर	1

(ख) तथा (ग). 1967 से जून, 1969 तक की अवधि के बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1567/69] 1967 से पहले की अवधि के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही हैं और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां।

आकाशवाणी में प्रस्तुतीकरण सहायक (प्रोडक्शन एसिस्टेंट)

2533. **श्री शिव नारायण :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में प्रस्तुतीकरण सहायक और नियमित कलाकारों (स्टाफ आर्टिस्टों) के वर्गवार स्वीकृत पद कितने हैं; उनकी कुल संख्या कितनी है, उनमें से वास्तव में कितने पद भरे गये हैं तथा कितने खाली हैं ;

(ख) प्रोग्राम पदाली में स्टेशन डायरेक्टरों, सहायक स्टेशन डायरेक्टरों, प्रोग्राम संचालकों (एक्सीक्यूटिव्ज) ट्रांसमिशन अधिकारियों (एक्सीक्यूटिव्ज) के स्वीकृत पद कितने हैं और उनमें से कितने पद भरे गये हैं तथा कितने पद खाली हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भाग (ख) में उल्लिखित वर्ग के पदों में बहुत से व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है और बहुत से चार पांच पद ऊपर हैं ;

(घ) यदि हां, तो तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की वर्गवार संख्या क्या है तथा उपयुक्त प्रणाली से नियमित आधार पर पदों के न भरने का क्या कारण हैं ; और

(ड) कार्यक्रम तथा प्रस्तुतीकरण पदाली के अर्थात् प्रोग्राम एक्सीक्यूटिवज़ और प्रोडक्शन स्टाफ का स्टाफ आर्टिस्टों के आधार पर विलय के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(च) सरकार इस विषय पर निर्णय करने में कितना समय लेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) असैनिक पदों के विपरीत, सरकार ने स्टाफ आर्टिस्टों की विभिन्न श्रेणियों की स्थायी संख्या निर्धारित नहीं की है। प्रत्येक केन्द्र की समय समय की आवश्यकता के अनुसार, आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा केन्द्रों/कार्यालयों के अध्यक्षों को यह मन्जूरी दे दी जाती है कि वे स्टाफ आर्टिस्टों की स्वीकृत श्रेणियों में से व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। 31 जुलाई, 1969 को प्रत्येक श्रेणी की कितनी संख्या थी यह विवरण संख्या 1 में दिया गया है जिसको सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1568/69]

(ख) एक विवरण (विवरण 2) सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1568/69]

(ग) जी, हां।

(घ) 103, विवरण नीचे दिया गया है :-

(1)	प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिव	91
(2)	ट्रांसमिशन एक्ज़ीक्यूटिव	12
	योग	103

प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिवों के पदों के विद्यमान भर्ती नियमों में संशोधन को अन्तिम रूप न दिये जा सकने के कारण 103 में से आकाशवाणी में केवल 14 प्रोग्राम एक्ज़ीक्यूटिव 4 वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ङ) और (च). मामला विचाराधीन है। प्रोग्राम तथा प्रोडक्शन स्टाफ के विलय के प्रश्न के निर्णय में कितना समय लगेगा यह बताना कठिन है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि निर्णय और इसकी कार्यान्विति के लिये संघ लोक सेवा आयोग तथा भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित मामलों से विचार विमर्श करने और स्वीकृति लेने की आवश्यकता है।

किसानों की प्रति व्यक्ति आय

2534. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय कितनी कितनी है ; और

(ग) यह अंतर होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अखिल भारतीय स्तर या राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आय गणना में किसानों की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष अलग से नहीं निकाली जाती । फिर भी, 1960-61 में कृषि से होने वाली कुल आय, इसमें लगे व्यक्तियों की संख्या और चुने हुए राज्यों में कृषि में लगा हुआ प्रति व्यक्ति की कुल आय प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1569/69] जहां तक अनुवर्ती वर्षों का सम्बन्ध है कृषि में लगे हुये व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े उपब्ध न होने के कारण कृषि कार्य में लगे प्रति व्यक्ति की कुल आय के विषय में ऐसे अनुमान तैयार नहीं हो सके । विभिन्न राज्यों में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का अन्तर भूमि की उर्वरता, वर्षा, जलवायु, सिंचाई की सुविधाओं की उपलब्धि, फसल प्रतिमान, आदान आदि कई बातों पर निर्भर करता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

2535. श्री न० रा० देवघरे : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक नोट संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1570/69]

पश्चिम बंगाल में घेराव की घटनायें

2536. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब मई, 1969 में वह कलकत्ता गये थे तो क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के मन्त्रियों तथा अधिकारियों के साथ उस राज्य में हाल में पुनः हुई घेराव की घटनाओं के बारे में कोई बात चीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच घेराव के बारे में कोई पत्र-व्यवहार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

श्रम, रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). घेरावों सहित श्रम विवादों के शीघ्र निपटाने के बारे में पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री के साथ हुए विचार–विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि एक स्वतंत्र चैयर-मैन की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जाय। इस समिति के सर्वसम्मत निर्णय श्रमिकों और नियोजकों के लिए मान्य होंगे। यदि निर्णय सर्वसम्पन न हो, तो उस दशा में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

(ग) विचार-विमर्श मौखिक हुआ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के गिर जंगलों में शेरों का कम होना

2537. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी संख्या मलधारियों द्वारा विष दिये जाने के कारण कम हो रही है तथा यह आशंका है कि उनकी संख्या और भी कम हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या शेरों की रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यहि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, यह सच नहीं है कि गुजरात के गिर जंगलों में शेरों की संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही है। परन्तु यह सही है कि 1963-68 के बीच गिरि शेरों की संख्या में कुछ कमी हुई है। जून 1968 में हुई शेर गणना के अनुसार शेरों की संख्या 177 थी जबकि 1963 में यह संख्या 285 थी। यह कह देना उचित होगा कि पिछली शेर गणना, अप्रत्यक्ष ढंग से की गई थी। यह गणना शेरों के पंजों के निशान गिन कर की गई थी जो कि बड़ा पुराना तथा अनुमानात्मक ढंग है, जबकि हाल ही में की गई शेर गणना प्रत्यक्ष रूप से की गई थी अर्थात् शिकार के खाने के लिए एकत्रित हुए शेरों को गिनकर यह प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक सही और विश्वसनीय है।

(ख) जहर के कारण मृत्यु ही शेरों की संख्या कमी होने का मूल कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त शेरों की संख्या को कोई अन्य गम्भीर खतरा नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए पहले ही अनेक उपाय कर दिये हैं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न उपाय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार शेरों की संख्या में होने वाली कमी के कारणों का पता लगाने, तथा शेरों के संरक्षण के लिए उपसमिति की नियुक्ति करने के विषय में विचार कर रही है और अपेक्षित कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

(1) गुजरात वन्य प्राणी एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1963 की धाराओं के अन्तर्गत गिर शेरों का निवास स्थान अर्थात् गिर जंगल का लगभग 1265.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल (488.42 वर्ग मील क्षेत्रफल) एक वन्य प्राणी आखेट निषिद्ध क्षेत्र बना दिया गया है।

(2) आश्रय स्थलों में जानवरों को मारना निषिद्ध कर दिया गया है, जिससे कि वहां किसी प्रकार की गड़बड़ न हो तथा शेरों के खाने के लिए शिकार की पूर्ति को नियमित रखा जा सके।

(3) शेरों द्वारा ढ़ोर मारे जाने के कारण ढ़ोरों के स्वामिओं द्वारा शेरों को जहर देने की वृति को दूर करने के लिए राज्य सरकार के नियत दरों तथा शर्तों पर प्रमात्रा के अनुसार मुआवजा या इनाम देने का उपबन्ध किया है। सरकार इन नियमों को और उदार करने के बारे में विचार कर रही है।

(4) गिर आश्रय स्थल के एक भाग के स्तर को बढ़ाकर उसे राष्ट्रीय उद्यान में परिणित करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ताकि मनुष्यों द्वारा तथा पाले गये पशुओं की ओर से कोई दखलआन्दाजी न होने पाये।

(5) गिर आश्रय स्थल के विकास के लिए राज्य सरकार सम्भवतः सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1968–69 के दौरान इस आश्रय स्थल के विकास के लिए (जिसमें जंगली जानवरों के कल्याण, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना व सड़कों की मरम्मत आदि सम्मिलित है) 1, 90, 000 रु० स्वीकृत किया गया था।

गुजरात में भूमि संरक्षण

2538. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को भूमि संरक्षण के लिये वर्ष 1968-69 में कितनी धन राशि का नियतन किया गया;

(ख) इस वर्ष के दौरान वहां वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) क्या यह धनराशि स्वीकृत उद्देश्य के लिये ही खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकारी क्षेत्र की भूमि संरक्षण प्लान स्कीमों के लिये 1968–69 में 185 00 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा

प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात को धांतीवाडा परियोजना के स्रवण क्षेत्र में भूमि संरक्षण, ऊबड़ खाबड़ भूमि के सर्वेक्षण और क्षारीय और अम्लीय भूमि के सुधार के लिये 7. 54 लाख रुपये की राशि नियतित की गई थी।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर 178.75 लाख रुपये और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर कुल 6.50 लाख रुपये व्यय हुये हैं।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रावधानों का उपयोग सामान्यतः स्वीकृत योजनाओं के लिये ही हुआ है।

नलकूपों के निर्माण के लिये गुजरात को सहायता

2539. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य के मरूस्थल जैसे जिलों में नलकूप लगाने के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)। (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

गुजरात में पशुपालन आदि के लिये सहायता

2540. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के दौरान गुजरात को पशुपालन, डेरी, अधिक खाद्य उपजाओ अभियान तथा मत्स्यपालन के विकास के लिये कोई सहायता दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख) : राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की नियुक्ति की कार्यविधि, 1969-70 से संशोधित की गई है, के अनुसार राज्यों की वार्षिक योजना के लिए ब्लाक-ऋणों तथा अनुदानों के रूप में एक राशि के रूप में सहायता दी जाएगी न कि किसी विशेष कार्यक्रम या योजना के लिये अलग रूप से गुजरात सरकार को वर्ष 1969-70 के लिए उनकी वार्षिक योजना के लिये 28.20 करोड़ रुपये की सहायता नियत की गई है। यह सहायता राज्य सरकार द्वारा भेजे जाने वाले खर्च के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त में राज्य सरकार को निर्मुक्त की जाएगी।

जहां तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सम्बन्ध है, उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली निम्नलिखित योजनाओं को जो सहायता दी जाती है वह निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	योजना	(रु० लाखों में) सहायता
1.	वी एफ सी तम्बाकू का विकास	2.20
2.	कपास का अधिकतम उत्पादन	13.16
3.	मूंगफली का अधिकतम उत्पादन	1.83
4.	किसानों का प्रशिक्षण तथा शिक्षा	3.51
5.	ऊबड़ खबड़ भूमि के सुधार के लिए मार्गदर्शी परियोजना	2.50
6.	कास्टर प्रदर्शन	0.25
7.	रिन्डरपेस्ट योजना	2.50
8.	समन्वित पशु प्रजनन फार्म	1.00
9.	छोटी बन्दरगाहों पर माल उतारने और चढ़ाने की सुविधायें	10 00

राज्य सरकार द्वारा दी गई खर्च सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर इन योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में सहायता निर्मुक्त की जाएगी ।

गुजरात में कृषि परियोजनायें

2541. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने राज्य में कृषि परियोजनाओं में सहायता के लिये केन्द्र सरकार से विशेष सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते ।

आकाशवाणी में मैकेनिकों को स्थायी करना

2542. श्री अब्दुल गनी दार : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में ऐसे मैकेनिकों के कुल कितने स्थायी पद हैं जिनमें अब तक किसी को भी स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों में लोगों को स्थायी करने में सम्भवतः कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 131.

(ख) पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में प्रादेशिक इंजीनियरों के कार्यालयों की स्थापना के कारण यह निर्णय किया गया है कि स्थायीकरण को प्रदेश वार केन्द्रित किया जाए; परिणामस्वरूप प्रवरता सूचियों को नए सिरे से संकलन करना पड़ा है।

(ग) तृतीय श्रेणी के सभी तकनीकी कर्मचारियों को यथाशीघ्र स्थायी करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

आकाशवाणी में तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों को स्थायी करना

2543. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने तकनीकी कर्मचारी हैं जो अपने स्थायी किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं,

(ख) मैकेनिकों तथा तृतीय श्रेणी के तकनीकी कर्मचारियों की ओर से अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 760

(ख) 2

(ग) शीघ्र कार्रवाही करने के लिए सभी केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुखों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। इस प्रकार के स्थायीकरण की प्रगति के बारे में कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरें

2544. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार बम्बई की प्रणाली को अपना कर सिनेमा की टिकटों की दरों को युक्तिसंगत बनाने का है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार से सलाह की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। दिल्ली मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने सिनेमाघरों की टिकटों की दरों को बदलने के लिए दिल्ली प्रशासन की अनुमति मांगी है। दिल्ली प्रशासन बम्बई प्रणाली समेत मामले पर विचार कर रहा है।

(ख) जी, नहीं। अन्तिम निर्णय दिल्ली प्रशासन पर निर्भर करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन

2545. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र तथा योजना आयोग से अनुरोध किया है कि छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये और अधिक धनराशि प्रदान की जाये;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने यह दलील दी है कि जब तक ऐसी योजनाएं हाथ में नहीं ली जायेंगी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन हो रहे असन्तुलन को ठीक नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर विचार किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (घ). प्रश्न ही नहीं होते।

पशु बीमा योजना

2546. **डा० सुशीला नैयर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पशु बीमा योजना को आरम्भ करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) . (क) कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों में सम्भाव्य परीक्षण के साथ पशुओं की मृत्यु के विषय में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण पूरे होने पर तथा आंकड़ों का विश्लेषण होने पर, राज्यों में पशु बीमा की एक उचित मार्गदर्शी योजना तैयार करने का विचार है।

(ग) इस सम्बन्ध में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम निर्णय कब होगा।

हिमाचल प्रदेश में हुई पौदा विद्या तथा फसल उत्पादन सम्बन्धी गोष्ठी

2547. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री वेंगलराय नायडू :
श्री रा० बरुग्रा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1969 को हिमाचल प्रदेश में हुई पौदा विद्या तथा फसल उत्पादन सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रीय गोष्ठी में 150 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां तो गोष्ठी के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ग) यह गोष्ठी किस हद तक लाभदायक सिद्ध हुई है;

(घ) इस गोष्ठी में भाग लेने वालों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। गोष्ठी का आयोजन इण्डियन सोसाइटी फार प्लान्ट फिजियालौजी ने किया था।

(ख) मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में फसल प्लान्ट फिजियालौजी संबन्धी हाल के अनुसन्धान कार्य के परिणामों पर विचार-विनियम करना है। गोष्ठी ने प्लान्ट फिजियालौजी सम्बन्धी अनुसंधान पर भी जो देश में फसलों की उपज को सुधारने के लिए आवश्यक था, पर विचार विनियम किया।

(ग) गोष्ठी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। उसमें फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित प्लान्ट फिजियालौजी के क्षेत्र में हाल के अनुसंधानों पर भी विचार-विनिमय हुआ। इस गोष्ठी ने देश में दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने वाले नवयुवक वैज्ञानिकों को भी पास बैठाकर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त नैतिक शिक्षण के सम्बन्ध में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये तीन आमांत्रित भाषण लाभदायक सिद्ध हुए।

(घ) इस गोष्ठी में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों के व्यवसायी प्लान्ट फिजियालौजिस्टों को और कृषि-रासायनिक उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(ङ) जी नहीं। फिर भी गोष्ठी की रिपोर्ट के प्रारूप का अन्तिम रूप देने के लिए एक उप-समिति नियुक्त की गई जिसकी एक प्रति यथा समय सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

ऊन का उत्पादन

2548. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को भेड़ों के संकरण के लिये केन्द्र खोलने का सुझाव दिया है जिससे देश में ऊन के उत्पादन में वृद्धि हो सके ;

(ख) हमारी ऊन की कुल आवश्यकता कितनी है और गत दो वर्षों से ऊन का कितना आयात हो रहा है; और

(ग) राज्यों को इस बारे में क्या विशेष सहायता देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग के कपड़ा उद्योग विषयक कार्यकारी दल ने कच्ची ऊन की कुल आवश्यकता का कच्चा अनुमान 380 लाख किलोग्राम लगाया है। हमने 1967-68 में 139 लाख किलोग्राम और 1968-69 में 138 लाख किलोग्राम ऊन आयात की ।

(ग) भेड़-विकास कार्यक्रम राज्य योजना के अन्तर्गत आता है। और उसके लिये योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान के अनुसार 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत ऋण सहायत के रूप मे मिल सकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अनुसार 8 भेड़ फार्म स्थापित करने के लिए चौथी योजना में 280 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा

2549. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
डा० रानेन सेन :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी की सुरक्षा के मामले की जाँच करने के लिए नियुक्त किये गये जांच आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो मशीनों के प्रयोग, ठेका-श्रम तथा समय से पहले सेवानिवृत्ति सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बारे में आयोग के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस आयोग को यह मालूम हुआ कि तेल कम्पनियों में स्वचालित मशीनों, अभिनवीकरण तथा पुनर्गठन की कार्यवाहियों व ठेका श्रम प्रणाली अपनाने तथा उसके विस्तार के कारण कर्मचारी फालतू हो गए । उसे यह भी मालूम हुआ कि फालतू हुए कर्मचारियों की समस्या को निपटाने के लिये समय-पूर्व स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति की योजनायें उचित व न्याय-संगत नहीं थीं और यह कि कुछ मामलों में दबाव डालकर त्यागपत्र प्राप्त किए गए ।

(ग) आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में डाक तथा तार कार्यालय

2550. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी और डाकघरों, तारघरों, तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कमी के कारण वहां के लोगों को होने वाली कठिनाइयों को महसूस किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या वहां पर कोई अध्ययन दल भेजने का प्रस्ताव विचाराधीन है जो वहां के लोगों की आवश्यकताओं संबंधी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि ये सुविधायें कांगड़ा और बिलासपुर जिलों के लगभग 12000 वर्गमील क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं और 20 वर्ष बाद भी सरकार ने इन क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राज्य मंत्री, संचार जून 1969 में शिमला गए थे ।

(ख) डाक सम्बन्धी सुविधाएं—1969–70 के दौरान 40 डाकघर खोलने के संबंध में कार्यवाई की जा रही है ।

तार तथा टेलीफोन सुविधाएं—9 नए टेलीफोन एक्सचेंज, 13 लम्बी दूरी के सार्व-जनिक टेलीफोन घर और 9 तारघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इनके लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है । ये उत्तरोत्तर चालू कर दिए जाएंगें ।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि दूरसंचार और डाक संबंधी सुविधाओं के विकास का कार्य समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार पोस्टमास्टर जनरल अम्बाला द्वारा किया जाता है । पूरे हिमाचल प्रदेश को "अत्यन्त पिछड़ा हुआ" इलाका मानकर डाक संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए उदार नीति अपनाई गई है ।

(घ) डाक संबंधी सुविधाएं—इस समय बिलासपुर जिला में 80 डाकघर काम कर रहे हैं, और 1969-70 के दौरान 3 और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। कांगड़ा जिला में इस समय 695 डाकघर काम कर रहे हैं और 1969-70 के दौरान 13 और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार संबंधी सुविधाए—इस समय कांगड़ा जिला में 10 टेलीफोन एक्सचेंज, 35 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 56 तारघर काम कर रहे हैं। इस जिले में एक और टेलीफोन एक्सचेंज, चार सार्वजनिक टेलीफोन घर और एक तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

बिलासपुर जिला में इस समय एक टेलीफोन एक्सचेंज, एक लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर और 5 तारघर काम कर रहे हैं।

इन जिलों में और स्थानों पर दूरसंचार संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के बारे में मौजूदा नीति के अनुसार ही विचार किया जाता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम

2551. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन कितने सरकारी उपक्रम हैं, प्रत्येक में कितनी पूंजी लगी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में उन पर कितनी पूंजी लगाई जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन संगठनों के कार्य संचालन के क्या परिणाम निकले हैं तथा लाभ तथा हानि के आंकड़े क्या हैं, कितना उत्पादन हुआ है तथा कितनी बिक्री हुई;

(ग) क्या इन संगठनों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिये गत एक वर्ष में कोई विशेष कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सुधार हुए हैं; और

(घ) प्रत्येक उपक्रम में कितने कर्मचारी फालतू हैं और क्या फालतू कर्मचारियों को अन्य काम पर लगाया जा रहा है अथवा उनकी छंटनी की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Hindi Correspondents of Air

2552. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the A. I. R. correspondents in Hindi-speaking areas have been instructed to send the news in Hindi;

(b) whether it is also a fact that translation of Hindi speeches into English and their retranslation in Hindi results in loss of their originality ; and

(c) if so, whether it has been decided to increase the number of Hindi correspondents in Parliament ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) This can happen.

(c) The arrangement for overage of Parliamentary proceedings is considered adequate. No increase of Hindi Correspondents in Parliament is contemplated for the present.

Lessons in Hindi Programme on A. I. R.

2553. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri R. K. Birla :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the name of States in which programme of lessons-in-Hindi has so far been introduced on All India Radio; and

(b) the name of non-Hindi speaking States in which this programme has not so far been introduced and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Andhra, Assam, Gujrat, Kerala, Maharashtra, Manipur, Mysore, Orrisa and West Bengal.

(b) Jammu & Kashmir, Nagaland, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, Pondicherry, Goa and Andaman & Nicobar.

The scheme is being introduced according to a phased programme depending on availability of resources, and will be extended to stations in these States in course of time.

Modern Bakeries Limited

2554. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Modern Bakeries in the Public Sector have again raised the price of bread as a result of which the other manufacturers have also raised the price; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The price of Modern Bread had to be increased in May, 1969 due to the increase in the prices of the

raw materials, mainly, maida. The other manufacturers of bread had also to raise the price for the same reason and not merely because the price of Modern bread had increased.

Production at Suratgarh Farm

2555. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of Suratgarh Farm has been decreasing and the loss has been increasing and the percentage of return on the capital is only 0.17 per annum while 30,000 acres of land has been received as a gift;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to improve the working of this Form ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) . No, Sir. There has been some fluctuation in output but there was no major decrease in production expect in 1965-66 when Rajasthan along with other parts of India experienced severe drought conditions. The highest production so far was actually recorded in 1967-68. The profit and loss has been fluctuating but during 1966-67 and 1967-68, the Farm earned a net profit of Rs. 18.71 lakhs and Rs. 49.52 lakhs respectively which helped to wipe off all the previous losses. Taking the average capital employed on the Farm during the last 12 years, viz. Rs. 94.5 lakh, interest of Rs. 41.51 lakh paid on Government investment on the Farm and a net profit of Rs. 4.11 lakhs earned during the same period, the return of capital works out to 4% per annum. This is in addition to Rs. 87,000 per annum paid to the Government of Rajasthan as Malkana (rent) for the land which was not a gift but was given on lease.

The Farm has suffered from inadequate irrigation supplies and periodical floods. Regarding the inadequate irrigation supplies, the Farm at present is located at the tail-end of the Bhakra Canals. It is proposed to switch over to the Rajasthan Canals and the Rajasthan Goverment have been requested to arrange this switch over as soon as possible. Regarding periodical floods, earthen embankments have been raised for protecting a part of the area from floods. A comprehensive flood control scheme is also under consideration. To ensure that the Farm runs on commercial lines, it along with other Central State Farms, has been handed over to the State Farms Corporation of India, a public Sector undertaking, from the 1st August, 1969.

Expenditure on Medical facilities and Allowances to P & T Employees

2556. **Shri J. Sunder Lal :**
Shri P. M. Sayeed :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been six times increase in the amount spent on medical facilities, children education allowance and overtime Allowance of the employees of P & T Department ;

(b) whether Government agree to it that the existing rules for these items have loop-holes; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) In so far as the rules about medical reimbursement and overtime are concerned, there is scope for further examination.

(c) In addition to a number of steps already taken, such as opening more P & T dispensaries. restricting the number of authorised medical attendants and chemists' shops; curtailing the period of preferring claims, etc., the Efficiency Bureau of the P & T Board is studying the subject for evolving further measures to check expenditure on Medical Reimbursement and Overtime Allowance.

मंगलौर में डाक व तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

2557. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगलोर में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्वार्टरों के न बनाये जाने के क्या कारण हैं जबकि इनके लिए लीवेंल में छः वर्ष पूर्व स्थान लिया गया था ;

(ग) क्या क्वार्टरों के निर्माण के लिए योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनको आगामी अनुपूरक बजट में सम्मिलित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसार मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) मंगलोर में डाक-तार कर्मचारियों के लिये 6 विभागीय क्वार्टर और 7 किराए पर लिए गए क्वार्टर हैं।

(ख) से (घ) . भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद लीवेंल में भूमि का अधिग्रहण वस्तुतः 23-12-67 को किया गया।

नक्शे तैयार किये जा रहे हैं और उनके तैयार हो जाने पर प्राक्कलन तैयार किए जायेंगे।

इस परियोजना को 1970-71 के बजट में सम्मिलित करने का विचार है।

भूमि सुधारों की क्रियान्विति

255४. **श्री लोबो प्रभु** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप काश्तकारों की संख्या में कमी हुई है और इसके फलस्वरूप भू स्वामी वास्तविक किसान बन गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो भूमि सुधार अधिनियम को अग्रेतर क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूस्वामियों ने भूमि सुधार अधिनियम को विफल करने के प्रयास किये हैं; और

(घ) क्या योजना आयोग ने सिफारिश की है कि काश्तकारों को संस्थागत एजेंसियों के पास भूमि को रहन रखने के बेरोक अधिकार होने चाहिये और यह भी सुझाव दिया है कि काश्तकारों को उप-स्वामी घोषित किया जाये और उनको मालिकों की अनुमति से अपने अधिकारों को हस्तांतरण करने का अधिकार दिया जाये जैसा कि इस समय दक्षिण कनारा जिले के मुलीगेनी काश्तकारी नियमों में व्यवस्था है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख): राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधार के उपायों से पट्टेदारों की अवधि निश्चित होती है और उन्हें स्वामित्व प्राप्त होता है । ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। राज्य सरकारें क्रियान्विति को शीघ्र आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं । तेलंगाना क्षेत्र में संरक्षित पट्टेदारों को स्वामित्व के अनिवार्य हस्तान्तरण की व्यवस्था जो पहले खमाम जिले में और रंगल जिले में मुलुगतालुक में लागू था, 15 अगस्त, 1968 से तेलंगाना प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में संरक्षित पट्टेदारों के लिए बढ़ा दिया गया है। गुजरात में राज्य के साथ पट्टेदारों को सीधा सम्पर्क में लाने का कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है और 7.3 लाख पट्टेदारों को 20·60 लाख एकड़ भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है। केरल में पट्टेदारी की भूमि पर भू स्वामियों के अधिकार सौंपने के सम्बन्ध में व्यवस्था को केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 को संशोधित करके सुदृढ़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पट्टेदारों को स्वामित्व प्रदान करने की कार्यवाही में प्रगति हो रही है और गैर-पुनर्ग्रहणीय क्षेत्रों में 3.6 लाख पट्टेदारों को स्वामित्व मिल चुका है। महाराष्ट्र में लगभग 7.99 लाख पट्टेदार 24.67 लाख एकड़ भूमि में स्वामित्व प्राप्त कर चुके हैं और अप्रभावी खरीद के मामलों को कम करने की दृष्टि से व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विधान में संशोधन कर दिया गया है। मैसूर में अपनी निजी खेती करने हेतु भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए भू-स्वामियों के रुके हुए आवेदन-पत्रों को निपटाने के बाद ही पट्टेदारों को स्वामित्व के अधिकार दिये जाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। हरियाणा और पंजाब में 20,000 से अधिक पट्टेदारों ने 1,37,-259 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ऐच्छिक खरीद के अधिकार का प्रयोग किया है। राजस्थान में पट्टेदारों को स्वामित्व सौंप देने की कार्यवाही में प्रगति हो रही है। उत्तर प्रदेश में खुद काश्त के लगभग 15 लाख उप-पट्टेदार तथा पट्टेदारों को, जिनके पास लगभग 20 लाख एकड़ भूमि है सीधा राज्य के सम्पर्क में लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त खेती वाले पट्टेदारों को सीधा राज्य के सम्पर्क में लाया गया है और अन्य भूमिधारियों के पट्टेदारों को स्वामित्व सौंपने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। मनीपुर, त्रिपुरा और माहे में व्यवस्थाओं की कार्यान्विति के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ग) भू-स्वामियों ने खाली कराके 'स्वेच्छा से पुन: लौटाना' के रूप में कब्जा छोड़ने के अप्रभावी खरीदों और अनुचित हस्तान्तरण का सहारा लेकर भूमि सुधार की क्रियान्विति को निरुत्साहित करने का प्रयत्न किया।

(घ) कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए खेती करने वाले पट्टेदारों को समर्थ बनाने हेतु योजना आयोग द्वारा एक सिफारिश की गई है कि पट्टेदारों को स्वामित्व प्रदान न किये जाने तक वर्तमान पट्टेदारियां और गैर-पुनर्ग्रहणीय होनी चाहिये और पट्टेदारों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे ऋण बढ़ाने और उनके द्वारा जोती जाने वाली भूमि में सुधार करने की दृष्टि से भूमि को संस्थानात्मक ऐजेंसियों के पास रहन रख सकें।

जमुरिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाली कोयला खान में दुर्घटना

2559. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री जि० मो० विश्वास :
श्री रामावतार शास्त्री : श्री स० मो० बनर्जी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1969 को जमुरिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत कोयला खान की छत गिर जाने से 2 खनिक तत्काल मारे गये थे तथा तीन घायल हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 17 मई, 1969 को जमुरिया कोयला खान में छत गिर जाने से एक घातक दुर्घटना हुई, जिसमें दो व्यक्ति मारे गये और चार व्यक्ति घायल हुए।

(ख) दुर्घटना की जांच से पता चला कि छत में अदृश्य दो दरारों के बीच का भाग गिर गया और इसलिए कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। प्रबन्धकों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

Yield of Rice and Wheat

2560. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Food and Agricultrue be pleased to state :

(a) the average yield per acre of wheat and rice in our country;

(b) the average yield per acre during the last five years and the extent of increase in their production ; and

(c) the special steps being taken by Government to step up average production per acre and the likely average production per acre after next five years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yield of wheat and rice in India 1967-68 are estimated as 1,111 and 1,031 kgs. per hectare respectively.

(b) A statement showing the per hectare yield and production of wheat and rice for the period 1963-64 to 1967-68 is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT-1571/69**]. The All India Final Estimates of wheat and rice for 1968-69 have not yet been finalised.

(c) The New Strategy for Agricultural Develepment adopted since 1966-67 envisages, inter-alia, measures for increasing yield per-hectare of foodgrains. These include cultivation of high-yielding varieties of seeds, provision of irrigation facilities for intensive cultivation and organised provision of inputs like fertilisers and pesticides. The efforts for stepping up average production per-acre are to be further intensified under the Forth Five-Year Plan. As a result of implementation of the above programme in the coming years, it is hoped to achieve the Fourth Five Year Plan target of foodgrains production of 129 million tonnes by the end of 1973-74, as compared to the base level of 98 million tonnes in 1968-69. Most of the increase in production is expected from improvement in yield per-hectare.

पश्चिम जर्मनी द्वारा हिमाचल प्रदेश को उर्वरकों का उपहार

2561. **बे० कृ० दास चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए जर्मन उर्वरक मिश्रण की 5800 टन की खेप भेजी है ; और

(ख) उर्वरक मिश्रण का वितरण किस एजेन्सी द्वारा किया जायेगा और इसका वितरण कहां कहां किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) और (ख) : दोनों देशों के बीच तय किये हुए करार के अनुसार जर्मन गणराज्य संघ से 5800 मीटरी टन मिश्रित उर्वरक (एन पी के 15:15:15) प्रत्यक्ष उपहार के तौर पर नहीं अपितु रुपये के रूप में अदायगी करने पर प्राप्त हुआ है। 2900 मीटरी टन उर्वरक मण्डी जिले में बिक्री के लिए और शेष 2900 मीटरी टन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बिक्री के लिए है। किसानों को उर्वरकों का विक्रय सामान्य वितरण जिला कांगड़ा थोक सहकारी संभरण और विपणन समिति लिमिटेड, धर्मशाला और जिला मण्डी की सहकारी समितियों और डिपो होल्डरों आदि के माध्यम से होगा। ब्लाक डिपुओं की सूची जिसमें कांगड़ा जिले के 900 सहकारी उर्वरक डिपुओं के माध्यम से विक्रय के लिए भेजी गई उर्वरकों की मात्रा भी प्रदर्शित की गई है, सलग्न है। इसी प्रकार मण्डी जिले की सहकारी समितियों और डिपो होल्डरों की सूची जिनके माध्यम से उर्वरकों का विक्रय किया जायेगा, सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1572/69**]

देश में टेलीफोन सम्बन्धी विचाराधीन आवेदन-पत्र

2562. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के मुख्य नगरों में बहुत से व्यक्ति अपने टेलीफोन की बारी की प्रतिक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े नगरों में गत तीन वर्षों में कितने नये टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ग) टेलीफोनों की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) नये टेलीफोन कनेक्शन देने की मांग कब तक पूरी हो जायेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 31 मार्च, 1969 को देश के 40 मुख्य नगरों में 4,96,679 सीधी एक्सचेंज लाइनें काम कर रही थीं, जबकि प्रतीक्षा सूची में 3,31,167 आवेदकों के नाम थे।

(ख) 1966-69 के तीन वर्षों के दौरान 40 मुख्य नगरों से 1,07,907 सीधी एक्सचेंज लाइनों की निबल वृद्धि हुई है, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के कुल 65,439 कनेक्शनों की वृद्धि भी शामिल है।

(ग) तथा (घ) : चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान अपेक्षाकृत अधिक साधन निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है और 40 मुख्य नगरों में अतिरिक्त टेलीफोन देने के लिये लगभग 35 लाख लाइनों की क्षमता के और एक्सचेंज उपस्करों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा, किन्तु इससे सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकेंगी, और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश की औसत प्रतीक्षा अवधि थोड़ी सी और भी बढ़ जाने की सम्भावना है।

आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग

2563. **श्री प० मु० सईद :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह **बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वैदेशिक कार्य मन्त्रालय ने गत तीन वर्षों में आकाशवाणी के विदेश सेवा विभाग में एनाउन्सर अनुवादक पदों के लिए कितने विदेशियों की नियुक्ति की;

(ख) उनसे कितनी अवधि के लिए समझौता किया हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि वे अपने समझौते की पूरी अवधि तक काम नहीं करते वे अपने पदों तथा देश को छोड़ देते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि ऐसा वे किन कारणों से मजबूर होकर करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गत तीन वर्षों 1966, 1967 और 1968 के दौरान 9। ये नियुक्तियां विदेश मन्त्रालय से सलाह करके की गई थीं।

(ख) उनमें से सात को पांच-पांच वर्ष के लिए ठेका दिया गया था, एक को दो वर्ष के लिये तथा दूसरे को वर्ष एक मास और 15 दिन के लिए ठेका दिया गया था।

(ग) से (ङ) विदेशी नागरिक साधारणत: अपने ठेके की पूरी अवधि तक काम करते हैं, किन्तु 9 विदेशियों में से तीन ने अपने ठेके की पूरी अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही काम छोड़ दिया, एक ने स्वास्थ्य के आधार पर तथा अन्य दो ने निजी तथा घरेलू मामलों के आधार पर।

Post Offices in Gorakhpur

***2564. Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the amount spent on each Post Office in Gorakhpur District during 1967-68 and 1968-69, item-wise; and the income therefrom, itemwise; and

(b) the number of applications pending during the above period for opening new Post Offices, the location thereof and the time by which final decision is likely to be taken ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Statistics showing the income and expenditure are not maintained post office wise and the itemwise.

(b) 27 Twenty Seven applications received for the opening of new post offices in the localities indicated in the statement laid on the Table are pending. **[Placed in Library. See No. LT-1563/69].** The time by which a final decision is likely to be taken is indicated against the name of each locality.

Protection of the Interests of Rural Labour

2565. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2908 on the 13th March, 1969 and state :

(a) the extent of benefit accrued as a result of the special schemes formulated for the development of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in rural areas ;

(b) the time by which the information regarding the intensive type of studies of Rural Labour Undertaken by Labour Bureau will be available; and

(c) the details of different schemes during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) It is difficult to assess the extent of benefit accrued.

(b) The Intensive Type Studies on Rural Labour in India, undertaken by the Labour Bureau in 21 regions, are in progress and the draft reports in respect of six regions are expected to be ready by the end of 1969.

(c) Information is given in the relevent Chapters of the Fourth Five Year Plan Draft 1969-74, which has already been placed on the Table of the House.

Talks on All India Radio, Delhi

2566. Shri Molahu Prashad :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 225 on the 19th February, 1969 regarding talks on All India Radio Delhi during the year 1968 and state :

(a) whether the information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is laid on the Table of the House. [Placed in **Library. See No. LT-1574/69**].

(c) Does not arise.

बम्बई में आकाशवाणी की नई इमारत का निर्माण

2567. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री इसहाक साम्भली :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री जगेश्वरसिंह यादव :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री जय सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में चर्च गेट रिकलेमेशन में आकाशवाणी की नई इमारत बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इमारत कब तैयार हुई थी ;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) क्या इमारत के पूरा होने के पश्चात् उसमें कोई परिवर्तन किये गये है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य भवन 1966 में पूरा हो गया था ।

(ग) 31 मार्च, 1960 तक 63.49 लाख रुपये ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार

2568. श्री रामावतार शास्त्री : श्री चन्द्रशेखरसिंह :
श्री जि० मो० विश्वास : श्री जगेश्वर यादव :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने सुपर बाजार हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्य का पुनर्विलोकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) क्या चौथी पचवर्षीय योजना में और सुपर बाजार खोले जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम०एस० गुरुपदस्वामी) : (क) 30 जून, 1969 तक अठत्तर।

(ख) जी हां।

(ग) पुनर्विलोकन का परिणाम सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1575/69]**

(घ) जी हां।

(ङ) ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० 1575/69]**

A. I. R. Station, Gwalior

2569. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** and Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9832 on the 15th May, 1969 and state the time by which the conversion of Gwalior Station of the All India Radio, from where only programmes are relayed at present, into a broadcasting station will start ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : By the middle of 1972.

पी० एल० 480 के अधीन आयात

2570. श्री एस० आर० दामानी : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का आयात करने के लिए, पी० एल०-480 के अधीन किसी नई सन्धि के बारे में अभी हाल ही में अमरीका के साथ कोई बात-चीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो नई सन्धि की शर्तें क्या हैं, तथा पिछले वर्षों में अदा किये गये मूल्यों की तुलना में गेहूँ के मूल्य कम हैं, अथवा अधिक; और

(ग) गेहूँ तथा रूई का भेजा जाना कब आरम्भ हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . संयुक्त राज्य अमेरिका पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत एक करार पर 25-4-69 को हस्ताक्षर हुए थे जिसमें 3 लाख मीटरी टन माइलो तथा 1 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने की व्यवस्था है । इस करार के अन्तर्गत गेहूँ की सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी । अतः गेहूँ तथा उसके लदान के मूल्यों की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

माननीय सदस्यों की सूचना के लिये करार की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में पहले ही रख दी गयी है ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

2571. श्री एस० आर० दामाणी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 53 वें अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में कितने तथा कौन कौन से सदस्य हैं,

(ख) क्या ऐसे ही सम्मेलन के लिए पहले भेजे गये प्रतिनिधि मण्डलों की तुलना में इस प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों की संख्या कितनी कम है अथवा कितनी अधिक,

(ग) कितने लोगों ने प्रथम श्रेणी तथा कितने लोगों ने कम व्यय वाली श्रेणी में यात्रा की और यात्रा सम्बन्धी नियम क्या हैं, और

(घ) क्या कुछ सदस्यों को जिस श्रेणी में यात्रा की अनुमति दी गई थी उस बारे में कुछ भ्रम अथवा गलतफहमी थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसको किस प्रकार दूर किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सभा पटल पर रखी गई सूची में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रचना तथा नाम दिए गए हैं [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1576/69]

(ख) गत वर्ष की तुलना में केवल सरकारी दल की संख्या में एक की वृद्धि की गई ।

(ग) वर्तमान सरकारी अनुदेशों के अनुसार प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्य हवाई जहाज की किफायत श्रेणी द्वारा यात्रा करने के हकदार हैं, परन्तु यदि कोई प्रतिनिधि/सलाहकार मंत्री या संसद सदस्य या भारत सरकार के सचिव के रुतबे का कर्मचारी हो, तो वह प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का हकदार बन जाता है। तदनुसार केन्द्रीय श्रम और पुनर्वास मंत्री, श्री जे० एल० हाथी, महाराष्ट्र सरकार के श्रम मंत्री, श्री एन० एम० टिडके, श्रम और रोजगार विभाग के सचिव, श्री पी० एम० नायक, श्री बाबूभाई एम० चिनाई, संसद सदस्य, श्री आबिद अली, संसद सदस्य और श्री ए० पी० शर्मा, संसद सदस्य ने प्रथम श्रेणी से यात्रा की। डा० एस० टी० मेरानी, श्री एस० एल० खन्ना, श्री टी० एस० स्वामीनाथन और श्री वरदराजन नैयर ने किफायत श्रेणी मे यात्रा की। श्री नवल एच० टाटा ने, जो कि किफायत श्रेणी के हकदार थे, प्रथम श्रेणी और किफायत श्रेणी के किराये के अन्तर के समान रुपये अदा करके प्रथम श्रेणी से यात्रा की।

(घ) जी नहीं।

Black-Marketing of Seeds

2572. **Shri S. K. Tapuriah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the seeds of certain varieties of grains have been selling in black-market at exorbitant rates;

(b) whether while certifying the quality of new seeds before distribution to farmers the availability of these seeds will also be ensured; and

(c) whether it will not be advisable to entrust this certification to the States for speedy distribution ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No specific complaint of black-marketing of seeds was received by the Government of India. So far as the State Governments are concerned, the information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha, when received.

(b) Our present production of certified seeds is sufficient to meet the demands in the country. In case of newly-developed promising varieties, the National Seeds Corporation undertakes seed multiplication before their release. Owing to the quantity of seed being limited, it is not practicable to meet the total requirements of such varieties on their release in the first year.

(c) Each State is free to form or select its own certifying Agency under the Seeds Act. Most of them have, however, entrusted this function at present to the National Seeds Corporation. Certification need not hamper speedy distribution, however.

पश्चिम बंगाल में घेराव की घटनायें

2573. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य में घेराव की घटनाओं में हुई वृद्धि पर जिसके कारण औद्योगिक प्रगति पर कुप्रभाव पड़ा है, पश्चिम बंगाल सरकार से चिन्ता व्यक्त की है,

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने घेराव की बढ़ती हुई घटनाओं के कारणों की जांच करने और उन्हें रोकने के उपाय बताने के लिए राज्य सरकार को एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने का सुझाव दिया है,

(ग) यदि हां, तो इस मामले से राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग इस मामले की जांच कर रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) और (ख) . श्रम मन्त्री, पश्चिम बंगाल के साथ श्रम विवादों के शीघ्र निपटाने के बारे में हुए विचार विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि एक स्वतंत्र चैयरमैन की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जाए। इस समिति के सर्वसम्मत निर्णय श्रमिकों और नियोजकों दोनों के लिए मान्य होंगे । यदि निर्णय सर्वसम्मत न हो तो उस दशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा ।

(ग) यह बताया गया है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) आयोग के विचारार्थ-विषय इतने विस्तृत हैं कि औद्योगिक सम्बन्धों के सभी पहलू उनके अन्तर्गत आ जाते हैं ।

दिल्ली में सुपर बाजार

2574. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सुपर बाजार के वर्ष 1968 69 के वित्तीय लेखे तैयार हो गये हैं;

(ख) क्या इन लेखों से पिछले वर्ष घाटा होने का पता लगता है; और

(ग) यदि हां, तो घाटे के कारण क्या हैं और सरकारी बाजारों के अवर्ती घाटे को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) वर्ष 1968-69 के लेखे अभी तैयार नहीं हुए हैं ।

(ख) सही स्थिति का पता लेखों को अन्तिम रूप देने तथा उनकी लेखा-परीक्षा होने के पश्चात् ही चलेगा; तथापि, सुपर बाजारों को वर्ष 1968-69 के दौरान भी हानियां होने की सम्भावना है ।

(ग) दिल्ली सुपर बाजार (कोआपरेटिव स्टोर लि०, नई दिल्ली), की हानियों के मुख्य कारण ये है—प्रवर्तन, प्रशासन तथा परिचालन सम्बन्धी अधिक व्यय, जिसमें कनाट सर्कस की इमारत का अधिक किराया भी शामिल है, तथा वस्तुओं का अनधिकृत रूप से बाहर जाना तथा स्टाक में कमियों का होना। सुपर बाजार के प्रबन्ध मंडल ने इसके व्यापार में विविधता लाने, इसकी आय को बढ़ाने, प्रशासनिक तथा परिचालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने, खर्च में कमी करने तथा स्टाक में होने वाली कमियों और मूल्यह्रास में कमी करने के लिए सुरक्षा प्रबन्धों और वस्तु-सूची नियंत्रण की ओर कड़े रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। सभी बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजारों) पर इस प्रकार के उपायों को अपना कर हानियों को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है—कर्मचारी वर्ग के स्वरूप का अभिनवीकरण करना निर्धारित व्यापार-कुशलता मानकों का पालन करना, उत्पादकों से सीधे उपभोज्य वस्तुएं मंगाना, वस्तु-सूची का वैज्ञानिक प्रबन्ध करना तथा स्टाक का नियमित रूप से मिलान करना।

सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों का वितरण

2575. **श्री अविचन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के माध्यम से देश में उर्वरकों को वितरण करने की प्रणाली किसानों को पर्याप्त उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने में बुरी तरह असफल रही है और इसके परिणामस्वरूप उर्वरक बड़े पैमाने पर काले बाजार में बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उर्वरकों की वितरण की व्यवस्था में सुधार करने और चालू वर्ष में उनको काले बाजार में न बेचने देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। सहकारी समितियों ने देश में उर्वरकों के वितरण में उत्तरोतर रूप से उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्ष 1967–68 में दौरान इन्होंने 183.19 करोड़ रुपये के मूल्य के उर्वरक वितरित किए, जबकि 1961–62 के दौरान इन्होंने 32.27 करोड़ रुपए के मूल्य के उर्वरक वितरित किए थे। सहकारी वितरण प्रणाली के असफल होने के परिणामस्वरूप उर्वरकों के काले बाजार में बेचे जाने के मामले भारत सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। तथापि, उर्वरकों के वितरण से सम्बन्धित भारत सरकार की नई नीति के संदर्भ में उर्वरकों के उत्पादकों को 1 जनवरी, 1969 से अपने निजी प्रबन्धों के माध्यम से अपने सम्पूर्ण उत्पादन को बेचने की स्वतंत्रता दे दी गई है। राज्य सरकारों को उर्वरकों के वितरण के लिए निजी माध्यमों को भी अनुमति देने के लिए कहा गया है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से राज्यों ने उर्वरकों के निजी वितरण के लिए मंजूरी दे दी है। भारत सरकार 4 नाइट्रोजनी उर्वरकों, अर्थात एमोनियम सल्फेट, यूरिया, ऐमोनियम सल्फेट नाइट्रेट एवं कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट (20 5 प्रतिशत एन०) के मूल्यों को सांविधिक रूप से नियंत्रित करती है और राज्य

सरकारें उनके पालन को सुनिश्चित करती हैं। अधिसूचित मूल्यों से अधिक लेना अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबन्धों के अधीन एक दंडनीय अपराध है। सुविधाजनक सम्भरण स्थिति को देखते हुए उर्वरकों का काले बाजार में बेचने का प्रश्न मुश्किल से ही उठेगा।

निर्यात किये जा सकने वाले संकर किस्म के फल

2576. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने निर्यात किये जा सकने वाले आम और सेब जैसे सकर किस्म के फलों का पता लगाया है और उन पर परीक्षण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) संकर किस्म के फलों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप चौथी योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष फलों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आम के व्यवस्थित संकरीकरण के माध्यम से कई संकर किस्मों को विकसित किया गया है। हाल के अनुसंधान के परिणामों से पता चलता है कि इन संकर किस्मों में कुछ किस्में निर्यात की दृष्टि से उन्नतशील हो सकती हैं। आगे हुये कार्य से इसकी पुष्टि हो जाती है। भारतीय अनुसंधान संस्थान में सेब के संकरीकरण पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(ख) निर्यात के प्रयोजन के लिए उनके अपेक्षित पक्षों का पूर्णतया निरीक्षण करने के बाद ब्यौरा उपलब्ध किया जाएगा। इन संकर किस्मों पर अभी परीक्षण हो रहा है।

(ग) चूंकि पौदा लगने के बाद आमों के फल आने में 5–6 वर्ष लग जाते हैं अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन संकर किस्मों के द्वारा फलों के उत्पादन को निश्चित नहीं किया जा सकता।

खाद्यान्नों का आयात

2577. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965–66 से 1968-69 तक अनुदान तथा विक्रय के रूप में देश में खाद्यान्नों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मात्रा लाख मी० टन में)

वर्ष	पी० एल० 480 और वाणिज्यिक खरीददारी	अनुदान एव उपहार	कुल आयातित खाद्यान्न
1965–66	74.9	4.7	79.6
1966–67	88.1	15.8	103.9
1967-68	72.7	9.2	81.9
1968–69	42.1	8.9	51.0

गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र

2578. श्री महन्त दिग्विजयनाथ :
क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र के निर्माण-कार्य तथा स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वहां स्थापित किये जाने वाले ट्रांसिमटर की क्या क्षमक्षा होगी; और

(ग) गोरखपुर में आकाशवाणी केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) ट्रांसमिटर का भवन बन रहा है। स्टूडियों के लिये स्थान अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।

(ख) उच्च शक्ति मीडियम वेव।

(ग) 1971–72 के दौरान।

Sea-Food Industry

2579. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will** the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the details of the progress achieved in various countries in the direction of finding out various food plants in sea beds and preparing foodstuffs from them; and

(b) the extent of progress achieved by Government in this regard in the Indian sea beds ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) In Japan, China, Malaya, Indonesia, Burma,

Siam, Borneo, Indo-china, Australia, Hawali, New Zealand, Chile, etc., sea weeds are used as human food as well as in the marifacture of chemical products such as agar-agar, algin and the like.

Japan :

Sea weeds are a part of the dail, food supplement in this country. Sea weeds contain some protein, fat and vitamin, but their nutritional value is mainly in their mineral content. While some of the brown sea weeds are eaten as such, some forms like **Laminaria** are processed into a variety of edible products. The most important part of the industry is related to the sea weeds **Porphyra,** Monostroma and **Enteromorpha.** Agar is largely manufactured as a cottage industry. There is only one large modern factory (Nihon Khaiso Khogyo Lttd). which is considered to be the bigget agar manufacturing unit in the world.

U. S. A. :

From the available information, it appears that no tangible progress has been made in U. S. A. in the direction of preparing food stuffs from sea weeds. Experiments are stated to be now in progress in that country to prepare food out of sea weeds for animal consumption only.

Other Countries :

While the specific progress achieved in countries such as U. K., Australia, New-Zealand, USSR, Norway, Denmark is not availab le, it is known that these countries have the necessary know-how for the utilization of some brown and red varieties of sea weeds for conversion into meal and for the manufacture of chemical products such as agar-agar, and algin which are extensively used as gelling, thickening and stabilising agents in food and other industries.

(b) During the last world war the Board of Scientific and Industrial Research started, on an experimental basis, the manufacture of agar-agar in India at the Kerala University. Since then this work is being continued by the Central Marine Fisheries Research Institute, Central Salt and Marine Research Institute, Council of Scientific and Industrial Research and to some extent by the State Fisheries Departments, Madras, Orissa and Bombay. Distribution and abundance of the economically important weeds in the near-shore waters have been studied in general. Quantitative surveys have also been made in potential areas of Tamilnadu, Andhra Pradesh and Gujarat coasts. The species which are economically important have been listed. These are : Enteromorpha, **Ulva and** Caulerpa of the green algae; **Pocockiella, Padina, Cystophyllum Hormophyse, Sargassum** and **Turbinaria** of the brown algae and **Halymenia**, **Grateloupia, Callibelpharis,** Gelidium, **Sarconema, Hypnea, Gracilaria, Corallopsis** and **Soyridia** of the red algae. Among these only the brown and red forms are considered to serve the immediate need i e. the production of agar and algin. Processes have been developed in the extraction of agar-agar, algin and sea weed meal for human consumption.

The studies conducted in the pamban area (near Rameswaram) have revealed a potential of economic weeds capable of yielding an annual production of 1.86 tonnes of agar and 2.96 tonnes of alginic acid in the area. As a result of these studies, sea weeds are at present being harvested from Tamilnadu coast for export as well as for indigenous utilization.

Kandla Warehouse

2580. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister **of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a modern warehouse with a storing capacity of 50,000 tons ef foodgrains is being built at the Kandla port,

(b) if so, the amount likely to be spent thereon and the time by which it will be completed; and

(c) whether it is being built for export of foodgrains in 1970-71 when the country will attain self-sufficiency in foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The question of setting up a modern silo of 50,000 tonnes capacity with high speed loading and unloading equipment at Kandla, is, at present, under consideration.

(b) The cost of this silo is estimated at Rs. 5.33 crores and it would take about three years to complete the Project from the time it is taken in hand.

(c) The silo would be designed to handle imports in times of need as well as exports of foodgrains when the country is in a position to do so.

Achievements of Various Milk Schemes

2581. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the factors responsible for the success of Array Milk Scheme and Gujarat Milk Scheme and the failure of the Delhi and Bangalore Milk Schemes ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : There is no scheme called Aarey Milk Scheme or the Gujarat Milk Scheme. The average daily throughout and percentage of installed capaeity utilised in April, 1969 which is the latest report available by the Greater Bombay Milk Scheme of which the Aarey Milk Colony is a part, and some schemes of Gujarat State as also of Delhi Milk Scheme and the Bangalore Milk Scheme is given below:--

S.No.	Location	Capacity in litres.	Average daily throughout (litres)	Percentage of capacity utilised.
	Liquid Milk Plants			
1.	Bombay	6,00,000	4,07,219	67.8
2.	Ahmedabad	1,00,000	81,375	81.3
3.	Baroda	55,000	47,377	86.1
4.	Surat	50,000	35,?58	71.8
5.	Delhi	2,55,000	2,62,290	102.8
6.	Bangalore.	50,0 0	26,424	52.8

Without any evaluation of these schemes in detail, it will not be proper for the Ministry to say whether the Bangalore Milk Scheme, the Greater Bombay Milk Scheme

and the Gujarat Milk Schemes which are operated indepandently by the State Government or authorities have succeeded or not, or to attempt a comparative assessment of performance of the Milk Schemes in Gujarat State and Aarey on the one side and the Bangalore and the Delhi Milk Schemes on the other.

Plants for Making Manure from City Refuse

2582. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state

(a) the number of plants likely to be set up in Fourth Five Year Plan period in which organic manure will be produced from cities refuse;

(b) the location and capacity of each such plant; and the amount likely to be spent on each of them; and

(c) the contents of nitrogen, phosphorus and potassium in the manure thus produced ?

The Minister of State in the Ministry fo Food, Agricultunre, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) . There is no Central/Centrally sponsored scheme for setting up of compost plants in the Fourth Plan. The Government has, however, been recommending that to start with, compost plants may be set up on pilot basis by interested Municipal Corporations/Committees. A few Municipal Corporations notably Delhi, Bombay, Poona, Nagpur and Ahmedabad have shown keenness in setting up of such plants. These Corporations have been advised to secure funds from commercial banks for the purpose. The Agricultural Refinance Corporation is likely to extend refinance facilities to such banks. The Government of Mysore and Delhi Administration have made provision in their Fourth Plans for giving financial assistance to the Corporations of Bangalore and Delhi for setting up of compost plants. Information on location, capacity and costs of individual plant is not available as the project is still in the prelim nary stage.

(c) The average contents of nitrogen, phosphorus and potassium in the manure turned out from a compost plant are 1.5, 1.0 and 1.0 percent respectively (on dry basis).

Increase in Food Production and Population

2583. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the extent of increase in the percentage of foodgrains and population respectively in the country;

(b) the extent to which the food problem of the increasing population, on the basis of the increase mentioned above will be solved;

(c) whether Government propose to lay emphasis on the increase of propuction of other supplementary foodgrains so that food problem does not become acute in future; and

(d) if so, the steps being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The all-India foodgrains production during 1967-68 (latest available) increased by 59.9% over 1949-50, while the increase in population during this period (1950-1968) was 46.6%.

(b) The Draft Fourth Five Year Plan envisages an annual rate of growth of 5.6% in production of foodgrains while the total population is expected to increase at the rate of around 2.5% annually.

(c) and (d). Considerable emphasis is being placed on increasing the availability of different kinds of foodstuffs by increasing the production of not only foodgrains, but also subsidiary foods through development programmes in the fields of horticulture (including fruits and vegetables), animal husbandry, dairying, poultry farming and fisheries.

Obscenity in Films

2584. Shri Om **Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government feel that film financiers, impelled with their self-interest, manoeuver to inject obscenity in films;

(b) if so, whether Government have taken any steps to remove financial difficulty being faced by the film producers and artistes; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications : (Shri I. K. Gujral) : (a) While it is difficult to generalies, Government feel that considerations of success at the bon-office prompt some producers/financiers to produce films against which charges of obscenity are made.

(b) & Government have set up Film Finanee Corporation.

(c) Limited, Bombay, for financing films at comparatively low rates of interest to encourage production of good quality films.

केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड द्वारा दिल्ली की समस्याओं पर विचार

2585. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मरुस्थल विकास बोर्ड ने दिल्ली राज्य की समस्याओं पर विचार किया है;

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र दिल्ली पर लागू होने वाली वनरोपण, चरागाह विकास और भूमि संरक्षण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और योजनाओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे) (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होते।

दिल्ली में टेलीफोन सम्बन्धी विचाराधीन आवेदन-पत्र

2586. **श्री म० ला० सौंधी :**
श्री कवरलाल गुप्त :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में टेलीफोन सम्बन्धी आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) क्या आधुनिक प्रमुख नगर की बात को ध्यान में रखते हुए आवेदन-पत्रों की जांच करने का यह तरीका बहुत पुराना है;

(ग) नई दिल्ली में कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं और इस सूची के अन्तिम व्यक्ति को किस तारीख तक टेलीफोन मिल जाएगा; और

(घ) नई दिल्ली क्षेत्र में तेजी से और अधिक कनेक्शन देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री, संचार (श्री शेर सिंह) : (क) देश के दूसरे नगरों की तरह से नई दिल्ली में भी टेलीफोन के ऐसे आवेदनों की काफी बड़ी संख्या है जिन पर कार्रवाई करना बाकी है।

(ख) जी नहीं, मौजूदा क्रियाविधि बिल्कुल संतोषजनक समझी जाती है।

(ग) दिल्ली टेलीफोन जिला के अधीन विभिन्न एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिखाई गई है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1577/69] यह बताना संभव नहीं कि मौजूदा प्रतीक्षा सूची के अन्तिम आवेदक को कब तक टेलीफोन कनक्शन दे दिया जाएगा, चूंकि यह इस बात पर निर्भर होगा कि कितनी धनराशि और उसके साथ-साथ कितनी विदेशी मुद्रा विभाग को उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) ऐसा विचार है कि मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों में विस्तार किया जाएगा और नए एक्सचेंज भी खोले जायेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली धन-राशि के साथ मार्च, 1974 तक पूरी दिल्ली में 50 से 60 हजार लाइनों की अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता बढ़ाई जाने की आशा है, जिसमें से आधी नई दिल्ली के इलाकों के लिए होगी। लेकिन इससे बकाया आवेदनों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।

1-7-1969 को दिल्ली टेलीफोन जिला के अंतर्गत टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति का विवरण

एक्सचेंज का नाम		प्रतीक्षा-सूची (संख्याएं)	
		अपना टेलीफोन योजना	अपना टेलीफोन योजना से भिन्न
1.	शाहदरा (21)	14	2,786
2.	तीस हजारी (22)	2,350	10,473
3.	दिल्ली गेट (26)	670	9,945
	दिल्ली गेट (27)	43	3,485
4.	सचिवालय (37)	–	–
5.	राजपथ (38)	–	–
6.	दिल्ली कैंट (39)	61	1,097
7.	कनाट प्लेस (4)	–	2,892
8.	करोल बाग (56)	–	8,791
	करोल बाग (58)	–	3,622
9.	जोर बाग (62)	106	1,734
	जोर बाग (61)	34	1,398
	जोर बाग (7)	456	6,203
10.	फरीदाबाद (81)	1	767
11.	गाजियाबाद (85)	13	1,111
12.	बदरपुर (82)	–	174
13.	बहादुरगढ़ (83)	4	187
14.	नजफगढ़ (86)	1	58
15.	नांगलोई (87)	–	63
16.	बल्लभगढ़ (88)	57	129
17.	नरेला (89)	2	133
18.	बादली	–	75
	योग	3,812	55,123

कुल जोड़ -- 58,935

चण्डीगढ़ में डाकघरों का खोला जाना

2587. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ के सभी सैक्टरों में डाकघर खोलने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ महत्वपूर्ण सैक्टरों में उदाहरणतः सैक्टर 7 में कोई डाकघर नहीं है; और

(ग) इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सैक्टर 7 में राज्य-भवन में एक डाकघर है। सैक्टर 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 27 के भी डाकघर हैं। इनके अलावा अन्य सैक्टरों में इस समय डाकघरों की सुविधाएं नहीं हैं। डाक सम्बन्धी मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त समझी गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्नों का निर्यात

2588. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग को पंजाब और हरियाणा से अन्य राज्यों को भेजने की अनुमति दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : पंजाब तथा हरियाणा में फसल वर्ष 1968-69 में खाद्यान्नों के उत्पादन सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन राज्यों से उसी क्षेत्र में अन्य राज्यों को गेहूं तथा चावल का अवाध रूप से संचलन हो सकता है। अन्य अनाज बिना किसी रोक-टोक के किसी भी राज्य को भेजे जा सकते हैं। अतः भारी मात्रा में खाद्यान्न गैरसरकारी तथा व्यापारिक खाते में पंजाब और हरियाणा से बाहर भेजा जाता है। ऐसे संचलन के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। केवल सरकार द्वारा अधिप्राप्त स्टाक में से सरकारी खाते में पंजाब तथा हरियाणा से भेजे गये खाद्यान्नों के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। उत्पादन तथा व्यापारिक और गैरसरकारी खातों में निर्यात के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि पंजाब तथा हरियाणा से उन राज्यों में उत्पादित खाद्यान्नों का कितना प्रतिशत बाहर भेजा गया था।

East Pakistan Refugees in Champaran District

2589. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the assistance for giving dole to the refugees from East Pakistan in Champaran District is inadequate in view of the high cost of living;

(b) if so, whether they have submitted any representation to the Government; and

(c) if so, the decision taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Printing of Pamphlets By I. C. A. R. For A Private Press

2590. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research had supplied a large quantity of papers to a private press to get its pamphlets published;

(b) if so, whether it is also a fact that the said press had mortgaged that paper and closed the press;

(c) if so, whether Government have taken any action in this regard and the policy followed by the Council regarding the purchase of the paper; and

(d) whether Government propose to review this policy ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The I. C. A. R. had supplied paper to M/s. Asia Press, Delhi for the printing of Council's monthly journal 'Kheti' in Hindi.

(b) The Council is not aware if the above press had mortgaged paper before closing down. Enquiries made do not confirm this.

(c) As soon as the Council came to know that the press had closed down, the entire stock of its paper consisting of 118 reams of S/C paper with M/s. Asia Press, Delhi was withdrawn. No paper is now due from the press.

The Council makes bulk purchase of printing paper required for the publications of the Council through the Controller of Stationery, Ministry of W. H. S., Government of India at the scheduled rates approved by the D. G. S. & D. Some special brands of paper, which are not available with the Controller of Stationery, Calcutta, are purchased from the market according to rules.

(d) Yes.

पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन

2591. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों ने हाल में कुछ राज्यों में भूमिगत जल संसाधनों तथा जल मितव्ययता के सम्बन्ध में अध्ययन किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन विशेषज्ञों ने भूमिगत जल ससाधनों के सर्वेक्षण तथा वर्षा के पानी के सुरक्षित रखने में भी सहायता की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पूर्व जर्मन विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण किया गया ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (च) : हाल ही में पूर्वी जर्मनी के दो विशेषज्ञों ने कुछ राज्यों का दौरा किया है। इन विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न राज्यों में किये गये भूमिगत जल के वास्तविक सर्वेक्षणों (यदि उन्होंने किये हों तो) के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिल नाडु और पश्चिमी बंगाल का दौरा किया है। इस मंत्रालय को अब तक न तो इन राज्यों के दौरे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और न भूमिगत जल संसाधनों के सर्वेक्षण तथा वर्षा के पानी के संरक्षण के सम्बन्ध में सहायता की पेशकश ही प्राप्त हुई है।

खाद्यान्नों आदि का आयात

2592. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1953-54, 1954-55, 1966-67, 1967-68, तथा 1968-1969 में (1) खाद्यान्नों (2) खाद (3) ट्रैक्टरों (4) पशुओं तथा (5) दूध और दूध की बनी चीजों के आयात पर पृथक-पृथक कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :

विवरण

	आयात पर व्यय की गई राशि (आंकड़े करोड़ रुपए में)				
मद	**1953-54**	**1954-55**	**1966-67**	**1967-68**	**1968-69**
(i) खाद्यान्न	54.72	78.60	502.41	478.77	241.97
(ii) उर्वरक	6.88	2.82	102.96	148.83	150.19
(iii) ट्रैक्टर और उसके पुर्जे	5.87	6.08	9.69	15.49	16.03
(iv) पशु	0.65	0.80	0.10	0.18	0.19
(v) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद	8.61	9.48	22.65	14.23	14.93

नोट : मद संख्या (ii), (iii), (iv) और (v) में दर्शाए गए आकड़ों को 57.5 प्रतिशत बढ़ाकर अवमूल्यन के बाद की दरों में परिवर्तित कर दिया गया है।

चिरकाल से सूखाग्रस्त खण्डों की सूची

श्रेणी 'क'

1. बोलनगिर जिला :

1. तुरैकेला	तितिलागढ़
2. बगामुण्डा	
3. मुरीबहल	
4. तितिलागढ़	
5 सैनताला (पश्चिमी भाग)	
6. बेलपाड़ा	पटनागढ़ सब-डिवीजन
7. पटनागढ़	
8. खापराखेल	
9. अगलपुर (पश्चिमी भाग)	बोलनगिर सब-डिवीजन
10. लोरसिंघा ,,	
11. बोलनगिर ,,	
12. देवगन ,,	

2. कालाहांडी जिला :

1. नवापाड़ा	नवापाड़ा सब-डिवीजन
2. कोमना	
3. खरिआर	
4. बोदेन	
5. सिनापल्ली	

3. सम्बलपुर जिला :

1. पद्मापुर	बादगढ़ सब-डिवीजन
2. पाइकमल	
3. भरबन्ध	
4. गैसीलेट	

4. खेनकानल जिला :

1. अंगुल	अंगुल	सब-डिवीजन
2. हिंडोल	हिंडोल	सब-डिवीजन
3. बानरपाल	अंगुल	सब-डिवीजन
4. चेंदीपाड़ा	अंगुल	सब-डिवीजन
5. किशोरनगर	अकामल्लिक	सब-डिवीजन
6. अकामाल्लिक	अकामल्लिक	सब-डिवीजन
7. परजंग	कामाक्षुआनगर	सब-डिवीजन
8. कनीहा	तालचेर	सब-डिवीजन

5 पुरी जिला :

1. देसपल्ला 2. गनिया 3. नुआगांव 4. खांडापाड़ा	नयागढ़ सब-डिवीजन
5. कृष्णा प्रसाद 6. कनास 7. अस्तरंग	पुरी सदर सब–डिवीजन

6. कटक जिला :

1. बादम्बा 2. नरसिंहपुर	अठगढ़ सब–डिवीजन
3. पतकुरा 4. मरशाघई 5. महाकालपाड़ा	केन्द्रपाड़ा सब-डिवीजन
6. गोविन्दपुर (कांतापाड़ा) 7. जगतसिंहपुर 3 (नियालिया)	कटक सदर सब–डिवीजन
8. सुकिंदा 1 9. सुकिंदा 2 (दंगादी) 10. कोराई	जाजपुर सब–डिवीजन

7. फूलबनी जिला :

1. खजूरी पाड़ा 2. फूलबनी 3. फिरिंगिया	खांडमाल सब–डिवीजन
4. हरवंगा	बौद्ध सब–डिवीजन

8. गंजन जिला :

1. पिगपाहाड़ी 2. सांखेमेंडी 3. पतरापुर 4. कुकुदाहांडी 5. चिकीती	बरहामपुर सब–डिवीजन
6. रायगढ़ 7. मोहना 8. नुआगढ़ 9. आर. उदयगिरि	पारलाकेमुंडी सब–डिवीजन

श्रेणी 'ख'

1. मयूगंज जिला :

1. तिरिंगी 2. बहालदा 3. जामदा 4. कुसुमी	बामनवाटी सब–डिवीजन
5. राऊआं	पांचीपुर सब–डिवीजन

2. कोरापुत जिला :

1. बंधुगांव	कोरापुत सब-डिवीजन
2. चन्द्रपुर	गुणुपुर सब-डिवीजन
3. काशीपुर	

खाद्यान्नों का उत्पादन तथा उनका विक्रय मूल्य

2593. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या खाद्य तथा कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में गेंहू, चावल, चना, गन्ना, बाजरा, मक्का तथा जौ का कितना उत्पादन हुआ तथा उनका न्यूनतम और अधिकतम थोक तथा फुटकर विक्रय मूल्य क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (1) देश में गेंहू, चावल, चने, गन्ने, बाजरे, मक्का और जौ के उत्पादन और (2) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य उत्पादन राज्यों में चुने हुए केन्द्रों में गेंहू, चावल, चने, बाजरे, मक्का और जौ के न्यूनतम और अधिकतम थोक और फुटकर मूल्य विषयक विवरण नत्थी हैं (अनुबन्ध I तथा II) विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न किस्मों के लिए थोक तथा फुटकर मूल्य अलग-अलग हैं। गन्ने के मूल्यों के बारे में सभा पटल पर रखे गये संलग्न नोट में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1578/69]

उर्वरक के व्यापारियों को बैंक-ऋण

2594. **श्री हिम्मत सिंह का :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों से कहा है कि उर्वरक निर्माताओं पर वह दबाव डाले कि वह कृषि के लिए आवश्यक इस पदार्थ के लिए थोक तथा फुटकर दुकान-दारों को पर्याप्त ऋण देने के लिए बैंकों के साथ उचित व्यवस्था करें; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त निदेश दिये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कृषि उत्पादन के लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये आवश्यक है कि 1973-74 तक उर्वरकों की खपत तिगुनी कर दी जाये। इसके लिये कुशल वितरण व्यवस्था आवश्यक है जिसमें थोक और फुटकर विक्रेताओं द्वारा सभी खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरकों का भण्डारण करना सम्मिलित है। यह कार्य इतना बड़ा है कि उर्वरकों के वितरण की वित्तीय व्यवस्था में बैंकों सहित सभी उपलब्ध ऋण एजेन्सियों के सम्मिलित प्रयत्नों की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों के कारण राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे उत्पादकों (जिनसे प्रत्यक्ष रूप से अनुरोध किया गया था) से उर्वरकों के थोक

और फुटकर विक्रेताओं के लिये बैंकों से पर्याप्त ऋण की समुचित व्यवस्था करायें। दो उत्पादकों ने बैंकों के साथ उपर्युक्त व्यवस्था कर ली है और अन्यों ने शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करने का वचन दिया है।

2595. श्री बलराज मधोक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में उर्वरकों के आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी;

(ख) इस वर्ष उर्वरक के विकास पर कितनी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) उर्वरकों का आयात किन देशों से किया गया; और

(घ) विभिन्न देशों की तुलना में उनका तुलनात्मक मूल्य क्या है तथा वे स्वदेशी उत्पादन की प्रति टन लागत की तुलना में कैसे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1968-69 में उर्वरक के आयात पर विदेशी मुद्रा की कुल राशि 162.92 करोड़ रुपये खर्च की गयी।

(ख) वर्ष 1968-69 के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की राशि जो कि उर्वरकों को बढ़ाने पर खर्च की गई, उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) उर्वरक निम्नलिखित देशों से आयात किये गये हैं :- पश्चिमी जर्मनी, हालैंड, बेलजियम, आस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यू० के०, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पोलैंड, हंगरी, रूमानिया बलगेरिया, जी० डी० आर०, स्वीडन, स्पेन, नार्वे, डेनमार्क, क्यूवेट।

(घ) उपरोक्त देशों से (सिवाय उन देशों के जहां से उर्वरक उपहार के रूप प्राप्त हुये हैं) विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की तुलनात्मक कीमतें जो कि आखिरी खरीददारी से प्राप्त हुई हैं, निम्नलिखित हैं :—

देश के नाम	उर्वरक का नाम	जहाज तक निःशुल्क उपलब्धि कीमत प्रत्येक मैट्रिक टन यू० एस० (डालर) में
पश्चिमी जर्मनी	यूरिया	70.00
	सी० ए० एन०	37.75
हालैंड	सी० ए० एन०	37.75
	अमोनियम सल्फैट	31.75
	यूरिया	70.00
बैलजियम	यूरिया	70.00

आस्ट्रिया	सी० ए० एन०	37.75
इटली	सी० ए० एन०	37.75
	यूरिया	70.00
फ्रांस	यूरिया	70.25
	सी० ए० एन०	37.75
इंगलैंड	यूरिया	69.75
जापान	यूरिया	71.72
	एन० पी० के० 14-14-14	54.50
कनाडा	अमोनियम सल्फेट	24.24 से 24.87
	यूरिया	68.91 से 76.44
	पोटाश का मूरीएट	21.03 से 21.81
यू० एस० ऐड	अमोनियम सल्फेट	20.98 से 24.75
	यूरिया	75.85 से 75.95
	एन० पी० के० 14-28-14	66.40 से 69.98
	15-15-15	57.86 से 62.98
	डीआई अमोनियम फास्फेट	49.99
		प्रत्येक मैट्रिक टन पर मूल्य और भाड़ा दर रुपयों में
रूस	अमोनियम सल्फेट	330 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 31.50)
	यूरिया	592.50 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 65.00)
	पोटाश का मूरीएट (थोक)	280.13 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 23.35)
पोलैंड	यूरिया	592.50 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 65.00)
हंगरी	यूरिया	590.50 से 593 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 64.73 से 65.00)
रूमानिया	यूरिया	592.00 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 65.00)

बलेगारिया	यूरिया	592.50 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 65.00)
जी० डी० आर०	पोटाश का मूरीएट	337.88 रुपये (अनुमानित जहाज तक निःशुल्क 31 00)

रुपयों से अदायगी वाले देशों से खरीददारी के सम्बन्ध में, संविदायें रुपयों के रूप में मूल्य और भाड़ा के आधार पर की जाती हैं। डालर में जहाज तक निःशुल्क कीमत की तुलना में अनुमानित सामान्य भाड़े की दरों को कोष्टकों में प्रदर्शित किया गया है।

प्रत्येक कारखाने की प्रत्येक किस्म की उर्वरक के घरेलू उत्पादन लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Bhojpuri Films

2596. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bhojpuri films have proved to be very popular in our country;

(b) if so, whether Government have prepared any scheme to produce such films; if so, the details thereof;

(c) whether there are any organisations or associations for the production and exhibition of such films; if so, the names and addresses thereof; and

(d) whether Government give assistance to any one; and if so, to whom ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A few films produced in Bhojpuri dialect were found popular.

(b) No Sir, as this work is outside the purview of Government.

(c) & (d) . The information is being collected from Government of Bihar and will be laid on the Table of the House.

Opening of Telegraph Office and Post Offices in Burhanpur Tehsil (M. P.)

+

2597. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Information and Brodcasting and Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Telegraph Office in the Civil Revenue Circle of Burhanpur Tehsil in Madhya Pradesh except the one due which is located in Nepanagar Industrial Township, although the people belonging to the scheduled tribes are in majority there;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the places in the said area where the Post Offices are proposed to be opened during the current financial year;

(d) the time by which these are likely to be opened; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No, Sir. There are Five Telegraph Offices Working in Civil Revenue Circle of Burhanpur Tehsil in Madhya Pradesh.

(b) Question does not arise.

(c) It is proposed to open post office at Peepalpani in the said area during the current financial year.

(d) In about 3 months.

(e) Question does not arise.

Telegraph Office in East Nimad District (M. P.)

2598. Shri G C. Dixit : Will the Minister of Information and Broadcasting and Communications be pleased to state :

(a) the present position in respect of Telegraph Office in the Eastern Nimad District of Madhya Pradesh;

(b) the number of Post Offices where Government have decided to provide Telegraph facilities during the Fourth Five Year Plan;

(c) whether it is a fact that there is no Post Office in the Tribal area of the District; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There are 14 Telegraph Offices working in East Nimad District of Madhya Pradesh at present.

(b) Telegraph facility is likely to be provided at 8 Post Offices in East Nimad District during the Fourth Five Year Plan.

(c) No, Sir. There are 3 Sub-Post Offices and 36 Extra Departmental Branch Post Offices working in the Tribal area of East Nimad District. Besides that an Extra Departmental Branch Post Office is likely to be opened during the year 1969-70. Proposals for opening six new Post Offices are also under examination.

(d) Question does not arise.

खाद्यान्नों के आयात का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना

2599. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी साधनों से खाद्यान्नों का आयात भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के आयात को उनके मंत्रालय के खाद्य विभाग से लेकर इस निगम को सौंपने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस परिवर्तन के फलस्वरूप खाद्यान्नों के आयात से सम्बन्धित प्रक्रिया आदि में कोई परिवर्तन आया है और यदि हां तो, उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) आयात सहित खाद्यान्नों के सभी व्यापार सम्बन्धी कार्यकलापों को शनैः-शनैः खाद्य विभाग से सम्भाल लेने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी।

(ग) खाद्यान्नों का आयात करने के लिए विदेशी सरकारों से एक करार करने की बात चीत और उन करारों पर हस्ताक्षर अब भी भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। खरीददारी, ढुलाई, सम्भालना, वितरण और भुगतान सम्बन्धी कार्य अब भारतीय खाद्य निगम कर रहा है।

Indian Language Small Newspapers Association

2600. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Language Small Newspapers Association has requested Government to give them more Government help and facilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in this regard.

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b) . Yes, Sir. The Indian Languages Small Newspapers Association has requested for :-

(i) more advertisements, display as well as classified, at higher rates;

(ii) more advertisements from public sector undertakings;

(iii) accreditation to publications other than dailies by the West Bengal Government; and

(iv) financial assistance.

(c) Government is making every possible effort for increasing the use of small and medium newspapers, particularly those published in Indian languages, for display/classified advertisements. As a result of this effort, they were give 63.47 per cent of the display advertisements in terms of cost during 1968–69 and their share of classified advertisements increased from 31.72 to 40.79 per cent in 1968–69.

All the Ministries of the Government of India have been requested to issue instructions to their public sector undertakings to make increasing use of small newspapers published in Indian languages.

The accreditation at State headquarters being the State concern, the Centre can only advise if the West Bengal Government asks about this.

A proposal to establish a Newspapers Finance Corporation to give financial assistance to small and medium newspapers is under active consideration of Government.

हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका

2601. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन द्वारा भारत में पहली बार प्रकाशित हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका लोकप्रियता प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) छापी गई, वितरण की गई तथा प्राधिकारियों के पास प्रतियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या जनता में इसकी बहुत कम मांग को ध्यान में रखते हुए क्या हिन्दी निर्देशिका का पुनरीक्षित संस्करण निकालने के सम्बन्ध में सरकार का अभी भी कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। पहला सस्करण होने की दृष्टि से इसकी मांग संतोषजनक ही है।

(ख) छापी गई प्रतियों की संख्या	—	20,000
वितरित की गई प्रतियों की संख्या	—	11,234
प्राधिकारियों के पास बची हुई प्रतियां	—	8,766

(ग) इसकी मांग कम नहीं रही है। इसका दूसरा संस्करण निकालने के लिए पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(घ) सरकार की यह नीति है, कि टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रादेशिक भाषाओं में निकाली जाएं और हिन्दी तथा अन्य प्रदेशों में उनकी प्रादेशिक भाषाओं में डायरेक्टरियां छापने की इस नीति पर तेजी से अमल किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य विकास योजना

2602. श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री वे० कृ० दास चोधरी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक बड़ी मत्स्य विकास योजना को जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता दी जायेगी 'पैकेज कार्यक्रम' के अन्तर्गत ले लिया है;

(ख) क्या सरकार ने योजना का समुचित रूप से अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत सम्भव सहायता के संदर्भ में 1965 में एक पकेज कार्यक्रय तैयार किया गया था। यह सहायता कार्यान्वित नहीं हुई, किन्तु विकासात्मक उपयुक्त उपाय शुरू किए जा रहे हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिये पूर्ण रूप से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त होने का प्रस्ताव है :–

1. सुन्दरवनों में खारी पानी में मछली पालने की एक मार्गदर्शी योजना।
2. मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए सामान उतारने और चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था। ननखाना में एक मछली पकड़ने के लिये एक जेटी स्वीकृत कर दी गई है और अतिरिक्त स्थानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। मछली पकड़ने के लिये बड़े आकार वाली नौकाओं की बन्दरगाह के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के हेतु अन्वेषण किए जा रहे हैं।
3. सुन्दरवनों के क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में समन्वेषी और प्रयोगात्मक आधार पर मछली पकड़ने का कार्य शुरु किया जायगा।

मछली पकड़ने की छोटी बन्दरगाहों का प्रबन्ध राज्य सरकार करेगी। अन्य कार्यक्रम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्रीय संगठन द्वारा शुरू किए जाएंगे।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में दिए गए कार्यक्रम सुन्दरवन योजना को छोड़ कर जो समस्त पश्चिम बंगाल से सम्बन्धित है और जिसके लिए अस्थायी रूप से चतुर्थ पच-वर्षीय योजना में 50 लाख रु० के उद्व्यय की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रयोजित क्षेत्रों में सामान्य योजनाओं के रूप में हैं। सामान्य योजनाओं के लिए उदव्यय का कोई राज्यवार वितरण नहीं किया गया है।

Fair Price Ration Shops

2603. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of fair price Ration Shops in the country at present according to information collected by Government; and

(b) the population of places covered by the statutory rationing and formal rationing ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) 137.5 thousand ration shops and fair price shops.

(b) Population covered by :

(i) Statutory, i. e.
formal rationing......23.3 million.

(ii) Informal
Rationing... ......244.0 million.

Storage Godowns for Foodgrains.

2604. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of godowns with Government at present in the entire country for preserving foodgrains together with their storage capacity;

(b) the total number of godowns at present hired by Government and the total amount paid by Government annually as rent; and

(c) the total number of godowns proposed to be constructed during the financial year 1969-70 together with their storage capacity ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Government of India have, at present, no godowns for storage of foodgrains as all the godowns with them have already been transferred to the F. C. I. F. C. I. have godowns, both owned and hired, at 869 centres with a total storage capacity of about 54.62 lakh tonnes.

(b) The total hired capacity with F. C. I., at present, is about 28.91 lakh tonnes. The F. C. I. paid during 1967-68 an amount of Rs. 1.70 crores as rent and storage charges.

(c) Construction of godowns, with a capacity of 9 lakh tonnes, has been taken up at 135 centres and a further capacity of 5.5 lakh tonnes at 100 centres is also proposed to be taken up during 1969-70.

Ships for Import of Foodgrains

2605. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of ships used for the movement of the entire quantity of imported foodgrains during the financial year 1968-69; and

(b) the amount in rupees paid by Government as freight ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) 311 ships.

(b) Rs. 38.79 crores.

डाकघरों में अंतर्देशीय पत्र, पोस्टकार्ड आदि की कमी

2607. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि डाकघरों में अंतर्देशीय पत्र, पोस्टकार्ड तथा अन्य ऐसी वस्तुओं की प्रायः कमी रहती है जिससे उनको बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना ग्रोर प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) इस किस्म की कोई भी आम शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अलबत्ता बम्बई नगर और आसाम के कुछ डाकघरों में ऐसी वस्तुओं की अस्थाई तौर पर कमी की कुछ स्थानीय शिकायतें थीं, जिन्हें दूर कर दिया गया था।

(ख) यह कमी केंद्रीय डाक-टिकट भंडार नासिक की ओर से सप्लाई रुक जाने और समय पर प्राप्त न होने के कारण पैदा हो गई थी। इस स्थिति का सामना करने के लिए ग्रासपास के डाकघरों से डाक-सामग्री भेजने के लिए शीघ्र कार्रवाई की गई थी।

ग्रकाशवाणी कलकत्ता की कार्यक्रम समिति

2608. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना ग्रोर प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि।

(क) ग्राकाशवाणी के कलकत्ता स्टेशन में कलाकारों के लिये शास्त्रीय, रवीन्द्र, सुगम तथा अन्य प्रकार के संगीत के कार्यक्रम को बनाने वाले व्यक्ति किन-किन श्रेणियों के हैं;

(ख) कलाकारों के चयन के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या सरकार को जनता से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कलकत्ता स्टेशन से प्रसारित किये जाने वाले सगीत कार्यक्रम सामान्यतः संतोषजनक नहीं हैं;

(घ) क्या यह सच है कि संगीत कार्यक्रमों के कार्यप्रभारी कभी-कभी कलाकारों की किसी एक मण्डली के साथ अनुचित पक्षपात दिखाते हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत से युवा तथा होनहार संगीत प्रज्ञा वाले कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कोई कार्यक्षेत्र नहीं है; और

(च) क्या सरकार संगीत कार्यक्रम आदि बनाने के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों को परामर्श देने के लिये प्रसिद्ध संगीतज्ञों की एक परामर्श समिति गठित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

सूचना ग्रोर प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) केन्द्र निदेशक, सहायक केन्द्र निदेशक, सीनियर प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव तथा संगीत प्रोड्यूसर।

(ख) विभिन्न आर्टिस्टों की ग्रेडिंग्ज तथा कार्यक्रमों की आवश्यकताग्रों को ध्यान में रखते हुए, केवल उन्हीं आर्टिस्टों को कार्यक्रम दिये जाते हैं जिन्हें नियमित रूप से गठित स्वर-परीक्षा समिति/बोर्ड ने स्वर परीक्षा लेकर मान्यता दी हुई हो। किसी आर्टिस्ट को कार्यक्रम देवे के प्रस्ताव पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) कभी कभी शिकायतें आती हैं।

(घ) इस पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है।

(ङ) इस निष्कर्ष के लिए कोई औचित्य नहीं है। स्वर परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् नये आर्टिस्ट अपने आपको मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित कर सकते हैं।

(च) केन्द्र में एक स्थानीय स्वर परीक्षा समिति तथा मुख्यालय में एक केन्द्रीय संगीत स्वर परीक्षा बोर्ड पहले ही है। एक और सलाहकार समिति की आवश्यकता नहीं है।

सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्रालय में नीति योजना तथा समन्वय विभाग

2609. श्री वि० नरसिम्हा राव : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव : श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा : श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के लिये नीति, योजना तथा समन्वय विभाग स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा विभाग स्थापित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विभाग की प्रणाली की मोटी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) मन्त्रालय के प्रभावी संचालन के लिए।

(ग) यह यूनिट नीति बनाने, इसके कार्यान्वयन, अन्तर्विभागीय समन्वय, कार्यक्रमों के मूल्यांकन और व्यक्तियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य करेगी।

नेपाल से आये लोगों को आसाम में बसाना

2610. श्री हेम बरुआ : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल के कुछ नये लोग आये हैं जो आसाम में बसना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको आसाम के कुछ विशिष्ट भागों में बसाने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कृषि तथा लघु सिंचाई के लिए केरल को केन्द्रीय सहायता

2611. श्री पी० पी० एस्थोस : श्री ई० के० नायनार :
श्री प० गोपालन : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री 15 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में लघु सिंचाई तथा भू-विकास सहित कृषि उत्पादन के लिये केरल सरकार को दी जाने वाली सहायता की ठीक-ठीक राशि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा सहायता की मात्रा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) । (क) से (ग) राज्य सरकारों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति को 1969-70 से संशोधित किया गया है। अब राज्यों को जो सहायता दी जाएगी वह ब्लाक ऋणों व अनुदानों के रूप में समस्त वार्षिक योजना के लिए होगी न कि किसी विशेष कार्यक्रम या योजना के लिए। 1969-70 की वार्षिक योजना के लिए केरल राज्य सरकार के लिये 31.10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का नियतन किया गया है। वित्तीय वर्ष 1969-70 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकार की सहायता निर्मुक्त की जाएगी।

जहां तक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सम्बन्ध है, उपरोक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत केरल सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही निम्नलिखित योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाली सहायता निम्न प्रकार है : -

क्रम संख्या	योजना	सहायता
1.	नारियल के लिए पैकेज कार्यक्रम	0.34 लाख रु०
2.	मूंगफली की अधिकतम उत्पादन	0.26 ,,
3.	काली मिर्च और अदरक के लिए पैकेज कार्यक्रम	2.71 ,,
4.	सुपारी के लिए पैकेज कार्यक्रम	0.40 ,,
5.	कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा	3.51 ,,
6.	काजू के लिए पैकेज कार्यक्रम	2.72 ,,

वित्त मन्त्रालय राज्य सरकार को उपरोक्त योजनाओं के लिए सहायता के नियतन के बारे में शीघ्र ही सूचित करेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के आंकड़ों के आधार पर सहायता निर्मुक्त की जाएगी।

Chemists to Examine Sugar Recovery

2612. **Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chemists are appointed in sugar factories by the factories themselves to examine the sugar recovery;

(b) if so, whether it is also a fact that most of the farmers do not have any confidence in such chemists; and

(c) if so, whether Government propose to appoint there persons nominated by the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a). Yes, Sir.

(b) Government have no information.

(c) No, Sir.

वन क्षेत्र में प्रगति

2614. श्री ई० के० नायनार : श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952 में राष्ट्रीय वन नीति संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद से अब तक देश में वन क्षेत्र बढ़ाने में प्रगति संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। 1951–52 में देश में वनों का क्षेत्र 734.4 लाख हेक्टेयर था जो 1966–67 में बढ़कर 753.5 लाख हेक्टेयर हो गया था परन्तु इस के पश्चात् भी वृद्धि अपर्याप्त रही है। क्योंकि इस वृद्धि के बावजूद भी वर्तमान वन्य क्षेत्र 1952 की राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव के अनुसार निर्दिष्ट 33 प्रतिशत से भी कम है।

संविधान की सप्तम अनुसूची के अनुसार "वन" राज्य सूची का विषय है। फिर भी, केन्द्रीय वन मण्डल ने (जिसके अध्यक्ष खाद्य और कृषि मन्त्री हैं) सुझाव दिया है कि वन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को रोका जाना चाहिये और जोतों की चकबन्दी, गैर सरकारी वनों के अधिग्रहण और उपलब्ध परती भूमि, पंचायत समिति भूमि, नहरों की तटीय भूमि को वन के रूप में बदल कर वनों के वर्तमान क्षेत्र को 33 प्रतिशत तक की सीमा तक बढ़ाया जाये। इसके फलस्वरूप जो वन क्षेत्र 1951–52 में 734.40 लाख हेक्टेयर था वह 10.70 लाख हेक्टेयर भूमि नदी घाटी योजनाओं और कृषि के लिये निर्मुक्त किये जाने के बाद भी 1966–67 में बढ़कर 753.50 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है।

राष्ट्रीय वन नीति संकल्प के अनुसार भूमि का सर्वेक्षण

2615. श्री पी० राममूर्ति : श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री गणेश घोष : श्री अ० कु० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वन नीति संकल्प के अनुसार समस्त भूमि का अभी तक एक विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

खेती के कारण वन क्षेत्र में कमी

2616. श्री भगवान दास : श्री विजय मोदक :
श्री के० रमानी : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेती तथा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण 1951 से अब तक कितना वन क्षेत्र कम हुआ है; और

(ख) इतने ही क्षेत्र में वन रोपण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं, खेती, हाइडल वर्क्स तथा उद्योगों के लिए निर्मुक्त किए जाने के कारण वन क्षेत्र में 10.7 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। 1951 से 1966 तक विभिन्न कार्यों के कारण वन क्षेत्र में जो कमी आई वह सभा पटल पर रखे गये विवरण में प्रदर्शित हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1579/69]

(ख) वनों को संविधान की सातवीं सूची को राज्य–सूची में सम्मिलित किया गया है। फिर भी, केन्द्रीय वन मण्डल ने, जिसके अध्यक्ष खाद्य तथा कृषि मन्त्री हैं, समय-समय पर सिफारिश की है कि वनों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने से रोका जाये और वर्तमान क्षेत्र को खेती की चकबन्दी करके, गैर सरकारी वनों को अर्जित करके, और बेकार भूमि, पंचायत समिति भूमि ऊबड़ खाबड़ भूमि, नहरी किनारे आदि जैसी उपलब्ध भूमि को वनों का रूप देकर इसको 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा तक लाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, 10.7 लाख हेक्टेयर भूमि नदी घाटी परियोजनाओं, खेती आदि के लिए निर्मुक्त किए जाने के बावजूद, 1951–52 में 734.4 लाख हेक्टेयर से 1966–67 में 753.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय वन संबंधी बोर्ड की बैठक

2617. **श्री सत्य नारायण सिंह : श्री भगवान दास : श्री ई० के० नायनार : श्री प० गोपालन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1959 से केन्द्रीय वन सम्बन्धी बोर्ड की बैठकें प्रति वर्ष नियम्ति रूप से नहीं हो रही है, जैसा कि बोर्ड ने निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बोर्ड की बैठकों का कोई रिकार्ड नहीं है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) बैठकें प्रतिवर्ष नियमित तौर पर नहीं हो सकीं क्योंकि मेजबान का कार्य करने वाली राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार तारीखें तय करने ओर बैंठकों की व्यवस्था करने में काफी समय ले लेती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

केन्द्रीय वन सम्बन्धी बोर्ड की बैठक

2618. **श्री नम्बियार : श्री गणेश घोष : श्री पी० पी० एस्थोस : श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय वन सम्बन्धी बोर्ड की चौथी तथा पांचवी बैठकों में उपस्थित हुए थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : केन्द्रीय वन मण्डल की सन् 1957 और 1959 में हुई चौथी और पांचवीं बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1580/69**]

पत्र पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेखों की जांच करने के संबंध में संहिता

2619. **श्री अ० कु० गोपालन : श्री भगवान दास : श्री सत्य नारायण सिंह : श्री प० गोपालन :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र-पत्रिकाओं में साम्प्रदायिक लेखों के प्रकाशन को रोकने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् की दस-सूत्रीय प्रारूप संहिता को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यह अभी राष्ट्रीय एकता परिषद् के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को विज्ञापन देना

2520. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री नम्बियार : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों की हिन्दी भाषा अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्रों का अधिक प्रयोग करने तथा लघु तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को विज्ञापन देने के लिए बजट की एक उपयुक्त राशि नियत करने के बारे में सरकार के अनुदेशों तथा नीतियों की जानकारी नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1968–69)—चौथी लोक सभा—ने अपनी 47 वीं रिपोर्ट के पैरा 4.20 में इस तथ्य की ओर दिलाया है।

(ख) समिति ने इस बारे में खास तौर पर फर्टीलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का उल्लेख किया है।

(ग) सितम्बर, 1956 में सभी मन्त्रालयों/विभागों को भेजे गए एक नोट, जिसमें विज्ञापन देने के मामले में सांविधिक निगमों, राष्ट्रीयकृत उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों आदि द्वारा अनुकरण किए जाने वाले निदेशक सिद्धांत दिए हुए थे, में और बातों के साथ साथ यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापनों के लिए भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का अधिक प्रयोग किया जाए। दिसम्बर, 1967 में एक और सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें मन्त्रालयों/विभागों से यह निवेदन किया गया था कि वे अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों और इस प्रकार के अन्य निकायों को यह कहें कि वे लघु तथा मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों को विज्ञापन देने के लिए अपने विज्ञापन बजट की एक उपयुक्त राशि नियत करें। इस बारे में सरकारी उपक्रमों को उपयुक्त अनुदेश जारी करने के लिए सरकार की नीति उनके ध्यान में फिर से ला दी जायेगी।

विभागातिरिक्त वितरण एजेंट

2621. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री प० गोपालन :**
श्री नम्बियार : **श्री अ० कु० गोपालन :**

क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1968 के अन्त में डाक तथा तार विभाग में कुल कितने विभागातिरिक्त वितरण एजेंट काम कर रहे थे;

(ख) विभागातिरिक्त एजेंटों का वेतन—क्रम क्या है;

(ग) क्या सरकार इन विभागारिक्त वितरण एजेंटों के, जो विभाग में पांच वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी में लेने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) 48,461.

(ख) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटो के लिए कोई वेतन—मान निर्धारित नहीं किया गया है उन्हें समंकित भत्ता दिया जाता है जिसमें महंगाई भत्ते का अंश भी शामिल होता है। न्यूनतम समंकित भत्ता 20 रुपये प्रति मास निर्धारित किया गया है और अधिकतम 42 रुपये प्रति मास। इसके अतिरिक्त जब कभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि होती रही है, उनके भत्ते में भी समय-समय पर तदर्थ वृद्धि की जाती रही है

(ग) अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों को कुछ शर्तों के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तौर पर लगा लेने के सम्बन्ध में पहले से ही आदेश मौजूद हैं। उन्हें रोजगार दफ्तर द्वारा नामित व्यक्तियों पर तरजीह दी जाती है। इसके लिए उन्होने कम से कम तीन वर्ष लगातार सेवा की हो और उनकी आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि वे साक्षरता परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें परीक्षा-वर्ग के पदों पर लगा लिया जाता है यथा चपरासी, पैकर, पोर्टर आदि। अन्यथा उन्हें गैर-परीक्षा वर्ग के पदों पर लगा लिया जाता है यथा झाड़ूवाला, चौकीदार, फराश आदि।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल के समाचार-पत्रों के विरुद्ध आरोप

2622. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या सूचना और प्रसारण तथा सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 से अब तक पश्चिमी बंगाल में कितने दैनिक समाचारपत्रों के विरुद्ध कदाचारों के आरोपों का पता चला है;

(ख) इन दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं; और उनका ब्योरा क्या है;

(ग) उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध समाचारपत्रों के पंजीयक ने जांच की और कदाचार पाया;

(घ) उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो/पुलिस द्वारा जांच की गई है;

(ङ.) ऐसे समाचारपत्रों के नाम क्या हैं; जिनके कार्यालयों की तलाशी ली गई है; और

(च) कितने मामलों में किन-किन समाचारपत्रों के बारे में पुलिस, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रतिवेदन दे दिये हैं और यदि कोई अभियोग लगाये गये हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि कोई मामले अनिर्णीत पड़े हैं, तो क्या सरकार उनमें शीघ्रता से कार्यवाही करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री ई० कु० गुज-राल) : (क) नौ ।

(ख) और (ग) एक विवरण सदन की मेज़ पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1581/69]

(घ) तथा (ङ.) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बंगला दैनिक 'वसुमति' तथा हिन्दी दैनिक 'लोकमान्य' की जाच की जा रही है । उनके स्थान की तलाशी ली गई है ।

(च) दोनों ही मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

समाचार एजेंसियों को भुगतान

2623. **श्री भगवान दास :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष किन-किन समाचार एजेंसियों को कितना-कितना धन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री ई० कु० गुज-राल) : सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा गत तीन वर्षों में विभिन्न समाचार एजेंसियों को निम्नलिखित धन दिया गया:–

समाचार एजेंसियों का नाम	ऋण			शुल्क		
	1966-67 रुपये	1967-68 रुपये	1968-69 रुपये	1966-67 रुपये	1967-68 रुपये	1968-69 रुपये
प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया	–	12,00,000	12,00,000	11,97,800	12,01,800	17,72,118
यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया	–	4,00,000	–	3,01,643	3,12,000	5,90,717.68
समाचार भारती	–	75,000	–	–	–	34,328

हिन्दुस्तान समाचार	45,616
इण्डियन न्यूज न्यूज एण्ड फीचर अलायेंस	1,000

सामुदायिक रेडियो श्रवण सेवा

2624. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न स्कूलों और सामुदायिक रेडियो श्रवण सेवा के अन्तर्गत रेडियो सेटों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं तथा अपने कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए आकाशवाणी ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। डाक तार विभाग द्वारा दिए गए अनुज्ञप्त सेटों के आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि इनकी संख्या गत कुछ वर्षों में कम हो गई है।

(ख) सामुदायिक श्रवण योजना पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस कमी के उत्तरदायी कारणों के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। परन्तु इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इसका कार्यक्रम के स्तर से कुछ सम्बन्ध है।

आल इण्डिया रेडियो की 'आकाशवाणी' नामक पत्रिका

2625. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इण्डिया रेडियो की 'आकाशवाणी' नामक पत्रिका की बिक्री बहुत कम है और उसे विज्ञापन से बहुत कम आय होती है; और

(ख) आकाशवाणी के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन पर प्रति वर्ष कितनी हानि होती है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी (हिन्दी तथा अंग्रेजी) से 1965-66, 1966-67 और 1967-68 के तीन वर्षों में जो वार्षिक हानि हुई वह इस प्रकार है।

वर्ष	आकाशवाणी (अंग्रेजी)	आकाशवाणी (हिन्दी)
1965-66	1,77,109.00 रुपये	55,970.00 रुपये
1966-67	2,22,762.00 रुपये	79,068.00 रुपये
1967-68	2,23,483.00 रुपये	73,500.00 रुपये

आकाशवाणी के कलाकारों और संगीतज्ञों, की भुगतान की दरों का पुनरीक्षण

2626. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के कलाकारो तथा संगीतज्ञों की भुगतान की दरों का अन्तिम पुनरीक्षण कब किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : शास्त्रीय/सुगम शास्त्रीय तथा सुगम संगीत कलाकारों, आदिवासी संगीत कलाकारों और लोक संगीत कलाकारों को दी जाने वाली दरों में क्रमशः 28-9-1960, 11-11-1965 और 1-4-1966 को संशोधन किया गया था । नाटक कलाकारों को दी जाने वाली फीसें पीछे 1962 में निर्धारित की गई थीं जबकि नाटकों और रूपकों के लेखकों को दी जाने वाली फीसों में इस साल के शुरु में संशोधन किया गया था ।

अभ्रक की खानों के श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड

2627. **श्री रवि राय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत से प्रति वर्ष विदेशों को लगभग 50 करोड़ रुपये के मूल्य के अभ्रक का निर्यात किया जाता है, सरकार का विचार अभ्रक की श्रमिकों के खानों के मजूरी ढांचे के प्रश्न पर विचार करने के लिए इन श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा द्वारा चावल का भेजा जाना

2628. **श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने वसूल किये गये चावल के अपने स्टाक में से 1.50 लाख टन चावल भेजने का लक्ष्य पूरा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लक्ष्य के अतिरिक्त भेजे गये चावल के प्रत्येक क्विंटल पर उड़ीसा को 15 रुपये बोनस मिलेगा ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

उड़ीसा की 1968-69 की चावल के लिए प्रोत्साहन बोनस देने की योजना सम्बन्धी विवरण ।

निर्यात के लिए लक्ष्य (हजार मी०टन)	बोनस रहित मूल मात्रा (हजार मी० टन)	जिस मात्रा पर बोनस दिया जाना है उसके खण्ड (हजार मी० टन)	प्रत्येक खण्ड के लिए बोनस की दर (रु० प्रति क्विंटल)	कुल बोनस (लाख रुपयों में)
150	75	15	6	9.0
		25	8	20.0
		35	12	42.00
		75		71.00

नोट : निर्धारित लक्ष्य से अधिक दी गई मात्रा के लिये 15 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में राशन में चावल के कोटे में वृद्धि

2629. श्री रवि राय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कलकत्ता महानगर में कानूनी राशन व्यवस्था में राशन क्षेत्र में चावल के प्रति व्यक्ति साप्ताहिक कोटे में 100 ग्राम की वृद्धि करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार का सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों में चावल की राशन की मात्रा 850 से बढ़ाकर 950 ग्राम प्रति व्यस्क प्रति सप्ताह करने का विचार है । भारत सरकार इस स्पष्ट धारणा पर सहमत हो गयी थी कि राज्य सरकार अतिरिक्त आश्वासन को राज्य में अधिप्राप्त मात्रा और केन्द्रीय पूल से आश्वासित सप्लाई से पूरा करेगी ।

सहकारी समितियों द्वारा छोटे किसानों को सहायता

2630. **श्री रवि राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को हिदायतें दी हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सहकारी समितियों द्वारा छोटे किसानों को अधिक सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य सरकारों से अपने सहकारिता अधिनियमों में सशोधन करने के लिए कहा गया है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या निश्चित सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (ग) : केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि सहकारी ऋण समितियों की ऋण देने की नीतियों तथा प्रक्रियाओं को छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुस्थापित करना चाहिए। सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों का उद्‌भव, जिसके परिणाम स्वरूप कुछेक, प्रभावशाली व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिलता है, भी एक ऐसा कारण है जो छोटे किसानों द्वारा सहकारी ऋण का अपना उचित भाग प्राप्त करने में बाधा उपस्थित करता है। निहित स्वार्थों को रोकने के लिए विशेष कानूनी उपबन्ध करने की आवश्यकता है और ये विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे महाजनों तथा बिचौलियों को सहकारी समितियों की सदस्यता से वंचित करना, एक व्यक्ति कितने कार्यकालों के लिए और कितनी सहकारी संस्थाओं में पद ग्रहण कर सकता है, उसके बारे में संख्या निश्चित करना, पदाधारियों को दिए गए ऋणों का नियमन करना, समितियों की प्रबन्ध समितियों में कमजोर वर्गों के लिये स्थान आरक्षित करना और सहकारी समितियों में स्वतन्त्र प्राधिकरण में पर्यवेक्षण में नियमित रूप से चुनाव करना।

सहकारी अभिकरणों के माध्यम से छोटे किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य के अनुसरण में बहुत से निश्चित कदम उठाए गए हैं। फसल ऋण प्रणाली लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी वर्गों के किसान विभिन्न किस्मों की फसलें उगाने के लिए अपनी आवश्यकताओं और अपनी वापसी अदायगी की क्षमता के आधार पर अल्पकालीन ऋण ले सकते हैं। सहकारी ऋण संस्थाओं को कमजोर वर्गों के प्रति उदार नीति अपनाने के लिये प्रोत्साहन देने और कमजोर वर्गों को धन सुलभ करने में जो जोखिम सन्निहित हो सकते हैं उनके एक भाग की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक ऋण समितियों में सरकारी उपदान से विशेष अशोध्य संचिति का निर्माण करने की योजना विचाराधीन है। कुछेक राज्यों में अंश-पूंजी के लिए किश्तों में अदायगी करने की सुविधा कमजोर वर्गों तक बढ़ा दी गई है। भूमि के मूल्य-निर्धारण से सम्बन्धित नीति को छोटे काश्तकारों के लिए दीर्घकालीन ऋण अधिक मात्रा में सुलभ करने के उद्देश्य से उदार बनाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में एक व्यापक विधान, जिसमें निहित स्वार्थों के नियन्त्रण से सम्बन्धित मुख्य पहलू आते हैं, बनाया गया है। केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश

तथा मध्य प्रदेश के सहकारी समिति अधिनियमों। नियमों में एक या दो पहलुओं से सम्बन्धित उपबन्ध शामिल कर दिये गए हैं।

फसल ऋण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सहकारी समितियों में से निहित स्वार्थों को हटाने से सम्बन्धित मुख्य पहलुओं के बारे में कानूनी उपबन्ध बनाने के लिए कहा जा रहा है। भारत सरकार ने भी छोटे किसानों को सहायता देने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है जो प्रायोगिक आधार पर क्रियान्वित की जानी हैं। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

कृषि विकास के लिए उड़ीसा को वित्तीय सहायता

2631. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी योजना अवधि में उड़ीसा में कृषि विकास के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए एक केन्द्रीय दल उड़ीसा गया था ;

(ख) क्या इस दल ने अब सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दल के निष्कर्ष के अनुसरण में केन्द्र ने उड़ीसा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969-70 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम की तैयारी के लिए, एक केन्द्रीय दल राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उड़ीसा का दौरा किया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस दल के निर्देश पदों में केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रश्न शामिल नहीं था। इसलिये उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता देने की मात्रा के प्रश्न को अन्तिम रूप देने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता।

भारत में मुस्लिम सम्पत्ति

2632. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1969 तक हजारों भारतीय मुसलमानों को भारत में अपने मूल मकान वापस नहीं मिल सके थे हालांकि उनके पास कब्जा वापस दिये जाने के आदेश थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ धार्मिक अर्जित सम्पत्ति अब भी गैर-कानूनी कब्जे में हैं और गत बीस वर्षों में उसका कोई किराया नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। अधिकांश निष्क्रान्त मुसलमानों को जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अधीन कब्जा देने के आदेश मंजूर किये गये थे, उनकी मूल सम्पत्तियां लौटा दी गई हैं। शेष मामलों, जहां कि उनको "प्रत्यावर्तित" की गई मूल सम्पत्तियां प्राप्य नहीं थीं, उन्हें या तो वैकल्पिक सम्पत्तियां अलाट कर दी गई हैं या, विधि के अनुसार नकद मुआवजा दे दिया गया है।

(ख) निष्क्रान्त न्यास सम्पत्तियां न तो अर्जित की गई हैं न ही कोई ऐसी सूचना है कि वह गैर-कानूनी कब्जे में हैं। उनका अधिकांश अधिकार उस समय तक निष्क्रांत सम्पत्ति अभिरक्षकों के पास रहा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नये न्यासी नियुक्त नहीं किये गये। सभी मामलों में नये न्यासधारी नियुक्त कर दिये गये हैं और, अपनी न्यासधारियों के रूप में नियुक्ति के उपरान्त, वे किराया एकत्रित करने के जिम्मेदार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घेराव के बारे में त्रिपक्षीय संगठन

2633. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को सुझाव दिया है कि विवादों को हल करने के लिए घेराव के प्रतिकारक के रूप में एक त्रिपक्षीय संगठन स्थापित किया जाना चाहिये, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हों ;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझाव पर पश्चिम बंगाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य श्रम बोर्ड को दो दिवसीय सम्मेलन की रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री ने राज्य श्रम बोर्ड को बताया था कि श्रम समस्याओं को हल करने के लिये सरकार की श्रम व्यवस्था के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच बातचीत पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) श्रम मन्त्री, पश्चिम बंगाल के साथ श्रम विवादों के शीघ्र निपटाने के बारे में हुए विचार विमर्श के दौरान यह सुझाव दिया गया कि एक स्वतन्त्र चैयरमैन की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति नियुक्त की जाये। इस समिति के सर्वसम्मत निर्णय श्रमिकों और नियोजकों के लिये मान्य होंगे। यदि निर्णय सर्वसम्मत न हो तो उस दशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

(ख) यह बताया गया है कि यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार को रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) . प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल में घेराव के आंकड़े

2634. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में घेराव के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वहां एक अध्ययन दल भेजा है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में एक केन्द्रीय दल भेजने के क्या कारण है जबकि सरकार को राज्य सरकार के जरिये घेराव के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है ; और

(ग) क्या यह अध्ययन दल राज्य सरकार की सहमति से पश्चिम बंगाल भेजा गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) सरकार ने पश्चिम बंगाल में कोई अध्ययन दल नहीं भेजा ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठते ।

Wheat Purchased by Food Corporation of India in Tikamgarh District (Madhya Pradesh)

2635. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wheat purchased by the Food Corporation of India in the Tikamgarh District of Madhya Pradesh is lying in an open space at Niwari Railway Station ; and

(b) whether this wheat is lying there because of non-availability of Railway wagons or for the reasons that the Corporation did not ask for the wagons ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir. Wheat is not being purchased by the Food Corporation of India in the Tikamgarh district. Wheat is being procured in this district and loaded at Niwari station by the Madhya Pradesh Cooperative Marketing Federation.

(b) Does not arise.

मूंगफली की अधिक उपज वाली किस्में

2636. श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री गार्डिलिंगनगौड :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मूंगफली तिलहन और कपास की उपज बढ़ाने के विचार से उनकी अधिक उपज वाली किस्मों के बारे में अनुसन्धान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। कपास और तिलहन सम्बन्धी दो अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) दो अखिल भारतीय अनुसन्धान परियोजनायें स्वीकार की गई हैं जिनमें से एक कपास के विषय में है और दूसरी पांच प्रमुख तिलहनों (मूंगफली, अरण्डी, अलसी के बीज, तिल और सरसों के बीज) के विषय में है। उनको पहली अप्रेल, 1967 से चार वर्ष तक (अर्थात 1–4–67 से 31–3–1971 तक) क्रमशः 56.00 लाख रुपये तथा 100 लाख रुपये की अनुमति लागत पर क्रियान्वित किया गया है। इन परियोजनाओं को 1-4-69 से 31-3-74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः 110 लाख रु० और 145 लाख रु० की अनुमानित लागत पर और भी अधिक तेजी से चलाने का प्रस्ताव है।

इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य समान्वित तरीके से सभी अपेक्षित क्षेत्रों में गति उत्पन्न करना है। जिससे उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इन फसलों की समस्याओं का अन्तर सुभाव सुनिश्चित हो सके और दोहरे अनुसन्धान कार्य से बचा जा सके। पहले ऐसा प्रयास न हो रहा था। इन परियोजनाओं में कपास और तिलहनों की अधिक उपज देने वाली उन किस्मों का, जो कीट तथा रोगों की प्रतिरोधक हैं, विकास निहित है। इनमें विस्तृत कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं जो इन फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों तथा रोगों को आमन्त्रित करते है और जो किसानों द्वारा अपनाए जाने के लिए कृषि शास्त्र सम्बन्धी, पौद संरक्षण तथा अन्य कार्यों से सम्बन्धित हैं जिससे प्रति हैक्टयर उपज में वृद्धि हो सके।

इन परियोजनाओं के लिए देश को कई प्रदेशों में बांट दिया गया है। उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जहां उत्पादन केन्द्रित हैं प्रमुख तथा उपकेन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। प्रमुख तथा उप-केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी विवरण साथ के सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1582/69]** इन परियोजनाओं के अन्तर्गत किए गए कार्य पर वार्षिक वर्कशाप में विचार किया जाता है। इस वर्कशाप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं और प्राप्त परिणामों के आधार पर हर वर्ष कार्य का भावी कार्यक्रम बनाया जाता है। व्यावहारिक मूल्य के परिणाम और फसलों की उन्नतशील किस्मों को प्रचार के लिए छांटा जाता है।

इन परियोजनाओं को केन्द्रीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य के कृषि विभागों से जिनके क्षेत्र में ये केन्द्र स्थित हैं सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Scheme of Junior Technical Schools and Industrial Training Institutes

2637. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme of Junior Technical School and Industrial Training Institute and that both the said Institutes have been granted recognition by Government ;

(b) the extent of practical training to be imparted under the scheme for Junior Technical Schools ;

(c) whether it is of lesser importance than the prescribed practical training under the scheme of the industrial training institutes ; and

(d) if not, the reasons for which the Junior Technical Schools were not granted recognition in Apprenticeship Act, 1961 as had been granted to the industrial training institutes ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes. The scheme for Junior Technical Schools has been formulated by the Ministry of Education and Youth Services and the Industrial Training Institute Scheme has been formulated by the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation. The latter scheme has been recognised by the Government of India for recruitment to the subordinate services. A copy of the Office Memorandum No. TC/NCT-14(2)/66 dated 31. 5. 1968, circulated to all Ministries, State Governments etc. is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 1583/69].**

(b) 640 hours in the 9th and 800 hours in the 10th standards are devoted to training in a number of trades like carpentry, pattern making, foundry, smithy, fitting, welding, etc. In the 11th standard, 1080 hours are devoted to the elective trade out of the above trades. About 1500 hours are, therefore, devoted for training in one of the elective trade as against 2000 hours in the trades of one year duration and 4000 hours of two years duration in the Industrial Training Institutes.

(c) The standard of practical training under the Junior Technical Schools does not conform to that of the National Council for Training in Vocational Trades followed at the Industrial Training Institutes.

(d) The standard of training in the Junior Technical Schools is required to be brought in line with that prescribed by the National Council for Training in Vocational Trades which is followed at the Industrial Training Institutes.

Purchase of Soyabean from Farmers

2638. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of Madhya Pradesh have refused to purchase Soyabean farmers ;

(b) whether it is also a fact that the Government of Madhya Pradesh have issued orders not to sow Soyabean after the Soyabean seeds imported from abroad have reached the district and development Block centres ;

(c) if so, whether the Central Government have enquired the reasons therefor from the State Government ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooporation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). The National Seeds Corporation Ltd., a Government of India Undertaking, propose to take up a programme of contract production of Soyabean on an area of 2,000 acres with the farmers in the State of Madhya Pradesh. The State Government will limit its production to 400 acres at State Farms. The required quantities of seed available with National Seeds Corporation Ltd., from production within the country, has been moved to Madhya Pradesh for planting the aforesaid area.

Wheat Procured by F. C. I. Lying in Food-Godowns

2639. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat out of that purchased by the Food Corporation of India in 1968-69 which was lying in various State food-godowns of the country till the 30th June, 1969, State wise and godown-wise ;

(b) the quantity of wheat, out of the said balance which became unfit for human consumption and the causes thereof ; and

(c) the names of the persons held responsible therefor and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) A statement showing stocks of indigenous wheat in the godowns of the Food Corporation of India in various State on 30-6-69 is attached. The stock shown would include, to some extent, the purchases made from the current crop. The stock registers are maintained on the basis of receipts and despatches from time to time at the Godowns. It is, therefore, difficult to give exact figures of stocks out of purchases made up to a previous date e. g., 31-3-69. The collection of information godown-wise would take some time.

(b) and (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha when received.

Statement Showing Stocks of Indigenous Wheat Region-wise as on 30.6 1969.

	Region	Stocks (in tonnes)
1.	Assam	11,612
2.	Andhra Pradesh	236
3.	Bihar	86,944
4.	Madhya Pradesh	78,655
5.	Madras	..
6.	Mysore	..
7.	Punjab/Haryana	2,27,510
8.	Rajasthan	43,891
9.	Uttar Pradesh	2,97,619

10.	Orissa	--
11.	Delhi	75,353
12.	Kerala	--
13.	Gujrat	16,012
14.	West Bengal including/port Depots in Calcutta	1,58,961
15.	Maharashtra	2,27,875
		12,24,668

व्यापक स्तर पर पशु प्रजनन प्रदर्शन केन्द्र

2640. **श्री म० सुदर्शनम :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में व्यापक स्तर पर पशु प्रजनन प्रदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार राज्यों में 'सघन पशु उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्रों' को स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रही है। फिर भी विशाल डेरी योजनाओं के दुग्ध क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों में 32 सघन पशु विकास परियोजनायें स्थापित की गई हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में अन्य 37 ऐसी परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। इसी प्रकार, राज्यों में अभी तक 100 सघन अंडा और कुक्कट एवं विपणन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में 50,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के आस पास अन्य 100 ऐसी ही परियोजनायें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कपास आदि के उत्पादन के लिए रूस की सहायता

2641. **श्री चिन्तामणी पाणीग्रही :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री नीतिराजसिंह चौधरी :
श्री शशि भूषण :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने कपास, चीनी और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत को वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है ; और

(ग) हमारे देश में यह सहायता कब और किस रूप में पहुँचेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : रूस सरकार ने कृषि अनुसन्धान के क्षेत्र में सहयोग के

लिए एक करार का प्रस्ताव किया था। इस करार का पुनर्शोधित मसौदा आजकल रूस सरकार के विचाराधीन है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ विशेषज्ञों का आदान प्रदान वैज्ञानिक साहित्य, प्रजनन सामग्री और प्रशिक्षण सुविधायें, आदि हैं।

इसी मध्य मन्त्रियों और राजदूतों के स्तर पर परामर्श और विशेष कर 1969 में केन्द्रीय कृषि मन्त्री की रूस यात्रा के फलस्वरूप सोवियत सरकार ने भारत के अनुसन्धान केन्द्रों में परीक्षण के लिये सूरजमुखी और कपास के बीज संभरण करने की पेशकश की। यह पेशकश स्वीकार कर ली गई है और आवश्यकतायें रुस सरकार को सूचित कर दी गई हैं। सुधरी किस्म की भेड़ों के सम्भरण की अन्य एक पेशकश भी रुस से हुई है और भारतीय विशेषज्ञों का दो आदमियों का दल आवश्यक चयन हेतु रूस गया है।

सम्बन्धित क्षेत्रों में रूस से और सहायता के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है।

उड़ीसा में ट्रैक्टरों की आवश्यकता

2642. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ट्रैक्टरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और वर्ष 1968 तथा 1969 में कितने ट्रैक्टर सप्लाई किये गये ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1969 में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त कोटे के कोई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितना अतिरिक्त कोटा मांगा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 196५ के दौरान उड़ीसा में ट्रैक्टरों की अनुमानित मांग 500 थी। इसकी तुलना में मांग, अधिक उपज देने वाली किस्मों के क्षेत्र, ट्रैक्टरों की संख्या और राज्य को जो पहले ही अलाट हुए ट्रैक्टरों की संख्या को ध्यान में रखने के बाद राज्य को 400 ट्रैक्टर नियत किए गए। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1969–70 में 200 ट्रैक्टरों की मांग होगी। आयात कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही नियतन किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध के बारे में भूतपूर्व वित्त मन्त्री के विचार

2643. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के समक्ष भाषण देते हुए भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने सुझाव दिया था कि मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा चलाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये ;

(ख) क्या सारे देश में मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा चलाने वालों की जनगणना करने हेतु एक अध्ययन दल नियुक्त करने का सरकार का विचार है जो चालकों को वैकल्पिक रोजगार देने के सम्बन्ध में भी कोई योजना बनाए ; और

(ग) क्या यह कार्य महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इस सम्बन्ध में अखबारों में समाचार छपा था।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 1955 में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि रिक्शा खींचना धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दिया। राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया कि वे:—

(1) रिक्शा खींचना समाप्त करने के लिए क्रमिक कार्यक्रम बनाएं ;

(2) कार्य की शर्तें, डाक्टरी परीक्षा इत्यादि के लिए उपयुक्त विनियम निर्धारित करें ;

(3) रिक्शा खींचने वालों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देकर बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला शोषण बन्द करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

फार्मों में अधिक उपज वाले बीजों का उत्पादन

2644. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सरकारी फार्मों में वर्ष 1968 तथा 1969 में अधिक उपज वाली किस्मों के गेहूँ के बीजों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी अवधि में गैर-सरकारी फार्मों से कितना बीज प्राप्त किया गया था ; और

(ग) क्या वर्ष 1970 के लिए इस प्रकार के बीजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और यदि हां, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों आदि से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) चौथी योजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 1969-70 में 2?,000 एकड़ क्षेत्र में गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के प्रमाणीकृत बीज उत्पन्न करने की सम्भावना

है। इससे 1970-71 में गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत 80 लाख एकड़ भूमि के लिए बीज उत्पादन हो सकेगा और आगामी वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1970–71 में 32,000 एकड़ क्षेत्र में प्रमाणीकृत बीज उत्पन्न करने का प्रस्ताव है।

आयातित गेहूं का जमा हो जाना

2645. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित गेहूं, सफेद और लाल दोनों, के मूल्य में वृद्धि किये जाने के कारण यह अलोकप्रिय हो गया है और विभिन्न गोदामों में जमा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार अमरीका तथा आस्ट्रेलिया से इस वर्ष गेहूँ आयात करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ग) क्या सरकार राज्यों के गोदामों में जमा आयातित गेहूं के निपटान के सम्बन्ध में विचार करेगी ओर इस सम्बन्ध में नीति में संशोधन करेगी ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) आयातित तथा देसी दोनों प्रकार की लाल गेहूं का निर्गम मूल्य बढ़ा दिया गया है लेकिन आयातित तथा देसी दोनों प्रकार की सफेद गेहूं का निर्गम मूल्य घटा दिया गया है। यह अब साझा मूल्य केन्द्रीय पूल से दी जाने वाली आयातित तथा देसी गेहूँ की सभी किस्मों का है। केवल दो या तीन राज्यों में विभिन्न कारणों से आयातित गेहूँ का कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : राज्य सरकारों के पास जब कभी स्टाक इकट्ठा हो जाता है तब उसकी निकासी कराने के लिए केन्द्रीय स्टाक से गेहूँ का कम आंवटन किया जाता है इस नीति का पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता दिखायी नहीं देती है।

हजारी बाग जिले में नेशनल पार्क

2646. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के हजारी बाग जिले में नेशनल पार्क पर्यटन का काफी बड़ा आकर्षण केन्द्र है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस पार्क को अपने नियंत्रण में लेने का है अथवा कम से कम पार्क का अधिकतम विकास करने में पर्याप्त सहायता देने का है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस पार्क की लगभग 100 एकड़ भूमि का सौदा एक व्यक्ति के साथ किया जा रहा हैं जिसके कारण बिहार के लोगों के मन में बहुत नाराजगी फैली हुई है और आन्दोलन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि पार्क की किसी भूमि का सौदा किसी व्यक्ति के साथ न किया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह सत्य है कि हजारी बाग जिले का राष्ट्रीय पार्क पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केन्द्र है।

(ख) राष्ट्रीय पार्क राज्य सरकार के नियन्त्रण में है, क्योंकि वन और वन्यप्राणी संविधान की सप्तम अनुसूची के अनुसार राज्यों के कार्यकलापों की सूची में आते हैं। पार्क अपने कब्जे में लेने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। नेशनल पार्क के विकास के लिये सहायता का भी केन्द्रीय सरकार के पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों को वन विकास योजनाओं के अन्तर्गत एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं में प्रकृति संरक्षण योजनायें भी सम्मिलित हैं, जिनमें नेशनल पार्क और वन्य प्राणी आश्रय स्थलों के विकास की व्यवस्था मौजूद है।

(ग) और (घ) : बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जून, 1968 में बिहार के हजारी बाग जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में श्री केदारनाथ मिश्रा के नाम 53.18 एकड़ भूमि के पट्टे का आदेश जारी किया गया। किन्तु नवम्बर, 1968 में इस प्रश्नों पर पुनर्विचार किया गया और भूमि को निर्मुक्त न करने के आदेश दिये गये। अत: अब भी यह भूमि वन विभाग के अधीन है और वन विभाग ही नेशनल पार्क का प्रबन्ध करता है।

Delhi-Jaipur Microwave Circuit

2647. Shri Bansh Narain Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 108 new lines are being added to the Delhi-Jaipur Microwave circuit under the Delhi-Jaipur direct dialling telephone service;

(b) whether it is also a fact that a tower higher than Qutab is being erected in Delhi for the purpose;

(c) the number of such other towers being erected for direct dialling telephone service on Delhi-Jaipur route, the time by which they would be completed and the time by which the dialling service is likely to start; and

(d) the total amount being spent by Government to complete this work ?

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. 108 additional telephone channels are being installed on Delhi-Jaipur microwave route. The direct trunk dialling facility is already available between Jaipur and Delhi since 1964. The additional channels are being provided to meet the growing traffic requirements.

(b) Yes. A steel tower of height 100 metre has been erected at a ridge near Shankar Road. This is about one and a half times the height of Qutab Minar.

(c) Under Delhi-Jaipur microwave six other towers ranging in height from 20 to 100 metres have been erected at different locations. The work on this microwave scheme is expected to be completed by the end of this year. As stated earlier direct dialling service is already working between Delhi and Jaipur.

(d) The total cost of the Delhi-Jaipur microwave project is estimated at Rs. 112 lakhs.

Price Protection and Export of Potato

2648. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the potato growers do not get adequate price for their yield because no protection is given to it at National level while it is done in the case of wheat;

(b) if so, whether Government propose to formulate schemes for the export of potatoes and for preparing other eatables from them under the small scale Industries Scheme; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) The Government of India have in the past taken several steps to expand the market for potatoes and thereby ensure better returns to the growers. These, inter alia, included assisting the State Governments for construction of cold storages for potatoes, provision of railway transport for moving supplies from the main assembling centres, encouragement to formation of Producers' Cooperative Societies. Technical schemes for manufacture of other products like de-hydrated potato chips, starch, etc. from potatoes have also been formulated. An Internal Action Group has been set up in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation to go in to all the aspects of marketing of potatoes, including exports, prices, transport, storage (including cold storage), dehydration, etc.

अधिक उपज वाली किस्मों की सघन खेती का कुल क्षेत्र

2649. श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक कुल कितने क्षेत्र को अधिक उपज वाली किस्मों की सघन खेती के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ख) चौथी योजना के अन्त में यह क्षेत्र कितना हो जाने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 के दौरान 210 लाख एकड़ भूमि को अधिक उपज देन वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई गई थी। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि 1968 खरीफ में लगभग 90.0 लाख एकड़ भूमि में इन क़िस्मों की खेती की गई थी। 1968-69 के रबी/ग्रीष्म के लिये अधिकांश से जानकारी अभी आनी हैं। रबी मौसम में अनुमानित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राय: रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए 1968-69 के लिये निश्चित किया गया 216.0 लाख एकड़ का लक्ष्य सम्भवतः प्राप्त हो जायेगा।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक लगभग 600 लाख एकड़ भूमि को अनाजों की अधिक उपज देने वाली विभिन्न किस्मों के अन्तर्गत लाये जाने की सम्भावना है।

पटसन का उत्पादन

2650. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में पटसन का उत्पादन सब से कम हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन में कमी का मुख्य कारण पटसन की बुवाई के क्षेत्र में कमी होना है। यह कमी गत वर्ष, जिसमें कि फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ था, किसानों को उसकी पटसन की उपज का कम मूल्य मिलने और विशेषकर बोने के समय मौसम ठीक न होने के कारण हुई थी।

(ग) पटसन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्न कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं:-

(1) रेशों की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिये पटसन और मेस्ता के विशेष पैकेज कार्यक्रम।

(2) यूनिट उपज को बढ़ाने के लिये पटसन और मेस्ता की फसलों पर यूरिया का हवाई छिड़काव।

(3) प्रमाणीकृत सुधरे हुए पटसन के बीजों का सहाय्य-प्राप्त विवरण; और

(4) रेशे की किस्म में सुधार करने के लिये सड़ान-तालाबों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत सहाय्य के रूप में वित्तीय सहायता देना।

टिकटों का पूरा एल्बम

2651. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार टिकट संकलनकर्ताओं के लाभ के लिये देश में जारी की गई सभी टिकटों की एक ही एल्बम जारी करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार के विचार में सरकार द्वारा जारी की गई टिकटों का पूर्ण संग्रह टिकट संकलनकर्ता किस प्रकार कर सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्मारक डाक-टिकट समिति संख्या में छापे जाते हैं और डाक-टिकटों का संकलन करने वालों से यह आशा की जाती है कि वे इनके उपलब्ध होने की अवधि में ही ये खरीद लें या फिर डाक-टिकट विक्रेताओं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लें ।

टाटा की फर्मों से कर्मचारियों की छंटनी

2652. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टाटा उद्योग समूह की कम्पनियों में से एक जी० आर० ए० नामक फर्म ने संगणक लगाकर सिकन्दराबाद, पटना, एरनाकुलम तथा अन्य केन्द्रों से अपने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है;

(ख) क्या उनकी छटनी के विरुद्ध 30 अप्रैल, 1969 को कर्मचारियों ने हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति

2653. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों का स्वदेश लौटना तथा उनका पुनर्वास कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक यहां पर कितने लोग आ चुके हैं; और

(ग) अभी और कितने लोग आने बाकी हैं और उनके कब तक स्वदेश लौटने की आशा है तथा वे कब तक पुनः बसाये जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत-श्रीलंका करार, 1964, के अधीन 30 जून, 1969, तक आने वाले भारतीयों की संख्या 9,792 थी । स्वदेश लौटने वाले अधिकांश भारतीय सीधे अपने गांवों को चले गये हैं और अपने आप बस गये है । राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 657 व्यक्तियों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है ।

(ग) भारत–श्रीलंका करार, 1964, के अनुसार, भारत द्वारा श्रीलंका में रह रहे 5,25,000 राष्ट्रिकताहीन भारतीयों को नागरिकता प्रदान की जानी है । उन्हें और उनकी प्राकृतिक वृद्धि को 15 वर्षों की अवधि में, जहां तक संभव होगा बराबर बांट कर, क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्वदेश लौटाया जायेगा । उनके प्रत्यावासन के साथ साथ, उन व्यक्तियों की पुनर्वास सहायता का कार्यक्रम भी हाथ में ले लिया जायेगा ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रभाव

2654. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से ऊंचा उठाने में सामुदायिक विकास योजना का क्या प्रभाव हुआ है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप हुआ विकास समूचे देश में समान रूप से हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो कौन से राज्य तथा क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान द्वारा हाल में याऌच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किये गये देशव्यापी अध्ययनों से पता चला है कि गांवों के अधिकांश लोगों का मत है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने और इसके अन्तर्गत प्रदान की गई क्षेत्रीय विस्तार सेवाओं ने उनको काफी लाभ पहुंचाया है और कृषि उत्पादन बढ़ाने और समाज कल्याण में उनकी निश्चित रूप से सहायता की है ।

(ख) और (ग). सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभों में निसंदेह कुछ सीमा तक असमानता रही है, जो इस प्रकार के कार्यक्रम में कुछ सीमा तक होना स्वाभाविक है । कृषि में नवीनताओं के अपनाये जाने की सीमा आर्थिक रूप में फार्म के आकार से और सामाजिक रूप में रहने के सहन के स्तर, जाति-स्तर और शिक्षा द्वारा निर्धारित की गई । गांवों में यह पाया गया कि उनका आकार और जातियों, संस्थाओं और संगठनों की विविधता का नवीनताओं के अपनाये जाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । ऊंची जातियों वाले और बड़े गांवों

में परिवर्तन अधिक सुग्राह्य थे; दूसरी ओर किसी एक जाति के लोगों का अधिक संख्या में होने से परिवर्तन में बाधा उत्पन्न हुई। पुरुषों में साक्षरता के उच्च स्तर तथा बिजली की उपलब्धता से खेती के तरीकों को अपनाना सुविधाजनक हुआ सामान्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम पंचायती राज लागू किये जाने के बाद उत्तम प्रकार से क्रियान्वित हुआ। विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास आदि राज्यों में, जहाँ पंचायती राज संस्थायें शक्तियों और संसाधनों के अन्तरण के कारण शक्तिशाली थीं, प्रगति अपेक्षाकृत अच्छी रही।

संगीत एवं नाटक डिवीजन द्वारा खरीदा गया सामान

2655. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या गत तीन वर्षों में संगीत एवं नाटक डिवीजन ने विशिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितना सामान खरीदा था;

(ख) क्या इन वस्तुओं में से किसी के लिये टेंडर मंगवाये गये थे; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) संगीत एवं नाटक डिवीजन के क्रय अधिकारी/अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में खरीद अधिकारी/अधिकारियों के माध्यम से कितने का सामान खरीदा गया तथा उसके सम्बन्ध में उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी क्रय अधिकारी द्वारा सामान खरीदने के सम्बन्ध में कदाचारों के आरोप लगाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री(श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (घ). संगीत तथा नाटक प्रभाग दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा दिल्ली से बाहर के 13 कार्यालयों के स्टाफ के प्रत्येक मद के बारे में शीर्षक के अनुसार हिसाब नहीं रखता क्योंकि लेखापरीक्षा की दृष्टि से इसकी आवश्यकता नहीं है। गत तीन वर्षों की जो सूचना मांगी गई है उसके संकलन में पर्याप्त श्रम और समय लगेगा जो निकलने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) निर्धारित नियमों के अन्तर्गत सामान खरीदने के लिये प्रायः टेन्डर मांगे जाते हैं।

(ग) विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारियों द्वारा सामान खरीददारी की जाती है। वर्तमान अधिकारियों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. **दिल्ली स्थित मुख्यालय**

1.	श्री पी. एस. रामाराव	उपनिदेशक (प्रोडक्सन)
2.	श्री एल. पन्त	उपनिदेशक (बोर्डर)
3.	श्री निरन्जन देसाई	उपनिदेशक (परिवार नियोजन)
4.	श्री वी. वी. माने	उपनिदेशक (स्क्रिप्ट)
5.	श्री पी. पाठक	उपनिदेशक (सेना मनोरंजन स्कन्ध)

6.	श्री गुरदेवसिंह	सहायकनिदेशक (प्रोडक्सन)
7.	श्रीमती ए. बाबा	सहायकनिदेशक (सामान्य प्रशासन)
8.	श्री एस. पी. गुप्ता	सहायक निदेशक (प्रशासन)
9.	श्री गुलशन कपूर	मैनेजर
10.	श्री इफन अश्करी	मैनेजर
11.	श्री के. वी. रैडी	मैनेजर
12.	श्री एच. एम. गुरंग	मैनेजर
13.	श्री जे. एन. कौशल	मैनेजर
14.	श्री गोबिन्द प्रसाद	मैनेजर
15.	श्री सुशील कुमार	मैनेजर
16.	श्री चरंजीत गुलाटी	मैनेजर

2. **बाहर के कार्यालय**

(1) **परिवार नियोजन केन्द्र**

1.	डा. एच. के रंगनाथ	उप निदेशक,	बंगलोर
2.	श्री ए. एन. गंगुली	,,	अहमदाबाद
3.	श्री नेपाल नाग	,,	कलकत्ता
4.	श्री आर. एन. त्रिसेरिया	,,	चण्डीगढ़
5.	श्री बी. एल. शाह	,,	लखनऊ
6.	श्री खाली स्थान	,,	भोपाल

(2) **सीमावर्ती प्रचार केन्द्र**

7.	श्री आर. एस. पेन्टल	सहायक निदेश,	श्रीनगर
	श्री वी. एल. चोपड़ा	मैनेजर	,,
	श्री वाई. के. सवावल	प्रोड्यूसर	,,
8.	श्री गोपाल मूर्ति	सहायक निदेशक	इम्फाल
	श्री पी. पी. मरार	प्रोड्यूसर	,,
9.	श्री आर. के. बरारू	सहायक निदेशक	शिमला
	श्री विजय सरस्वती	प्रोड्यूसर	,,
10.	श्री वी. डी. त्रिपाठी	सहायक निदेशक	नैनीताल
11.	खाली	सहायक निदेशक	दरभंगा
	श्री एस. एन. कुण्डू	प्रोड्यूसर	,,
12.	श्री एस. आर. के पिल्लई	सहायक निदेशक	जोधपुर
	श्री सत्यनारायण	प्रोड्यूसर	,,
13.	श्री के. एम. हजारिका	सहायक निदेशक	गोहाटी
	श्री नानी बेरुआ	प्रोड्यूसर	,,

(ङ) जी, नहीं।

रेडियो लाइसेंस फीस में कमी

2656. श्री यशपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक प्रसारण से आय बढ़ जाने के कारण रेडियो लाइसेंस फीस कम करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखे का सामना करने के लिये उड़ीसा को वित्तीय सहायता

2657. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में उड़ीसा के लिये राज्य में सूखे की समस्या को हल करने के लिए जो उस राज्य की एक विशेष समस्या है, धन के रूप में कितनी केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई है;

(ख) राज्य सरकार ने इस विशेष समस्या को हल करने के लिये जो योजनायें प्रस्तुत की हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस उद्देश्य के लिये राज्य के चिरकाल से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन कौन से हैं

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) . निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के विकास की योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को सौंप दी गई है। वित्तीय सहायता के योजना-वार दिये जाने की अब कोई व्यवस्था नहीं है और सहायता ब्लाक अनुदान और ऋण के माध्यम से दी जाती है। अतः अनुदान को राज्य की समस्याओं के साथ मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि विभिन्न राज्यों को (जिन में उड़ीसा भी शामिल है) वितरित की जाने वाले केन्द्रीय सहायता के विषय में, एक निर्णायक बात यह है कि सहायता का 10 प्रतिशत भाग राज्यों को इसलिये दिया जाता है कि कतिपय विशेष समस्याओं को (जिनमें निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की समस्यायें भी सम्मिलित है) हल करने में सहायता मिल सकें।

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा घोषित किये गये निरन्तर रूप से सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1584/69] जहां तक वर्ग 'ग' का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग राज्य के सभी असिंचित क्षेत्र प्रायः हर दस सालों के बाद एक बार सूखे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिये ऐसी क्षेत्रों की कोई अलग सूची तैयार नहीं की गई हैं। वर्ग 'क' 'ख' और 'ग' उन्हीं क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। जहां हर तीन वर्षों, छः वर्षों या दस वर्षों में लगभग एक बार फसल पूर्णतः नष्ट हुई है।

उड़ीसा में टेलीफोनों की व्यवस्था

2658. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नये टेलीफोन लगाने की मांग बहुत बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में 31 जुलाई, 1969 को टेलीफोन लगाने के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ग) टेलीफोन लगाने के काम को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह): (क) और (ख). नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग में कोई असामान्य वृद्धि देखने में नहीं आई। 31 जुलाई, 1969 को 2247 आवेदन बकाया थे।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पिछली बकाया मांग और इस अवधि के दौरान होने वाली नई मांग को पूरा करने के लिये लगभग 5000-6000 अतिरिक्त लाइनों की एक्सचेंज क्षमता की वृद्धि का प्रस्ताव।

Articles written by Officials of Air Delhi for Publication

2659. **Shri A. Dipa :**
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Nar Deo Snatak :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some officials of A. I. R. Delhi contribute political articles etc. to local daily newspapers;

(b) if so, whether they had obtained prior official permission therefor;

(c) whether writing of such articles for publication is against official code; and

(d) if so, the steps contemplated by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Government is not aware of this.

(b) to (d). Do not arise.

कलकत्ता और भागलपुर के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

2660. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और भागलपुर के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह लाइन अधिकतर खराब ही रहती है; और

(ग) यदि हां, तो 30 जून, 1969 तक गत छः महीनों में कितने दिन, महीनेवार यह लाइन खराब रखी थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) भागलपुर और कलकत्ता के बीच टेलीफोन पर सीधे बात करने के लिये तीन परिपथ हैं ।

(ख) तीनों परिपथ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल, 1969 के दौरान कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से काम करते रहे । अलबत्ता मई और जून, 1969 के दौरान मुख्य रूप से बार बार तांबे की तार की चोरी हो जाने के कारण इन परिपथों ने संतोषजनक ढंग से काम नहीं किया ।

(ग) जिन दिनों पर कोई भी परिपथ उपलब्ध नहीं था, उनकी संख्या इस प्रकार थी:

जनवरी, 1969	कोई नहीं ।
फरवरी, 1969	कोई नहीं ।
मार्च, 1969	कोई नहीं ।
अप्रेल, 1969	एक ।
मई, 1969	कोई नहीं ।
जून, 1969	दो ।

बम्बई की गोदी के आगे के गोदामों में गेहूं खराब हो जाना

2661. श्री द्वा० ना० तिवारी
श्री से० ब० पाटिल :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री के० हल्दर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1969 को 'बिलट्ज' में प्रकाशित हुए समाचार के अनुसार भारी मात्रा में आयातित मात्रा में गेहूं नष्ट हो गया है तथा मानवीय उपभोग के योग्य नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई की गोदी के आगे के गोदामों में कितना गेहूं खाने के अयोग्य घोषित किया गया था और उसका मूल्य कितना है;

(ग) इस हानि के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि खत्तियों और गोदामों की समुचित व्यवस्था के अभाव में पंजाब और हरियाना से खरीदा गया गेहूं सड़ रहा है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) . बम्बई में भारी वर्षा से प्रभावित लगभग 246 मीटरी टन आयातित गेहूं मानव उपभोग के लिये अयोग्य पाया गया था । इस हानि की राशि का तभी पता लगाया जा सकता है जबकि क्षतिग्रस्त अनाज, जो कि मवेशियों और मुर्गी दाने तथा औद्योगिक इस्तेमाल के योग्य है, की बिक्री हो जाती है ।

(ग) यह पता लगाने के लिये इस मामले का जांच की जा रही है कि क्या कोई अधिकारी किसी भी प्रकार से इस हानि के लिये जिम्मेदार था ।

(घ) जी नहीं ।

A, I. R. Artistes

2662. Shri Shiv Charan Lal :
Shri A. Dipa :
Shri K. D. Tripathi :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications be pleased** to state:

(a) the total number of artistes in Delhi and other Stations of A. I. R. who are above 55/58/60/65 years of age and the number of producers among them; Station-wise;

(b) whether Government are aware that most of these producers remain indisposed; and

(c) whether Government propose to grant further extension to them and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 186; station-wise details are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT- 1585/69]**

(b) No such cases have come to the notice of the Government.

(c) Not in the ordinary course.

श्रम तथा रोजगार विभाग का पुनर्गठन

2663. श्री स० कुन्दू : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुई नई चुनौतियों का सामना करने के लिये श्रम तथा रोजगार विभाग का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय का पुनर्गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

कोयला मजदूरी मंडल का पंचाट लागू करना

2664. श्री रामचरण : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ए० श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह अपने उपयोग के लिये उन कोयला खानों से कोयला खरीदेगी, जिन्होंने कोयला खानों में मंजूरी मंडल के पंचाट को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन कोयला खानों से कितना कोयला खरीदा गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के मुख्य क्रेताओं को केवल उन्हीं कोयलाखानों के कोयला सप्लाई करने के टेंडर स्वीकार करने चाहिए, जो यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने मंजूरी बोर्ड की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें उन कोयलाखानों के नाम दिये गये हैं, जिन्होंने क्रियान्वित का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है सभा पटल पर रखा गया है, [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०- 1586/69]

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2664, दिनांक 7-8-1969 के भाग (ख) में निर्दिष्ट विवरण

उन कोयला खानों की सूची जिन्होंने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया है (31-5-1969 तक)

क्षेत्र	कोयला खान का नाम
आसनसोल (पश्चिम बंगाल)	1. परबलिया कोयलाखान ।
	2. पईडीह कोयलाखान ।
	3. डामरा कोयलाखान ।
	4. बैंकसिमुलिया 7 और 8 पिट्स कोयला खान ।
	5. गिरमिट कोयलाखान ।
	6. न्यू केंडा कोयलाखान ।
	7. सीतलपुर कोयलाखान ।
	8. लछिपुर कोयलाखान ।

	9. बिनाकुरी 3 पिट्स कोयलाखान ।	
	10. बिनाकुरी 1 और 2 पिट्स	
धनबाद (बिहार)	11. गिडी 'ए' कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
	12. गिडी 'सी' कोयलाखान ।	
	13. अरगाडा कोयलाखान ।	
	14. स्याल कोयलाखान ।	
	15. भुर्कुंडा कोयलाखान ।	
	16. एन. सी. डी. सी. सौंदा कोयलाखान ।	
	17. वेस्ट बोकारो कोयला-खान ।	
	18. बचरा कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
	19. रजोरा कोयलाखान ।	
	20. सेरामपुर कोयलाखान ।	एन. सी.डी. सी.
	21. न्यू सुदामाडीह कोयलाखान ।	
	22. डिगवाहडीह कोयलाखान ।	
	23. जामाडाबा कोयलाखान ।	
	24. जामाडाबा 6 और 7 पिट्स कोयलाखान ।	
	25. एन.सी.डी.सी. सुदामाडीह कोयलाखान ।	
	26. बोकारो कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
	27. करगली कोयलाखान ।	
	28. चालबुरी कोयलाखान ।	
	29. जरानडीह कोयलाखान ।	
	30. कथरा कोयलाखान ।	
	31. स्वागं कोयलाखान ।	
	32. टाटा की सिजुआ कोयला-खान ।	
	33. कुरहरबारी कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
	34. मुरलीडीह 20/21 पिट्स कोयलाखान ।	
	35. चाच कोयलाखान ।	
	36. लं।डीह दीप कोयलाखान ।	
	37. मलकेरा चौइतुडीह कोयला-खान ।	

		38. भेलेटेंड कोयलाखान ।	
		39. मोनीडीह प्रोजेक्ट ।	एन. सी. डी. सी.
3.	जबलपुर (मध्य प्रदेश)	40. झिनगुर्डा कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
		41. पत्थरखेरा कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
		42. विश्रामपुर कोयलाखान ।	
		43. चर्चा कोयलाखान ।	
		44. जमुना कोयलाखान ।	
		45. कुसिया कोयलाखान ।	
		46. डुमल हिल कोयलाखान ।	
		47. कोरिया कोयलाखान ।	
		48. कोरबा कोयलाखान ।	
		49. बंकी कोयलाखान ।	
		50. सुराकतर कोयलाखान ।	एन. सी. डी. सी.
		51. मानिकपुर कोयलाखान ।	
		52. नौरोजाबाद कोयलाखान ।	
		53. कोतमा कोयलाखान ।	
		54. रावानवारा कोयलाखान ।	
		55. इकलेहरा कोयलाखान ।	
		56. डाटला वेस्ट कोयलाखान ।	
		57. भभोरी कोयलाखान ।	
		58. बरकुही कोयलाखान ।	
		59. चपवापिन्ट कोयलाखान ।	
		60. नोर्थ चाकसेटा कोयलाखान ।	
		61. ईस्ट डोंगर चिल्ली कोयलाखान ।	

सितम्बर, 1968 के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2665. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों के प्रतिनिधि तथा उसके सलाहकार को जो सितम्बर, 1968 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, अनिवार्य रूप से विमान की 'इकोनोमी क्लास' में यात्रा करनी पड़ी थी जब कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा उनके सलाहकार प्रथम श्रेणी में गये;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी प्रतिनिधि प्रथम श्रेणी में विमान यात्रा करने के अधिकारी हैं, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख). का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो प्रबन्धकों के प्रतिनिधि को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं तथा क्या वह नियम सरकारी प्रतिनिधियों पर लागू नहीं होता ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग). संभवत: आशय सितम्बर, 1968 में टोकियो में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई प्रादेशिक सम्मेलन से है। वर्तमान सरकारी अनुदेशों के अनुसार, शिष्टमण्डल के सभी सदस्य किफायत श्रेणी में हवाई यात्रा करने के हकदार हैं, लेकिन यदि कोई प्रतिनिधि। सलाहकार मंत्री अथवा संसद सदस्य हो या भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी हो, तो वह हवाई जहाज में प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हो जाता है। चूंकि श्रमिकों के प्रतिनिधि और श्रमिकों के सलाहकार संसद-सदस्य थे, इसलिये उन्होंने प्रथम श्रेणी में यात्रा की। नियोजकों के प्रतिनिधि ने प्रथम श्रेणी तथा किफायत श्रेणी के किरायों के अन्तर की अदायगी करके प्रथम श्रेणी में यात्रा की। नियोजकों के सलाहकार ने किफायत श्रेणी से यात्रा की।

श्रीनगर के लिए टेलिविजन

2666. श्री स० अ० अगड़ी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में शंकराचार्य हिल्ज पर टेलीविजन योजना के लिये श्रीनगर में एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सड़क निर्माण पर कितना अनुमानित व्यय होगा, इसकी लम्बाई कितनी होगी तथा राज्य सरकार को इसमें कितना अंशदान होगा; और

(ग) टेलीविजन योजना पर अनुमानतः कितना धन खर्च होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां।

(ख) सड़क, जो लगभग 6 कि० मी० लम्बी होगी, पर 94 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकार सड़क पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करेगी।

(ग) इस प्रायोजना पर कुल लगभग 256 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

दिल्ली में हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका को लोक प्रिय बनाना

2667 श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्राहकों को हिन्दी टेलीफोन निर्देशिका के स्थान पर अंग्रेजी में दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब ऐसा किया जायेगा और इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार दिल्ली में हिन्दी निर्देशिका को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी नहीं । टेलीफोन डायरेक्टरियां हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सप्लाई की जाएंगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हिन्दी डायरेक्टरी को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

1. सभी टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अगस्त, 68 में अलग-अलग कार्ड भेजकर हिन्दी डायरेक्टरी के प्रकाशित होने की सूचना भेजी गई थी और उनसे हिन्दी । अंग्रेजी डायरेक्टरी के बारे में विकल्प मांगा गया था ।

2. सभी स्थानीय दैनिक पत्रों में दिनांक 27-2-69 तथा 9-10 मई, 1969 को विज्ञापन देकर हिन्दी डायरेक्टरी के उपलब्ध होने के बारे में व्यापक प्रचार किया गया ।

3. हिन्दी डायरेक्टरी को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी अपने प्रभाव को प्रयोग में लाने के लिए प्रार्थना की गई थी । उन्होने हिन्दी डायरेक्टरी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को परिपत्र जारी किए हैं ।

आकाशवाणी के मुख्य परामर्शदाता के साथ किये गये करार में भेदभाव

2668. श्री कृ० दे० त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के एक मुख्य परामर्शदाता के साथ किये गये करार के एक खण्ड के अनुसार यह करार 12 या 13 महीने की पूर्व सूचना पर ही समाप्त हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा भेदभाव किये जाने के क्या कारण है; जब कि अन्य श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के करारों में 6 महीने की पूर्व सूचना देने का ही उपबन्ध है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस असंगति के कारण मुख्य परामर्शदाता की करार की शर्तों में परिवर्तन करने तथा इस भेदभाव को समाप्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) हिन्दुस्तानी संगीत के मुख्य प्रोड्यूसर के साथ किये गये करार में 12 महीने के नोटिस देने की व्यवस्था है ।

(ख) उस समय जब करार किया गया था, सामान्य रुप से करार पांच वर्ष की अवधि के लिये किये जाते थे और इस प्रकार के मामले में नोटिस की अवधि 5 महीने थी ।

इसी आधार पर मुख्य प्रोड्यूसर के नोटिस की अवधि 12 महीने रखी गई क्योंकि करार 12 वर्ष के लिये था।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों के साथ औपचारिक रुप से किये गये करार की शर्तें दोनों पक्षों की सहमति के बिना नहीं बदली जा सकती। अतएव, सरकार एकांगी कार्यवाही नहीं कर सकती।

ट्रैक्टर खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश को ऋण

2669. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश राज्य को कितने धन की मंजूरी दी है, जिससे वह किसानों को ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट तथा अन्य आयातित कृषि यन्त्रों को खरीदने के लिए ऋण तथा आर्थिक सहायता दे सके;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना कोई ऋण तथा आर्थिक सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने धन की मंजूरी दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) उस संशोधित क्रियाविधि के अनुसार जो 1958-59 में शुरू की गई थी और 1968-69 के अन्त तक जारी रही। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता वृहत विकास शीर्षकों के अन्तर्गत दी गई थी न कि अलग अलग योजनाओं या योजना समूहों के लिये।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

2670. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना के लिए वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है और वर्ष 1969-70 की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से कितना अंशदान मांगा गया है;

(ख) इस योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह काम पूरा हो जाएगा और इस योजना का नवीनतम अनुमानित व्यय कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान की पद्धति के अनुसार, जो 1968-69 में अपनाई जा रही है, सभी लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्र से 60 प्रतिशत ऋण तथा 15 प्रतिशत अनुदान मिल सकता है। वही पद्धति उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए अपनाई गई है। 1968-69 के दौरान राजकीय लघु उठाऊ सिंचाई योजनाओं पर वास्तव में 146.72 लाख रु० व्यय किये गये। इस में केन्द्रीय अंशदान 60 प्रतिशत ऋणों के रुप में और 15 प्रतिशत अनुदानों के रुप में था।

1969-70 के लिए केन्द्रीय सहायता की पद्धति संशोधित कर दी गई है। संशोधित पद्धति के अनुसार राज्यों को उनकी प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा अनुदानों के रुप में प्रति वर्ष दी जाती है। प्रत्येक राज्य को कुल सहायता का 30 प्रतिशत राशि प्रत्येक वर्ष अनुदान के रुप में और शेष 70 प्रतिशत ऋण के रुप में दी जाएगी। राज्य सरकारें अपनी इच्छानुसार विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता को वितरित कर सकती हैं। अतः उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसी अलग सहायता की मांग नहीं की गई है। फिर भी, 1969-70 के दौरान राज्य के बजट में लघु उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिए 180 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) तथा (ग). 1968-69 के दौरान 55,575 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 410 क्यूसैक्स क्षमता वाली 37 उठाऊ सिंचाई योजनायें पूरी की गई। 1969-70 के दौरान 1,00,725 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 677.5 क्यूसैक्स की क्षमता वाली 47 योजनायें पूरी होने की सम्भावना है। ये छोटी योजनायें हैं जिनके पूरा होने में कुछ महीने ही लगते हैं। नई योजनाओं के लिए साथ साथ सर्वेक्षण हो रहा है और उस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरुप यदि अतिरिक्त योजनाओं को उपयुक्त समझा गया तो उन्हें जारी रक्खा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान संस्था

2671. श्री विश्व नाथ पाण्डेय : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर कृषि अनुसंधान खोली गई हैं;

(ख) यदि कोई ऐसी संस्था नहीं खोली गई तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्थाओं को खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम जहां कृषि अनुसन्धान संस्थान। केन्द्र। उप-केन्द्र। अनुसंधान केन्द्र खोले गए है और जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्य कर रहे हैं, निम्न प्रकार हैं :—

1. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
2. भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी।
3. सनई अनुसंधान केन्द्र, जे० ए० आर० आई०, प्रतापगढ़।

4. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कानपुर।

5. गेंहू उत्पादन उप-केन्द्र भा० कृ० अनु० सस्थान, भुआली, जिला नैनीताल।

6. केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय आलू अनुसधान संस्थान, मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल।

7. आलू परीक्षणात्मक और जांच केन्द्र, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बाबूगढ़, जिला मेरठ।

8. भूमि संरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा।

9. भूमि सरक्षण अनुसंधान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून।

10. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान सस्था, इज्जत नगर, जिला बरेली (मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल स्थित इसकी शाखा सहित)

11. केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकीय अनुसन्धान उप-केन्द्र केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकीय अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद।

12. क्षेत्रीय गन्ना अनुसंधान उप-केन्द्र गन्ना उत्पादन संस्थान, इक्षपुरी, लखनऊ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं होते।

कृषि यंत्रों के लिए कृषि उद्योग निगम।

2672. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कृषि-यन्त्रों को प्राप्त करने, उनका निर्माण करने तथा वितरण के कार्य का समन्वय करने के लिए कृषि-उद्योग निगम की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कृषि उद्योग निगम, जो कि अन्य बातों के साथ साथ कृषि कार्यों के द्रुत यंत्रीकरण विषयक कार्यो का समन्वय भी करेगी, स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में यथा समय निर्णय हो जाने की आशा है।

'समाचार भारती न्यूज एजेंसी के बारे में पत्रकार मजूरी बार्ड की सिफारिशें

2673. श्री कार्तिक उरांव : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये पत्रकार मजूरी बोर्ड ने अपनी सिफारिश दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समाचार भारती न्यूज एजन्सी को किस श्रेणी में रखा गया है;

(ग) क्या पत्रकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार समाचार भारती के पत्रकार तथा गैर-पत्रकार कर्मचारियों को वेतन, महगाई भत्ता, नगर भत्ता और अन्य सुविधायें मिलेगी; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) श्रेणी (सात) जैसा कि प्रबंधको ने सूचित किया।

(ग) जी हां, जहां तक पत्रकार श्रमिकों का संबंध है, गैर पत्रकार कर्मचारियों को गैर-पत्रकार संबंधी मजूरी बोर्ड की सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा सहकारी समितियों तथा उद्योगपतियों को ऋण दिया जाना

2674. श्री के० रमानी : **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री भगवान दास :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी सहकारी समितियों तथा गैर-सहकारी उद्योगपतियों को पुनर्वास उद्योग निगम से ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) इस योजना से कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या यह सच है कि इन सहकारी समितियों और गैर-सरकारी उद्योगपतियों के पास कार्य करने वाले कर्मचारियों को श्रमिक विधियों का लाभ प्राप्त नहीं होता; और

(घ) यदि हां, तो इन कानूनों को लागू करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पांच

(ख) जिन योजनाओं के लिये ऋण दिया गया है उनमें अब तक 302 विस्थापित व्यक्ति रोजगार पर लगाये गये हैं।

(ग) कर्मचारियों को श्रमिक विधियों का लाभ प्राप्त होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों का बन्द होना

2675. श्री अ० कु० गोपालन : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम के अधीन पश्चिम बंगाल में चलने वाले कुछ उद्योगों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उनको पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केवल एक एकक, रूपनारायणपुर वुड वर्क्स, बन्द कर दिया गया है।

(ख) एकक निरन्तर हानियों में चल रहा था और इसलिये निगम के संचालक बोर्ड ने एकक को बन्द करने का निश्चय किया। श्रमिकों को पुनर्वास उद्योग निगम के अन्य एककों में वैकल्पिक रोजगार प्रदान किये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारी

2676. श्री के० एम० अब्राहम : श्री भगवान दास :
श्री गणेश घोष : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास उद्योग निगम के कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधाएं अथवा प्रसूतिकालीन सुविधाएं नहीं दी जाती;

(घ) क्या यह भी सच है कि अधिकारी लोग औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाटों को भी कार्यान्वित नहीं करते; और

(ङ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। पुनर्वास उद्योग निगम के औद्योगिक एककों के कर्मचारियों को जो वेतन

दिया जाता है वह इस प्रकार के अन्य औद्योगिक संस्थानों में दिये जाने वाले वेतन की तुलना में अधिक अच्छा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम के सचालकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई योजना के अधीन, निगम के उन कर्मचारियों को, जो मासिक वेतन-मान पर है, वैसी ही चिकित्सा सुविधाऐं और प्रसूतिकालीन सुविधाएं मिलती है जैसी कि भारत सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य हैं। दिहाड़ी पर कार्यदर के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकाशतः कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं जिसमें दोनों, चिकित्सा तथा प्रसूतिकालीन सुविधाएं सम्मिलित हैं। तथापि हस्तकारघा उत्पादन केन्द्रों के कर्मचारी, कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आते और उन्हें चिकित्सा सुविधाएं तथा प्रसूतिकालीन सुविधाएं प्राप्त नहीं है।

(घ) जी, नहीं। सीधे निगम द्वारा चलाये जा रहे औद्योगिक एकक औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाटों के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में परिवार नियोजन एकक के लिए स्क्रिप्ट लेखक

2677. श्री शिव नारायण : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवार नियोजन एकक के लिए स्क्रिप्ट लेखक का एक पद रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस समय कार्य किस प्रकार चल रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि इससे पहले दो बार चयन को रद्द करना पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) : जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) . पद 2 फरवरी, 1967 से बनाया गया था। उपयुक्त व्यक्ति को चयन द्वारा भर्ती करने के लिए प्रयत्न किये गये थे। उपयुक्त उम्मीदवार के न मिलने के कारण चयन द्वारा भर्ती करने के दो प्रयत्न सफल नहीं हुए। तीसरा प्रयत्न जारी है। चयन सम्बन्धी कार्यवाई को अंतिम रुप दिए जाने तक, एक व्यक्ति को 10-2-67 से 31-10-68 तक कैज्यूअल आधार पर रखा गया था, तत्पश्चात जब भी आवश्यकता होती है कैज्युअल आर्टिस्टों द्वारा स्क्रिप्ट लिखवाकर काम चलाया जा रहा है।

बिहार में अलाभकारी जोतों के लिए सुविधाएं

2678. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जून, 1969 को बिहार के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने विधान सभा के द्वार के सामने एकत्रित भारी भीड़ में यह घोषणा की थी कि 2 अक्तूबर 1969 को गांधी शताब्दी वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही सरकार प्रत्येक विशेषाधिकार-प्राप्त काश्तकार को उसकी घरेलू भूमि के लिए लिखित प्रमाण पत्र देगी, सभ लाभकारी जोतों से भू-राजस्व समाप्त कर देगी और राज्य में प्रत्येक हरिजन मुहल्ले में पेय जल की व्यवस्था कर देगी; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं या की गई है ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) और (ख) : बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान का जिस वक्तव्य से सम्बन्ध जोड़ा जाता है उसका कोई सरकारी रिकार्ड नहीं हैं। फिर भी यह सत्य है कि बिहार सरकार ने 1 जून, 1969 से प्रत्येक विशेषाधिकार प्राप्त पट्टेदार को अपनी वास भूमि के स्वामित्व का लिखित प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये एक विशेष आन्दोलन चलाया है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टरों को हिदायते दी जा चुकी हैं कि 2 अक्तूबर, 1969 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाये।

अलाभकर जोतों को भूराजस्व से मुक्त कर देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

गत कुछ वर्षों में हरिजन बस्तियों में काफी संख्या में पीने के पानी के संभरण की योजनायें कार्यान्वित की गई हैं। इस कार्य के लिये 1969-70 की अवधि में 2 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है। यद्यपि 2 अक्तूबर, 1969 तक प्रत्येक हरिजन बस्ती में अलग से कुंवे की व्यवस्था करना संभव नहीं है फिर भी गांधी शताब्दी वर्ष में इस दिशा में काफी प्रगति की जाने की आशा है।

Film on Famine

2679. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to produce a film on famine ;

(b) if so, the time by which the said film is likely to be produced; and

(c) the names of the States in respect of which the said film is proposed to be produced ?

The Minister of State For Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Does not arise.

Cultivation of Saline Land

2680. **Shri onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in areas which are under irrigation and where water remains accumulated the soil becomes saline and the land of the farmers is rendered useless; and

(b) if so, the measures adopted by Government with a view to render the saline soil cultivable ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : (a) Under tropica lconditions which obtain in India, waterlogging, specially in dry areas, tends to cause salinity and alkalinity of soils thereby rendering productive lands useless for cultivation. Such problem areas are quite extensive in Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore, Andhra, Pradesh and Tamil Nadu.

(b) Preventive methods adopted are: the lining of canals distributaries and field channels to reduce the seepage losses. Surface and subsoil drainage is provided to leach out the salts. Addition of soil amendments, like application of Gypsum, molasses, green manuring etc. is also widely used to reduce the salinity, after which agronomic practices, like salt tolerant a and salt resistant crops, are cultivated in the initial stage and when complete reclamation is done normal crop rotation is followed.

Reclamation of saline and alkali lands have been carried out over an area of 1.50 lakh acres during the previous plans. In the Fourth Plan, about 2.0 lakh acres of saline, alkali and waterlogged area in the country are proposed to be taken up for reclamation at an estimated cost of about Rs. 6.0 crores under State Plan Schemes.

गन्ने का मूल्य

2681. **श्री के० कृ० दास चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना विकास परिषद् ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि इस वर्ष गन्ना उत्पादकों को गन्ने का कम से कम मूल्य 10 रुपये प्रति क्विन्टल या 100 रुपये प्रति टन दिया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर पहले से ही निर्धारित 7.37 रुपये प्रति क्विन्टल गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में श्रमिक-संघवाद

2682. **श्री के० कृ० दास चौधरी** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टक के प्रधान ने श्रमिक संघों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए राजनीतिक दलों के संघर्ष को देखते हुए यह चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में सामान्य श्रमिक संघवाद के अस्तित्व और श्रमिक संघों की गतिविधियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में कुछ समाचार देखे हैं।

(ख) सरकार ने औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए हिंसा तथा घेराव करने की निन्दा की है। ट्रेड यूनियनों द्वारा घेराव करने के विषय पर स्थायी समिति की मई, 1967 में हुई बैठक में विचार किया गया और इस समिति ने औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिये बल–प्रयोग व डराने धमकाने की सभी कार्यवाइयों, जिनमें घेराव (गलत तरीके से घेरना) भी शामिल है, का अनुमोदन नहीं किया। राज्य सरकारों को तदनुसार परामर्श दिया गया है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में व्यापारिक विज्ञापन से आय

2683. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से व्यापार–विज्ञापनों का प्रसारण सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ख) गत तीन महीनों में इससे कितनी मासिक आय हुई है; और

(ग) इस कार्यक्रम के प्रति श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) इस केन्द्र का अप्रैल–जून, 1969 के तीन महीनों में शुद्ध आय का अनुमान लगभग 10,50,000—रुपये हैं।

(ग) अभी तक व्यवस्थित रूप से कोई श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि सामान्य मूल्यांकन यह है कि सेवा श्रोताओं में लोकप्रिय है।

आकाशवाणी से तमिल में समाचारों का प्रसारण

2684. **श्री किरुतिनन :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि आकाशवाणी से तमिल में प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण करते समय "प्रान्तीय शयदिगल" की बजाये "मानिला शयदिगल" घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

मनीपुर में छोटी सिंचाई योजना

2685. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर के लिए छोटी सिंचाई कार्यों की श्रृंखला स्थापित करने की एक योजना बनाई है और उसके तत्काल क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय अनुदान तथा तकनीकी स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने किसी भी छोटी सिंचाई योजना पर काम आरम्भ नहीं किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। मनीपुर प्रशासन ने लघु सिंचाई कार्यों की श्रृंखला स्थापित करने की किसी योजना के लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय से वित्तीय अनुदान तथा तकनीकी स्वीकृति के लिए नहीं कहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) सघ क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्य प्रगति कर रहे हैं । और गत तीन वर्षों में लगभग 8.0 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं । चौथी योजना और वर्ष 1969-70 के लिए स्वीकृत परिव्यय क्रमशः 22.0 लाख रुपये तथा 5.5 लाख रुपये हैं ।

इम्फाल के लिए आकाशवाणी का नया ट्रांसमीटर

2686. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र के लिए 50 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नया ट्रांसमीटर कब चालू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) ट्रांसमीटर के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है । उपकरण प्राप्त कर लिया गया है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नये ट्रांसमीटर की 1970 के वर्ष के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

श्रमिक संघों के नेताओं की मणिपुर के श्रम-आयुक्त के साथ भेंट

2687. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के श्रमिक संघों के नेताओं ने श्रम आयुक्त के साथ उसके कार्यालय में मई, 1969 के तीसरे सप्ताह में एक भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो भेंट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और किन-किन श्रमिक संघों ने अपने नेता उक्त भेंट में भाग लेने के लिए भेजे थे;

(ग) क्या मनीपुर के लिये श्रम सम्बन्धी मूल्यांकन एवं क्रियान्वियन समिति की बैठक गत तीन वर्षों से नहीं बुलाई गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

श्रीनगर में टेलीविजन टावर स्थापित करने का विरोध

2688. **श्री यशपाल सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्म गुरुओं ने जिनमें केन्द्रीय सरकार के एक मंत्री भी शामिल हैं, श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर टेलीविजन टावर बनाने पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुजराल) : (क) और (ख) : श्रीनगर में शंकराचार्य पहाड़ी पर टेलीविजन टावर तथा सड़क बनाने पर आपत्तियां उठाई गई हैं जिनकी सूचना सरकार को मिली है। मामला अभी विचाराधीन है।

आसाम तेल कम्पनी के श्रमिक संघ की मान्यता

2689. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिगबोई स्थित आसाम तेल कम्पनी को आसाम तेल कम्पनी के श्रमिक संघ को मान्यता देने के लिये सहमत करने में सफल हो गई है,

(ख) यदि नहीं, तो अनुशासन संहिता का उल्लंघन करने के कारण इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है,

(ग) क्या सरकार को पता है कि आसाम तेल कम्पनी अल्पसंख्यक संघ से ही परामर्श करती है और उनके परामर्श से ही विवाद को सुलझाने की कोशिश करती है, और

(घ) क्या सरकार इस अनुचित श्रम प्रक्रिया नहीं समझती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ख) . की गई जांच के विरुद्ध आसाम तेल कम्पनी लि० तथा वर्तमान मान्यता प्राप्त यूनियन की लगातार आपत्तियों के कारण इस मामले को केन्द्रीय मूल्यांकन और क्रियान्विति समिति के समक्ष रखने का फैसला किया गया है। जब तक अन्य यूनियन को विधिवत मान्यता नहीं दी जाती तब तक प्रबन्धकों को उस यूनियन से विचार-विमर्श करने से कोई नहीं रोक सकता जिसे वे मान्यता देते है ।

रहट द्वारा सिंचाई कार्य ।

2690. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से रहटों द्वारा सिंचाई के कार्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और राज्यवार उसका अग्रेतर ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय अवधि में रहट द्वारा अनुमानतः कितना सिंचाई कार्य पूरा किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उपकर का भुगतान

2691. श्री शिवचन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में लोहात, साकरी तथा रयाम में चीनी के मिलों को गन्ना उपकर देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक उन्होंने गन्ना उपकर के रूप में कितनी राशि दी है और अब उनकी ओर कितनी राशि बकाया है;

(ग) उक्त चीनी मिलों से गन्ना उपकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसमें कितनी सफलता मिली है ; और

(घ) गन्ना उपकर की वसूल की गई राशि का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अब तक तीन कारखानों ने उपकर गन्ना खरीद कर के रूप में 176.11 लाख रुपये दिये हैं और अब उनकी ओर 25.71 लाख रुपये बकाया हैं।

(ग) लोहात तथा सकरी कारखानों ने बकाये का सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किस्तों में भुगतान कर दिया है और चालू बकाये के लिये भी इन कारखानों को किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जा रही है। रयाम कारखाने ने वसूली प्रमाण पत्र दायर करने के विरूद्ध अपील कर दी है और बिहार अधिनियमे तथा बाद में बिहार अध्यादेशों की वैधता को चुनौती दी थी। सरकार इस अपील का प्रतिवाद कर रही है।

(घ) राज्य सरकार ने लगाये गये गन्ना उपकर/गन्ना खरीद कर को राज्य के सामान्य राजस्व में विलय कर दिया है और इसे किसी विशेष खर्चे के लिये सुरक्षित नहीं किया गया है। राज्य सरकार बिहार के लिये गन्ना बोर्ड तथा क्षेत्रीय विकास परिषदों को गन्ने के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के लिये अनुदान दे सकती है।

बिहार में कृषि ऋण सहकारी समितियां

2692. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे नियम बनाये हैं जिनके अन्तर्गत एक ग्राम पंचायत में केवल एक ही कृषि ऋण सहकारी समिति बनाई जा सकेगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी उपमंडल में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें एक से अधिक कृषि ऋण सहकारी समिति हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी) : (क) और (ख) · प्राथमिक ऋण समितियों के गठन के बारे में स्वीकृत नीति यह है कि चल सकने की क्षमता रखने वाली यूनिटें स्थापित की जाएं। चल सकने की क्षमता की परिभाषा इस प्रकार की गई है—प्राथमिक ऋण समिति में अपना निजी

नियमित कार्यालय स्थापित करने, पूर्णकालिक वेतनधारी सचिव अथवा प्रबन्धक नियुक्त करने, आवश्यक समझे गए मानों के आधार पर सांविधिक तथा अन्य संचितियों में अंशदान देने और पूंजी पर प्रतिलाभ देने की क्षमता। एक समिति द्वारा चल सकने की क्षमता प्राप्त करने के लिए सम्भाव्य व्यापार की आवश्यकता होती है, उसका क्षेत्रवार हिसाब लगाना होता है और उन क्षेत्रों के सीमांकन के लिए सर्वेक्षण करना होता है जो अपेक्षित व्यापार सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके से अलग-अलग प्राथमिक ऋण समितियों के लिए क्षेत्रों का सिमांकन करने में गांव समुदाय को प्राथमिक यूनिट मानकर समिति का गठन करके चल सकने की क्षमता प्राप्त नहीं की जा सके तो अपेक्षित सम्भाव्य व्यापार प्राप्त करने के लिए समिति के अन्तर्गत के गांवों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। तथापि इस बारे में शर्त यह है कि 3000 (अर्थात 600 परिवार अथवा लगभग 500 काश्तकार परिवार) से अधिक की आबादी और मुख्यालय वाले गांव से 3 या 4 मील से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। यदि सीमांकित क्षेत्र में एक से अधिक समितियां हों, तो उनमें से केवल एक समिति को बढ़ावा देने तथा विकसित करने के लिए चुनना चाहिए और अन्य समितियों को उसके साथ मिला देना चाहिए और यदि मिलाना सम्भव न हो तो उन्हें परिसमाप्त कर देना चाहिए।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पटना में इस्लामिक परीक्षा बोर्ड के कार्यालय के लिए टेलीफोन की व्यवस्था

2693. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामिक परीक्षा बोर्ड ने पटना में रमण रोड पर स्थित अपने कार्यालय में टेलीफोन लगवाने के लिए बहुत पहले आवेदन पत्र दिया था और अब तक उक्त कार्यालय में टेलीफोन नहीं लगाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बोर्ड के सहायक निदेशक ने फरवरी, 1966 में उपमंडल अधिकारी टेलीफोन, पटना को अपने कार्यालय में टेलीफोन लगवाने की लागत बताने के बारे में ही कहा था। इस बारे में ब्यौरा भेज दिया गया था। उसके बाद टेलीफोन लगवाने के लिए औपचारिक रूप से कोई आवेदन नहीं भेजा गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी केन्द्र पटना

2694. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पटना केन्द्र से प्रसारण में यदा कदा रुकावट पैदा होता रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस काम में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : कुछ रुकावटों के अतिरिक्त पटना रेडियों स्टेशन पर प्रसारण सामान्य रूप से होता है। ये रुकावटें मुख्य रूप से बिजली, जिसपर आकाशवाणी का कोई नियंत्रण नहीं है, के फेल हो जाने के कारण होती हैं। उपकरण में खराबी के कारण रुकावट बहुत कम होती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Sprinkling of Pesticides in the Fields

2695. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the arrangements made by Government for sprinkling pesticides in the fields ;

(b) whether these pesticides are sprinkled by the experts of Agriculture Department or these are supplied to the farmers direct for sprinkling;

(c) whether it is a fact that the method of sprinkling these pesticides is not explained to the farmers at length at the time of supplying them these medicines;

(d) whether Government's attention has been drawn to the fact that two farmers in Jaipur died while they were sprinkling pesticides in their fields due to their ignorance of the dangers involved therein; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Pesticides are applied to crops in the fields either from the ground or from the air. Ground application is done by the cultivators themselves, for which they acquire the necessary sprayers and dusting equipment. The use of the equipment is invariably explained and demonstrated to them both by the suppliers and the extension staff.

For application of pesticides from air, the aircraft of the Ministry of Agriculture and a number of private firms are available to the cultivators. Mostly aerial operations are organised by the State Governments and all safety precautions are taken. The cultivators are given training in the use of equipment by the experts of Agriculture Department. In aero-chemical operations, pesticides are used by trained pilots of the Department of Agriculture or private firms under the supervision of the experts of the Agriculture Department.

(c) No.

(d) Yes; two farmers are reported to have lost their lives as a result of careless handling of pesticides.

(e) The provisions of the Insecticides Act 1968 are aimed at ensuring maximum safety. Pending enforcement of the Act, the educative and audio-visual campaign in the proper use of pesticides is being intensified through the State Governments.

दक्षिण भारत के नगरों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था

2696. श्री क० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के सभी नगरों में हाल कार्यक्रम के अन्तर्गत सीधी टेलीफोन व्यवस्था कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और किन-किन नगरों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था के अन्तर्गत लाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) . जी नहीं । फिर भी, दक्षिण भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण नगरों में स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनसे स्थानीय काल सीधे डायल करके लिए जा सकते हैं । इसी तरह के एक्सचेज बहुत से छोटे स्थानों पर भी काम कर रहे हैं । दक्षिण भारत के ऐसे कुछ नगर ये हैं--

मद्रास, मदुराई, तिरुचिरापली, कोयम्बटूर, सलेम, विरुदनगर, ऊटी, बंगलौर, मंगलौर, मैसूर, हुब्ली, धारवाड़, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, एर्नाकुलम, कोट्टायम, क्विलन, अलप्पी, हैदराबाद, बिजयवाड़ा, विशाखापत्तनम ।

इनमें से विरुदनगर, एर्नाकुलम और मैसूर ऐसे स्थान है जहां हाल ही में स्वचल एक्सचेंज खोल दिए गए हैं ।

बंगलौर में टेलीफोन लगवाने के अनिर्णीत आवेदन पत्र

2697 श्री क० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में टेलीफोन लगवाने के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) वे कितने समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) आवेदकों को बिना विलम्ब टेलीफोन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) 1 जुलाई, 1969 को इनकी संख्या 11,384 थी ।

(ख) सबसे पुराना आवेदन, जिस पर कार्रवाई करना बाकी है, 12 मई, 1961 का है। फिर भी, इस समय बंगलौर में टेलीफोन कनेक्शन देने की औसत प्रतीक्षा अवधि 5.5 वर्ष है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर में 14,300 लाइनों की इक्सचेंज क्षमता और बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इससे 31-3-1974 तक औसत प्रतीक्षा अवधि घट कर 45 वर्ष हो जाने की सम्भावना है। उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटे-छोटे स्थानों को छोड़ कहीं भी फौरन मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सकेंगे :

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आवास की सुविधा

2698. **श्री क० लकप्पा :** क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही की है : और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, संचार (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां, जहां तक संभव हो सका है ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को सामान्यतः आवास की सुविधाएं दी गई हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों के कार्यभारी विभागीय पोस्टमास्टरों को सामान्यत: क्वार्टर दिये जाते हैं। कुछ स्थानों पर तारलाइनमैनों को भी क्वार्टर दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों को और क्वार्टर देने के लिए भी प्रत्यन किए जा रहे हैं, बशर्ते कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो।

स्थानीय लोगों को परियोजनाओं में रोजगार देना

2699. **श्री वेंगलराया नायडु :**
श्री रा० बरुआ :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि बड़ी परियोजनाओं में किसी भी स्थान पर कुशल और अकुशल स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह अनुभव किया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार न दिये जाने के कारण उनमें असंतोष फैलता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान रखते हुए क्या उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों से कहा है कि वे स्थानीय लोगों को रोजगार दें; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). 16 जुलाई, 1969 को नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय रोजगार समिति की छठी बैठक में स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

> "राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम-पुस्तक के पैरा 7-4 में रोजगार कार्यालयों के कार्यक्षेत्र में जहां लोग सामान्यत: रहते हैं, नाम दर्ज कराने सम्बन्धी वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त हैं। 'स्थानीय लोगों' को परिभाषित करने के अतिरिक्त प्रयत्नों से गम्भीर संवैधानिक और कानूनी अड़चनें खड़ी होने की सम्भावना है। 'स्थानीय लोगों' के लिये अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने की समस्या का एक मात्र दीर्घकालिक समाधान मुख्यत: अधिकाधिक रोजगार अवसरों की उत्पत्ति तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, नियुक्ति के लिए रोजगार सेवा के अधिकाधिक उपयोग पर निर्भर है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार की श्रेणी तीन और श्रेणी चार के समकक्ष निम्न वर्ग की रिक्तियों को साधारणत: स्थानीय उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्णय के अनुकूल होगा।"

उपरोक्त निर्णय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

तामिलनाडु में कुओं की खुदाई के लिये केन्द्रीय सहायता

2700. श्री किरुतिनन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने सिंचाई के लिए कुएं खोदने का कोई प्रस्ताव भेजा है और इस काम पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कितने कुएं खोदने का प्रस्ताव है और कितनी राशि का ऋण मांगा गया है; और

(ग) सरकार ने अन्तिम निर्णय क्या किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तमिलनाडु की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

तमिलनाडु में चावल मिलों का आधुनिकीकरण

2701. श्री किरुतिनन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में विद्यमान चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितना ऋण अपेक्षित है और उसकी अदायगी की शर्तें क्या हैं;

(ग) कितनी मिलों को आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस मामले में निर्णय किया है; और

(ङ) क्या किसी अन्य राज्य सरकारों ने भी कोई ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, कितनी राशि अपेक्षित है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) राज्य सरकार से अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख), (ग) व (घ) . प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष 1969–70 में मैसूर राज्य सरकार ने 7 वर्तमान सहकारी चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 5 लाख रुपए का सहायता देने का अनुरोध किया है। यह मामला विचाराधीन है ।

Conference of Registrars of Co-operative Societies

2702. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of the Registrars of Cooperative Societies was held in Delhi on the 8th June, wherein a recommendation was made that the requirements of small farmers be met on priority basis from within the available resources;

(b) if so, the action proposed to be taken by the Central Government to implement the said recommendations and the estimated amount of funds required by each State in this regard;

(c) whether Government have any difficulty in the implementation of the said recommendation; and

(d) if not, the time by which and the manner in which the said recommendation would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes.

(b) to (d) : The recommendations of the Conference of the Registrars of Cooperative Societies were placed before the Conference of State Ministers of Cooperation held at Bangalore on 30th June and 1st July, 1969. This Conference has recommended that the revision of the rules relating to security for loans, individual

borrowing limits, etc. which stand in the way of smaller farmers getting their requirements from the cooperatives on an adequate scale should be effected without further delay and that the loaning policies and procedures of cooperatives should be objective and production oriented. The recommendation has been conveyed to State Governments for initiating action, wherever necessary, for its implementation. Various measures have already been introduced for enabling the small farmers to get a legitimate share in cooperative credit. These include the Crop Loan System, establishment of special bad debt reserves in primary credit societies and central cooperative banks, provision of facilities for subscribing to the share capital of primary credit societies in instalments in the case of weaker sections and liberalisation of the procedure for valuation of property provided as security for long term loans. The effective implementation of these measures has also been emphasised and is pursued with the cooperative credit institutions, who are ultimately responsible for providing credit to the small farmers out of resources mobilised by them on their own as well as from external financing institutions.

A special scheme has also been formulated for helping small farmers and this is proposed to be implemented on a pilot basis in selected districts. The details are being finalised.

Damages to Foodgrains due to Transportation in open Wagons

2703. Shri S. M. Joshi :
Shri Ramavtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Yogendra Sharma :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fifteen thousand tonnes of wheat was transported from Banga in Punjab to Allahabad in open wagons some days ago;

(b) if so, whether it is also a fact that almost the entire consignment of wheat got wet in the rain on the way and has now become unfit for human consumption;

(c) the date on which the said consignment was loaded in the wagon in Punjab, the date on which it was unloaded in Allahabad and the date on which it was delivered to the party concerned;

(d) the total value of the said wheat and the value of that which has become unfit for human consumption;

(e) the persons responsible for this carelessness in the said work and the action taken against them; and

(f) the steps proposed to be taken in future to save foodgrains from any sort of damage.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Devolopment and Cooperation (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) No, Sir. The quantity transported from Banga to Allahabad in open wagons was 480 tonnes only.

(b) The grain affected by rain is being salvaged. It is estimated that the total damage may be about 23 quintals only.

(c) The consignment was loaded on the 3rd & 4th July, 1969 at Banga, unloaded on the 16th and 17th July, 1969 at Naini (Allahabad) and delivered to the F. C. I. on the same dates.

(d) Total value of the consignment was Rs. 3,64,800. The value of 23 quintals of damaged grain is estimated at Rs. 1,748/-.

(e) and (f). The Food Corporation of India is conducting a Joint enquiry into this case alongwith a representative each of the Railways and the Punjab Government. Further action would be taken on receipt of the Report of Enquiry.

मैसूर के मछेरों द्वारा इन्जिनों की खरीद

2704. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के मछेरों को समान शक्ति वाले कुछ विदेशी इन्जिनों के, जिनका मूल्य 25,000 रुपये प्रति इंजिन है, स्थान पर भारत में बने रस्टन और केल्विन इन्जिनों को 45,000 रुपये प्रति इंजिन के मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में बने इन्जिनों का मूल्य अधिक होने के क्या कारण हैं और मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) मैसूर राज्य में मशीनों कृत नावों के लिए केन्द्रीय सरकार क्या राजसहायता दे रही है और राज्य सरकार द्वारा यन्त्रीकृत नावों की खरीद के लिए धनराशि की कमी को पूरा न किये जाने के क्या कारण है जैसा कि केरल, मद्रास और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) वर्तमान आयात लाइसेंस नीति के अन्तर्गत, 320 एच० पी० से नीचे के मेरीन डीजिल इंजनों के आयात की अनुमति नहीं है । तदनुसार 320 एच० पी० से नीचे के मेरीन डीजिल इंजनों की आवश्यकता देशी साधनों से पूरी की जानी चाहिये । देशी तथा विदेशी इंजनों की कीमत कुछ इंजनों के सहित उनकी खासियत के साथ अश्वशक्ति की श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग होती है । कुछ हद तक उसी प्रकार के देशी इंजनों की कीमत, विदेशी इंजनों की कीमत से सामान्य रूप से काफी ज्यादा होती है ।

(ख) देश में बने हुए इंजनों की तुलनात्मक ऊंची कीमत निम्नलिखित कारणों से हैं :—

(i) उत्पादन की लागत को प्रभावी करने का मुख्य कारण, मात्रा में अदल-बदल करना है । मुख्य विनिर्माता देशों के कुल उत्पादन की तुलना में, देश में मेरीन डीजिल इंजनों का कुल उत्पादन थोड़ा है ।

(ii) तुलना में देशी कच्चे माल की कीमत अधिक है ।

(iii) देशी बाजार की तुलना में जो सामान निर्यात किया जाता है उसकी कीमत अक्सर कम होती है ।

इस सम्बन्ध में, औद्योगिक विकास मन्त्रालय ने देशी मेरीन डीजिल इंजन विनिर्माताओं के साथ एक बैठक की है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे उन आंकड़ों को प्रस्तुत करें, जिनके आधार पर उन्होंने बेचने की कीमत निर्धारित की है। ये आंकड़े प्राप्त हो गये हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) मछुआ-पोतों के यन्त्रीकरण का कार्यक्रम, राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आता है। भारत सरकार किसी राज्य सरकार को यन्त्रीकरण कार्यक्रम के लिए प्रत्यक्ष कोई सहायता नहीं देती है। सब राज्यों को केन्द्रीय सहायता, राज्य प्लान स्कीमों के लिये सहायता के लिये दी जाती है, जो कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना के अन्तर्गत निर्धारित होती है। यह सब राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। अपने यन्त्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा तीसरी पार्टी को जो सहायता की मात्रा स्वीकृत की जाती है, वह सम्बन्धित राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है।

राज्य मत्स्य क्षेत्र सलाहकार बोर्ड में करनाटक मछुआ संस्था को प्रतिनिधित्व देना

2705. श्री लोबो प्रभु : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार करनाटक मछुआ संस्था के इस अनुरोध का समर्थन करती है कि उसे राज्य मत्स्य क्षेत्र सलाहकार बोर्ड द्वारा बंगलोर पत्तन न्यास समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : राज्य मत्स्य क्षेत्रों के सलाहकार बोर्ड में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी मांग के समर्थन का प्रश्न ही नहीं होता।

आर्वी बम्बई में उपग्रह-केन्द्र

2706. श्री रा० कु० सिंह : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई के समीप आर्वी में निर्माणाधीन पृथ्वी पर उपग्रह केन्द्र के पूर्ण होने में चार महीने का विलम्ब हो गया है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार उपग्रह के साथ सम्पर्क स्थापित किया जायेगा ?

(ख) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे इस क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अणुऊर्जा विभाग ने, जिसे कि भूमि-स्थित केन्द्र के निर्माण का कार्य सौंपा गया है, सूचित किया है कि यह विलम्ब मुख्य रूप से अनिवार्य बाधाओं के कारण जैसे कुछ भारतीय और विदेशी-संभर्ता कारखानों में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हुई है।

(ग) नहीं, क्योंकि केन्द्र के पूरा होने में हुए विलम्ब में अनिवार्य बाधा तत्वों का हाथ रहा है।

Telephone Arrangements in Banda District

2707. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2044 on the 6th March, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the telephone system in Banda District has not been improved so that the big foodgrain merchants and other traders may be able to establish contacts with other big cities on telephone; and

(b) whether it is also a fact that Banda Kanpur telephone line continues to remain out of order for a long time and if so, the time by which it would be completely repaired ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) It is a fact that the service in the area is not as satisfactory as it should be on account of frequent interruptions due to copper wire thefts.

(b) Banda-Kanpur line frequently goes out of order for the reason stated above. The copper wire trunk is being replaced by aluminium wire and an additional aluminium pair is also being added between Banda and Kanpur so as to improve service. The work is expected to be completed in October, 1969.

बिजली प्रशुल्क के पुनरीक्षण की सिफारिश

2708. श्री गा०श० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें ग्रामीण बिजली प्रशुल्क को अश्व शक्ति और बिजली की खपत के आधार पुनरक्षत करने के लिए कहा गया था जो दूसरे शब्दों में उत्पादकों पर अतिरिक्त भार डाल रहा था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों को भेजने के क्या कारण थे जो किसानों के लिए हानिकारक था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वर्तमान बिजली प्रशुल्क तथा बिजली नियम भुगतान प्रणाली नगरीय आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त है और किसानों पर भारी बोझ डालती है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि कृषि पर लागू प्रशुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय ने सिंचाई

तथा विद्युत मन्त्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। लेकिन लघु सिंचाई के चौथी योजना के प्रस्तावों को बनाने के लिये, केन्द्रीय कार्यकारी दल ने बिजली बोर्डों के विचार के लिए प्रशुल्क को शुरु करने के लिए दो तरीकों की सिफारिश की है, जिसमें कि निर्धारित बिजली प्रशुल्क को अश्व शक्ति के आधार पर और दूसरा प्रशुल्क बिजली की खपत के आधार पर करने के लिए कहा गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशें राज्य सरकार को सूचित कर दी गई है।

(ख) सिफारिश किये हुये तरीके से आशा की गई कि पम्प सेट के सघन कार्य तथा नलकूप शक्ति के उचित उपयोग में प्रोत्साहन मिलेगा और उसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में बढोतरी तथा किसानों को लाभ होंगे, और किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा या उनकी अर्थ-व्यवस्था के लिये हानिकारक होगी।

(ग) बिजली प्रशुल्क की दरें, वर्गीकृत उपभोग, जैसे कि घरेलू, व्यापारिक, कृषि सम्बन्धी, औद्योगिक आदि तथा उनके भार के लक्षणों के आधार पर, भार की मांग, वोल्टेज के संभरण आदि के अनुसार तैयार की जाती है। बिजली बोर्ड जो बिजली (संभरण) अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत सांविधिक संस्थाएं है, उन्हें जहां तक व्यवहार्य हो हानि पर कार्य नहीं करना चाहिये और वे समय समय पर तदनुसार अपने शुल्कों का समायोजन करेंगे। अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, बोर्डों को किसी व्यक्ति के प्रशुल्क को निर्धारित करने तथा बिजली देने की शर्तों में किसी प्रकार की अनुचित प्राथमिकता नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार बिजली के प्रबन्ध के बारे में बोर्ड, शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं में अनुचित भेदभाव नहीं दिखा सकता है।

(घ) भारत सरकार के पास कृषि पर लागू होने वाली बिजली की दरों को अधिक करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

मध्यप्रदेश के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

2709. श्री गा० शं० मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में दूरस्थ स्थानों में आकाशवाणी के कार्यक्रम पहुँचाने के लिए उस राज्य में एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की वर्तमान प्रसारण व्यवस्था कई प्रसारण केन्द्रों के होते हुए भी राज्य के सीमान्त जिलों में ठीक से सुनाई देने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बात का पता लगाने के लिए कि वहां पर आकाशवाणी के कार्यक्रम इतने धीमे क्यों सुनाई देते हैं और उसका हल निकालने को एक विशेषज्ञ दल भेजने का है ; और

(च) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इन्दौर में एक ज्यादा शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है। चौथी पंचवर्षीय योजना में जगदलपुर, छतरपुर, रेवा तथा अम्बिकापुर में नये रेडियो केन्द्र लगाये जायेंगे।

(ख) से (घ) : सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश के कुछ भाग में अच्छी तरह कार्यक्रम नहीं सुनाई देते। जगदलपुर, छतरपुर, रेवा तथा अम्बिकापुर में नये रेडियो केन्द्र हो जाने के बाद बड़ी सीमा तक समस्या का हल हो जायेगा।

आकाशवाणी के तकनीकी कर्मचारियों के कार्य के घण्टे

2710. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न ट्रांसमिटरों पर तैनात संगचल तकनीकी कर्मचारियों (मैकेनिक, ई० ए० और एस० ई० ए०) को प्रतिदिन पारी में आठ घन्टे काम करना पड़ता है और उनके लिए कोई मध्यान्ह भोजन का समय निर्धारित नहीं है जबकि सामान्य कर्मचारियों को सात घण्टे काम करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें द्वितीय शनिवार की छुट्टी भी नहीं दी जाती है जबकि सामान्य कर्मचारी उस दिन छुट्टी मनाते हैं।

(ग) क्या यह भी सच है कि कार्य दिवसों तथा सार्वजनिक छुट्टी के दिन समयोपरि कार्य के बदले में उन्हें समयोपरि भत्ते की बजाए इवजी छुट्टी दी जाती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हें बहुत बार दुगनी ड्यूटी देनी पड़ती है और उसके इसके लिए उन्हें समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ङ) जहां तक काम के घण्टों, समयोपरि भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है क्या सरकार का विचार उन्हें सामान्य कर्मचारियों के बराबर लाने का है ; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। पारी (शिफ्ट) के दौरान उनको बारी बारी से लन्च पर जाने की अनुमति है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। प्राय: ऐसा नहीं होता। अचानक आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अतिरिक्त ड्यूटी देनी पड़ती है तथा इस फालतू ड्यूटी के बदले उन्हें इवजी छुट्टी दी जाती है।

(ङ) जी, हां।

(च) वित्त मन्त्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है।

पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माता समिति, दिल्ली

2711. **श्री शारदानन्द : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी धीरज सरकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के कुछ सदस्यों ने भूमि के मूल्य का भुगतान नहीं किया है और दिल्ली में निजी भूमि मकान अर्जित कर लिया है, यदि हां, तो उनकी संख्या, नाम और ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या सहकारी विधि ऐसे लोगों को सहकारी गृह निर्माण समिति का सदस्य बने रहने की अनुमति देता है जबकि वे सीमित प्रयोजन वाली समिति से भूमि के आवंटन के लिये अब हकदार नहीं रहे हैं, यदि नहीं, तो उक्त समिति में ऐसे सदस्यों के बने रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों ने ऐसे सदस्यों की समिति पर बनाये रखने पर आपत्ति की है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(घ) क्या ऐसे सदस्यों को, यदि वे अब दिल्ली में अपनी निजी भूमि मकान को बेच दे, भूमि आबन्टित की जा सकती है और यदि नहीं, तो उन्हें सदस्य बनाये रखने का औचित्य क्या है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त समिति के सभी सदस्यों को समान आकार के भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे और इन व्यक्तियों को जिन्होने अधिक भूमि के लिए पैसे दे रखे हैं, फालतू राशि लौटाई नहीं जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां । चार । उनको ब्योरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	नाम तथा पता	सदस्यता की तारीख
1.	श्री ओमप्रकाश जैन, 96-के, सरोजनी नगर	19-3-1948
2.	श्री बलवन्तसिंह, डिप्टी गंज, दिल्ली	19-3-1948
3.	श्री सुल्तानसिंह जैन, 37, माडल बस्ती, दिल्ली	22-5-1953
4.	श्रीमती मिश्री देवी जैन, पहाड़ी धीरज, दिल्ली	2-5-1953

(ख) समिति की धारा 8 (7) के अनुसार यदि समिति का सदस्य निजी तौर पर कोई प्लाट या भवन ले लेता है तो वह समिति की सदस्यता से वञ्चित हो जाता है । समिति की कार्यकारिणी समिति को इस मामले में अभी कार्यवाही करनी है ।

(ख) जी हां । समिति की कार्यकारिणी कमेटी को सलाह दी जा रही है कि वह समिति के उपबन्धों के अनुसार इन सदस्यों को समिति से हटा दे ।

(घ) जी नहीं ।

(ड) समिति के सामान्य निकाय ने प्रस्ताव पारित किया है कि सभी सदस्यों को एक ही आकार के प्लाट्स आबन्टित किये जायेंगे । केवल एक मामले में जिसमें कि सदस्य ने

स्टेण्डर्ड प्लाट के लिए जो धनराशि देनी बनती है उससे कम राशि दी थी, समिति ने छोटा प्लाट आवन्टित करने का निर्णय किया, जिन सदस्यों ने मूल्य से अधिक अदायगी की है उनको उनकी अधिक दी गई रकम वापिस मिल जायेगी।

दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों की सदस्यता

2712. **श्री शारदानन्द** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि/मकान रखने वाला कोई व्यक्ति किसी सहकारी गृह-निर्माण समिति का सदस्य बन सकता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस व्यक्ति की सदस्यता बनाये रखने के मामले में भिन्न उपबन्ध किए जाने के क्या कारण हैं, जिसने समिति का सदस्य बनने के बाद निजी भूमि/मकान अर्जित कर लिया हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) भवन निर्माण सहकारी समितियों की आदर्श उपविधियों, जो अधिकतर ऐसी समितियों द्वारा अपना ली गई है, में यह व्यवस्था है कि यदि समिति का कोई सदस्य अपने नाम में अथवा अपने परिवार के किसी आश्रित सदस्य के नाम में, किसी अन्य स्रोत से कोई भवन अथवा भवन बनाने के लिये प्लाट, ले लेता है तो उसे एक मास के भीतर समिति को इस बारे में सूचित करना होता है और उसके पश्चात वह समिति की सदस्यता से वन्चित हो जाता है।

आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए सुविधायें

2713. **श्री श्रीगोपाल साबू** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न शक्तिशाली ट्रांसमिटरों पर जो बड़े नगरों तथा कस्बों से काफी दूर स्थापित किये गये हैं काम करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के लिए कैंटीन और पेय जल की सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि काम से कुसमय छुट्टी पाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई विश्रामालय नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से 7 मील दूर स्थित नांगली के शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर ऐसी कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि नागली में कर्मचारियों को उपलब्ध किये जाने वाला पेयजल पीने के योग्य नहीं पाया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है अथवा करने का प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) उच्च-शक्तिशाली ट्रांसमीटरों में कैंटीन सुविधायें उपलब्ध नहीं है । पेयजल की सुविधायें इन केन्द्रों में उपलब्ध हैं ।

(ख) दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा जालन्धर के उच्च शक्ति के ट्रांसमिटरों के स्थान के साथ ही रिहायशी कालोनियां है और विश्राम करने के लिए कमरों का प्रश्न नहीं उठता । अन्य केन्द्रों में स्टाफ संकटकाल में ट्रांसमिटर भवन में ठहर सकता है । पारी के स्टाफ का बेवक्त में शहर में ले जाने के लिए सरकारी परिवहन की व्यवस्था भी की जाती हैं । मैन्टेनेन्स स्टाफ सामान्यतः डयूटी समय के अतिरिक्त ट्रांसमिटरों में नहीं ठहरता ।

(ग) नागला में किसी अन्य विश्रामालय की व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह उच्चशक्ति ट्रांसमिटर, खामपुर का एक भाग है । खामपुर में एक रिहायशी कालोनी है तथा बेवक्त के लिए सरकारी परिवहन की व्यवस्था है । तथापि, ट्रांसमिटर में कोई कैन्टीन या जलपान गृह उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जी नहीं । दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किये गये परीक्षण के अनुसार, नागली के ट्यूबवैल का पानी पीने के योग्य है ।

(ङ) तथा (च) : इन केन्द्रों में पेयजल तथा सीमित खाने पकाने की कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं । तथापि, इस बारे में स्थिति में सुधार करना वांछनीय है ।

Stoppage of Assistance to States for Spraying Insecticides

2715. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have stopped giving assistance to States for spraying insecticides etc; and'

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperatton (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) No, Sir. Central Assistance for pesticides and aerial spraying is still available and appropriate provision has been made in the State Plans, as heretofore.

From the Current year, however, the total Central assistance for the State annual Plan is given as a block grant. The Planning Commission has nevertheless advised the State Government to adhere to the allocations made in the Plan according to major heads such as Agricultural Production, including plant protection.

Some States have discontinued subsidy on pesticides as a matter of policy, while others propose a gradual reduction of subsidy during the Plan period.

In addition to the assistance under the Plan, the Central Government continues to assist inset-pest plant-disease control operations out of the Natural Calamities Relief Fund during the year 1969-70. Under this programme 50% of the amount spent by a State on pesticides is reimbursed as grant and 25% as loan.

(b) Does not arise.

Supply of Water from Kota for Lift Irrigation Purposes

2716. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have uuder consideration a scheme to supply water from the Kota Dam to the canals in Kota, Rajasthan, for lift irrigation purposes; and

(b) if so, the date by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development aud Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The lift irrigation scheme to cover the areas in Kota District of Rajasthan has been included in the second revised project estimate of Chambal Project, Stage I of Rajasthan. The revised estimate is already under scrutiny of the Central Water and Power Commission.

(b) It is expected that as soon as this estimate is approved by the Central Water and Power Commission/Planning Commission, the work on the scheme shall be taken in hand.

World Bank Loan for Telecommunications

2717. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have obtained a loan of Rs. 41.25 crores from the World Bank for telecommunications ;

(b) if so, the names of other countries who have provided assistance in this regard; and

(c) the various purposes for which this amount would be utilized ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes. Rs. 20.625 crores as loan from the World Bank and Rs. 20.625 crores as credit from the I. D. A.

(b) Assistance has so far been obtained for telecommunications from the International Development Association and World Bank only. However, negotiations are in progress with the Canadian International Development Association for a credit.

(c) I. Import of the following stores by the P&T:–

(a) Telephone Cables and Transmission wires;

(b) Equipement for long distance system and training and research equipement;

(c) Materials and components for manufacture in the P & T workshops.

II. Import of raw materials and components by the Govt. Telecommunication factories for manufacture and supply of the following items of stores to the P & T :-

(a) Telephones, switching and transmission equipment manufactured by Indian Telephone Industries Ltd.

(b) Teleprinters, manufactured by Hindustan Teleprinters Ltd,

(c) Cables and wire, manufactured by Hindustan Cables Ltd.

Grievances of Employees of Motihari Head Post Office of Champaran District

2718. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Commnnications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Class III employees of Motihari Head Post Office of Champaran District had addressed their complaints to him and to the Postmaster Patna against the Postal Superintendent of the said Post Office in the month of May last and in response to which the Postmaster General, Bihar paid a visit to that Post Office, investigated the matter and gave an assurance to redress the grievances of the employees concerned;

(b) if so, the steps taken so far in the context of the assurances given by the Postmaster General; and

(c) if no action has been taken in this regard, the time by which the Postmaster General propose to redress their grievances ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Commnnications (Shri Sher Singh) : (a) to (c) : It is a fact that representation was received by PMG Bihar from Class III employees of Motihari Head Office of Champaran District. Complaints comprised about 75 items. The PMG visited the Post Office in June, 1969 and gave suitable instructions to the Superientendent of Post Offices. Action on various points raised in the representation is expected to be finalised shortly.

अमरीका से चावल का आयात

2720. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल खरीदने के लिए अमरीका से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना चावल खरीदे जाने की सम्भावना है ; और

(ग) चावल किस मूल्य पर खरीदा गया है और यह भारतीय तट पर कब तक पहुंच जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : भारत सरकार के अनुरोध पर पी० एल० 480 करार के अधीन 1 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 25-4-1969 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे । लदान कार्य जुलाई 1969 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है । जिस मूल्य पर यह चावल खरीदा जा रहा है उसे बतलाना जन-हित में न होगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLICE IMPORTANCE.

कांग्रेस प्रधान द्वारा बिहार विधान-सभा के सदस्यों पर अनुचित प्रभाव डालने के कथित प्रयास

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call attention of the Minister of Law to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :-- "Reported efforts made by the Congress President to bring pressure and undue influence on Bihar M. L. As. by promising them termination of President's rule and opportunity to form a Ministry, thereby jeopardising free and fair election of the President of the Republic and the reaction of the Government of India thereto.'

श्री हनुमन्तय्या (बंगलोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने से पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री हनुमन्तय्या : जी, हां। मेरे विचार में यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। मंत्री अथवा सरकार द्वारा किये गये अथवा न किये गये किसी काम के बारे में ही ध्यान दिलाने वाली सूचना का प्रश्न पैदा होता है। यह आरोप एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया हैं जो सरकार से बाहर है। अगर उन्होंने कोई ऐसी कार्यवाही की भी है तो मैं आपसे अपील करता हूं कि एक व्यक्ति, जो एक राजनीतिक संगठन का एक सम्माननीय व्यक्ति है चाहे वह कांग्रेस का है अथवा अन्य राजनीतिक दल का हैं (व्यवधान)

श्री क० लकप्पा (कुमकुर) : मुझे इस व्यवस्था के प्रश्न पर आपत्ति है। 1967 के निर्वाचन के बाद भी उन्होंने श्री निजलिंगप्पा के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था (व्यवधान) इस व्यवस्था के प्रश्न में कोई सार नहीं है।

श्री हनुमन्तय्या : श्री मधु लिमये ने ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाया है जिसका सरकार के साथ सरकारी रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः विधि अथवा कोई अन्य मंत्री इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना ही ठीक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह सूचना मुझे मिली थी तो मैंने इस बात पर विचार किया था। परन्तु मैंने सभा में निर्णय दिया था कि हमारे संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का चुनाव उच्चतम निर्वाचित पद है और इस चुनाव में किसी भी रूप का दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिये। मैंने इसे स्वीकार करने से पूर्व प्रतीक्षा की थी कि यदि सरकार इसका खण्डन करना चाहती है तो मुझे उसका पता चल जाये। परन्तु मैं इस आधार पर ध्यान दिलाने वाली सूचना को रोक नहीं सकता (व्यवधान) इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने काफी सोच विचार के बाद इसकी अनुमति दी है। मेरे विचार में इस आरोप का खण्डन करने का अवसर सरकार को दिया जाना चाहिये। अतः मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : आपका विनिर्णय अनुचित है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं सभा से बाहर जा रहा हूँ।

(इसके बाद श्री चेंगलराया नायडू तथा कांग्रेस के कुछ अन्य संसद सदस्य सभा से बाहर चले गये)

(Then Shri Chengalraya Naidu and some other Congress Members walked out)

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार को कांग्रेस प्रधान द्वारा बिहार विधान-सभा के सदस्यों पर दबाव और अनुचित प्रभाव डालने के कथित प्रयास की कोई जानकारी नहीं है। इस उत्तर को आपके पास भेजने के बाद मैंने रविवार के "इण्डियन नेशन" की एक प्रति प्राप्त की थी जिसमें उस समाचार के संवाददाता ने आरोप लगाया है कि उन्हें पता चला है कि लगभग 20 मिनट की बैठक में श्री निजलिंगप्पा ने कांग्रेस सदस्यों को बताया है कि वे प्रथम वरीयता वोट श्री संजीव रेड्डी के पक्ष में डालें और वह उनके बारे में विचार करेंगे (व्यवधान) इसके आगे लिखा है कि कांग्रेस प्रधान ने इन्हें यह भी कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उनके दल की शक्ति स्पष्ट हो जानी चाहिये।

बिहार के विधायकों की ओर से यह कहा गया था कि वे कम से कम प्रथम वरीयता के 160 वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को दिलवा सकेंगे। श्री निजलिंगप्पा ने आज के "पेट्रियट" में इस बात का खण्डन किया हैं। इस में श्री निजलिंगप्पा ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कोई उल्लिखित आश्वासन दिया था। अतः हमारे गणतन्त्र के राष्ट्रपति के चुनाव को आप जितना महत्व प्रदान कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर आगे कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Only half of the report has been quoted. I may read out the rest of it. When Congressmen told that it was a decinior of parliamentary Board..........

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी वक्तव्य को एक अंश पढ़ा गया है तो वह पूरा वक्तव्य पढ़ सकते हैं..........

श्री शिव नारायण (बस्ती) : कांग्रेस प्रधान इस सभा के सदस्य नहीं हैं। आपको कांग्रेस प्रधान को संरक्षण देना चाहिये जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता–उत्तर पश्चिम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधि मंत्री ने सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत किया है और साथ ही कांग्रेस प्रधान द्वारा इसको इन्कार किये जाने की बात भी प्रस्तुत कर दी गई है। हमें इस मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिये। यदि कांग्रेस प्रधान के बारे में चर्चा की अनुमति दी गई तो हम उसका विरोध करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अ. कु. सेन शायद यहां पर उपस्थित नहीं थे। मैंने श्री हनुमन्तय्या के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जब संविधान के अन्तर्गत उच्चतम

निर्वाचन पद के लिये चुनाव हो रहा हो तो हमें किसी को संदेह करने का अवसर नहीं देना चाहिये कि किसी पर अनुचित प्रभाव अथवा दबाव डाला जा रहा है। इस लिये इस संदर्भ में..........

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : यह कोई सरकार द्वारा की गई कार्यवाही नहीं। इसे ध्यान दिलाने वाली सूचना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहा गया है कि इसका सम्बन्ध गैर सरकारी व्यक्ति से है। परन्तु जिस सदर्भ में इसे प्रस्तुत किया गया है और बिना किसी प्रकार के विरोध के, क्योंकि यह मेरे पास..........(व्यवधान)

श्री पें० वेंकटासुब्बया : यहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। विरोध के बावजूद यदि अनुमति दी जाती है... ....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रकार निष्पक्ष रूप से चर्चा नहीं कर सकते (व्यवधान) यदि विधि मन्त्री पूरी बात को उद्धृत करते तो मैं उस पर विचार कर सकता था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः मैं श्री मधु लिमये को शेष वक्तव्य पढ़ने की अनुमति देता हुं (व्यवधान)

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हम विरोध के तौर पर सभा से बाहर जा रहे हैं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया, श्री अ० कु० सेन श्री शिव नारायण तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri P. Venkatasubbiah, Shri A. K. Sen, Shri Sheo Narain and some other Members left the House.

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : आप ने चर्चा समाप्त करने के बाद श्री मधु लिमये को अनुमति दी है। अध्यक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिये। आप स्पष्ट रूप से तरफ़दारी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुचित बात है। यदि श्री मनु भाई सभा से बाहर जाना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं।

(श्री मनु भाई पटेल सभा भवन से उठ कर चले गये।

(Shri Manubhai Patel left the House)

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। यदि आप बाहर जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं।

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : उठे (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री सेन ने कांग्रेस प्रधान की स्थिति स्पष्ट कर दी है और इस वक्तव्य का खण्डन भी कर दिया है मेरे विचार में अब इस बिषय पर आगे चर्चा नहीं की जानी चाहिये (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सेन की बात पर पूरी तरह विचार किया है। परन्तु यह नियम हैं कि यदि सरकार किसी वक्तव्य का कोई अंश उद्धत करती है तो माननीय सदस्य उस समस्त वक्तव्य को उद्धत कर सकते हैं। फिर इस मामले के बारे में सभा का एक दल ही काफी उत्तेजित है। यदि मैं उनकी बात स्वीकार कर लूं तो मैं सभा के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता (व्यवधान)

श्री रघुरामैया : यदि राजनीतिक दलों के प्रधानों द्वारा दिये गये वक्तव्यों पर भी सभा में चर्चा की जानी है तो शायद इसका कहीं भी अन्त नहीं होगा। श्री सेन ने इसी दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किये हैं। हम आपके निर्णय की आलोचना नहीं कर रहे हैं। इसे स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिये था। फिर कथित वक्तव्य का खण्डन किये जाने के बाद भी यदि आप अनुमति देते है तो यह बात अनुचित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी तर्क पर विचार कर सकता हूं। सरकार को कल सूचना भेजी गई थी। यदि सरकार को आपत्ति थी तो वह मुझे बता सकते थे। श्री शंकराचार्य के वक्तव्य पर भी सभा में चर्चा की गई थी। क्या वे सरकारी अधिकारी थे ? क्या यह उचित है ? वह इसको सभा पटल पर रख सकते हैं। मैं इस विवरण के बारे में प्रश्न पूछने की भी अनुमति दूंगा।

श्री गोविन्द मेनन : विशेष संवादाता के इस प्रतिवेदन में पांच पेराग्राफ हैं और मैंने सम्बन्धित पेराग्राफ को पढ़ दिया है। मैं सारे प्रतिवेदन को पढ़ कर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण से सम्बन्धित प्रश्नों को पूछने की अनुमति दी जायेगी।

श्री गोविन्द मेनन : मैं सम्बन्धित भाग को सभा पटल पर रखता हूं। मैं इसका प्रतिवाद भी सभा पटल पर रख रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सूचना को स्वीकार किये जाने के बाद ही यह प्रतिवाद जारी किया गया है, अतः अब यह सम्बन्धित नहीं रहा।

Shri Madhu Limaye : Only half of the report has been quoted. I may read out the rest of it. When congressmen were told that it was a decision of Parliamentary Board.........

Shri Madhu Limaye : I will read the relevant sentences. It was written that in case permission to form the Ministry was granted immediately, the congress would muster one forty votes more for Sanjivo Reddy. Instead Shri Nijalingappa to-day

came out with another proposition that the strength claimed by the Bihar Congress should first be demonstrated in the Presidential Election before permission for formation of the Ministry was granted." At present there are 116 congress M. L. As. in the Assembly.

In this connection I have also written a letter to the Election Commissioner. The Chief Election Commissioner immediately wrote a letter to me and to Shri Nijalingappa. I will read out few sentences from there also.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने चुनाव आयुक्त को जो कुछ लिखा और उसने आपको जो उत्तर दिया है उसको यहां पर पढने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर केवल तर्क दे सकते हैं परन्तु पत्राचार को यहां पर बीच में लाना ठीक नहीं है।

Shri Madhu Limaye : It is relevant. Kindly allow me to read.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। मैं पूरे पत्राचार को पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं केवल सम्बन्धित भाग को पढ़ने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री मधु लिमये : मैं केवल सम्बन्धित भाग को ही पढ़ूंगा। मैंने चुनाव आयोग को 5 अगस्त को एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि मैं आपका ध्यान गणराज्य के राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। इसको व्यक्तिगत तथा दलगत रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। यदि यह शंका है कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य महसूस करते हैं, तो चुनाव आयोग से इस मामले को उठाया जा सकता है। मैं केवल ऐसे ही सम्बन्धित भाग के पढ़ने की अनुमति दूंगा।

श्री गोविन्द मेनन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने श्री सेन-वर्मा को जो पत्र लिखा है वह इनके पास है। आप उसको देख ले कि क्या उसमें कोई बात इससे सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल सम्बन्धित बात का ही उल्लेख करेंगे।

श्री मधु लिमये : मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव के भार साधक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी विनिर्णय दिया है कि यदि आप विवरण के किसी भाग को पढ़ते हैं तो आपको उसे सभा पटल पर रखना होगा। आप अपने पत्र के आधार पर तर्क दे सकते हैं, आप समूचे पत्राचार को उद्धृत नहीं कर सकते।

श्री मधु लिमये : आप मुझे किस नियम के अन्तर्गत ऐसा करने से वंचित कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना अन्तिम विनिर्णय दे रहा हूं। आप इसको पढ़ नहीं सकते। केवल इसका उल्लेख कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : On receipt of my letter the Chief Election Commissioner draw the attention of Shri Nijalingappa to Section 18 concerning the Presidential election through his letter. The Section 18 of the Presidential and Vice Presidential Election Act, 1952 is as follows :

"If the Supreme Court is of opinion that the result of the election has been materially affected by reason of the offence of bribery an under influence of the election has been committed by any person who is either the returned candidate or a person acting with his connivance the Supreme Court shall declare of the returned candidate to be void."

So it is a very drastic provision. Even after this letter Shri Nijalingappa has neither written to me nor to Chief Election Commissioner nor to you, what has appeared in the Patriort is not relevant here. The Congress President is asking the legislative of Bihar that if they muster 160 to 170 votes for them he will allow them to form the ministry there. I want to know who is he to allow them. It is the Governor of that State who is see whether any party is in a position to form the ministry or not If the Congress President purchases votes like this it will be violation of the concerned rules.

It has appeared in the Press to-day that High Court has criticised the decision of the Kerala Government to withdraw the case of the Central Government Employees. But Shri Nijalingappa withdraw 36 cases of the Bagalkot Cement Company when he was Chief Minister. He took ten thousand rupees in bribe.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। केवल पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाये ।

Shri Madhu Limaye : I am telling all these things on the basis of documents. I also want to lay these documents before the House. I want a judicial inquiry- **(अन्तर्बाधायें)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। मैं ऐसी किसी बात को अनुमति नहीं दे सकता ** यदि आप स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं वाद-विवाद बन्द कर दूंगा ।

श्री मधु लिमये : **

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। चुनाव सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य की जानकारी 'इण्डियन नेशन' की रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने के बाद ही प्रतिवाद आया है। जहाँ तक मैं जानता हूं 'इण्डियन नेशन' को बहुत अधिक लोग नहीं पढ़ते हैं। मैंने इसको

** कार्यवाही के वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

पहले कभी नहीं पढ़ा। इस समाचार-पत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ है उसका प्रतिवाद भी प्रकाशित हो चुका है। माननीय सदस्य ने धारा 18 पर प्रकाश डाला है। क्या मैं उनको परामर्श दे सकता हूं कि संजीव रेड्डी के चुने जाने के पश्चात् वह इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। चुनाव आयोग ने इस मामले को मान्यता दी है। यदि कोई यह तर्क देता है कि यदि इस सभा को इस मामले को मान्यता नहीं देना चाहिए तो उन्होंने यह साध्य देकर इस तर्क को रद्द कर दिया है।

श्री गोविन्द मेनन : चुनाव आयोग चुनाव का पर्यवेक्षण करता है और यदि कोई दल घूस देता है तथा अनुचित प्रभाव डालता है तो चुनाव आयोग इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। चुनाव की समाप्ति पर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने श्री निजिलिंगप्पा का ध्यान आरोपों तथा चुनाव सम्बन्धी धारा की ओर दिलाया है। श्री मधु लिमये ने भी इस धारा की ओर ही ध्यान दिलाया है। मैंने भी इस उपबंध की ओर ध्यान दिलाया है तथा कहा है कि वह इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से लेकर चुनाव समाप्त होने तक चुनाव आयुक्त को पर्यवेक्षण करना पड़ता है।

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : एक तरीके से आप वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। यह अच्छा होगा यदि आप उस ओर जाकर बैठ जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्ष पीठ का सम्मान नहीं करना चाहते तो आप सभा से बाहर जा सकते हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : It has appeared in the 'Hindustan Standard' a widely circulated daily from Calcutta that "Green signal for Bihar Congress if Reddy wins." You will allow me Sir, to read out few sentences so that the hon. Minister may not mislead the House again. It has been stated that two factors weighed heavily with the Congress High Command is not allowing a Congress-led coalition Government in Bihar before the Presidential election on August 16. These two factors are: the Congress High Command did not think it advisable to overside the Governor's report who stated that atleast 50 M. L. As. were unpredictable and it would take atleast two months time for the new alignment of the splinter group in the Assembly. The second consideration is that the High Command wanted to put to test the loyalty of those 50 or 53 M. L. As. who were reportedly supporting the move for a congress-led coalition Government. Congress leaders who returned here to-day said the High Command told them if Mr. Reddy got first preference votes equal to the strength which congress leaders from Bihar claimed in Assembly they would surely consider Bihar case after the election of Mr. Reddy as President.

Bihar Congress leaders including Sardar Haribau Singh and Mr. A. P. Sharma, President B. P. C. C. assured the High Command that although they expected more, they would, in all probability, muster at least 160 first preference votes for Mr. Reddy,"

Shri George Fernandes : I would like to know from the hon. Minister whether the report in the "Indian Nation" and "Hindustan Standard" does not constitute an undue influence.

श्री गोविन्द मेनन : श्री जार्ज फरनेन्डीज़ ने मुझ पर सभा में असत्य बात कहने का आरोप लगाया है । मैं उन पर यही आरोप तो नहीं लगाना चाहता परन्तु मैं यह कहूंगा कि उनकी बात असंगत है क्योंकि सभा के समक्ष प्रस्ताव "इण्डियन नेशन" के समाचार पर आधारित था । अतः मैंने उसी का उल्लेख किया है । मैंने "पैट्रियट" का उल्लेख इसलिए किया था क्योंकि उसमें न केवल "इण्डियन नेशन" के समाचार बल्कि अन्य समाचारों का भी खण्डन किया गया था ।

Shri Rabi Ray (Puri) : It has become widely known that Shri Nijlingappa visited Patna on 3rd instant and tried to unduly influence the M. L. A's. Will the Government hold investigations by C. B. I. or judicial investigation in that connection so that impression of undue influence be removed ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, जिससे सिद्ध हो सके कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई अनुचित बात कही है । यदि उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो मामला उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सकता है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर दो मिनट म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at two minutes last fourteen of the Clock.

{ श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd *in the Chair* }

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

सभापति महोदय : यह बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं की जायेगी ।

इंडियन एक्सप्रेस के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE INDIAN EXPRESS

Shri Shashi Bhusan (Khargon) ; Sir, I beg to draw your attention to a news item in "Indian Express" published from Delhi, in which malicious attempt to malign one

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

was made. The report of my speech in the paper is entirely different from the official record.

I request that I may kindly be permitted to ask for referring the matter to the Committee of Privileges so that necessary action against the proprietors and Editor of the said paper could be taken.

सभापति महोदय : इसके लिए सम्पादक से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा और उनका उत्तर प्राप्त होने के बाद अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) संयुक्त राष्ट्र चीनी सम्मेलन के अन्तिम संकल्प के अनुसार वैधिक तथा प्रारूप समिति द्वारा संशोधित रूप में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1968 के पाठ की एक प्रति जो 24 अक्तूबर, 1968 को सम्मेलन के अन्तिम पूर्ण अधिवेशन द्वारा स्वीकार किया गया था। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1556/69]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अधीन अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1274 की एक प्रति जो दिनांक 31 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०, 1557/69]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :–

(एक) बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मिल पर) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 9 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1122 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० आर० 1212 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 24 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1954 का विखण्डन किया गया।

(तीन) जी० एस० आर० 1235 जो दिनांक 22 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 1409 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 मार्च, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 764 में एक संशोधन किया गया।

(पांच) बेलन मिलें गेहूँ उत्पाद (मिल पर) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 16 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1413 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) गन्ना प्रैस-मड (नियंत्रण) सशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) जो दिनांक 30 जून, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1551 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 14 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1722 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) गेहूं बेलन आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1724 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) अनाज (मंडी के निर्माण में प्रयोग का निषेध) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1725 में प्रकाशित हुआ था।

(दस) उत्तरी चावल क्षेत्र (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1726 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) आयातित अनाज (अनधिकृत बिक्री का निषेध) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 17 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1727 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) दक्षिणी राज्य (चावल के निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 25 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1558/69]

भारतीय तार (संशोधन) नियम

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : मैं भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन भारतीय तारयन्त्र (दसवां संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति सभा पटल

पर रखेंगे दिनांक 7 जून 1969 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1293 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 1294 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1559/69]

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री शेर सिंह : मैं श्री स० चु० जमीर की ओर से कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे :—

(1) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1676 में प्रकाशित हुई थी।

(2) कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1677 में प्रकाशित हुई थी।

(3) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1678 में प्रकाशित हुई थी।

(4) राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1679 में प्रकाशित हुई थी।

(5) आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 19 जुलाई, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1680 में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1560/69]

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस संदेश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा ने 4 अगस्त, 1969 की अपनी बैठक में दिल्ली दुकान तथा संस्थापन संशोधन विधेयक, 1969 पारित कर दिया है।

दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक
Delhi Shops and Establishments (Amendment) Bill

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
as Passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गए रूप में दिल्ली दुकान तथा संस्थापन (संशोधन) विधेयक, 1969 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक-जारी
Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill-Contd.

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद कि 'संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक 1969 को, संशोधित रूप में, पास किया जाए' जो 6 अगस्त, 1969 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाए।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। समाचार-पत्रों में छपा है कि श्री भगत ने पटसन के निर्माताओं से बातचीत की है... **(अन्तर्बाधायें)**

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री स० कुण्डु (बालासौर) : कल सेंट्रल हाल में कांग्रेस प्रधान श्री निजलिंगप्पा ने कहा था कि संसद सदस्य विचित्र प्रकार की कहानियां बनाते हैं।

सभापति महोदय : आप इसके लिए सूचना दें। तब मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद 'कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969 को, संशोधित रूप में, पास किया जाए' जो 6 अगस्त, 1969 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम श्री रघुरामैया के इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में पास किया जाय।"

श्री रघुरामैया : सदस्यों के साथ बातचीत के बाद मैंने दो नये सशोधन परिचालित किये हैं, जिन पर विचार करने के लिए कुछ नियम निलम्बित करने की आवश्यकता है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि ससद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (सशोधन) विधेयक, 1969, के खण्ड 4 पर चर्चा पुनः आरम्भ करने और नए खण्ड 2क के रखे जाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 93 (3) का लागू होना निलम्बित किया जाए।"

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969, के खण्ड 4 में सशोधन सख्या 53 और संशोधित रूप में खण्ड 4 स्वीकार करने के सभा के निर्णय को विखण्डित करने के प्रस्ताव पर लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 338 का लागू होना निलम्बित किया जाए।"

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1969 के खण्ड 4 में संशोधन संख्या 53 और संशोधित रूप में खण्ड 4 को स्वीकार करने के सभा के निर्णय को विखण्डित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

नया खण्ड 2 क :

पृष्ठ 1 में, पंक्ति 10 के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाये -

Amendment of section 5

"2A. In section 5 of the principal Act, for the second proviso, the following shall be substituted, namely:--

"Provided further that nothing in the first proviso shall apply, if the member visits,--

(i) his usual place of residence; or

(ii) any place in his constituency; or

(iii) any place in the State in which his usual place of residence or constituency is situated,

performing the journey by air not more than four times during a session or sitting lasting more than seventy-five days, or not more than twice in any other case."

[धारा 5 का संशोधन

"2 क मूल अधिनियम की धारा 5 में दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि प्रथम प्रन्तुक का कोई उपबन्ध लागू नहीं होगा, यदि सदस्य।

(i) अपना सामान्य निवास स्थान; अथवा

(ii) अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी स्थान; अथवा

(iii) जिस राज्य में उसका सामान्य निवास स्थान अथवा निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, उसमें किसी स्थान,

पर जाता है और 75 दिन से अधिक चलने वाले किसी सत्र अथवा बैठक के दौरान चार बार और किसी अन्य मामले में दो बार से अधिक विमान द्वारा यात्रा नहीं करता है।"]

इस संशोधन का उद्देश्य सदस्यों को यात्रा के सम्बन्ध में दी जाने वाली सुविधायें दुगुनी करना है तथा निवास स्थान पर जाने के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र में तथा अपने राज्य के किसी स्थान में जाने की सुविधा देना शामिल है।

मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

खण्ड 4

पृष्ठ 2, पंक्ति 5 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"Insertion of new section 6A — 4. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :--

Travel facilities to members — '6A. Without prejudice to the other provisions of this Act, every members shall be entitled--

(i) to travel by any railway in India at any time in first class air-conditioned on payment of the difference between the railway fares for first class air-conditioned and first class;

(ii) to one free third class railway pass for one person to accompany the member when he travels by rail; and

(iii) to one free non-transferable first class railway pass for the spouse if any, of the member to travel from the usual place of residence of the member to Delhi and back, once a year :

Provided that where a member travels by rail in first class air-conditioned and no person accompanies that member in that journey in third class, by virtue of the free third class railway pass referred to in clause (ii), then, in determining the amount payable by the member under clause (i), the amount of third class fare for such journey shall be deducted from the difference referred to in that clause".

[“नई धारा 6क का रखा जाना — 4. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात;

सदस्यों को यात्रा की सुविधायें — ‘6क’ इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक सदस्य को अधिकार होगा कि :

(i) कि वह भारत की किसी भी रेलवे में किसी भी समय प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित श्रेणी के किराये के अन्तर का भुगतान करके प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर सके;

(ii) रेल द्वारा यात्रा करते समय उसके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए तृतीय श्रेणी का पास दिया जाये; और

(iii) संसद सदस्य को वर्ष में एक बार अपनी पत्नि अथवा पति के लिए अपने सामान्य निवास स्थान से दिल्ली तथा दिल्ली से सामान्य निवास स्थान को वापिस जाने के लिए रेलवे का प्रथम श्रेणी का एक अहस्तान्तरणीय पास मुफ्त दिया जाये;

परन्तु जब कोई सदस्य रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करता है और उस यात्रा में उसके साथ कोई भी व्यक्ति खण्ड (ii) में उल्लिखित निःशुल्क तीसरी श्रेणी के रेलवे पास की व्यवस्था के अनुसार तीसरे दर्जे में यात्रा नहीं करता है तब खण्ड (i) के अनुसार सदस्य द्वारा भुगतान करने वाली राशि का निर्णय करने के लिए उक्त यात्रा का तीसरे दर्जे का किराया उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्तर में से घटाया जायेगा”].

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The purpose of my amendment is that the Members should be entitled to go in any part of the country instead of going to the constituency or usual place of residence. I hope the House will accept my amendment.

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : मेरा संशोधन यह है कि ‘वर्ष में एक बार’ के स्थान पर “सत्र में एक बार” होना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस संशोधन से जनता पर यह प्रभाव पड़ेगा कि हम और अधिक सुविधायें चाहते हैं, अतः मै इसका विरोध करता हूं।

श्री जेलुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : जिन सदस्यों की पत्नि अथवा पति नहीं हैं, उन्हें अपने निकटतम सम्बन्धी के लिए यह सुविधा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : मैने कल एक संशोधन रखा था कि हमें रेलवे भाड़े तथा विमान के भाड़े के बीच अन्तर का भुगतान करके विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जाये। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने विमान द्वारा यात्रा की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मेरा सुझाव यह है कि यदि आप संसद का सत्र केवल दिल्ली में ही रखना चाहते हैं तो हमें कुछ अधिक सुविधायें उपलब्ध करायें। इन शब्दों के साथ में अपना सशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय मंत्री संशोधन का विरोध करता हूं ।

यदि हम सब तीसरी श्रेणी में यात्रा कर तो इससे क्या हानि है ।

श्री कंवर लाल गुप्त को उक्त रियायत राजधानी से सदस्य होने के कारण नहीं मिल सकती । इसी प्रकार हजारों सरकारी कर्मचारियों को पी० टी० ओ० की रियायतें नहीं मिल सकती क्योंकि वे दिल्ली के निवासी हैं ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) · We do not get even a single P. T. O. passes whereas other members get three to four P. T. O.'s and they go with their wives in different parts of the country. I request that this discrimination should be abolished and our amendments in this regard should be accepted.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : I agree with the amemdments introduced by Shri Kanwar Lal Gupta. I also support the amendment brought to Section 5, clause 4 and 6 (A) by the Hon Minister. All these facilities should be provided to Members of Parliament coming from Kashmir and Kanya Kumari and other far places.

I request that atleast such facilities should be provided to the Members of Parliament.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मैं अपना सशोधन वापिस लेता हूँ क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया सशोवन अधिक उचित है । अब उन्होंने छोटे सत्र में दो बार यात्रा करने और बजट सत्र में चार बार यात्रा करने के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इस सुविधा की व्यवस्था होने के परिणामस्वरूप आसाम या काश्मीर के सदस्य 3 या 4 दिन में संसद में उपस्थित हो सकते हैं । सरकार द्वारा दी गई यह रियायत बहुत उचित है ।

श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं समर्थन करता हूं । मेरे विचार से इस विषय में कोई भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये ।

यदि सदस्यों को अपने परिवारों को दिल्ली लाने के लिये प्रथम श्रेणी के पास की व्यवस्था होगी तो वे दिल्ली में अपना काम ठीक प्रकार से कर सकेंगे । अतः यदि उन्हें एक की बजाय तीन बार दिल्ली आने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : वेतन समिति ने सिफारिश की थी कि संसद सदस्यों को बजट सत्र में चार बार यात्रा करने की और अन्य सत्र में दो बार यात्रा करने की अनुमति दी जाये । लेकिन सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की । मैं संशोधन के बारे में एक सुझाव देता हूं और वह यह कि शब्द "राज्य" के स्थान पर "देश" रखा जाना चाहिये । ऐसा करने से सब सदस्यों को देश में घूमने की सुविधा प्राप्त हो जायेगी ।

प्रत्येक सदस्य का अपनी पत्नी के लिये अपने पास से खर्च करना चाहिये। जनता ने माननीय सदस्य को चुन कर संसद में भेजा है उनकी धर्मपत्नी को नहीं। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इसे वापिस ले ले।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : ब्रिटिश काल में संसद सदस्यों को दैनिक भत्ता 100 रुपये था जिसे कांग्रेस शासन में घटाकार आधे से भी कम कर दिया गया था।

मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने डा० राजेन्द्रप्रसाद को यह बताया कि राज्यों के मंत्री न केवल राज्यों से बल्कि केन्द्र से भी खर्चे वसूल कर रहे हैं तो उन्हें भारी अघात हुआ था।

हमें इस बात की दलील नहीं देनी चाहिये कि किस देश में सदस्यों को क्या क्या भत्ते या वेतन दिये जाते हैं हमें यह देखना है कि हम इस बारे में कहां तक समर्थ हैं।

संसद सदस्य के लिये कार्य क्षमता का बहुत महत्व है, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं कि संसद को सुचारू रूप से कार्य करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिये। हमें देश में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि हम जो भी मांग करते हैं वह देश की और अच्छी तरह से सेवा करने के लिये करते हैं।

Shrimati Minimata Agam Dass Guru (Janjgir) : I am in favour of giving family passes. In fact, I do not like that first class passes should be issued to members, In case the first class passes are issued to members they forget the difficulties of the passengers who travel in third class. In my opinion the members should be given a third class pass and they may be able to take their families by paying the difference of fares between third and first class.

श्री रघु रामैया : यदि सभा को पहले संशोधन पर समर्थन प्राप्त है तो मुझे श्री गुप्त का संशोधन स्वीकार करना चाहिये। समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि किसी भी सदन का कोई सदस्य बजट या उससे बड़े सत्र में चार बार यात्रा कर सकता है और समिति के बैठक के लिये एक बार यात्रा कर सकता है। संसद सदस्यों के परिवारों को भी यह सुविधाएं देने का अनुरोध किया गया है। इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि यह सुविधा केवल माननीय सदस्य के परिवारों के सदस्यों अर्थात पत्नी तथा पुत्र, पुत्री तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया संशोधित किये गये संशोधन को पढ़ें।

श्री रघु रामैया : अब मैं नई धारा 2 (क) को पढ़ता हूं "संसद के प्रत्येक सदस्य को बिना पक्षपात भारत की किसी भी रेलवे में किसी भी समय प्रथम श्रेणी और वातानुकूल श्रेणी के किराये के अन्तर को अदा कर प्रथम श्रेणी के वातानुकूल डिब्बे में यात्रा करने का अधिकार होगा और उन्हें तीसरी श्रेणी का पास दिया जायेगा जो उसके साथ रेल द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये होगा"......इसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये है :—

"संसद सदस्यों को संसद के प्रत्येक सत्र में एक बार अपने परिवार के सदस्यों के लिये अपने सामान्य निवास स्थान से दिल्ली आने तथा दिल्ली से सामान्य निवास स्थान को वापिस जाने के लिये रेलवे का प्रथम श्रेणी का एक अहस्तान्तरणीय पास बिना शुल्क मिला करेगा"

उपबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अब मैं नया संशोधन प्रस्तुत करता हूं और सभा से यह निवेदन करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

नया खण्ड 2 (क) के पृष्ठ 1 पर पंक्ति 10 के पश्चात निम्न जोड़ा जाये।

2 (क) मुख्य अधिनियम की धारा 5 में दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये।

"इसमें आगे यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई सदस्य भारत में किसी स्थान का दौरा करने के लिये विमान द्वारा यात्रा करता है तो उस पर पहला उपबन्ध लागू नहीं होगा

(क) 75 दिन से अधिक के सत्र के दौरान 4 बार से अधिक नहीं;

(ख) 75 दिन से कम के सत्र के दौरान 2 बार से अधिक नहीं; और

(ग) समिति की बैठक के दौरान एक बार से अधिक नहीं।"

"2A. In Section 5 of the principal Act, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided further that nothing in the first proviso shall apply, if the member performs the journey by air for visiting any place in India.

(a) not more than four times during a session lasting more than 75 days;

(b) not more than twice during a session lasting for 75 days or less; and

(c) not more than once during a sitting of the Committee."

[मैंने समिति को सत्र से अलग कर दिया है;]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 2 (क) पृष्ठ 1, पंक्ति 10 के पश्चात निम्न जोड़ा जाये।

"2A. In Section 5 of the principal Act, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :

"Provided further that nothing in the first proviso shall apply, if the member performs the journey by air for visting any place in India.

(a) not more than four times during a session lasting more than 75 days;

(b) not more than twice during a session for 75 days or less; and

(c) not more than once during a sitting of the Committee."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 (क) विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2 क विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2A was added to the Bill

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 4 को, जिसे मंत्री महोदय ने अभी पढ़ा है, सभा में मतदान के लिये रखता हूं :—

प्रश्न यह है कि :—

"पृष्ठ 2 पंक्ति 5 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ।

Insertion of new Section. "4. After Section 6 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely.

Travel facilities to Members. 6 A. Without prejudice to the other provisions of this Act, every member shall be entitled :--

(i) To travel by any railway in India at any time in first class air-conditioned on payment of the difference between the railway fares for first class air-conditioned and first class.

(ii) to one free third class railway pass for one person to accompany the member when he travels by rail; and

(iii) to one non-transferrable first class railway pass for the spouse, if any, of the member to travel from the usual place of residence of the member to Delhi and back, once during every session.

Provided that where a member travels by rail in first class air conditioned and no person accompanies that member in that journey in third class by virtue of the free third class railway pass referred to in clause (ii), then, in determining the amount payable by the member under clause (i), the amount of third class fare for such journey shall be deducted from the difference referred to in that clause."

नई धारा का जोड़ा जाना　मुख्य अधिनियम की धारा 6 के बाद निम्नलिखित धारा को जोड़ दिया जाये ।

संसद सदस्यों को यात्रा संबंधी सुविधाएं　संसद के प्रत्येक सदस्य को बिना पक्षपात यह अधिकार होगा;

(एक) कि वह भारत की किसी भी रेलवे में किसी भी समय प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के किराये के अन्तर को अदा कर प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर सके ।

(दो) रेल द्वारा यात्रा करते समय उसके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये तीसरी श्रेणी का पास दिया जाये ।

(तीन) संसद सदस्य को वर्ष में एक बार अपनी पत्नी अथवा पति के लिये अपने सामान्य निवास स्थान से दिल्ली और दिल्ली से सामान्य निवास स्थान को वापिस जाने के लिये रेलवे का प्रथम श्रेणी का एक अहस्तान्तरणीय पास बिना शुल्क के दिया जायेगा । बशर्ते जब एक सदस्य रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करता है और उस यात्रा में उसके साथ कोई भी व्यक्ति, खण्ड (दो) में उल्लिखित निःशुल्क तीसरी श्रेणी के रेलवे पास की व्यवस्था के अनुसार, तीसरे दर्जे में यात्रा नहीं करता है तब (खण्ड एक) के अनुसार सदस्य द्वारा भुगतान करने वाली राशि का निर्णय करने के लिये उक्त यात्रा का तीसरे दर्जे का किराया उक्त खण्ड में उल्लिखित अन्तर में से घटाया जायेगा" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :--

"खण्ड 4 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

श्री रघु रामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

श्री विश्वनाथम (वंडीवाश) मेरे संशोधन का क्या हुआ । मेरे लिये एक सचिव या स्टैनोग्राफर अधिक आवश्यक है ।

श्री रघु रामैया : मैं अनुरोध करता हूँ कि इस संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखा जाये और पारित किया जाये ।

सभापति महोदय . प्रश्न यह है: —

पृष्ठ 2 (I) पंक्ति 3 में "brackets, figures" [ब्रैकिट, आंकड़े] के स्थान पर "figure" ["आंकड़े"] रखा जाय ।

(दो) पंक्ति 4 में "Sub-section (I) [की उप धारा (1)] हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय · सभा अब अन्य विषय पर चर्चा करेगी ।

श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri. M. B. Rana ***in the chair***

श्री स० मो० बनर्जी : विधेयक को तीसरे पाठन के बगैर ही पास कर दिया गया है ।

सभापति महोदय : अब विधेयक पारित हो चुका है अतः हम अब उस पर फिर चर्चा नहीं कर सकते ।

केन्द्रीय बिक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश 1969 के बारे में केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक संवैधानिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE 1969 CENTRAL SALES AND TAX (AMENDMENT) BILL

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar) : I beg to move that-"This House disapproves of the Central Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 4 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 9th June, 1969."

I stand to oppose this Ordinance. It is very sad that Government is trying to do its work with the help of such ordinances. The businessmen and the administrative stratuters are facing difficulties, as a result of this Central Sales Tax Ordinance. I, therefore, oppose this ordinance. Such type of taxes on essential consumer's goods should not be imposed by the Centre. If the Government prepare some good laws, they will be useful for the public and people will have faith in them. The Government is bringing some law under which the effect of this ordinance will

be retrospective. It will have great difficulties for the businessmen. I oppose this thing. As a result of it corruption will increase. Inspite of different laws Government should provide some facilities for the people. The law should be simplified. No business man is hesitant to pay taxes. But they are oppose to pay taxes at four different places. It will be great convenient for the businessmen if the Government realise taxes at one point. I want that Government should work with great care and caution.

I oppose this Bill. I want that the businessmen should not be put to difficulty.

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :-यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 4) का, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप राष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में अग्रेत्तर संशोधन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री यज्ञ दत्त शर्मा ने विक्रय कर के बारे में अध्यादेश जारी किये जाने पर आपत्ति की है।

उच्चतम न्यायालय के किसी मामले में लिए गये निर्णय से विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गये अन्तर-राज्य विक्रय कर रद्द हो गये। अतएव राज्य सरकारों को भारी आर्थिक संकट से बचाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी राज्य द्वारा लगाया गया विक्रय कर उस राज्य के क्षेत्राधिकार में ही लागू हो सकता है। दूसरे उच्चतम न्यायालय ने विक्रय कर गणना पद्धति बदलने को भी कहा है जिससे राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ता था। इसलिए क्षेत्रीय समितियों एवं राज्य सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात् अध्यादेश जारी करने का निर्णय किया गया, क्योंकि ऐसा न करने पर राज्य सरकारों पर 70 75 करोड़ रुपये का भार वहन करना पड़ता।

अन्तर-राज्य विक्रय कर केन्द्रीय सरकार को नहीं मिलते। यह एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने वाले माल पर लगता है और इससे होने वाली आय राज्य सरकारों को मिलती है।

इस विधेयक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह केन्द्रीय विक्रय कर है और यदि किसी राज्य विशेष में किन्हीं मामलों में विक्रय कर लगने हैं तो वे कानून इसमें बाधक नहीं होंगे तथा कर इस विधेयक के अनुसार ही लागू होंगे और उसी के अनुसार यह कर आंका भी जायेगा। मैं प्रस्ताव रखता हूं

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:-

"केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबणी) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गाव) : मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 26 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं समझता हूं कि विक्रय कर का जनता पर तथा देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की अवहेलना नहीं की जा सकती। पहली योजना में विक्रय कर राज्यों की आय का 24 प्रतिशत था, जो दूसरी योजना में 34 प्रतिशत तथा अब 48 प्रतिशत हो गया है। उत्पादन-शुल्क में जो कमियां आई थी उन्हें पूरा करने के लिए विक्रय कर शुरू किया गया था। परन्तु अब विक्रय कर के अतिरिक्त माल पर उत्पादन शुल्क भी लगाए जा रहे हैं। फलत: वस्तु के मूल्य का औसतन 50% सरकार को मिलता है। माल के निर्माता तथा विक्रेता को आधे से अधिक नहीं मिल पाता जबकि सरकार यहां कानून बनाकर आधा मूल्य प्राप्त कर लेती है। मेरा सुझाव है कि इस पृष्ठभूमि में 12 वर्ष पूर्व बने अधिनियम में सुधार किया जाना चाहिए।

वित्तीय मामलों में बनाई गई विधि भूतलक्षी नहीं होनी चाहिए, यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है। आय कर के मामले में 12 वर्ष की छूट की व्यवस्था हैं। यदि सरकार का तर्क है कि सिविल दावों की सीमा 30 वर्ष है तो ऐसी सीमा विधि सम्मत होनी चाहिए। क्या मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी कानून को उसके पारित होने से 12 वर्ष पूर्व से लागू न किया जाये ? मेरा संशोधन है कि भूतलक्षी प्रभाव सीमा की अवधि से तीन वर्ष से अधिक न हो। विक्रय कर को 12 वर्ष पूर्व से भूतलक्षी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि जो वस्तुएं बिना कर लगाए बेची गई उन पर बाद में कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती।

दूसरा प्रश्न यह है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो कर वापिस दिये गये थे, क्या उन्हें दुबारा लिया जायेगा ? मैसूर में अन्तर राज्य व्यापार केवल नारियल, सुपारी तथा अन्य कृषि उत्पादनों का ही होता है। क्या सरकार इन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के स्थान पर तबाह करना चाहती है ? क्या यह कृषि कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने वाली बात होगी ?

यह व्यवस्था कि किसी न्यायालय निर्णय के होते हुए भी यह विधि लागू होगी, कहां तक उचित है ?

करों को 3 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान की हानि को पूरा करने के लिए वहां की राज्य सरकार ने अपने कर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया। अब केन्द्र भी उन्हें

3 प्रतिशत और देने जा रहा है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इसमें क्या औचित्य है ? मैं चाहता हूं कि जो कर वापिस किए जा चुके हैं उन्हें पुनः न लिया जाये। करदाता पर यह भार न डाला जाये कि वे यह सिद्ध करे कि 1964 से कर नहीं लिया गया।

मुझे आशा है कि यह छोटी सी रियायत आप देंगे और करदाताओं को संतुष्ट करेंगे कि उन्हें मुकदमेबाजी में नहीं पड़ना पड़ेगा।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : मन्त्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट है कि यह विधि इसलिए आवश्यक हो गई है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 70-75 करोड़ रुपया करदाताओं को लौटाना पड़ रहा था। धारा 8 के अन्तर्गत हर विक्रेता को अपनी सरकार को विक्रय किए माल पर, पंजीकृत विक्रेताओं को बेचे माल पर, तथा कुछ घोषित माल पर कुल विक्रय पर अधिनियम में उल्लिखित आधार पर कर लागू होते हैं। अन्य वस्तुओं पर जिनकी घोषणा नहीं की गई 10 प्रतिशत कर देय है।

यदि किसी राज्य में किसी विशेष समान पर कोई विक्रय कर नहीं है तब केन्द्रीय विक्रय कर भी ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा।

एक ही राज्य के भीतर बिकने वाली कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर नही था तथा ऐसी वस्तुओं पर केन्द्रीय कर नहीं था जिन्हें बिक्री के लिए एक राज्य से अन्य राज्यों में भेजी जाती थी। वर्तमान विधेयक के अनुसार यदि इसका संशोधन होता है तो इस बात के होते हुए भी कि राज्य के भीतर बिकी हुई किसी वस्तु पर बिक्री कर नहीं लगेगा तो भी व्यापारी को अन्तर्राज्यीय व्यापार करने पर उस वस्तु की बिक्री पर कर देना पड़ेगा।

अतः इस समय की गई प्रस्तावित व्यवस्था से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की शर्तें समाप्त हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है कि जो कर वसूल किया गया है वह गलत है यदि सरकार इसे वापस करना नहीं चाहती तो यह बात दूसरी है। परन्तु यदि इस नए प्रस्तावित कानून से सरकार को पिछले 12 वर्षों से कर लगाने का अधिकार उपलब्ध हो गया तो स्थिति असह्य हो जायेगी। अतः मंत्री महोदय इस मामले का स्पष्टीकरण करें कि क्या यह जो नया संशोधन है वह केवल पिछले 12 वर्षों के दौरान एकत्र किए कर के धन को न लौटाने के प्रश्न को दृष्टि में रखकर ही किया गया है अथवा इस दौरान किसी व्यापारी पर कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा अन्यथा राज्य सरकारों को अत्याधिक भयानक अधिकार मिल जाऐंगे जिससे वे पिछले 13 वर्षों के दौरान बिक्री हुई वस्तुओं पर बिक्री कर लगा देंगी, जिन पर कि पहले कोई बिक्री कर नहीं था। अतः मन्त्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट करें।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझुनू) : जहां तक बिक्री कर का सम्बन्ध है यह सारे देश भर में एक सा होना चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति

की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कराधान का रूप प्रत्याशित होना चाहिए, और यह ही इस दिशा में सर्वमान्य विधि है। इसलिए इस विधेयक का खण्ड 9 भूतलक्षी नहीं होना चाहिए।

यह विधेयक जो सभा में प्रस्तुत किया गया है 1956 के मूल अधिनियम में वर्तमान कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए है जिनका उल्लेख हमारे उच्चतम न्यायालय ने करते हुए यह बताया है कि यदि राज्य के विधान में किसी वस्तु पर बिक्री कर नहीं लगा है तो उस पर केन्द्रीय बिक्री कर भी नहीं लगाया जा सकता।

विविध वस्तुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर तीन प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक है, और इससे एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। व्यापारियों ने उपभोक्ताओं से तो बिक्री कर वसूल किया नहीं है और अब सरकार ने उन पर बिक्री कर लगा दिया था और जिन व्यापारियों ने यह कर अदा कर दिया था अब उन्होंने उस कर को वापस मांगने का दावा किया है। वास्तव बिक्री कर भूतलक्षी रूप में नहीं लेना चाहिए था। सरकार की यह मांग गलत है।

इसलिए जब उच्चतम न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध अपना बार बार अभिमत दिया है तो इसके पश्चात् यदि सरकार इस प्रकार का विधान बनाती है तो यह सर्वथा गलत है। हमें न्यायपालिका का उचित मान करना चाहिए।

करारोपण को न्याय संगीत देने के लिए जिसे उच्चतम न्यायालय में अवैध घोषित कर दिया था, सरकार ने 9 जून, 1969 को एक अध्यादेश जारी किया था। इस विधेयक को सदन में उक्त अध्यादेश को अधिनियम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से अब सदन में रखा है। इस विधेयक की धारा 9 के अन्तर्गत शर्तें जिसके कारण यह करारोपण भूतलक्षी बन गया है, बहुत ही आपत्तिजनक है और मैं इस विधेयक की घोर निन्दा करता हूं। इस प्रकार के करारोपण के फलस्वरूप जिन व्यापारियों ने कर का भुगतान कर दिया हैं उन्हें उस कर को वापिस मांगने का किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार के विधेयक को पेश करना तथा उसे विधि का रूप देना एक व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों तथा संविधान के विरुद्ध है। यह तो सत्ताधारी दल का लोगो के मूलभूत अधिकारों का अवैध रूप में अपहरण करना है मेरी दृष्टि में यह विधि तो जन विरोधी है। 1955 के जोन मथाई के प्रतिवेदन के अनुसार कर का केन्द्रीकरण नहीं करना चाहिए। जब प्रत्येक राज्य में कर प्रशासन अधिकारियों को अनेक सम्भ्रान्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो केन्द्रीय सरकार किस प्रकार इसका सुचारू रूप से निपटारा कर सकती है।

देहली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरयाणा तथा पंजाब राज्यों के लिए वितरण केन्द्र है परन्तु यहां बिक्री कर बहुत अधिक है और यही कारण है कि यहां व्यापार को बहुत हानि होती है। अतः देहली में बिक्री कर की दर में कमी करनी चाहिए जिससे पड़ौसी व्यापारियों को यहां व्यापार करने में सुविधा मिल सके। इसलिए मैंने सुझाव दिया है सारे देश में यह कर एक समान होना चाहिए।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : There was a time when the Bill for the levy of sales tax was strongly opposed. As this affects the poor consumer, Government has increased the rate of sales tax. I can say that the entire burden of this sales tax has fallen on the shoulders of the poor consumer; and therefore, I attach great importance to this Bill. I have given two suggestions in this connection. One is that it should be circulated for eliciting the public opinion thereon; secondly, it should be referred to a Joint Select Committee so that the committee could be able to consider, whether it is possible to charge entire sales tax on each and every item at one place only; together with that there should be some understanding for the distributing the income of the sales tax between the States Governments and the Central Governments. If the tax is levied on the goods at the initial stage at one place only the evasions could not take place and Government would get full and entire revenue. In case any of the two suggestions which I have made, is not acceptable to Government then they should consider this problem on the lines of my suggestions. Government will be benefitted in two ways. One is that the income from sales tax will increase, because over invoicing in the trade will stop; and Government as well as the poor consumer will be relieved of so many inconveniences.

Shri Shivchandra Jha (Madhubani) : I am also of the opinion that the entire burden will fall on the people because of the Central sales tax Bill. With this Bill State Governments will have the right not to refund the money of sales tax collected during the last 10 years.

Sales tax indirectly hits the poor people. The figures taken after independence and after the plans show that indirect taxes like sales taxs have now increased 500 times more. This entire burden has fallen on the shoulders of the poor people. But the burden of direct taxes levied on the rich-men has shown a very little increase. The taxes are not levied on luxury goods they are imposed on the consumer items and the poor man is vitally affected.

It is said that sales tax would affect the traders. But it should not be forgotten that the trade is in the hands of profiteers. If we take it for granted that trade of the these profiteers would be affected to some extent but it is also a fact that they hoard consumer goods and create man-made scarcity of these consumer goods only to harass poor people and for the sake of black marketing and profiteering. Therefore these traders do not care for the interest of the people.

The levy of sales tax would be necessary even in the planned economy of the country. When Government desires to levy taxes on the people, they have to be seen whether the tax collectors are discharging their duties honestly, and sincerely in recovering the taxes from the tax-payers in full; and it should be seen that the amount of sales tax or any other tax is recovered in full from the persons or traders. According to the report of Cimary Committee full amount of sales tax is not recovered and Government has to bear a loss of about Rs. 100 crores because of the smuggling going on through out the country. It is all due to the carelessness and corrupt practice of the officers. The officers favour the tax payer in a corrupt manner. Government do not get full amount of due taxes, for the corruption prevailing at the officers' level. What steps Government is going to take against these corrupt officers ?

If Government intends to mobilize resources for the plan it would have to impose sales tax. In view of the prevalent circumstances Government shall have to take over the internal whole sale trade and then it should be entrusted either to the state management or to the cooperative sector. Despite all sorts of corruption and improprieties Government as well as society will be benefitted if this step is taken by Government. Black marketing and profiteering will stop and poor man will feel relief if it is not done the Bill, as has been brought in, would effect the 75 per cent population of poor people of the country.

I, therefore, oppose this Bill, and it would be better if it is circulated for eliciting public opinion thereon.

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : जून, 1969 में लागू किए केन्द्रीय बिक्री कर संशोधन अध्यादेश को बदलने के लिए ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है।

अभी तक मैं यह नही समझ सका हूं कि इस अध्यादेश को ऐसी परिस्थितियों में क्यों लागू किया गया है। इस विधेयक में दिए गए उद्देश्यों तथा कारणों को बताने वाले विवरण में बताया गया है कि बिक्री कर से सम्बन्धित मामलों में 1964 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप ही इस अध्यादेश को आवश्यक समझा गया था। 4 वर्ष और 6 मास के पश्चात् इस अध्यादेश को विधि का रूप देने के लिए अब इस विधेयक को लाया गया है। मेरा निवेदन है कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो इसके बड़े गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव लेगा और इस कारण कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। यह अच्छा होगा यदि इस विधेयक के स्थान पर कोई व्यापक केन्द्रीय बिक्री कर कानून लाया जायेगा। अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में संशोधन करके इसके भूतलक्षी प्रभाव को समाप्त कर दिया जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Chairman, Sir, **prima-facie** this Bill will operate harshly against the petty shop-keepers. This Bill will have retrospective effect for 12 years. Why have the collections not been made so far ? The whole body of Sales Tax Inspectors is reeking with corruption. A grant of Rs. 50 or so can help a businessmen evade the arrears of 1-2 lakhs of rupees. The petty shop-keepers are being unjustifiably harrased and they naturally cannot be expected to maintain the accounts. My suggestion is that all the taxes should be levied at the source. My submission is that the people and particularly the small businessmen should be given relief. There should not be multiplicity of taxes. It is always the big industrialists who evade the taxes. They have the legal experts at their disposal who tell them the loopholes in the law. As regards the retrospective element of the Bill, I suggest that it should not be there as it will create innumerable hardships. On the other hand severe action should be taken against the Inspectors responsible for not realising the arrears.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : This Bill provides for the payment of sales tax by the inter-state trade dealer. The term dealer is ambiguous. If a business man of Delhi goes to a newly U. P. town to sell his commodity, it is not clear who will pay the sales tax. The term dealer should be clearly defined. Instead of having the sales tax at different levels the tax should be imposed only at the source. This

would also save the Government of huge expenditure incurred on keeping the leviation of tax collecing machinery. The big producers of tobacco in our area cheat the Government in a big way. They give Rs. 25 or so to the Excise Inspector who puts their produce at 25 maunds instead of 100 maunds. The Inspectors get a fixed monthly amount from the big shop-keepers. But it is the small shop-keepers who get short strift. They are harrased and victimised. That apart, the multiplicity of sales tax will generate price spirual.

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वह सरकार जो अपने आप को लोकतन्त्रात्मक सरकार कहती है, उन अध्यादेशों को कानूनी रूप देने के लिये प्राय: इस सभा में आती है जो सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के दिये गये निर्णयों के विरुद्ध जाते हैं। ऐसा करना कानून तथा संविधान का अपमान ही करना है। इस सम्बन्ध में पहला निर्णय 1964 में दिया गया था और उसके बाद 1968 में कई निर्णय दिये गये। इस वर्ष बजट सत्र में सरकार कोई विधेयक लाने की परवाह नहीं की। किन्तु सत्रावसान के 3 सप्ताह के भीतर ही राष्ट्रपति से अध्यादेश पर हस्ताक्षर कराये गये। बड़े आश्चर्य की बात है कि यह सरकार जो लोकतन्त्र का नारा लगाती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी ठहराई गई चीज़ को कानूनी रूप देने के लिये राष्ट्रपति की शक्तियों का इतना दुरुपयोग करती है। पहले तो सरकार ने उस विधेयक को लाने में गलती की और अब सरकार अपनी इस गलती के लिये कर दाता को दण्डित करना चाहती है। होना तो यह चाहिये था कि गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठे किये गये पैसे को सरकार, जिन लोगों से उसे वसूल किया गया था, लौटा देती।

सरकार बहुधा अध्यादेश का सहारा लेती है। सरकार को ऐसे तरीकों को तुरन्त छोड़ना चाहिये। संविधान के रचयताओं ने इस प्रकार के अध्यादेश जारी करने की शक्ति सरकार को नहीं दी है। यह कानून पहले 1955 में पास किया गया था और फिर 1958 में इसमें संशोधन किया गया था। 10-11 वर्षों तक सरकार सोती रही और अब 1968 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरुद्ध कई निर्णय दिये तो सरकार अपनी अनियमितताओं को कानूनी रूप देने के लिये कहती है। यदि सरकार अपने बहुसंख्यक होने के आधार पर इस प्रकार कानून बनाती जायेगी, तो यह लोकतन्त्र का दुरुपयोग होगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ..अब गणपूर्ति है। माननीय मंत्री अब बहस का उत्तर दे सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : सबसे पहले मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के बारे में यह धारणा बिल्कुल गलत है कि इसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर में वृद्धि की जा रही है। दूसरे, न ही इस विधेयक के अन्तर्गत नई वस्तुओं पर अथवा नये क्षेत्रों में बिक्री कर लगाया जा रहा है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि समूचे कर ढांचे की जाच की जानी चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना कह सकता हूं कि सारा मामला पांचवे वित्त आयोग के सामने है। उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात हम एक अधिक व्यापक विधान लाना चाहते हैं और उस समय हम समस्या के इस पहलू की जांच कर सकते हैं कि कर व्यवस्था क्या होनी चाहिये, क्या एक विशेष प्रकार के बिक्री कर को इस तरीके से लगाना है अथवा अन्य किसी तरीके से।

किन्तु, राज्य सरकारें सामान्यतः यह नहीं चाहती कि उत्पादन शुल्क लगाने की शक्ति अधिक, वस्तुओं के सम्बन्ध में उन से ले ली जाये। यह केन्द्रीय बिक्री कर पूरे का पूरा राज्य सरकारों को जायेगा। केन्द्रीय सरकार को इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अतः यह कोई केन्द्रीकृत कर नहीं है।

{ **श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए** }
{ **Shri K. N. Tiwari** *in the Chair* }

श्री लोबो प्रभु ने कहा कि इसे तीन वर्ष से अधिक का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो 70·75 करोड़ रु. की जो राशि विभिन्न सरकारों द्वारा इकट्ठी की गई है वह दी नहीं जा सकेगी। इसमें विभिन्न राज्य सरकारें अन्तर्ग्रस्त हैं और उनकी वित्तीय स्थिति बड़ी कठिनाई में पड जायेगी। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र के मामले में 44 करोड़ रु. की राशि हैं। यदि हम इसको भूतलक्षी प्रभाव न भी दें तब भी यह राशि उपभोक्ताओं को नहीं जायेगी, वरन् व्यापारियों को ही जायेगी।

जहां तक 1956 के अधिनियम का सम्बन्ध है इसके निर्वाचन के बारे में कुछ मत भेद था। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे निर्वाचन के अनुसार नहीं था इसलिये यह विधेयक लाया गया है। श्री लोबोप्रभु ने कहा कि क्या ऐसे विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देना वांछनीय होगा। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में ऐसे कितने ही मामले हैं जिनमें ऐसे विधेयकों का अनुमोदन किया गया है।

श्री अब्दुल गनी दार और श्री कछवाय ने बिक्री कर इकट्ठा करने में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। यह कार्य पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भ्रष्टाचार के किन्ही विशिष्ट मामलों की जानकारी हमको दी जाये तो हम निश्चय ही उन्हें जांच के लिये राज्य सरकारों को भेज देंगे।

ऐसा सुझाव दिया गया है कि इसे जन मत के लिये परिचालित किया जाये। सरकार सभा के समक्ष कोई नया विधान नहीं प्रस्तुत कर रही है, अतः इसे जन मत के लिये परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर इसे परिचालित किया जाता है, तो चालू सत्र में प्रस्तुत विधेयक अधिनियम का रूप नहीं ले सकता और उस स्थिति में जून में लागू किया गया तत्सम्बन्धी अध्यादेश व्यपगत हो जायेगा और परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को लगभग 70 से 75 करोड़ तक की राशि लौटानी पड़ेगी। इसलिये इस सुझाव को स्वीकार करना कठिन होगा।

यदि व्यापार पद्धति बदल दी जाये, जैसा कि सुझाव दिया गया है, और देश में अधिकाधिक सहकारी समितियां खुलें, तो यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम होगा, किन्तु विधेयक का उद्देश्य केवल उस स्थिति को स्पष्ट करना है जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई है। प्रस्तुत सुझाव इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से एक दम बाहर है।

जहां तक निर्माण स्थान पर कर वसूल करने के सुझाव का सम्बन्ध है, मैंने शुरु में कहा है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और पांचवे वित्त आयोग के प्रतिवेदन मिलने पर हम इस बारे में विधान लाने की सोच रहे हैं। यह मामला सभा के समक्ष आयेगा और प्रवर समिति को भी जायेगा। और उस समय माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार रख सकते हैं जिन पर समुचित रूप से विचार किया जायेगा।

हमने विधेयक में इस बात की सावधानी बरती है कि जहां कहीं व्यापारियों ने कर एकत्रित न किया हो, उसका प्रमाण देना निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी होगी। और यदि वे इसका प्रमाण दे देते हैं कि उन्होंने एकत्रित नहीं किया है, तो उस हद तक निश्चित रूप से विधेयक में यह उपबन्ध जोड़ा जा रहा है कि इसे उनसे वसूल नहीं किया जायेगा, लेकिन यदि उन्होंने वसूल कर लिया है, तो वे उसे आगे सरकार को भेजने में निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे।

सभापति महोदय : अब मैं श्री यज्ञदत्त शर्मा का निम्नलिखित सांविधिक संकल्प सभा के मतदान के लिये रखता हूं :—

"यह सभा केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 4) का, जो राष्ट्रपति के रूप में करते हुए उप–राष्ट्रपति द्वारा 9 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 8, 9 तथा 26 एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा सशोधन संख्या 8, 9 तथा 26 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments Nos. 8, 9 and 26 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में अग्रेत्तर संशोधन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डश: विचार करेगी ।

खण्ड 2 धारा 2 का संशोधन

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अङ्ग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 धारा 6 का संशोधन

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रस्तुत विधेयक वर्ष 1958 से देय सभी बकाया राशियों के लिए भूतलक्ष्य तिथि लागू होता है । मेरा तर्क यह है कि यदि राज्य सरकारों के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि जिसका मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है, लौटाना भारी बोझ है, तो यह राशि उनके लिए भी भारी बोझ है जिनकी ओर वह बकाया बनती है अर्थात जिन्हें वह देय बकाया राशि के रूप में चुकानी पड़ेगी । मंत्री जी के अनुसार राज्य सरकारें 80 करोड़ रुपये की राशि नहीं लौटा सकते लेकिन अन्य लोग अपनी देय बकाया राशियां दे सकते हैं । यदि ऐसा मान भी लिया जाये, तो प्रश्न अन्य देय बकाया राशियों का रहता है । ये राशि दो हिस्सों में बंटती है, पहला 1964 तक और 1964 तक किसी न्यायिक निर्णय की घोषणा नहीं हुई थी, इसलिये यह देय बकाया राशियों का एक प्रकार से 1964 के बाद की देय बकाया राशियों से कम औचित्य है । मेरा मंत्रीजी से एक साधारण निवेदन है कि सरकार चाहे राज्यों से धन लौटाने को न कहे, लेकिन वह 1964 के पहले की देय बकाया राशियों को अथवा उसके बाद की देय बकाया राशियों को वसूल न करें, दूसरी बात यह हैं कि सम्बन्धित पक्षों के लिए 10–12 वर्ष पुरानी हिसाब-किताब की कापियां रखना सम्भव नहीं हैं और उनके लिये यह प्रमाणित करना कि उन्होंने कर चुका दिया है, बड़ा कठिन है । जिन मामलों में डिक्रियां हो चुकी हैं धारा 9 के अन्तर्गत यह कहना बहुत होगा कि वे अवैध हैं, इसके अलावा कुछ मामले न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं, उनमें सरकार कुछ न कुछ समझौता कर सकती हैं और वह कम से कम उन पक्षों का वह खर्चा दे दे जो उन्होंने किया है ।

कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें वापसी के लिये दावे किये जा सकते है, ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। सरकार के लिये मेरे इस संशोधन को स्वीकार करना सम्भव है कि गत तीन वर्षों की देय बकाया राशियां वसूल की जाये और उनकी राशियां भी सीमित की जायें ताकि उनके बारे में कोई मुकदमेंबाजी की गुंजाइश न रहे ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मंत्रीजी के कथनानुसार यह प्रतीत होता है कि वह राज्यों के प्रति तो हमदर्द है लेकिन जनता को वह दण्ड देना चाहते हैं। यदि ऐसी ही बात है तो वह राज्यों को भारत के संचित निधि से धन दे दें। दूसरी बात उन्होंने कही है कि न्यायालयों ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि किसी अधिनियम को भूतलक्ष्य तिथि से लागू करना गैर कानूनी है। क्या हम न्यायाधीश के हाथ केवल इसलिए बांधना चाहते हैं कि हम कानून बना सकते हैं अथवा हम उसके औचित्य के बारे में विचार करना चाहते हैं ? जहां तक देश के कानून का सम्बन्ध है, कानून और संविधान की व्याख्या केवल न्यायालय कर सकते हैं और वह भी उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या सर्वमान्य होगी। यदि माननीय मन्त्री यह समझते थे कि उनकी व्याख्या ठीक है, तो उन्हें न्यायालय को यकीन दिलाना चाहिये था यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें खुले आम अपनी हार माननी चाहिये।

मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार केवल 70 करोड़ रुपये के लिये इस अध्यादेश को तथा उसके स्थान पर इस विधान को उचित ठहराने का प्रयास कर रही है जब कि वह प्रतिवर्ष अन्य धन के अलावा 4000 करोड़ रुपये वसूल कर रही है, मैं नहीं जानता कि सरकार यह कहकर कि 'कानून की हमारी यह व्याख्या है और इसलिये हम इसे वसूल करेंगे' कानून की वास्तविक स्थिति तथा संविधान का हनन करना चाहती है।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक श्री लोबो प्रभु के संशोधन तथा सुझाव का सम्बन्ध है मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राज्यों में 'लॉ आफ लिमिटेशन' (सीमा कानून) है जिसके अनुसार एक निर्धारित अवधि तक बही खाते तथा हिसाब-किताब की फिर से जांच हो सकती है, और जब तक वह अवधि समाप्त न हो, कोई भी पक्ष अथवा व्यापारी उन्हें नष्ट नहीं करेगा, इसलिये वे उपलब्ध होगी ।

दूसरी बात, धारा 6 के अंतर्गत, राज्य कानून के अनुसार जिम्मेदारी निश्चित होगी। इसलिए, यद्यपि हम इसे भूतलक्षी तिथि से लागू कर रहे हैं, तथापि वह विभिन्न राज्यों में जो सीमा कानून हैं, उनके अनुसार लागू होगा।

श्री कुन्टे ने पूछा है कि क्या इस कर का अधिकांश भाग राज्यों को नहीं दिया जा सकता। मैंने यह स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 269(1) के अंतर्गत इस कर से प्राप्त सम्पूर्ण राशि राज्यों को दी जाती है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैंने यह कहा था कि यदि यह विधेयक पारित नहीं होता तो राज्यों को कर की राशि का वापस भुगतान करना होगा। इस सन्दर्भ में मैंने पूछा था कि क्या

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस मामले में सहायता नहीं कर सकती। आप संसद की गलती के लिए करदाता को क्यों दण्ड देते हैं ?

श्री प्र० चं सेठी : श्री कुन्टे का तर्क मेरी समझ में नहीं आया । वह इससे किसको लाभान्वित देखना चाहते हैं यदि किसी व्यापारी ने यह कर एकत्र नहीं किया है तो उसे क्षमा किया जा सकता है परन्तु जिसने कर वसूल किया हैं, उससे तो सरकार का लेना ही होगा। यदि सरकार इस कर राशि को व्यापारियों को वापस भी कर दे तो वह उपभोक्ताओं तक न पहुंचेगी उसे व्यापारी ही खा जायेंगे ।

जहां तक विधि और सविधान का सम्बन्ध है स्थिति स्पष्ट है। इस कानून का आशय यह था कि अधिनियम के अनुसार कर वसूल किया जाये। परन्तु न्यायालय ने उसकी व्याख्या दूसरी प्रकार से की। इस प्रकार की कठिनाई कभी कभी उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं श्री लोबो प्रभु के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 10 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 5 के लिए कुछ संशोधन हैं ।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : मैं संशोधन सख्या 11 तथा 12 पेश करता हूं ।

There is a provision in the Bill that sale proceeds of three months prior to 14th May, 1966 and the sale proceeds of six months after 14th May, 1969 will be counted. But what will happen to a period from 1966 to 1969. So I moved that for 'May 1966 substitute "May 1969".

श्री प्र० चं० सेठी । यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो व्यापारियों को इससे हानि होगी । अब उन्हें 6 महीने का समय उपलब्ध है जबकि नये संशोधन के अनुसार उन्हें 3

महीने का समय ही प्राप्त होगा । वस्तुतः प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से उन नियमों को कानून का रूप दिया जा रहा है जो 14-5-1966 को बनाये गये थे । एक और कठिनाई इस संशोधन को स्वीकार कर लेने पर सामने आयेगी कि वे मामले भी पुनः उठाने पड़ेंगे जिनमें कर निर्धारण किया जा चुका है । अतः मैं उक्त संशोधनों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 और 12 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments No. 11 and 12 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन सख्या 13, 14 और 15 प्रस्तुत करता हूं ।

The clause No. 6 empower the Central Government to make rules according to this Act which will be made applicable in any State or part thereof where no general sales tax law is in force. So I want that such rules may be made after due constitution with that State. Secondly, I want that the word "given" should be inserted after the word "assigned", so that the amount is actually given to the State concerned. It will improve the Centre-State relations also.

श्री प्र० चं० सेठी : वैसे तो सरकार को इस उपबन्ध को कार्यान्वित करने की 1958 से अब तक जरुरत महसूस नहीं हुई । फिर भी सरकार के पास ऐसा अधिकार होना चाहिए । इससे आवश्यकता पड़ने पर सरकार उन क्षेत्रों में जहां बिक्री कर नहीं है, बिक्री कर लगा सकती है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13, 14 और 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The Amendments Nos. 13, 14 and 15 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There is no quorum in the House, Sir.

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजाई जा रही है ।... .....अब सभा में गण-पूर्ति है ।

प्रश्न यह है :

"खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9

श्री शिव चन्द्र झा : मैं संशोधन संख्या 18 पेश करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : मैं संशोधन संख्या 29 पेश करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 16, 17 और 19 पेश करता हूं । खंड 9 में यह कहा गया है कि चाहे न्यायालय का कोई भी निर्णय, आदेश या डिग्री क्यों न हो, कर-निर्धारण ज्यों का त्यों बना रहेगा । इसके द्वारा आप अपने ही बनाये हुए कानूनों के अनुसार दिये गये निर्णयों की अवहेलना कर रहे हैं । दूसरे क्या यह अनुचित नहीं है कि जिस व्यक्ति ने एक बार मुकदमा जीत लिया है आप उसे इस जीत के लाभ से वंचित करना चाहते हैं । अत: मेरा निवेदन है कि इस त्रुटि से बचने के लिए मेरा संशोधन संख्या 16 स्वीकार कर लें । इसी खंड में आगे यह व्यवस्था है कि ऐसे कर की वापसी के लिए किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा । यहां मेरा यह सुझाव है कि जो लोग अदालत की फीस आदि जमा करके मुकदमा चला रहे हैं उन्हें आप उनका खर्च तो वापस करें । यह तो कानून और न्याय की मांग है । यदि आप ही इस प्रकार अपने द्वारा बनाये गये

कानूनों का अपमान करेंगे तो आप अन्य जनता से यह कैसे अपेक्षा करते हैं कि वे कानूनों का ठीक से पालन करें।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, my amendment is related to clause 9 (b) which says that "no suit or other proceedings shall be maintained or continued in any court or before any authority for the refund of any such tax." I like that "Provided there had been malpractice or misuse of such power by the concerned authority." should be added thereafter. It will give a chance to assessee to get redressal of his grievances in respect of misuse of power by assesser in making assessment. Such a chance should be made available to all citizens so that they may get justice from the Court or any other authority.

Shri Om Prakash Tyagi : I would like to point out that the method of making assessment is defective. A businessman or a shopkeeper produces his accounts book. The assessing Authority or Officer does not pay attention to what is there in accounts book but he makes the assessment on his own accord. It is due to this fact that the businessmen devised an evasive method of keeping two accounts books instead of one. Now only fictitious accounts book is shown to the Assessing Authority. According to the present clause you are snatching away the right to make even an appeal against the decision of Assessing Authority. It will give more powers to them and they will become more corrupt. You except every thing from the businessman and leave free your officers to act arbitrarily. All officers are not honest. Some are corrupt also. Above all this thing has resulted accummulation of more black money. That is the reason. why I make an appeal to the Minister to accept my amendment No. 29, which will protect the right of people to get justice.

श्री प्र० चं० सेठी : यदि श्री लोबो प्रभु के पहले संशोधन को मान लिया जाये तो इस विधेयक को लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। मैं उनके दूसरे संशोधन को स्वीकार करने में भी असमर्थ हूं क्योंकि इससे अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जायेंगी।

जहां तक श्री शिवचन्द्र झा और श्री त्यागी के संशोधनों का सम्बन्ध है, उन्होंने एक बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कर निर्धारण मे कोई गणित सम्बन्धी गलती रह जाती है तो वह प्रक्रिया-प्रदत्त तरीकों से ठीक की जायेगी। यदि माननीय सदस्य को किसी मामले की जानकारी है तो वह सरकार को दे, जिससे गलती को ठीक कराया जा सके।

Shri Om Prakash Tyagi : But what about that officer who knowingly makes wrong assessment ? Why do you want to give an opportunity to a businessman to make an appeal against such officer ?

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : I also support this idea that there should be provision for an appeal to be made by a businessman in case of wrong assessment against the assessing officer. I do not plead for dishonest businessmen.

श्री प्र० चं० सेठी : यह कर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल लाने ले जाने पर लगाया जाता है और इस विधेयक में इसकी दर भी निर्धारित कर दी गई है अर्थात् 3 प्रति-

बात । हमारे द्वारा पहले ही पारित किये जा चुके खण्ड 8 में इस कर को वसूल करने के सूत्र का उल्लेख किया गया है ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

प्रस्तावित बिधेयक उक्त कर के निर्धारण तथा सूत्र के बारे में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या से सबधित है ।

जहां तक किसी भूल का सम्बन्ध है, उसे समय पर अपील करके ठीक कराया जा सकता है ।

यह विधेयक केवल कानूनी कमी को पूरा करने के लिये लाया गया है । इसलिये मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29, 16, 17 और 19 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 26, 16, 17 and 19 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सिद्ध करने का भार उसी पर होगा जो कर से छूट की मांग करेगा तथा विभाग पर नहीं, जिसे तो कर वसूल करना ही है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 20 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 20 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड 11 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Tulshidas Jadhva (Baramati) : In some States there is single point sales tax and in others there is double point sales tax. It should be made single point tax in all the States. Government should merge this tax with the excise duty. They can compute the sales tax collections and make corresponding increase in the excise duty and fix the share of the various States therein.

Sales tax should be levied at the source of production as is done in the case of excise duty. This will save the petty traders much of the botheration involved in maintaining accounts therefor. And if it is merged with excise duty, it will be the best course and eliminate all hardships to the traders.

Shri Yajna Datt Sharma : The Centre should see the wisdom and levy this tax at one point-at the point of production-either in the form of excise duty or otherwise. This will save the traders from the botheration of maintaining accounts therefor. It will also result in eradication of corruption at the official level. This suggestion also deserves consideration from the point of view of simplification of the tax structure.

Shri Kanwar Lal Gupta : So far as the present system of collection of sales tax and inter-State sales tax is concerned, there is heavy evasion and the bureaucracy is thriving. It results in loss to the Government and harassment to the traders and consumers. Where it can be levied in the form of excise duty, it should be done. In the case of controlled items there can be no difficulty in realising it in the form of excise duty.

In some States there is single point sales tax and in others there is double point sales tax. This sales tax and inter-state sales tax is the greatest curse for the petty tra-

ders. Government should apply its mind to it and bring about uniformity in the matter of levy of sales tax in all the States of the Indian Union.

Delhi is a distributing centre and the traders of Delhi can survive only when the rates of sales tax and inter-state sales tax are kept low. Some years back a big agitation had taken place in Delhi on this issue and the then Home Minister Shri Pant had given an assurance in the House that the distributing character of Delhi would be maintained. It is no record. But it is a matter of great regret that this assurance has not been fulfilled. The hon. Minister should look into this matter and see that the rates of sales tax in Delhi are one per cent less than those prevailing in the neighbouring States.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं श्री त्यागी और श्री कंवर लाल गुप्त का समर्थन करता हूं। मुझे याद है यह मामला 1958 में उठाया गया था और जब कपड़े पर विक्रय कर को उत्पादन शुल्क में बदला गया तो बहुत अधिक आय हुई थी क्योंकि उस स्थिति में चोरी की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है। एक मामूली दुकानदार के लिये शुल्क से बचने के लिये यह सब लेखा जोखा रखना असम्भव होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस आशय का एक संशोधन इसी सत्र में लाया जाना चाहिये और यदि इस सत्र में नहीं लाया जा सकता तो अगले सत्र में अवश्य ही लाया जाना चाहिये।

श्री प्र० चं० सेठी : विक्रय कर को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में बदलने के प्रश्न पर 1957 में विचार किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य सरकारों की सहमति से यह निर्णय किया गया था कि चीनी, तम्बाकू तथा कपड़े पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लागू किया जायेगा। इस निर्णय का तभी से पालन किया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से कहती रही हैं कि इन वस्तुओं को भी उत्पादन शुल्क के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया जाये और उनपर बिक्री कर लगाने की अनुमति दी जाये। इसलिये हमने समूचा मामला पंचम वित्त आयोग को सौंप दिया है और उनसे कहा है कि वे इस मामले पर अच्छी तरह विचार करें। इस आयोग ने राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उस पर विचार किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन सरकार की सिफारिशों सहित दोनों सदनों के सामने रखा जायेगा। हम 1958 के बिक्री कर अधिनियम में संशोधन करने के बारे में सोच रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वे बड़े मूल्यवान हैं परन्तु उनपर इस प्रतिवेदन के सभा में पेश किये जाने के बाद ही विचार किया जा सकेगा; इस समय नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभा इस विधेयक को पारित कर दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

38 वां प्रतिवेदन

श्री रघु रामैया : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 8 अगस्त, 1969/17 श्रावण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 8th August, 1969/Sravana 17, 1891 (Saka).

मुद्रक:– डाइमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–3